“उच्च माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा की नीति, प्रावधान एवं समस्याएँ”

“Policy, Provision and Problems of Inclusive Education at Senior Secondary Level”

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

की

पीएच.डी. (शिक्षा)

उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

शिक्षा संकाय

शोधार्थी

सरोज चौधरी

शोध पर्यवेक्षक

डॉ. सुषमा सिंह

जे.एल.एन. पी.जी. टी.टी. कॉलेज, सकतपुरा कोटा

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (राज.)

April - 2021

CERTIFICATE

I feel great pleasure in certifying that the thesis entitled **"उच्च माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा की नीति, प्रावधान एवं समस्याएँ"** is an original piece of work carried out by **Saroj Chaudhary,** under my supervision for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY. She has completed the following requirements as per Ph.D. regulations of the University.

(i) Course work as per the University rules.

(ii) Residential requirements of the University (200 days).

(iii) Regularly submitted annual progress report.

(iv) Presented his work in the departmental committee.

(v) Published/accepted minimum of one research paper in a referred research journal.

I recommend the submission of the thesis.

Place: Kota

Date:

Dr. Sushma Singh

Research Supervisor

Dean

Department of education

Kota University, Kota

ANTI-PLAGIRISM CERIFICATE

It is certified that Ph.D. Thesis Titled **"उच्च माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा की नीति, प्रावधान एवं समस्याएँ"** (Policy, Provision and Problems of Inclusive Education at Senior Secondary Level) by Saroj Chaudhary has been examined by us with the following anti-plagiarism tools. We under tanken the follws:

(a) Thesis has significant new work /knowledge as compared already published or are under consideration to be published elsewhere. No sentence, equation, diagram, table, paragraph or section has been copied verbatim from previous work unless it is placed under quotation marks and duly referenced.

(b) The work presented is original and own work of the author (i.e. there is no plagiarism). No ideas, processes, result or words of the others have been presented as author's own work.

(c) There is no fabrication of data or result which have been compiled and analysed.

(d) There is no falsification by manipulating research materials, equipment or processes, or changing or omitting data or result such that the research is not accurately represented in the research record.

(e) The thesis has been checked using **Ouriginal (URKUND)** and found within limits as per HEC Plagiarism Policy and instruction issued from time to time.

Saroj Chaudhary
Research Scholar

Date:
Place: Kota

Dr. Sushma Singh
Research Supervisor

Date:
Place: Kota

Abstract

समावेशी शिक्षा एक नवीन प्रत्यय है। समावेशी शिक्षा केवल एक दृष्टिकोण ही नहीं बल्कि एक माध्यम भी है विशेषकर उन लोगों के लिए जिनमें कुछ सीखने की ललक होती है और जो तमाम अवरोधों के बावजूद आगे बढ़ना चाहते हैं। यह इस बात को दर्शता है कि सभी बच्चे सक्षम हो या अक्षम, उन्हें सीखने योग्य बनाया जाए। इसके लिए समान सामुदायिक शिक्षा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। समावेशी शिक्षा ऐसी ही शिक्षा प्रणाली है जिसमें मूल्यों, ज्ञान प्रणालियों और संस्कृतियों में प्रक्रियाओं और संरचनाओं के सभी स्तरों पर समावेशी शिक्षा नीतियों एवे प्रथाओं के माध्यम से बुनियादी, मानवीय और शारीरिक, संवेदनशील, बौद्धिक या स्थितिजन्य हानियों के साथ सभी अधिकारों को प्राप्त किया जाता है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन उच्च माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा की नीति, प्रावधान एवं समस्याओं से संबंधित है। इस अध्ध्यन का उद्धेश्य समावेशी शिक्षा की नीतियों एवं प्रावधानो का समीक्षात्मक अध्ययन करना। समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना तथा समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव देना है। इस अध्ययन हेतु सर्वेक्षण विधि एवं विषय वस्तु विश्लेषण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के लिए 50 प्रबन्धक एवं प्रशासनिक अधिकारी, 200 शिक्षकों, 200 विद्यार्थियों एवं 50 अभिभावकों का चयन यादृच्छिक विधि के द्वारा किया गया है। स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग करते हुए आंकडों को एकत्रित किया गया तथा उनका विश्लेषण प्रतिशत के द्वारा किया गया। अध्ययन के परिणामों में यह प्राप्त हुआ कि भारत में दिव्यांग बालकों की शिक्षा हेतु सरकार द्वारा विभिन्न शैक्षिक नीतियों को लागू किया गया जिनमें से प्रमुख हैं- समेकित शिक्षा योजना, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, विकलांग बच्चों और युवाओं की समावेशी शिक्षा के लिए योजना, विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति, विशिष्ट बालकों के लिए माध्यमिक स्तर पर समेकित शिक्षा तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति। दिव्यांग बालकों के शैक्षिक विकास के लिए सरकार द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद्, विकलांग जन अधिनियम, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम आदि प्रावधानों को लागू किया गया है।

देश में दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए किये गये बहुत से प्रावधानों के बावजूद भी दिव्यांग बच्चों की शैक्षिक स्थिति संतोषजनक नहीं है। लगभग 50 प्रतिशत बच्चे शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। विभिन्न

शैक्षिक नीतियों में दिव्यांग बच्चों के लिए निर्धारित मानदण्डों में से अनेक भौतिक सुविधाएं एवं संसाधन विद्यालयों में उपस्थित नहीं हैं। अधिकांश अभिभावक एवं विद्यार्थी समावेशी शिक्षा के बारे में जानते हैं परन्तु उसके उचित क्रियान्वयन में कुछ समस्याएं हैं जिनके समाधान हेतु जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण शिविर एवं विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।

CANDIDATE'S DECLARATION

I, hereby, certify that the work, which is being presented in the thesis, entitled "उच्च माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा की नीति, प्रावधान एवं समस्याए" in partial fulfilment of the requirement for the award of the Degree of Doctor of Philosophy, carried out under the supervision of Dr. Sushma Singh, Dean, Department of Education, Kota University, Kota represents my ideas in my own words and where others ideas or words have been included I have adequately cited and referenced the original sources. The work presented in this thesis has not been submitted elsewhere for the award of any other degree or diploma from any Institutions.

I also declare that I have adhered to all principles of academic honesty and integrity and have not misrepresented or fabricated or falsified any idea/data/fact/source in my submission. I understand that any violation of the above will cause for disciplinary action by the University and can also evoke penal action from the sources which have thus not been properly cited or from whom proper permission has not been taken when needed.

Date:

Place: Kota

(Saroj Chaudhary)

Research Scholar

This is to certify that the above statement made by Saroj Chaudhary (Registration No. RS/1225/18) is correct to the best of my knowledge.

Date:

Place: Kota

(Dr. Sushma Singh)

Research Supervisor

आभार प्रसून

जब भी जीवन में कोई कार्य किया जाता है तो, हमारे सम्मुख अनेक समस्याएं आती हैं। शोध भी समय साध्य एवं कठोर परिश्रम का कार्य है। शोध कार्य को करते समय, मेरे समक्ष भी ऐसी कई कठिनाइयां एवं समस्याएं आईं, परन्तु यह प्रसन्नता का विषय है कि अनेक शिक्षाविदों, शुभचिन्तकों एवं पथ प्रदर्शकों ने अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान कर मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचाने तथा प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध को पूर्ण करने में अपना सहयोग देकर अनुगृहीत किया।

सर्वप्रथम आराध्य देवी माँ सरस्वती के चरणों में मेरा शत-शत नमन्। मैं अपने शोध-प्रबन्ध की निर्देशक, परम श्रद्धेय, परम विदुषी, शोध मर्मज्ञ **डॉ. सुषमा सिंह**, का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। वैसे तो गुरू के प्रति कृतज्ञता एवं आभार की शाब्दिक अभिव्यक्ति संभव नहीं है, परन्तु फिर भी मैंने अपने आभार पुष्पों को शब्दों की माला में पिरोने का प्रयास किया है। आपकी सद्कृपा, विद्वतापूर्ण एवं निर्देशन, स्नेहिल व्यवहार और तत्व-शोधी दृष्टिकोण के फलस्वरूप ही प्रस्तुत शोध कार्य समय पर, सम्यक्-रूप से पूर्णता प्राप्त कर सका है।

मैं मेरे बड़े भ्राता एवं भाभी, **डॉ. राकेश राव** एवं **श्रीमती विनोद**, उप कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, की सद्कृपा एवं स्नेहिल मार्गदर्शन का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ जिनके अमूल्य सहयोग एवं व्यवहार से मेरा शोधकार्य पूर्ण हो सका।

मैं शिक्षा विभाग, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पुस्तकालय कर्मचारियों की हार्दिक आभारी हूँ, इसके साथ-साथ अन्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के पुस्तकालयाधिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ जिन्होने समय-समय पर शोध संबंधित साहित्य उपलब्ध करवाया एवं शोध कार्य को इस रूप में लाने में सहयोग प्रदान किया है।

मैं, मेरे आत्मीयजनों में पूजनीय श्वसुर **श्री हनुमान राम** एवं सासु माँ **श्रीमती झमरी देवी** तथा मेरे पिताजी **श्री भैरू राम** एवं माताजी **श्रीमती प्रेम देवी** के प्रति भी स्नेहिल आभार प्रसून समर्पित करती हूँ जिन्होने निरन्तर मेरा उत्साहवर्धन किया तथा प्रस्तुत कार्य-पूर्ति हेतु पग-पग पर सामाजिक, पारिवारिक एवं आत्मिक सहयोग दिया। विशेष रूप से जीवन साथी **डॉ. सुभाष चन्द्र** एवं बेटे **प्रियांश** ने, इस शैक्षिक यात्रा के समय कभी निराशा से घिर जाने पर दीपक बनकर आशा की ज्योति जगाई एवं समय-समय पर मुझे नवीन उत्साह के साथ कार्य करने की प्रेरणा प्रदान की। उनके अतुलनीय सहयोग एवं सम्बल की मैं आभारी

हूँ। साथ ही मैं अपने परिवार के समस्त सदस्यों (**चित्रांश, दित्या चौधरी**) के प्रति सहृदय आभारी हूँ जिनकी प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सहयोग से मेरा शोध कार्य सफलता पूर्ण हो सका। यह शोध-प्रबन्ध इन्हीं आत्मीय जनों के प्यार, विश्वास एवं आशीर्वाद का प्रतिफल है।

मैं, उन समस्त विद्यालय के प्राचार्यों, व्याख्याताओं एवं समस्त विद्यार्थियों की हार्दिक आभारी हूँ जिन्होने शोध में प्रदत संकलन कार्य को पूर्ण करने में मेरा सहयोग दिया।

मैं, उन समस्त अनुसंधानकर्ताओं और लेखकगणों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जिनके प्रकाशनों का लाभ मैंने उपने शोध कार्य में प्राप्त किया।

मैं, उन समस्त गुरूजनों (**डॉ. रेखा मिश्रा, सहआचार्य,** (**हिन्दी**) **कॉलेज शिक्षा,** (**राजस्थान**) **डॉ. संजय, डॉ. राजू पंसारी, डॉ. मिनाक्षी शर्मा, सहायक आचार्य, बियानी कॉलेज**), मित्रगणों **(राजेन्द्र शर्मा, डॉ. प्रशान्त कुमार, डॉ. हरि सिंह शिवरान, डॉ. सुनिता शिवरान**), सहपाठीगण का आभार प्रदर्शित करती हूँ, जिन्होने समय-समय पर मुझे कार्य को पूर्ण करने की प्रेरणा दी तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में अपना अविस्मरणीय सहयोग दिया।

अन्त में, मैं **डॉ. नेहा शर्मा** की भी आभारी हूँ, जिन्होने टंकण कार्य एवं शोध-प्रबन्ध को इस स्वरूप में लाने में मेरा सहयोग किया।

दिनांकः

स्थानः कोटा

शोधकर्त्री

सरोज चौधरी

कोटा विश्वविद्यालय

कोटा, राजस्थान

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषयवस्तु	पृ.सं.
	Certificate	
	Anti-plagirism cerificate	
	Abstract	
	Candidate's declaration	
	आभार प्रसून	
1	**प्रथम अध्याय** **समस्या की पृष्ठभूमि**	1-11
1.1	प्रस्तावना	1
1.2	समावेशी शिक्षा का अर्थ	3
1.3	समावेशी शिक्षा की प्राचीन पृष्ठभूमि	5
1.4	समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व	7
1.5	अध्ययन का औचित्य	8
1.6	समस्या कथन	10
1.7	शोध के उद्देश्य	10
1.8	तकनीकी शब्दों का परिभाषीकरण	11
1.9	शोध का परिसीमन	11
2	**द्वितीय अध्याय** **सम्बन्धित साहित्य का पुनर्निरीक्षण**	12-36
2.1	प्रस्तावना	12
2.2	सम्बन्धित साहित्य के पुनर्निरीक्षण का अर्थ एवं परिभाषा	12
2.3	सम्बन्धित साहित्य का महत्त्व	13
2.4	संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण के लाभ	15
2.5	संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण के उद्देश्य	15
2.6	संबंधित शोध साहित्य के सर्वेक्षण की आवश्यकता	16
2.7	संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण की सीमाएं	16
2.8	संबंधित साहित्य एवं सूचनाओं के स्त्रोत	16
2.9	समावेशी शिक्षा पर हुए शोध अध्ययन	16

2.10	विभिन्न नीतियों से संबंधित अध्ययन	25
2.11	दिव्यांग विद्यार्थियों पर हुए शोध अध्ययन	27
2.12	समावेशी शिक्षा पर हुए विदेशी शोध अध्ययन	32
3	**तृतीय अध्याय** **शोध विधि व प्रक्रिया**	37-63
3..1	प्रस्तावना	37
3.2	अनुसंधान का अर्थ एवं परिभाषा	38
3.3	अनुंसधान की विशेषताएँ	38
3.4	अनुसंधान विधि	38
3.5	अनुसंधान विधि का महत्त्व	39
3.6	अनुसंधान हेतु प्रयुक्त विधियों के प्रकार	39
3.7	प्रस्तुत शोध में प्रयुक्त विधि	40
3.8	सर्वेक्षण विधि का अर्थ एवं परिभाषा	40
3.9	सर्वेक्षण विधि का महत्त्व	41
3.10	सर्वेक्षण विधि की विशेषताए	42
3.11	सर्वेक्षण विधि के चयन के कारण	42
3.12	विषय वस्तु विश्लेषण	42
3.13	विषय वस्तु विश्लेषण के उद्धेश्य	43
3.14	विषय वस्तु विश्लेषण के उपयोग	43
3.15	जनसंख्या	43
3.16	न्यादर्श	44
3.17	उपकरण	48
3.18	विश्लेषण की प्रक्रिया	50
3.19	समावेशी शिक्षा से संबंधित नीतियां	51
3.20	समावेशी शिक्षा से सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधान	57
3.21	पंचवर्षीय योजना एवं विकलांगों की शिक्षा	59
4	**अध्याय चतुर्थ** **तथ्यों का प्रस्तुतीकरण एवं विश्लेषण**	64-123
4.1	प्रस्तावना	64
4.2	तथ्यों की व्याख्या एवं विश्लेषण	64
4.3	तथ्यों का वर्गीकरण	65
4.4	उद्धेश्य आधारित व्याख्या	66

5	**पंचम अध्याय** **शोध सारांश, निष्कर्ष एवं सुझाव**	124-145
5.1	प्रस्तावना	124
5.2	सारांश	124
5.3	निष्कर्ष एवं सुझाव	128
5.4	शैक्षिक निहितार्थ	139
5.5	भावी शोध हेतु सुझाव	140
	संदर्भ	141
	परिशिष्ट	
	उपकरण	
	विद्यालय प्रमाण-पत्र	

आरेख सूची

क्र. सं.	विषय-वस्तु	पृष्ठ संख्या
4.1	समावेशी शिक्षा के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	72
4.2	विद्यालय में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की प्रतिक्रिया के आंकड़ें	72
4.3	समावेशी शिक्षा से संबंधित नीतियों का पालन के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	73
4.4	मनोवैज्ञानिक परामर्श एवं चिकित्सकीय सेवाओं के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	74
4.5	सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	74
4.6	सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं एवं नीतियों की प्रभावशीलता के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	75
4.7	समावेशी शिक्षा को लागू करने में आपको विभिन्न समस्याओं के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	76
4.8	राज्य सरकार द्वारा भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न योजनाओं के संचालन के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	76
4.9	नीतियों के सरकारी एवं गैरसरकारी विद्यालयों में समान रूप से लागू करने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	77
4.10	नीतियों के उद्धेश्यों की पूर्ति हेतु उचित व्यवस्था के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	78

4.11	विकलांगता अधिनियम 1995 एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 दोनों के उद्धेश्य के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	78
4.12	स्थानीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों के संचालन के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	79
4.13	विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को प्राप्त नीतियों लाभ के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	80
4.14	समावेशी शिक्षा के लिए सरकार को ओर अधिक प्रयास करने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	80
4.15	सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में धन राशि प्रदान करने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	81
4.16	सभी नीतियों की जानकारी के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	82
4.17	नीतियों के विद्यालय में प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	82
4.18	समावेशी शिक्षा विद्यार्थियों के विकास में सहायक होने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	83
4.19	विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा समावेशी शिक्षा को बढावा देने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	84
4.20	नीतियों के दिव्यांग विद्यार्थियों के विद्यालय में समायोजन में सहायक होने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	84
4.21	दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति सदैव संवेदनशीलता के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	85
4.22	दिव्यांग विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्या को समझने के प्रयास के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	86
4.23	समावेशी वातावरण में शिक्षण कार्य करने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकडें	86

4.24	कक्षा में शिक्षण कार्य के दौरान विशेष उपकरणों के प्रयोग के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	87
4.25	समावेशी शिक्षा की अवधारणा के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	87
4.26	दिव्यांग बालकों की पहचान और एकीकरण के लिए गृह आधारित सर्वेक्षण के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	88
4.27	दिव्यांग विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृति के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	89
4.28	विद्यालय में दिव्यांग बालकों के लिए आवश्यक भौतिक सुविधाओं के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	89
4.29	विद्यालय में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आवश्यक शैक्षिक उपकरणों के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	90
4.30	दिव्यांग विद्यार्थियों में सामाजिकता की भावना के विकास के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	91
4.31	प्रधानाध्यापक द्वारा सहयोग करने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	91
4.32	व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	92
4.33	दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अलग पाठ्यक्रम के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	93
4.34	समााज की मुख्य धारा में जोडने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	93
4.35	सभी प्रकार के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए समावेशी शिक्षा की उपयुक्तता के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	94
4.36	सामान्य विद्यालयों को समावेशी विद्यालयों में परिवर्तित करने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	95
4.37	दिव्यांग विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	95

4.38	चिकित्सा शिविर का आयोजन के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	96
4.39	दिव्यांग विद्यार्थियों को नीतियों के पूर्ण लाभ प्राप्त होने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	97
4.40	शैक्षिक अधिकारियों द्वारा समावेशी शिक्षा के विकास में सहयोग प्रदान करने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	97
4.41	समावेशी शिक्षा समाजीकरण के लिए आवश्यक होने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	98
4.42	विशिष्ट शिक्षिकों की नियुक्ति के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	98
4.43	अभिभावकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	99
4.44	निःशुल्क पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	100
4.45	सरकार द्वारा वितीय सहायता प्रदान करने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	100
4.46	प्रतिदिन विद्यालय में उपस्थिति के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	101
4.47	सहपाठियों एवं शिक्षकों के द्वारा सहायता करने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	101
4.48	समावेशी शिक्षा की जानकारी के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	102
4.49	विशेष बालकों की आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री की उपलब्धता के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	103
4.50	विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	103

4.51	विशेष बालकों को आवश्यक फर्नीचर, चिकित्सा, खेल के समान आदि की उपलब्धता के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	104
4.52	विशेष बालकों को मध्यान्ह भोजन, पुस्तकें, गणवेश, छात्रवृति एवं विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	105
4.53	विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	105
4.54	शिक्षकों के द्वारा विशेष बालकों को प्रशंसा एवं प्रोत्साहन देने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	106
4.55	शिक्षकों द्वारा योजनाओं की जानकारी देने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	106
4.56	विशेष बालकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	107
4.57	विद्यालय वातावरण की उपयुक्तता के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	108
4.58	शिक्षकों द्वारा सभी बालकों के साथ समान व्यवहार करने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	108
4.59	सभी बालकों को विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के अवसर प्रदान करने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	109
4.60	शिक्षक-अभिभावक सम्मेलन का आयोजन के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	109
4.61	समावेशी शिक्षा की जानकारी के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	110
4.62	समावेशी शिक्षा की सभी नीतियों की जानकारी के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	111
4.63	समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन करने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	111

4.64	समावेशी शिक्षा को ठीक प्रकार से लागू करने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	112
4.65	समाजसेवी संगठनों के द्वारा सहायता करने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	112
4.66	विशेष बालकों की शैक्षिक स्थिति में परिवर्तन के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	113
4.67	विद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम से विशेष बालक लाभान्वित होने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	114
4.68	शिक्षकों के द्वारा विशेष बालकों के समावेशन हेतु प्रयास करने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	114
4.69	समावेशी शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	115
4.70	समावेशी शिक्षा, विशेष बालकों को समाज एवं शिक्षा की मुख्य धारा से जोडने का एक प्रयास के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	116
4.71	निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	116
4.72	विशेष बालकों की शिक्षा के लिए चलायी जा रही योजनाओं की संतुष्टी के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	117
4.73	शैक्षिक विकास हेतु विद्यालय द्वारा छात्रवृति प्रदान करने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	118
4.74	शिक्षक विशेष बालकों के साथ उचित एवं समान व्यवहार करने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	118
4.75	विद्यालय वातावरण की उपयुक्तता के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	119

4.76	विद्यालय में विशेष बालकों को सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए तैयार के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	119
4.77	आवश्यक शैक्षिक उपकरण की उपलब्धता के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	120
4.78	आवश्यक भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	121
4.79	समावेशी शिक्षा विशेष बालकों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	121
4.80	विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें	122

प्रथम अध्याय

समस्या की पृष्ठभूमि

प्रथम अध्याय
समस्या की पृष्ठभूमि

1.1 प्रस्तावना

शिक्षा किसी भी व्यक्ति के जीवन का आवश्यक व महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मनुष्य के वैयक्तिक, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक व राजनैतिक विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कहा भी जाता है कि एक शिक्षक समाज प्रगतिशीलता की निशानी है। भारत जैसे लोकतंत्रीय देश में शिक्षा की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जैसा कि इमाइल दुर्खिम ने कहा है कि शिक्षा वह साधन है जिसके द्वारा समाज बालकों में अपने अस्तित्व की अनिवार्य अवस्था को तैयार करता है। शिक्षा और समाज एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित है कि कहा जायेगा कि ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। यह एक सर्वविदित सत्य है कि शिक्षा किसी भी व्यक्ति समाज और राष्ट्र के विकास की धूरी होती है। शिक्षा का संबंध सिर्फ साक्षरता से नहीं है, बल्कि शिक्षा चेतना और उत्तरदायित्व की भावना को जाग्रत करने वाला औजार भी है। शिक्षा को एक मापक या पैमाने के तौर पर देखा जाता है जिसके आधार पर व्यक्ति, राज्य या देश का मूल्यांकन किया जाता है।

हमारे देश में भी शिक्षा को प्रगति के ऐसे ही अनिवार्य अंग की तरह देखा जाता है इसी कारण शिक्षा का अधिकार कानून एवं सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाएं अस्तित्व में आई। इन कई प्रावधानों एवं योजनाओं के बावजूद हमारे आस-पास ही बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ऐसे बच्चों में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित बहुत सारी समस्याएं देखी जाती है। शारीरिक एवं मानसिक समस्याओ से ग्रसित बच्चों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहा जाता है। हर एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की समस्या एवं उसके सीखने का तरीका अलग-अलग होता है इन भिन्नताओं के बाद भी उन्हें सबके साथ सामान्य वातावरण में शिक्षा देना ही सामावेशी शिक्षा है।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कुछ विशेष विद्यालय होते हैं लेकिन जितनी बड़ी संख्या में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उतनी संख्या में विशेष विद्यालय नहीं हैं। जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2001 में विकलांग व्यक्तियों की संख्या देश की कुल आबादी का 2.13 प्रतिशत थी जो कि वर्ष 2011 में बढ़कर 2.21 प्रतिशत हो गई है। विकलांग व्यक्तियों की कुल संख्या का 69.5 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष विद्यालय न के बराबर है। जहां विशेष विद्यालय हैं वहां उन्हें अपने जैसी ही कठनाइयों वाले बच्चों के साथ रहना होता है जबकि कई शोध अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि यदि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों के साथ ही अध्ययन करते हैं तो

उनके विकास की ज्यादा संभावनाएं हैं। समावेशी शिक्षा की संकल्पना का प्रारंभ भी इसी आधार पर हुआ है।

समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है ताकि सामान्य बच्चों एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में कोई भेदभाव न रहे तथा दोनों तरह के बच्चे एक-दूसरे को ठीक ढंग से समझते हुए आपसी सहयोग से पठन-पाठन के कार्य को कर सके। समावेशी शिक्षा का व्यापक लक्ष्य यह भी प्रतीत होता है कि एक साथ शिक्षित होने पर भविष्य में समाज के अन्दर विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के सरोकारों को सामान्य लोग बेहतर ढंग से समझ सकें तथा उनमें उनके प्रति संवेदनशीलता का विकास हो सके । हमार संविधान भी जाति, वर्ग, धर्म, आय एवं लैंगिक आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का विरोध करता है। और इस प्रकार समावेशी शिक्षा समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करता है। इसके परिप्रेक्ष्य में बच्चे को सामाजिक, जातिगत, आर्थिक, वर्गीय, लैंगिक, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से भिन्न देखे जाने के बजाय एक स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है, जिससे विद्यालय में बच्चे के समुचित समावेशन हेतु समावेशी शिक्षा के वातावरण का सजृन किया जा सके।

समावेशी शिक्षा केवल एक दृष्टिकोण ही नहीं बल्कि एक माध्यम भी है विशेषकर उन लोगों के लिए जिनमें कुछ सीखने की ललक होती है और जो तमाम अवरोधों के बावजूद आगे बढ़ना चाहते हैं। यह इस बात को दर्शता है कि सभी बच्चे सक्षम हो या अक्षम, उन्हें सीखने योग्य बनाया जाए। इसके लिए समान सामुदायिक शिक्षा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। समावेशी शिक्षा ऐसी ही शिक्षा प्रणाली है जिसमें मूल्यों, ज्ञान प्रणालियों और संस्कृतियों में प्रक्रियाओं और संरचनाओं के सभी स्तरों पर समावेशी शिक्षा नीतियों एवे प्रथाओं के माध्यम से बुनियादी, मानवीय और शारीरिक, संवेदनशील, बौद्धिक या स्थितिजन्य हानियों के साथ सभी अधिकारों को प्राप्त किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सलमांका सम्मेलन 1994 समावेशी शिक्षा के लिए मील का पत्थर साबित हुआ जो स्पेन के सलमांका शहर में आयोजित हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था- सभी के लिए शिक्षा, जिसमें बच्चे, युवा और विशेष आवश्यकता वाले लोगों को सामान्य शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा प्रदान करना।

समावेशी शिक्षा एक नवीन प्रत्यय है। यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य जीवन जीने और दैनिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान कर उनके समाजीकरण एवं कौशल को बढ़ा सकती है। उन्हें अपने हमउम्र विद्यार्थियों के साथ सामान्य संबंध बनाने का भी अवसर देती है। यह शिक्षा उन्हें अहसास कराती है कि वे भी समाज का हिस्सा हैं। समावेशी शिक्षा सिर्फ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की ही जरूरत नही है बल्कि वह एक सामान्य बच्चे के व्यक्तित्व का भी विकास करती है। यह सामान्य बच्चों में धैर्य, क्षमा, सहयोग, सहिष्णुता, निःस्वार्थता जैसे उच्च मानवीय गुणों की वृद्धि में सहायक हो सकती है।

समावेशन सामान्य बच्चों को यह सिखाता है कि विविधता को कैसे स्वीकार करना है। भारत में समावेशी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा 'कुछ के लिए' से 'सभी के लिए' की ओर बढ़ रही है। समावेशी शिक्षा एक सामूहिक प्रयास है जिसकी पूर्ण प्राप्ति के लिए विद्यालय, शिक्षक, समुदाय एवं सामान्य छात्र सभी को मिल कर सहयोग करना होगा ताकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सहयोगशील वातावरण में शिक्षा प्रदान करके मुख्य धारा में जोड़ा जा सके।

1.2 समावेशी शिक्षा का अर्थ

शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी शिक्षा का अर्थ विद्यालय के पुनर्निर्माण की वह प्रक्रिया जिसका लक्ष्य सभी बच्चों को शैक्षणिक और सामाजिक अवसरों की उपलब्धता से है। इस प्रक्रिया में पाठ्यक्रम परीक्षण, छात्र की उपलब्धियों का रिकॉर्ड विभिन्न योग्यताओं के आधार पर छात्रों के समूह, शिक्षण, तकनीक, कक्षा के अंदर के क्रिया-कलाप आदि के साथ ही खेल और मनोरचनात्मक क्रियाओं को भी शामिल किया जाता है।

समावेशन का अर्थ होता है- सम्मिलित करना। असमर्थ बच्चों को अन्य बच्चों के साथ शिक्षा में शामिल करना ही समावेशी शिक्षा है। सामान्य अर्थों में समावेशी शिक्षा को हम केवल निःशक्तजनों की शिक्षा समझते हैं पर समावेशी शिक्षा में निःशक्त की शिक्षा के साथ-साथ वे सभी बच्चे आते हैं जो समाज द्वारा किन्हीं कारणों से बहिष्कृत माने जाते हैं। समावेशी शिक्षा एक नवीन प्रत्यय है, इस प्रत्यय का आरंभ इस आधार पर हुआ कि शिक्षा प्रत्येक बालक का मूल अधिकार है और प्रत्येक बालक की विशेषताएं, रूचियां, योग्यता व आवश्यकता अलग-अलग होती है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए।

उमा तुली के अनुसार, समावेशी एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय बालकों की दैहिक, संवेगात्मक तथा सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का विस्तार करता है।

माइकेल एफ. जिआनग्रेको के अनुसार, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय उन मूल्यों, सिद्धान्तों और प्रयासों के समूह से है जो सभी विद्यार्थियों को चाहे, वे विशिष्ट हों अथवा नहीं, प्रभावकारी और सार्थक शिक्षा देने पर बल देता है।

स्टीफन तथा ब्लैकहर्ट के अनुसार, शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित बालकों की सामान्य कक्षाओं के शिक्षण की व्यवस्था करना है। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीयकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है।

सलमांका कान्फ्रेन्स 1994 के अनुसार, एक समावेशी शिक्षा प्रणाली में विद्यालय को अन्य विद्यार्थियों के समान बनाना जिससे इन्हें अधिक से अधिक समाहित किया जा सके, दूसरे शब्दों में सभी बच्चों को उन्हीं के समुदाय में नियमित विद्यालयों में शिक्षा प्रदान की जाए।

द वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल, थाइलैण्ड 1990 के अनुसार, सभी की शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चुनौतियों की पहचान कर समानता को

प्रोत्साहित करना अर्थात् कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी सीखने वाले तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित करना।

ड्रॉफ्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन स्कीम, MHRD 2003 के अनुसार, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है कि सभी सीखने वाले युवा सामान्य एवं दिव्यांग विद्यालय में एक साथ सीखें एवं साथ ही सामुदायिक शैक्षणिक परिस्थिति, समर्थन सेवाओं के उचित नेटवर्क उपलब्ध कराया जाए।

बार्टन एवं आर्मस्ट्रांग के अनुसार, समावेशन करना तथा सर्वत्र बाहर रखना एक समान श्रेणियां नहीं होती। हर स्थिति अपने खुद के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वैश्विक तथा संदर्भगत प्रभावों के द्वारा निर्मित की जाती है।

यूनिसेफ समावेशी शिक्षा के बारे में बतलाता है कि हम पारंपरिक विद्यालयों के लिए नियमित रूप से विद्यालय प्रणाली के भीतर सीखने के अवसर उन्हें उपलब्ध कराते हैं जो पारंपरिक रूप से बहिष्कृत है जैसे कि- दिव्यांग बच्चे या अन्य। यदि इन्हें विद्यालयों में अलग किया जाता है तो उचित शिक्षा के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं जिससे वे समाज से अलग पड़ जाते हैं।

यूनेस्को के अनुसार समावेशी शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से है जो,

- यह विश्वास करती है कि सभी बच्चे सीख सकते हैं और सभी बच्चों की अलग-अलग प्रकार की विशेषता आवश्यकता होती है।
- इसका लक्ष्य सीखने की कठिनाई की पहचान और उनका प्रभाव न्यूनतम करना है।
- इसका अर्थ औपचारिक शिक्षा से भी व्यापक है, यह घर, समुदाय एवं घर से बाहर शिक्षा से अन्य अवसरों पर भी बल देती है।
- अभिवृति, व्यवहारें, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम एवं वातावरण परिवर्तित करने की वकालात करता है।
- यह एक स्थिर गति से चलने वाली एवं गतिशील प्रक्रिया है और समावेशी समुदाय का प्रोन्नत करने के लिए प्रयुक्त विभिन्न तरीकों का एक भाग है।
- इस प्रकार समावेशी शिक्षा एक व्यक्ति अथवा छात्र के लिए नहीं वरन् उन सभी छात्रों के लिए भी है जो सामान्य वातावरण में कार्य नहीं कर पाते। इनमें से कुछष्शारीरिक रूप से अक्षम एवं अन्य प्रकार के भी हो सकते हैं, इसलिए सभी स्थितियों में छात्रों को शैक्षिक समावेशन की आवश्यकता होती है।

NCF 2005 के अनुसार समावेशी शिक्षा की प्रमुख अवधारणाएं निम्न प्रकार हैं-

- समावेशी शिक्षा का महत्व सबको समाविष्ट करने से है।
- विकलांगता एक सामाजिक जिम्मेदारी है इसे स्वीकार करना चाहिए।

- विकलांगता समाज निर्मित है- इसे तोड़े।
- समावेशन केवल विकलांग लोगों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार ना होना है।
- सभी विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश को रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए।
- समावेशन नीति में सहभागिता हमारी शक्ति है।
- शिक्षण के सभी अच्छे व्यवहार समावेशन नीति के पर्याय हैं।

इस प्रकार समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि वह शिक्षा जिसमें दिव्यांग एवं अन्य सामान्य विद्यार्थियों को एक साथ एक ही कक्षा में भेदभाव रहित वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाए। जिससे ये दिव्यांग विद्यार्थी सताज में आसानी से समायोजित हो जाए। जैसा कि एन.सी.एफ. 2005 में बताया गया है कि समावेशन की नीति को हर स्कूल और सारी शिक्षा व्यवस्था में लागू किए जाने की जरूरत है। बच्चे के जीवन के हर क्षेत्र में वह चाहे स्कूल हो या बाहर, सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। विद्यालयों को ऐसे केन्द्र बनाए जाए कि जहां बच्चों, खासकर शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों, समाज के हाशिए पर जीने वाले बच्चों और कठिन परिस्थितियों में जीने वाले बच्चों को शिक्षा का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके।

1.3 समावेशी शिक्षा की प्राचीन पृष्ठभूमि

कई वर्ष पहले तक वैयक्तिक विभिन्नता एवं शारीरिक रूप से अपंग बालकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। उन्हें भगवान का अभिशाप तथा माता-पिता पर समाज पर बोझ समझा जाता था। लेकिन धीरे-धीरे समाज और सभ्यता के विकास में परिवर्तन हुआ और शारीरिक रूप से बाधित बालकों के प्रति समाज की सोच बदलने लगी और उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाने लगा।

असमर्थ बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में अमेरिका तथा युरोप में प्रारंभ हुआ था। इसका सर्वप्रथम श्रेय **इटार्ड** को जाता है। इन्होंने मानसिक मन्दित तथा शारीरिक रूप से बाधित बालकों की विशिष्ट शिक्षा को जन्म दिया था। इनके कार्यों से प्रेरित होकर सेंग्विन ने 1837 में पेरिस में मानसिक मन्दितों के लिए एक शिक्षण संस्था की स्थापना की। 1800 से 1900 के बीच अमेरिका और यूरोप में अपंग लोगों की आवश्यकताओं के लिए शिक्षाविद तथा स्वास्थकर्मी के द्वारा आंदोलन किया गया।

भारत में असमर्थ विद्यार्थियों की शिक्षा का प्रारंभ एक नवीन अवधारणा है। प्राचीन समय की यदि हम बात करे तो पता चलता है कि रामायण एवं महाभारत काल में आश्रमों में ऋषियों के सानिध्य में व्यवस्थित शिक्षा देने का प्रबन्ध था लेकिन इस बात का उल्लेख कहीं नहीं मिलता कि शारीरिक या मानसिक रूप से बाधित छात्रों के लिए शिक्षा का कोई प्रबन्ध था या

नहीं। केवल एक उदाहरण मिलता है कि **ऋषि अष्टावक्र** का जिनका शरीर आठ जगह से टेढा था, फिर भी वे वेदों के अच्छे ज्ञाता थे।

भारत में औपचारिक रूप से बाधितों के लिए शिक्षा का प्ररारम्भ **1869 में जैन ल्यूपॉट** द्वारा माना जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम बनारस में दृष्टिबाधित बालकों के लिए विद्यालय प्रारम्भ किया था। भारत में ब्रिटिश शासन में 1942 में अंधत्व के कारण, निवारण व कल्याण हेतु एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अंधत्व पर एक इकाई स्थापित करने की सिफारिश की। 1965 में मंद बुद्धि बालकों के विकास के लिए चण्डीगढ में **अखिल भारतीय मानसिक विकास समिति** का गठन किया गया।

कोठारी आयोग 1964-66 ने विशिष्ट बालकों को प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा देने पर बल दिया। इस आयोग ने समाकलित या समन्वित शिक्षा कार्यक्रम पर बल दिया। **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986** में यह कहा गया कि जहां तक हो सके शारीरिक रूप से बाधित तथा अन्य सामान्य बाधित बालकों की शिक्षा एक साथ सामान्य बालकों के साथ ही होनी चाहिए। **1987 में एन.सी.ई.आर.टी. और यूनिसेफ** के सहयोग से विकलांग बच्चों के लिए स्वीकृत योजना का प्रारम्भ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य विकलांग बच्चों को सामान्य विद्यालय से जोड़ना था।

20वीं सदी के अंतिम 2-3 दशकों में विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा कार्यक्रम का विकास हुआ। इसी संदर्भ में **सलमांका सम्मेलन 1994** मील का पत्थर साबित हुआ। इस सम्मेलन में यह निश्चित हुआ था कि सभी के लिए शिक्षा अर्थात् बच्चे, युवा व अन्य विशेष आवश्यकता वाले लोगों को सामान्य शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा देना। इसी से प्रेरित हो कर भारत में **निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995** पारित किया गया। इसका उद्देश्य निःशक्त व्यक्तियों को सुविधाएं एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार, स्थानीय निकायों के उत्तरदायित्व का निर्धारण करना था।

भारत में समावेशी शिक्षा के लिए वर्ष 2000 महत्वपूर्ण था। इस वर्ष NCERT ने **विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा (2000)** में समावेशित विद्यालय को मंजूरी दी। **सर्व शिक्षा अभियान 2002** से भी समावेशी शिक्षा और सभी को शिक्षा के समान अधिकार उपलब्ध कराने की अवधारणा को बल मिला। सर्व शिक्षा अभियान के तहत ही 6-14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को वर्ष 2010 तक अनिवार्य एवं गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान रखा गया। वर्ष 2009 मे प्राथमिक शिक्षा हेतु **निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम** एवं माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान** प्रारम्भ किया गया। इसके साथ ही अन्य योजनाएं जैसे- ऑनरेशन ब्लैक बोर्ड, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना, मध्यान्ह भोजन योजना, लोक जुम्बिश परियोजना आदि को लागू किया गया।

NCF 2005 में समावेशन नीति को वर्तमान समय की महती आवश्यकता बताया गया। वर्तमान में इसी क्रम में **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016** बनाया गया जो दिव्यांगों के अधिकारों की बात करता है तथा **नई शिक्षा नीति 2020** भी दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को सुनिश्चित करती है।

भारत में समावेशी शिक्षा के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाओं और क्रियाओं के माध्यम से विकलांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास निरन्तर किया जा रहा है।

1.4 समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व

पहले ऐसे माना जाता था कि असमर्थ बालकों को अलग से विशिष्ट शिक्षा प्रदान करनी चाहिए क्योंकि उनकी आवश्यकताएं सामान्य बालाकों से अलग होती है उनके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है जो उनको उनकी आवश्यकतानुसार शिक्षा प्रदान करते हैं। कई आलोचक इस बात को लेकर आलोचना करते हैं कि विशिष्ट शिक्षा बच्चों को शिक्षा के बराबर अवसर प्रदान करने की अपेक्षा पृथकता की भावना पैदा करती है। इस शिक्षा से असमर्थ बालकों में हीन भावना पैदा होती है। समावेशी शिक्षा का महत्व निम्नलिखित कारणों से है-

- **शैक्षिक वातावरण**- जब असमर्थ बालक को सामान्य विद्यालय में भेजा जाता है तो वह शैक्षिक तौर पर अपने आपको विद्यालय में समायोजित कर लेता है तथा उसके मन में यह विचार नहीं आता कि वह दूसरे बालकों की अपेक्षा किसी भी क्षेत्र में कम है। अध्यापक तथा दूसरे कर्मचारियों का सहयोग व व्यवहार भी उसको अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है तथा बालक शैक्षिक दृष्टि से उन्नति करता है।
- **कम खर्चीली**- भारत एक विकासशील देश है तथा विकास के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। असमर्थ बालकों के लिए सभी प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रबन्ध करने के लिए अधिक पैसे की आवश्यकता होती है। इनके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक, मनोवैज्ञानिक 3तथा डॉक्टर आदि की आवश्यकता पड़ती है जबकि सामान्य विद्यालयों में इस प्रकार की काफी सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध होती है। विशिष्ट बालकों को सामान्य विद्यालयों में पढ़ाना कम खर्चीला होता है। इस दृष्टि से समावेशी शिक्षा अधिक सस्ती है।
- **मानसिक विकास**- असमर्थ बालकों को विशिष्ट शिक्षा अलग विद्यालयों में निपुण व प्रशिक्षित अध्यापकों की देखरेख में प्रदान की जाती है। लेकिन असमर्थ बालकों में इस बात को लेकर मानसिक हीनता विकसित हो जाती है कि हमें सामान्य बालकों के साथ क्यों नहीं पढाया जा रहा है जबकि हम भी उन जैसे ही हैं। इसका उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वे उतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते जितना उन्हें करना चाहिए लेकिन समावेशी शिक्षा में असमर्थ बालकों को

सामान्य विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। साधरण बालकों की तरह शिक्षा प्राप्त करने में उनमें हीनभावना का विकास नहीं होता बल्कि आत्मसम्मान की भावना का विकास होता है।

- **सामाजिक मूल्यों का विकास**- शिक्षा का उद्देश्य केवल बालकों को शिक्षित करना नहीं है बल्कि उनका पूर्ण विकास करना है। सामान्य विद्यालयों में असमर्थ बालकों को शिक्षा देने में उनमें सामाजिक गुणों का विकास होता है क्योंकि विद्यालय में समाज के सभी वर्गों के बालक पढ़ने के लिए आते हैं। उनके साथ मिलकर असमर्थ बालकों में समाजीकरण की भावना का विकास होता है। इस प्रकार से असमर्थ बालकों में भी प्यार, दयालुता, समायोजन, सहायता, भाई-चारा आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है।
- **समानता का सिद्धान्त**- भारतीय संविधान में प्रत्येक बालक को बिना किसी भेदभाव के एक समान शिक्षा देने की बात की गयी है। हम शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए असमर्थ बालकों को समावेशी शिक्षा देना अति आवश्यक है।
- **प्राकृतिक वातावरण**- सामान्य विद्यालयों में असमर्थ बालकों को प्राकृतिक वातावरण प्राप्त होता है। जब असमर्थ बालक सामान्य बच्चों के साथ साधारण विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उनमें इस भावना का विकास नहीं होता कि वे किसी भी प्रकार से सामान्य बालकों से कम हैं। सामान्य बालक भी उनको अपना साथी समझने लग जाते हैं तथा असमर्थ बालक अपने आपको सहजता से उनके साथ समायोजित कर लेते हैं।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षा की अपेक्षा असमर्थ बालक को सामानय विद्यालय में शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। सामान्य शिक्षा के साथ-साथ उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल उनके लिए विशेष कक्षाओं का प्रबन्ध करना चाहिए तथा उनके लिए प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों का भी प्रबन्धा करना चाहिए।

1.5 अध्ययन का औचित्य

शिक्षा जीवन से अलग नहीं है। शिक्षा जीवन का एक पक्ष है, शिक्षा व्यक्ति की अन्तर्निहित शक्तियों को उजागर करती है। उसे देवत्व का दर्शन कराती है, मानवीय मूल्यों के अनुभूति का उसे अवसर प्रदान करती है, और स्वानुभूति का मार्ग प्रशस्त करती है। शिक्षा के द्वारा एवं शिक्षा के लिए सबको समान अवसर उपलब्ध कराया जा सकता है। बालक कल के भविष्य हैं और शिक्षा उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक की व्यक्तिगत विशेषताओं, योग्यताओं, क्षमताओं को ध्यान में रखकर उनका संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोगत्यात्मक विकास करती है। बालकों के व्यवहारों में ऐसे

परिवर्तन करती है जो स्वयं उनके लिए तथा समाज, राष्ट्र और सम्पूर्ण विश्व के लिए हितकर हो।

पूर्व काल में समाज के द्वारा विकलांग के प्रति उपेक्षित व्यवहार रहा है उन्हें समाज तिरस्कार और दया की दृष्टि से देखता था। और विकलांगों को समाज पर एक बोझ समझा जाता था। परन्तु समय के साथ परिवर्तन हुआ और समाज समझने लगा कि विकलांगों को भी सामान्य व्यक्तियों की तरह की आकांक्षा, इच्छाएँ तथा आवश्यकताएं होती हैं। उनको भी खुशी का अधिकार है, समान जीवन जीने का अधिकार है। उनको शिक्षा एवं जीवन की अन्य सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए समाज में परिवर्तन हो रहे हैं और समाज विकलांगों के प्रति काफी हद तक मित्रवत् दृष्टिकोण से पेश आ रहा है। जैसा स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने कहा था - "विकलांगों को दया नहीं, सहयोग की जरूरत है। उन्हें दान नहीं, बल्कि अपने अन्य मानव साथियों की भाँति अधिकार चाहिये।" अशिक्षा तथा दीर्घकाल से चली आ रही सामाजिक उदासीनता और पूर्वाग्रह ने समस्या को जटिल बना दिया था। विचारों के बदले हुए आज के परिवेश में विकलांगों के बारे में अध्ययन की आवश्यकता को कौन नकार सकता है। देश की जनसंख्या का 5 प्रतिशत भाग किसी न किसी प्रकार की विकलांगता से ग्रसित है। आवश्यकता इस बात की है कि विकलांगों की इन अनेक एवं विविध समस्याओं का पता लगाया जाए और समाज मे विकलांगों के प्रति चेतना जागृत की जाये। आजकल इस क्षेत्र में काफी अध्ययन हो रहे हैं परन्तु इतने नहीं जितने कि अन्य क्षेत्रों में हो रहे हैं। इस क्षेत्र में अध्ययन को विराट रूप दिया जाए तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।

वर्तमान विश्व में कुल जनसंख्या के लगभग 10 प्रतिशत अर्थात 5 करोड़ लोग शारीरिक या मानसिक रूप से पूरे विश्व मे अक्षम पाये गये। विकसित और विकासशील देशों में लगभग 3.50 करोड विकलांग पहुंच से बाहर तथा किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने से वंचित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1981 को वर्ष अंन्तराष्ट्रीय विकलांगता वर्ष के रूप में घोषित किया गया। 1986 एवं 1992 की शिक्षा नीतियों में बालकों के स्वास्थ्य, शिक्षा एंव सामाजिक कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रमों का सुझाव दिया जिसके द्वारा विकलांगता को रोकने का प्रयास किया गया। हमारे समाज का नैतिक उत्तरदायित्व होना चाहिए की हम व्यक्तिगत स्तर पर इन बालकों के लिए योजनाओं का क्रियान्यवन एंव शिक्षा के लिए विभिन्न प्रावधानों का आयोजन करें। हम किसी न किसी परिस्थितियों में, किसी न किसी प्रकार से असमानता/अक्षमता का अनुभव करते हैं और यह अक्षमता ही सामान्य व्यक्ति से हमे अलग करती है और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं भी हमें अलग करती है। वर्ल्ड एजुकेशन फोरम 2000 ने विश्व सम्मेलन में विश्व के 92 देशों ने यह सहर्ष स्वीकार किया की सभी को समान शिक्षा दी जाए। समाज में विशिष्ट बालको की शिक्षा वर्तमान में एक समस्या है इस समस्या के समाधान के लिए मनोवैज्ञानिक भी सतत् प्रयत्नशील है। कुछ वर्षा के पूर्व विशिष्ट बालकों को न तो पर्याप्त सम्मान मिल पा रहा था और न ही उनकी शिक्षा की कोई

अच्छी व्यवस्था थी परन्तु अब सरकार द्वारा विशिष्ट बालकों की दशा को सुधारने तथा समाज में सम्मान दिलाने के लिए शिक्षा के माध्यम से काफी प्रयास किये जा रहे है जिसके फलस्वरूप शैक्षिक परिवर्तन ने शैक्षिक समस्याओं, नवीन ज्ञान एवं शैक्षिक तकनीक के माध्यम से शैक्षिक प्रगति ने विशिष्टीकरण की मांग को जन्म दिया है, अतः विशिष्ट बच्चों के लिए प्रदान किया जा रहा है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के प्रति आज विश्व समुदाय जागृत हो चुका है।

भारत जैसे विकासशील देश ने इस विचार को ध्यान में रखकर एक क्रान्तिकारी कदम उठाया और शिक्षा के सार्वभौमीकरण, सभी को शिक्षा, सम्पूर्ण साक्षरता, एवं सर्वशिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रमों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास एवं प्रावधान किये गये। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने समानता के लिए शिक्षा एवं सभी के लिए शिक्षा जैसे अपने लक्ष्यों के तहत अपवंचित वर्गों की शिक्षा हेतु विशेष संस्तुति दी जिसमें विकलांगों की शिक्षा को विशेष रूप से सम्मिलित किया गया। बच्चो को विद्यालय तक लाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर 2001 में सर्व शिक्षा अभियान नामक कार्यक्रम की घोषणा की गई जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चो की शिक्षा हेतु अनेक प्रावधान किये गये। इसके पश्चात् राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम आदि योजनाओं को विशिष्ट बालाकों के लिए लागू किया गया परन्तु इसके बाद भी आज विशिष्ट बालाकों की शैक्षिक स्थिति अच्छी नहीं है। उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पडता है। इसी का हल जानने हेतु शोधार्थी ने इस समस्या का चयन शोध हेतु किया।

1.6 समस्या कथन

“उच्च माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा की नीति, प्रावधान एवं समस्याएँ” ।

1.7 शोध के उद्देश्य

उद्देश्य के बिना अनुसंधान का कार्य अधूरा होता है। उद्देश्य वे बिन्दु होते हैं, जिन तक पहुँचने के लिये व्यक्ति नियोजित रूप से किसी भी कार्य को शीघ्रतापूर्वक करने के लिये प्रेरित होता है। व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य लेकर चलता है और उसके कार्य की सफलता उसके द्वारा निर्धारित किये गये उद्देश्यों पर ही आधारित होती है। अतः उद्देश्य ही कार्य को दिशा प्रदान करते हैं।

1. समावेशी शिक्षा से सम्बन्धित नीतियों का अध्ययन करना।
2. समावेशी शिक्षा की नीतियों का समीक्षात्मक अध्ययन करना।
3. समावेशी शिक्षा से सम्बन्धित प्रावधानो का अध्ययन करना।
4. समावेशी शिक्षा से सम्बन्धित प्रावधानो का समीक्षात्मक अध्ययन करना।
5. समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना।

6 समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव।

1.8 तकनीकी शब्दों का परिभाषीकरण

- **समावेशी शिक्षा** - समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि स्कूलों में सभी बच्चों को उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषायी या अन्य परिस्थितियों की परवाह किए बिना समायोजित करना चाहिए।
- **नीति** - उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला को नीति कहते है। नीति सोच समझकर बनाये गये सिद्धान्तों की प्रणाली है। नीति को एक प्रक्रिया या नवाचार की तरह लागू किया जाता है।
- **प्रावधान** - किसी कार्य को करने के लिए अनुकूल परिस्थिति या तैयारी।
- **समस्याएँ** - बाधा, कठिनाई या चुनौती को समस्या कहते है।

1.9 शोध का परिसीमन

शोध कार्य एक सीमा में रहते हुए किया जाये अर्थात् यह अत्यधिक विस्तृत तथा असीमित ना हो जाये, अतः इसका परिसीमन किया जाता है। समस्या से संबंधित शोध कार्य का परिसीमन करने से समस्या का गहन अध्ययन हो पाता है तथा इसकी उपयोगिता में वृद्धि होती है।

बेस्ट के अनुसार, "परिसीमाएँ अध्ययन की वे सीमाएँ हैं जिन्हें कतिपय कारणों से शोध में शामिल नहीं किया जा सकता है अर्थात् शोध अध्ययन में अत्यंत व्यापक संदर्भों में से जिन्हें प्रस्तुत किया जाता है, उन्हें सीमाएँ कहते हैं। "

प्रस्तुत शोधकार्य का परिसीमन भी धन, समय, साधनों की उपलब्धता एवं क्षमता के अनुसार निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत किया गया है -

1 प्रस्तुत शोध कार्य को जयपुर जिले तक सीमित रखा गया है।
2 प्रस्तुत शोध कार्य में अधिकारियों, अध्यापकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को सम्मिलित किया गया है।

द्वितीय अध्याय

सम्बन्धित साहित्य का

पुनर्निरीक्षण

द्वितीय अध्याय
सम्बन्धित साहित्य का पुनर्निरीक्षण

2.1 प्रस्तावना

मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो सदियों से एकत्र किये गये ज्ञान का लाभ उठा सकता है। मनुष्य के ज्ञान के तीन पक्ष होते हैं - ज्ञान को एकत्र करना, एक-दूसरे तक पहुचाना और ज्ञान में वृद्धि करना। यह तथ्य शोध में विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है जो कि वास्तविक रूप में तो धन की भांति सम्पूर्ण मनुष्य को ज्ञान पुस्तकों में तथा पुस्तकालयों में मिल सकता है। अन्य जीवों से भिन्न मानव को अतीत से प्राप्त ज्ञान को प्रत्येक पीढी के साथ नये रूप में प्रारम्भ करना चाहिए। ज्ञान के विस्तृत भण्डार में उसका निरन्तर योगदान प्रत्येक क्षेत्र में मानव द्वारा किये गये प्रयासों की सफलता को सम्भावित बनाता है। शोधकर्त्ता यह निश्चित कर सकता है कि उसके द्वारा प्रस्तावित शोध से संबंधित विषयों पर विचारणीय कार्य पहले ही हो चुका है अथवा नहीं।

किसी विषय के विकास में किसी विशेष शोध प्रारूप का स्थान बनाने के लिये शोधकर्त्ता को पूर्व सिद्धान्तों एवं शोधों से भली भांति अवगत होना चाहिए। इस जानकारी को निश्चित करने के लिये व्यवहारिक ज्ञान में प्रत्येक शोध प्रारूप की प्रारम्भिक अवस्था में इसके सैद्धान्तिक एवं शोधित साहित्य का पुनर्निरीक्षण करना होता है।

2.2 सम्बन्धित साहित्य के पुनर्निरीक्षण का अर्थ एवं परिभाषा -

संबंधित साहित्य से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से संबंधित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, प्रकाशित-अप्रकाशित शोध प्रबन्धों व अभिलेखों आदि से है, जिनके अध्ययन से शोधकर्त्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निर्माण, अध्याय की रूपरेखा तैयार करने के एवं कार्य को आगे बढाने में सहायता मिल सकती है।

"साहित्य की समीक्षा" में दो शब्द हैं - 'साहित्य' और 'समीक्षा'। 'साहित्य' शब्द परम्परागत अर्थ से भिन्न अर्थ प्रदान करता है। यह भाषा के सन्दर्भ में प्रयोग किया जाता है जैसे हिन्दी साहित्य, आंग्ल साहित्य, संस्कृत साहित्य। इसकी विषय वस्तु के अन्तर्गत गद्य, काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानियां आदि आते हैं। अनुसंधान विधि में साहित्य शब्द किसी विषय के अनुसंधान के विशेष क्षेत्र के ज्ञान की ओर संकेत करता है जिसके अन्तर्गत सैद्धान्तिक, व्यवहारिक और शोध अध्ययन आते हैं।

'समीक्षा' शब्द का अर्थ शोध के विशेष क्षेत्र के ज्ञान की व्यवस्था करना एवं ज्ञान को विस्तृत करके यह दिखाना है कि उसके द्वारा किया गया अध्ययन ज्ञान क्षेत्र में एक योगदान होगा। साहित्य की समीक्षा का कार्य अत्यंत सृजनात्मक एवं थकाने वाला है। क्योंकि शोधकर्त्ता को अपने अध्ययन को युक्तिपूर्वक कथन प्रदान करने के लिये प्राप्त ज्ञान को विलक्षण ढंग से एकत्रित करना होता है।

सर्वेक्षण और प्रायोगिक शोध में साहित्य की समीक्षा तथ्यों को एकत्रित करके पहले से ही तैयार किये गये कार्यों को विभिन्नता प्रदान करता है। इन शोध विधियों में साहित्य का पुनर्निरीक्षण, नये विषयों में एकत्र किये गये नये तथ्यों से किये जाने वाले नये अध्ययनों के लिये लिया जाता है। ऐतिहासिक विधि में हम अतीत को कभी भी अस्वीकार नहीं करते और उसमें साहित्य की समीक्षा ही तथ्यों को एकत्र करने की विधि है। इस सन्दर्भ में प्रयुक्त किये गये साधन शोध के 'आधार' तथा पुनर्निरीक्षित की गई सामग्री 'तथ्य' होते हैं।

साहित्य के पुनर्निरीक्षण के दो पक्ष होते हैं। प्रथम पक्ष के अन्तर्गत समस्या क्षेत्र में प्रकाशित सामग्री को पहचानना तथा जिस भाग से हम पूरी तरह अवगत नहीं हैं, उसको पढना आता है। अतः हम उन विचारों और परिणामों का विकास करते हैं, जिनके आधार पर हमारा अध्ययन किया जायेगा। साहित्य के पुनर्निरीक्षण के द्वितीय पक्ष में शोधकर्त्ता और पढने वाले दोनों के लिये लाभकारी है। शोधकर्त्ता के लिये यह उस क्षेत्र में भूमिका स्थापित करता है। पढने वालों के लिये यह विचारों तथा अध्ययन के लिये आवश्यक शोधों का सारांश प्रस्तुत करता है।

डब्ल्यू.आर. बोर्ग के अनुसार - "किसी भी शोध का साहित्य उस आधारशिला के समान है जिस पर सम्पूर्ण भावी कार्य आधारित होता है। यदि संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण द्वारा इस नींव को दृढ नहीं कर लेते तो हमारे कार्य के प्रभावहीन एवं महत्त्वहीन होने की सम्भावना है अथवा यह पुनरावृत्ति भी हो सकती है।"

जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार - "अनुसंधान के लिये संबंधित साहित्य का अध्ययन आवश्यक है। यद्यपि इस कार्य में अधिक समय लगता है। इससे समस्या के साहित्य का ज्ञान होने पर यह जानने में सहायता मिलती है कि पहले क्या ज्ञात किया जा चुका है? इस परिणाम को ज्ञात करने के कौनसी विधि प्रयोग में लायी गई? व क्या परिणाम निकले? तथा कौनसी समस्या का परिणाम अभी शेष है?"

2.3 सम्बन्धित साहित्य का महत्त्व -

सम्बद्ध साहित्य का सर्वेक्षण करना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। इसके अभाव में शोधकर्त्ता सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक उसे पता नहीं हो कि इस विषय पर कितना कार्य किया गया है।

- इससे अनुसंधानकर्त्ता का अनुसंधान कार्य सम्बन्धी ज्ञान बढ़ता है।

- दोहराव की स्थिति का रोकना।
- समस्यागत चरों को परिभाषित करने में तथा समस्यागत संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण में भी सहायता मिलती है।
- इससे शोधकर्त्ता को अपनी समस्या को सीमित करने एवं उसको दिशा देने में सहायता मिलती है।
- समस्यागत परिकल्पनाओं के लिए सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।
- इससे शोध सामग्री एकत्र करने में उपयुक्त साधनों उपकरणों विधियों एवं परीक्षणों को खोजने में भी सहायता मिलती है।
- शोध के परिणामों की व्याख्या करने में भी सहायक होते हैं।

2.4 संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण के लाभ -

संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण से अनुसंधानकर्त्ता को निम्नलिखित लाभ होते हैं-

- यह अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचाता है।
- शोध प्रबन्ध के महत्त्वपूर्ण अंग के रूप में अनुसंधानकर्त्ता के ज्ञान, उसकी स्पष्टता तथा कुशलता को स्पष्ट करता है।
- अब तक उस क्षेत्र में हुए कार्य की सूचना देता है।
- यह सभी प्रकार के विज्ञानों तथा शास्त्रों में अनुसंधान कार्य का आधार है।
- यह समस्या के चुनाव, विश्लेषण एवं कथन में सहायक है।
- यह समस्या के अध्ययन में सूझ पैदा करता है।
- यह अनुसंधानकर्त्ता के समय की बचत करता है।
- यह अनुसंधानकर्त्ता को त्रुटियों से बचाता है एवं सावधान रखता है।
- पहले लिये गये ऑंकड़े वर्तमान अध्ययन में सहायक होते हैं।
- यह समस्या के सीमांकन में सहायक होते हैं।
- यह अध्ययन की विधि में सुधार कर श्रम की बचत करता है तथा अनुसंधानकर्त्ता में विश्वास उत्पन्न करता है।

2.5 संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण के उद्देश्य -

गुड, बार एवं स्केट्स ने साहित्य के सर्वेक्षण की चर्चा करते हुए निम्नांकित उद्देश्य बताये हैं-

- यह सर्वेक्षण उप सिद्धान्तों, व्याख्याओं तथा परिकल्पनाओं को विचार प्रदान करता है जो अपने अध्ययन की समस्या के निर्माण के लिये महत्त्वपूर्ण होते हैं

- यह अनुसंधान के लिये किये गये क्षेत्र में कितना और किस प्रकार का अनुसंधान हो चुका है, इसकी जानकारी देता है।
- यह समस्या के समाधान हेतु अनुसंधान की समुचित विधि का सुझाव देता है।
- यह परिकल्पना के लिये साधन प्रदान करता है। शोधकर्त्ता प्राप्त अध्ययनों के आधार पर परिकल्पनाएं बना सकता है।
- चयनित समस्या के लिये किस विधि प्रक्रिया तथा कौनसे उपकरण, कौनसी सांख्यिकी का प्रयोग करना उचित होगा, इन सबकी जानकारी देता है।
- यह तुलनात्मक ऑकड़ों को प्राप्त करने तथा उनके विश्लेषण में सहायक होता है।
- यह समस्या के परिभाषीकरण, सीमांकन तथा परिकल्पना निर्माण में सहायता करता है।
- संबंधित साहित्य का गंभीर अध्ययन अनुसंधानकर्त्ता के ज्ञानकोष की वृद्धि करता है।

डब्ल्यू. टाकमन ने संबंधित साहित्य के अध्ययन के निम्न उद्देश्य बताये हैं-

- महत्त्वपूर्ण चरों को खोलना।
- जो किया जा चुका है और जो करना है, उसको पृथक करना।
- शोधकार्य का प्रारूप बनाने के लिये प्राप्त अध्ययनों को एकत्रित करना।
- समस्या का अर्थ, इसकी उपयुक्तता, समस्या से इसका संबंध और प्राप्त अध्ययनों से इसके अन्तर को निर्धारित करना।

2.6 संबंधित शोध साहित्य के सर्वेक्षण की आवश्यकता -

संबंधित शोध साहित्य का सर्वेक्षण निम्नांकित कारणों से आवश्यक है -

- प्रत्येक अनुसंधानकर्त्ता के लिये यह आवश्यक है कि वह दूसरों द्वारा किये गये अपनी अध्ययन समस्या से संबंधित साहित्य की सूचनाओं से भलि-भांति अवगत हो।
- शोधकर्त्ता संबंधित साहित्य से अपनी रूचि के अनुरूप कार्यक्षेत्र चुनता है तथा शोध का गुणात्मक तथा मात्रात्मक विश्लेषण शोधकर्त्ता को एक दिशा प्रदान करता है।
- अध्ययनकर्त्ता संबंधित साहित्य से शोध की समस्या का चयन करता है तथा साहित्य के पुनर्निरीक्षण के आधार पर अपनी परिकल्पनाओं को बनाता है तथा अनुसंधान के परिणामों तथा निष्कर्षों पर वाद-विवाद किया जा सकता है।

2.7 संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण की सीमाएं -

संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण जहां अनुसंधानकर्ता के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है वहीं इसकी कुछ सीमायें हैं। प्रत्येक अनुसंधानकर्ता को इन्हें ज्ञात करने के और अपने अध्ययन में सावधानी रखने की आवश्यकतायें हैं। ये सीमाएं निम्नलिखित हैं-

1. संबंधित साहित्य का अध्ययन हमारे अन्दर उस समस्या के प्रति एक विशेष प्रकार का झुकाव और पक्षपात का भाव उत्पन्न कर सकता है जिसके कारण हमारी सम्पूर्ण क्रिया पक्षपात पूर्ण होने का भय है।

2. अन्य अनुसंधानकर्ताओं द्वारा प्राप्त निष्कर्षों की तुलना करते हुए हम इन तथ्यों की उपेक्षा कर देते हैं-

(अ) पूर्व अनुसंधानकर्ता की अवधारणा क्या थी।

(ब) इसके न्यादर्श की विशेषताएं क्या थी।

(स) उसके द्वारा प्रयुक्त उपकरण किस सीमा तक वैध तथा विश्वसनीय था।

(द) निष्कर्षों को निकालने में उसने किस सीमा तक उपयुक्त सांख्यिकियां विधियों का प्रयोग किया है।

2.8 संबंधित साहित्य एवं सूचनाओं के स्त्रोत -

किसी भी शोध क्षेत्र में विद्यमान सूचनाओं के स्त्रोत दो प्रकार के होते हैं -

1. प्रत्यक्ष स्त्रोत
2. अप्रत्यक्ष स्त्रोत

वस्तुतः हम कह सकते हैं कि सन्दर्भ साहित्य का ज्ञान ही शोधकर्त्ता को ज्ञान के उस शिखर तक ले जाता है जहॉ पर अपने क्षेत्र की नवीन एवं परस्पर विरोधी उपलब्धियों का परिचय प्राप्त करना रहता है। अनुसंधानकर्त्ता अन्य विद्वानों के परीक्षण संबंधी कार्य तत्त्वों, विचारों, सिद्धान्तों, सहायक ग्रन्थों एवं उनके मार्ग में आने वाली त्रुटियों व कमियों का ज्ञान प्राप्त करके अपने शोधकार्य को उससे मुक्त करने का प्रयास करता है।

2.9 समावेशी शिक्षा पर हुए शोध अध्ययन -

1. बेहेरा, दुर्योधन. (2020) ने एटीट्यूड ऑफ प्री-स्कूल एंड प्राइमरी स्कूल टीचर्स टुवर्ड्स डिसेबीलिट एंड इंक्लूजन विषय पर शोध कार्य किया। इस शोध का उद्देश्य पूर्व-प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की दिव्यांगता एवं समावेशन के प्रति अभिवृति का अध्ययन करना था। इस अध्ययन के लिए न्यादर्श के रूप में 95 प्राथमिक शिक्षक और 71 पूर्व-प्राथमिक शिक्षकों को यादृच्छिक विधि द्वारा चयनित किया गया। प्रदतों के संकलन हेतु स्वनिर्मित अभिवृति मापनी का प्रयोग किया गया। इस शोध कार्य में सर्वेक्षण विधि का

प्रयोग किया गया। प्रदतों का विश्लेषण टी-परीक्षण के द्वारा किया गया। शोध परिणाम में यह प्राप्त हुआ कि अधिक अनुभव वाले शिक्षक कम अनुभव वाले शिक्षकों की तुलना में अधिक सकारात्मक थे तथा पूर्व-प्राथमिक एवं प्राथमिक शिक्षकों की दिव्यांगता एवं समावेशन के प्रति अभिवृति में सार्थक अंतर नहीं था।

2. नामदेव, हेमन्त. (2020) राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा का अध्ययन पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा की स्थिति का आंकलन, राजस्थान सरकार की विभिन्न नीतियों एवं योजनाओं तथा समस्याओं का अध्ययन करना था। न्यादर्श के लिए 100 विद्यार्थियों, 100 शिक्षकों, 40 प्रधानाध्यापक, 45 अभिभावक, 24 पडोसी, 3 जिला शिक्षा अधिकारियों, 11 ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, 3 जन प्रतिनिधि, 3 स्वयंसेवी संगठनों, 4 समुदाय एवं सामाजिक संगठनों के संचालकों को उद्देश्यपूर्ण न्यादर्शन विधि द्वारा किया गया। इस शोध कार्य में स्वनिर्मित मापनी का प्रयोग किया गया। प्राप्त आंकडों का विश्लेषण प्रतिशत के द्वारा किया गया। निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा हेतु चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं एवं नीतियों में अनेक खामियां हैं तथा समस्त क्षेत्रों में इनके प्रभाव पूर्ण क्रियान्वयन हेतु अनेक चुनौतियां भी विद्यमान है।
3. अखिलेश. (2019) ने उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में अधिगम-शिक्षण प्रक्रिया का समावेशी शिक्षा मॉडल के संदर्भ में अध्ययन पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य सामान्य विद्यालयों की कक्षाओं का समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षण प्रक्रिया, कक्षा सुविधाओं का अध्ययन करना था। इस शोध कार्य में वर्णनात्मक शोध की सर्वेक्षण विधि एवं विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के लिए उतर प्रदेश के गाजीपुर जिले के 26 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कक्षाओं को सम्मिलित किया गया। इस शोध में आंकडों के संग्रहण के लिए अवलोकन एवं स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। सांख्यिकी के लिए मध्यमान एवं प्रतिशत का प्रयोग किया गया। प्राप्त आंकडों के विश्लेषण के पश्चात् यह परिणाम पाया कि 70 प्रतिशत कक्षाओं में शिक्षक द्वारा व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। 85 प्रतिशत कक्षाओं में मातृभाषा में शिक्षण कार्य किया जाता है। विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के अनुकूल बनाने हेतु अधिक संसाधन उपलब्ध कराने की

आवश्यकता है तथा शिक्षकों कोे विशेष रूप से प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है।

4. अरोडा, किरण. (2019) ने इंक्लूसिव एजूकेशन इन इंडियाः द परसेप्शन्स ऑफ सेकेण्डरी स्कूल टीचर्स पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य समावेशी शिक्षा के प्रति माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की धारणाओं को जानना था। शोध विधि के रूप में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के लिए हरियाणा के फरीदाबाद जिले के 320 अध्यापकों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। आंकडों के संकलन के लिए विशाल सूद और आरती आनन्द, 2011 द्वारा निर्मित समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षक अभिवृति मापनी का प्रयोग किया गया। प्राप्त आंकडों का विश्लेषण मध्यमान, प्रमाप विचलन एवं टी-परीक्षण द्वारा किया गया। निष्कर्ष में पाया कि समावेशी शिक्षा के प्रति अध्यापकों की धारणाओं में सार्थक अंतर था तथा पुरूष अध्यापक की तुलना में, महिला अध्यापक समावेशी शिक्षा के प्रति अधिक सकारात्मक पायी गयी। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापक समावेशी शिक्षा के प्रति अधिक सकारात्मक सोच रखते हैं।
5. कुमार, विरेन्द्र. (2018) ने वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं चुनौतियॉ पर शोध कार्य किया। इस शोध का प्रमुख उद्देश्य भारतीय संदर्भ में समावेशी शिक्षा की वर्तमान समय में आवश्यकता एवं प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना था। इस शोध कार्य में तथ्यात्मक एवं संख्यात्मक वर्णन किया गया। परिणाम में यह प्राप्त हुआ कि विकलांग बच्चों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए और समाज को इनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
6. राजलक्ष्मी. (2018) ने इंक्लूसिव एजूकेशन इन इंडियाः चैलेन्जेज एण्ड प्रोस्पेक्ट्स विषय पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य भारत में समावेशी शिक्षा में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना था। इस शोध कार्य में द्वितियक स्त्रोत के माध्यम से आंकडों को एकत्रित किया गया। इसके लिए विभिन्न पत्रिकाओं, आलेखों और शोध पत्रों का अध्ययन किया गया। आंकडों के विश्लेषण के पश्चात् यह पाया कि समावेशी शिक्षा को विद्यालयी परिस्थितियों में लागू करने में बहुत सी समस्याएं हैं जैसे- अपर्याप्त प्रशिक्षित शिक्षिक, विद्यालयों का भौतिक स्वरूप, समुदाय का अपर्याप्त सहयोग आदि।
7. शर्मा, उर्मिला. एवं शर्मा, विजय सागर. (2018) ने समावेशी शिक्षा के प्रति बी एड प्रशिक्षणार्थियों की अभिवृति का अध्ययन पर शोध कार्य किया। इस शोध कार्य का उद्देश्य बी एड प्रशिक्षणार्थियों की समावेशी शिक्षा के प्रति

अभिवृति का अध्ययन करना था। इस शोध कार्य के लिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के रूप में 100 बी एड प्रशिक्षणार्थियों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। टी परीक्षण के द्वारा आंकडों का सांख्यिकी विश्लेषण किया गया। शोध के निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि बी एड प्रशिक्षणार्थियों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृति ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में समान पायी गयी जबकि शहरी क्षेत्र के छात्र-छात्राएं समावेशी शिक्षा के प्रति समान अभिवृति नहीं रखते हैं।

8. विश्वास, संतू (2018) ने एटीट्यूड ऑफ हाई स्कूल टीचर्स टुवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेशन पर शोध अध्ययन किया। इस अध्ययन का उद्देश्य नोएडा के उच्च माध्यमिक शिक्षकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृति का अध्ययन करना था। इस शोध कार्य में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि एवं मात्रात्मक विश्लेषण का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के लिए नोएडा शहर के 104 शिक्षकों का चयन स्तरीकृत यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। उपकरण के रूप में प्रमापीकृत प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि समावेशी शिक्षा के प्रति महिला एवं पुरूष शिक्षकों की अभिवृति में सार्थक अंतर था लेकिन शहरी-ग्रामीण एवं कला-विज्ञान संकाय के शिक्षकों की अभिवृति में सार्थक अंतर नहीं था।
9. गुप्ता, अग्निवेश. (2017) ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में समावेशी शिक्षा की भूमिकाः आवश्यकता और प्रयास पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने में समावेशी शिक्षा की भूमिका एवं इसमें व्याप्त समस्याओं का अध्ययन करना था। इस शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए विशिष्ट शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया एवं प्रभावशाली कक्षा-कक्ष प्रबन्धन की आवश्यकता है।
10. गुर्जर, मोनु सिंह (2017) ने ए स्टडी ऑफ सैकेण्डरी स्कुल टीचर्स अवेयरनेस टुवर्ड्स इनक्लूसिव एजुकेशन पर शोध कार्य किया। इस शोध का उद्देश्य समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की जागरूकता का अध्ययन लिंग, विद्यालय के प्रकार एवं क्षेत्रीयता के आधार पर करना था। न्यादर्श के लिए 120 शिक्षकों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। प्रदतों के संकलन हेतु स्वनिर्मित जागरूकता मापनी का प्रयोग किया गया। इस शोध कार्य में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। प्रदतों का विश्लेषण मध्यमान, प्रमाप विचलन एवं टी-परीक्षण के द्वारा किया गया। निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ

कि समावेशी शिक्षा के प्रति महिला एवं पुरूष शिक्षकों की जागरूकता में विद्यालय के प्रकार के आधार पर अंतर नहीं पाया गया।

11. जैन, मंजू. (2017) ने ए स्टडी ऑफ एटीट्यूड ऑफ पुपिल टीचर्स टुवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेशन विषय पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य समावेशी शिक्षा के प्रति छात्राध्यापकों की अभिवृति का अध्ययन करना था। इस शोध कार्य में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के लिए हरियाणा के फरीदाबाद जिले के 240 छात्राध्यापकों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। आंकडों के संकलन के लिए विशाल सूद और आरती आनन्द, 2011 द्वारा निर्मित समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षक अभिवृति मापनी का प्रयोग किया गया। प्राप्त आंकडों का सांख्किीय विश्लेषण मध्यमान, प्रमान विचलन एवं टी-परीक्षण के द्वारा किया गया। शोध परिणाम में यह प्राप्त हुआ कि समावेशी शिक्षा के प्रति छात्राध्यापकों एवं छात्राध्यापिकाओं की अभिवृति में सार्थक अंतर था तथा छात्राध्यापकों की तुलना में, छात्राध्यापिकाएं समावेशी शिक्षा के प्रति अधिक सकारात्मक पायी गयी।

12. प्रियदर्शिनी, एस. शारदा (2017) ने इफेक्ट ऑफ सलेक्टेड वेरिएबल्स ऑन रेगुलर स्कूल टीचर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स इनक्लूसिव एजुकेशन पर शोध कार्य किया। इस शोध का उद्देश्य समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की अभिवृति का विभिन्न चरों के संदर्भ में अध्ययन करना था। इस शोध कार्य में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के लिए तमिलनाडू के 134 शिक्षकों का चयन स्तरीकृत यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। आंकडों को एकत्र करने के लिए कीथ 2000 द्वारा निर्मित समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षक अभिवृति मापनी का प्रयोग किया गया। निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की अभिवृति पर विभिन्न चरों का प्रभाव पडता है।

13. बंसल, स्नेहा. (2016) ने एटीट्यूड ऑफ टीचर्स टुवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेशन इन रिलेशन टु दीअर प्रोफेशनल कमिटमेन्ट विषय पर शोध कार्य किया। इस शोध का उद्देश्य समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की अभिवृति का विद्यालय के प्रकार, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के संदर्भ में अध्ययन करना था। इस शोध कार्य में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के लिए चण्डीगढ शहर के 100 शिक्षकों का चयन स्तरीकृत यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। आंकडों के संकलन के लिए विशाल सूद और आरती आनन्द, 2011 द्वारा निर्मित समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षक

अभिवृति मापनी का प्रयोग किया गया। प्राप्त आंकडों का विश्लेषण मध्यमान, प्रमान विचलन एवं टी-परीक्षण के द्वारा किया गया। शोध परिणाम में यह प्राप्त हुआ कि समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की अभिवृति में विद्यालय के प्रकार, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के संदर्भ में अंतर पाया गया।

14. भल्ला, नीलू. (2016) ने हरियाणा में माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत् विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आयोजित किये जा रहे कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में अध्यापकों एवं जिला पदाधिकारियों को होने वाली परेशानियों का मूल्यांकन पर शोध कार्य किया। इस शोध कार्य का उद्देश्य समावेशी शिक्षा हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रम एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तर की कार्यकारिणी यथा-जिला परियोजना संयोजक, सहायक परियोजना संयोजक, खण्ड संसाधन संयोजक, सहायक खण्ड संसाधन संयोजक आदि को आ रही परेशानियों का अध्ययन करना था। इस ष्शोध कार्य हेतु वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के रूप में 24 विशिष्ट अध्यापक एवं 80 सामान्य अध्यापकों का चयन किया गया। उपकरण के रूप में स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि समावेशी शिक्षा के तहत् चलाए जा रहे कार्यक्रम में समस्याएं पायी जाती हैं।

15. कुमार, अनिल. (2016) ने एक्सप्लोरिंग द टीचर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स इंक्लूसिव एजूकेशन सिस्टमः ए स्टडी ऑफ इंडियन टीचर्स पर शोध कार्य किया। इस शोध का मुख्य उद्देश्य सामान्य कक्षाओं में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के प्रति शिक्षकों की अभिवृति का अध्ययन करना था। इस शोध अध्ययन में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। 100 शिक्षकों का चयन न्यादर्श के लिए किया गया। प्रदतों के संकलन के लिए प्रमापीकृत समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृति मापनी का प्रयोग किया गया। प्रदतों का विश्लेषण मध्यमान, प्रमान विचलन और टी-परीक्षण के द्वारा किया गया। शोध निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की अभिवृति में शिक्षण के स्तर, अनुभव, क्षेत्रियता एवं लिंग के संदर्भ में सार्थक अंतर नहीं है।

16. धहल, डॉ प्रदीप सिंह. (2015) ने शिक्षाशास्त्र के विद्यार्थियों की अभिवृति का समावेशित शिक्षा के प्रति उनके जनांककीय एवं शैक्षिक चरों के संबंध में एक अध्ययन पर शोध कार्य किया। इस शोध कार्य का उद्देश्य बी एड एवं एम एड के विद्यार्थियों की समावेशित शिक्षा के प्रति अभिवृति का

तुलनात्मक अध्ययन करना था। इस शोध कार्य हेतु वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के रूप में 120 विद्यार्थियों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। उपकरण के रूप में स्वनिर्मित अभिवृति मापनी का प्रयोग किया गया। प्राप्त आंकडों का सांख्यिकीय विश्लेषण करने के पश्चात् यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि बी एड एवं एम एड के विद्यार्थियों की समावेशित शिक्षा के प्रति अभिवृति में सार्थक अंतर नहीं है।

17. पिंगल, सुधा समीर (2015) ने इफेक्ट ऑफ इनक्लूसिव एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन पर्सपेक्टिव टीचर्स पर शोध किया। इस अध्ययन का उद्देश्य भावी शिक्षकों में समावेशी शिक्षा की जागरूकता अभियान के प्रभाव का अध्ययन करना था। इस शोध कार्य में प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के लिए 77 भावी शिक्षकों को चयनित किया गया। प्रदतों के विश्लेषण के लिए टी-परीक्षण एवं अनोवा परीक्षण का प्रयोग किया गया। अध्ययन के परिणामों से स्पष्ट होता है कि समावेशी शिक्षा की जागरूकता अभियान का शिक्षकों पर कोई प्रभाव नहीं पाया गया।

18. सिंह, जितेन्द्र प्रताप. (2015) ने समावेशी कक्षा में बधिर छात्रों के संदर्भ में अध्यापकों के अनुदेशन कौशल का अध्ययन पर शोध कार्य किया। इस अध्ययन का उद्देश्य समावेशी कक्षा में शिक्षकों के बधिर छात्रों को अनुदेशन प्रदान करने के ज्ञान और कौशल का अध्ययन करना था। इस शोध अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। इस शोध अध्ययन हेतु 38 शिक्षकों का चयन यादृच्छिक प्रतिदर्शन विधि द्वारा किया गया। प्रदतों के संकलन के लिए विशिष्ट कौशल अनुदेशन अभिवृति मापनी का प्रयोग किया गया। अध्ययन के परिणामों से स्पष्ट होता है कि समावेशी शिक्षा में कार्यरत प्रशिक्षित शिक्षकों को सेवारत प्रशिक्षण की आवश्यकता है तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों को लागू करके अप्रशिक्षित शिक्षित शिक्षकों को उनके अनुरुप बनाने की आवश्यकता है।

19. यादव, अखिलेश. (2015) ने समावेशी शिक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर शोध कार्य किया। इस शोध अध्ययन का उद्देश्य समावेशी शिक्षा में कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन किस प्रकार किया जाता है, का अध्ययन करना था। शोध प्रविधि के रूप में समालोचनात्मक विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किया गया है। न्यादर्श के रूप में उतरप्रदेश के सोनभद्र जिले के विद्यालयों को लिया गया। विद्यालयों का अवलोकन करने के पश्चात् निष्कर्ष में यह प्राप्त होता है कि समावेशी शिक्षा में विद्यार्थियों के विकास

में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा शिक्षकों को कक्षा शिक्षण में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पडता है।

20. चानन, करूणा. (2014) ने इंक्लूसिव सैकण्डरी एजूकेशन इन इण्डियाः चेलेन्जेस एण्ड फ्यूचर डायरेक्शन पर शोध अध्ययन किया। इस अध्ययन का उद्देश्य भारत में माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा की चुनौतियों एवं भविष्य में उसकी दशा का अध्ययन करना था। इस अध्ययन के लिए समावेशी शिक्षा की नीतियों का अध्ययन किया गया तथा विद्यालय के संदर्भ में उसकी वास्तविक स्थिति का अवलोकन किया गया। निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि भारत में समावेशी शिक्षा में बहुत सी बाधाएं हैं जिनका समाधान किया जाना चाहिए।

21. भटनागर, निशा एवं दास, अजय (2013) ने नियरली टू डेकेड्स आफ्टर द इमप्लीमेन्टेशन ऑफ पर्सन विद डिसेब्लिटी एक्टः कन्सर्न ऑफ इण्डियन टीचर्स टू इमप्लीमेंट इनक्लुसिव एजुकेशन पर शोध किया। इस शोध का प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों के विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना था। न्यादर्श के लिए 470 शिक्षकों का चयन किया गया। उपकरण के रूप में स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। आंकडों का संकलन टी-परीक्षण के माध्यम से किया गया। निष्कर्ष में प्राप्त हुआ कि शिक्षकों की विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पाया गया।

22. दास, क्योनि. तथा देसाई (2013) ने इंक्लूसिव एजूकेशन इन इंडियाः आर द टीचर प्रिपेयर्ड विषय पर शोध कार्य किया। इस शोध का प्रमुख उद्देश्य दिल्ली के प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों में दिव्यांग बच्चों के अध्यापन के कौशल का अध्ययन करना था। इस शोध अध्ययन हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के लिए 223 प्राथमिक एवं 130 माध्यमिक शिक्षकों का चयन किया गया। आंकडों को एकत्रित करने के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली उपकरण का प्रयोग किया गया। शोध के निष्कर्ष के रूप में यह पाया गया कि दिल्ली के प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूल के नियमित शिक्षकों में से लगभग 70 प्रतिशत शिक्षकों ने न तो किसी भी प्रकार की विशेष शिक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और न ही उन्हें दिव्यांग विद्यार्थियों को पढाने का कोई अनुभव है। इसके अलावा लगभग 87 प्रतिशत शिक्षक अपनी कक्षाओं में दिव्यांग विद्यार्थियों को पढाने के लिए किसी भी प्रकार के उपकरणों का उपयोग नहीं करते हैं।

23. शर्मा, संध्या (2013) ने ए कम्पेरेटिव स्टडी ऑफ अवेयरनेस एण्ड एटीट्युड ऑफ सैकेण्डरी स्कूल प्रीसिंपल, टीचर्स एण्ड पेरेन्ट्स ऑन द इनट्रोडक्शन ऑॅफ इनक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड अण्डर सेन्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य समावेशी शिक्षा के प्रति प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं अभिभावकों की अभिवृति एवं जागरूकता का अध्ययन करना था। इस शोध कार्य के लिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के लिए 100 प्रधानाध्यापक, 300 शिक्षकों एवं 300 अभिभावकों का चयन किया गया। उपकरण के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली का निर्माण किया गया। आंकडों के विश्लेषण के पश्चात् यह परिणाम प्राप्त हुआ कि समावेशी शिक्षा के प्रति प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं अभिभावकों की अभिवृति एवं जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं था।

24. उनियानु, मारिया. (2012) ने टीचर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स इंक्लूसिव एजूकेशन पर शोध कार्य किया। इस शोध अध्ययन का उद्देश्य समावेशी शिक्षा को लागू करने में आने वाली समस्याओं का एवं समावेशी शिक्षा के प्रति अध्यापकों की अभिवृति का अध्ययन करना था। इस शोध कार्य के लिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के लिए 112 शिक्षकों का चयन किया गया। प्रदतों के संकलन हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। शोध निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि समावेशी शिक्षा को लागू करने में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पडता है तथा समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की अभिवृति में सार्थक अंतर भी पाया गया।

25. तनेजा, मनीषा. (2012) ने विकलांग बालकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अध्यापकों की अभिवृतियों का विश्लेषाणत्मक अध्ययन पर शोध कार्य किया। इस शोध का मुख्य उद्देश्य विकलांग बालकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अध्यापकों की अभिवृतियों का अध्ययन करना था। इस शोध में वर्णनात्मक विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के रूप में 120 सेवारत एवं 120 सेवापूर्व अध्यापकों का चयन किया गया। उपकरण के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली का निर्माण किया गया। आंकडों के विश्लेषण के पश्चात् यह परिणाम प्राप्त हुआ कि विकलांग बालकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अध्यापकों की अभिवृति में सार्थक अंतर नहीं था।

26. चौधरी, रश्मि. (2010) ने दी टीचिंग-लर्निंग कंडिशन्स फॉर क्वालिटि एजुकेशन इन इंक्लूसिव स्कूल्स विषय पर शोध कार्य किया। इस शोध का मुख्य उद्देश्य भारतीय संदर्भ में गुणवतापूर्ण शिक्षा एवं समावेशन के संप्रत्ययों को स्पष्ट करते हुए ऐसे विद्यालयों का अध्ययन करना था, जहॉ

समावेशी शिक्षा के प्रावधानों को कक्षा-कक्ष की शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में व्यवहार में लाया जा रहा था। अपने अध्ययन के उपरांत इन्होंने पाया कि वर्तमान विद्यालयों में अध्यापन करने वाले शिक्षकों को शिक्षण के अतिरिक्त अन्य शिक्षणेतर कार्य करने पडते है, जिनका सीधा असर समावेशी शिक्षा की गुणवता पर पडता है। कक्षा में शिक्षक-छात्र अनुपात के मानकों का ध्यान नहीं रखा जाता है, परिणामस्वरूप शिक्षक दिव्यांग विद्यार्थियों पर अतिरिक्त ध्यान नहीं दे पाते हैं। विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी तथा कार्यरत सामान्य शिक्षकों को समावेशी शिक्षा से संबंधित पर्याप्त प्रशिक्षण न मिलने के कारण भी गुणवतापूर्ण समावेशी शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पडता है।

27. शर्मा, उमेश. मुरे, डेनिस. और सोनावाने, संजीव. (2009) ने एटीट्यूड एण्ड कन्सर्न ऑफ प्री-सर्विस टीचस रिगार्डिंग टु इंक्लूसिव ऑफ स्टूडेन्ट विद डिसेबिलिटीज इन टु रेगुलर स्कूल इन पुणे, इंडिया परष्शोध किया। इस शोध का उद्देश्य सेवा-पूर्व शिक्षकों की समावेशी शिक्षकों के प्रति अभिरूचि और दृष्टिकोण जानना था। न्यादर्श के लिए 480 शिक्षकों का चयन किया गया। शोध विधि के रूप में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। शोध परिणाम में प्राप्त हुआ कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति सेवा-पूर्व शिक्षकों की समावेशी शिक्षकों के प्रति अभिरूचि और दृष्टिकोण नकारात्मक था।

2.10 विभिन्न नीतियों से संबंधित अध्ययन

28. पाल, डॉ सीताराम. (2020) ने ओपीनीयन ऑफ परसन विद डिसेबिलिटीज टुवर्ड्स द राइट ऑफ परसन विद डिसेबिलिटी एक्ट, 2016 पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों की दिव्यांग व्यक्ति के अधिकारों का अधिनियम 2016 के प्रति अभिवृति का अध्ययन करना था। इस अध्ययन के लिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के लिए 30 दिव्यांगजनों (10 दृष्टिबाधित, 10श्रवण बाधित और 10शारीरिक विकलांग) का चयन उद्देश्यपरक विधि द्वारा किया गया। स्वनिर्मित अभिवृति मापनी के द्वारा आंकडों का संकलन किया गया। आंकडों का विश्लेषण टी-परीक्षण एवं एफ-परीक्षण के द्वारा किया गया। निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि दिव्यांग व्यक्तियों की 2016 के विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के अधिनियम के प्रति अभिवृति में कोई सार्थक अंतर नहीं था।

29. राठौर, रिशी. (2018) ने प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित सर्व शिक्षा अभियान (2000) एवं शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के क्रियान्वयन का आलोचनात्मक अध्ययन पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य प्राथमिक

शिक्षा के विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान एवं शिक्षा अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में उन्नति, विकास, समस्याएं एवं बाधाओं का अध्ययन करना था। न्यादर्श के लिए उतर प्रदेश के मैनपुरी जनपद के 21 विद्यालयों का चयन किया गया। शोध विधि के रूप में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। आंकडों को एकत्र करने के लिए साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया। परिणाम में पाया कि प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान एवं शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रति अभिभावकों में जागरूकता का अभाव है तथा विद्यालयों में शिक्षण सामग्री, खेल के मैदान श्रव्य-दृश्य उपकरण आदि का अभाव है, विद्यार्थियों में डॉप आउट की समस्या पायी गयी। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से विद्यालय का निरिक्षण नहीं किया जाता है।

30. यादव, अजीत कुमार. (2018) भारत में प्राथमिक शिक्षा का विकास एवं सर्वशिक्षा अभियान की स्थितिः वर्तमान परिदृश्य में विषय पर शोध कार्य किया। इस शोध का उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की स्थिति का अध्ययन करना तथा प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षा प्रदान अनुदान, उपस्थिति एवं ठहराव का अध्ययन करना था। इस शोध कार्य में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। इस शोध अध्ययन में प्रदतों का संग्रहण द्वितियक स्त्रोत के आधार पर किया गया है। इसके लिए सरकारी अभिलेखों का प्रयोग किया गया। शोध परिणामों में प्राप्त हुआ कि सर्व शिक्षा अभियान के लागू होने के बाद प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों की स्थिति में तथा विद्यार्थियों की शैक्षिक स्थिति में सुधार हुआ है।

31. पाटगिरी, हीरामनी (2017) ने राइट्स टु एजुकेशन एण्ड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्सः रोल ऑफ सर्व शिक्षा अभियान इन बरपेटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम पर शोध किया। इस अध्ययन का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षा के अधिकार में सर्व शिक्षा अभियान की भूमिका का अध्ययन करना था। इस शोध कार्य में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के लिए 909 विद्यार्थियों का चयन किया गया। आंकडों के संकलन के लिए स्वनिर्मित साक्षात्कार मापनी का प्रयोग किया गया। प्राप्त आंकडों का विश्लेषण प्रतिशत के आधार पर किया गया। निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन में सर्व शिक्षा अभियान की विशेष भूमिका नहीं थी।

32. लाल, बनवारी. (2013) ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रति अध्यापकों की अभिवृति का अध्ययन पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रति अध्यापकों की अभिवृति का विद्यालय के प्रकार, क्षेत्रियता एवं लिंग के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करना था। इस शोध कार्य में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के लिए राजस्थान के दौसा जिले के 320 अध्यापकों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। प्रदतों के संकलन के लिए स्वनिर्मित अभिवृति मापनी का प्रयोग किया गया। प्रदतों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, प्रामाणिक विचलन एवं टी-परीक्षण का प्रयोग किया गया। परिणामों यह पाया गया कि राजस्थान के दौसा जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित राजकीय और निजी विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की अभिवृति इस अधिनियम के प्रति सकारात्मक पायी गयी।

33. नायक, भरत कुमार. (2012) ने इम्प्लीमेन्टिग क्लॉज 12 ऑफ राइट टु एजुकेशन एक्ट 2009 इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थानः लेटिंग डिसएडवान्टेज चिल्ड्रन डाउन पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 के प्रावधानों को लागू करने में सरकारी अधिकारियों की भूमिका का अध्ययन करना था। न्यादर्श के लिए 100 निजी विद्यालयों का चयन किया गया। निष्कर्ष में पाया कि शहरी क्षेत्र के नौकरशाह शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12 के कार्यान्वयन में अधिक सक्रिय हैं क्योंकि यहां का समुदाय और मीडिया शिक्षित है जबकि ग्रामीण क्षेत्र के नौकरशाह कम सक्रिय हैं।

34. आस्था (2011) ने प्राइमरी स्कूल टीचर्स अवेयरनेस ऑन च्क्बज 1995 एण्ड इनक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स पर शोध किया। इस शोध कार्य का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की विकलांगता अधिनियम के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना था। इसष्शोध कार्य के लिए 80 शिक्षकों का चयन किया गया। आंकडों का संकलन सर्वेक्षण विधि के द्वारा किया गया। प्राप्त आंकडों का विश्लेषण प्रतिशत, मध्यमान एवं टी-परीक्षण के द्वारा किया गया। निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि अधिकांश शिक्षकों में विकलांगता अधिनियम के प्रति जागरूकता का अभाव पाया गया।

2.11 दिव्यांग विद्यार्थियों पर हुए शोध अध्ययन

35. गंगवार, सुमित. और सिंह, शिरिष. (2019) ने भारत में दिव्यांगजनों की शिक्षाः स्थिति, चुनौतियॉ एवं समाधान पर शोध कार्य किया गया। इस शोध का उद्देश्य भारत में दिव्यांगजनों की शैक्षिक स्थिति, उनकी शिक्षा की

चुनौतियों एवं इनके निराकरण का अध्ययन करना था। इस शोध के लिए विषय-वस्तु विश्लेषण और सर्वेक्षण विधि का प्रयोग कियागया। न्यादर्श के रूप में 22 दिव्यांग विद्यार्थियों एवं 10 विशिष्ट शिक्षकों का चयन किया गया। उपकरण के रूप में अर्द्ध-संरचित साक्षात्कार का प्रयोग किया गया। प्राप्त आंकडों का विश्लेषण के पश्चात यह पाया गया कि भारत में दिव्यांगजनों की शैक्षिक स्थिति संतोषजनक नहीं है। उनके माता-पिता और समाज में जागरुकता की कमी है। विद्यालय का वातावरण एवं पाठ्यक्रम अनुचित है।

36. सिंह, अंजूबाला. (2019) ने माध्यमिक शाला में अध्ययनरत दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की समायोजन क्षमता का विश्लेषणात्मक अध्ययन परष्शोध किया। इस शोध का उद्देश्य दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की समायोजन क्षमता का अध्ययन करना था। इस अध्ययन के लिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के लिए भोपाल शहर के कक्षा 9 और कक्षा 10 के 100 दिव्यांग विद्यार्थियों का चयन किया गया। ए के पी सिन्हा व डॉ आर पी सिंह द्वारा निर्मित समायोजन क्षमता मापनी का प्रयोग किया गया। शोध निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की समायोजन क्षमता में सार्थक अंतर नहीं था।

37. कुमार, डॉ राजेश. (2018) ने माध्यमिक स्तर पर सामान्य एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता का तुलनसत्मक अध्ययन पर शोध कार्य किया। इस अध्ययन का उद्देश्य सामान्य एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के पाठ्य सहगामी क्रियाओं के विभिन्न आयामों में सहभागिता का अंतर ज्ञात करना था। इस अध्ययन में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के लिए 80 विद्यार्थियों का चयन किया गया। उपकरण के लिए स्वनिर्मित पाठ्य सहगामी कियाओं में प्रतिभागिता अनुसूची का प्रयोग किया गया। प्रदतों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, प्रामाणिक विचलन एवं टी-परीक्षण का प्रयोग किया गया। परिणामों यह पाया गया कि सामान्य एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के पाठ्य सहगामी क्रियाओं के विभिन्न आयामों में सहभागिता में अंतर पाया जाता है।

38. कुमार, सुरेन्द्र (2018) ने माध्यमिक विद्यालय स्तर पर दिव्यांग बालकों की अध्ययन आदतों, सृजनात्मकता एवं समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन पर शोध किया। इस शोध कार्य का उद्देश्य राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों के दिव्यांग बालकों की अध्ययन आदतों, सृजनात्मकता एवं

समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन करना था। इस शोध अध्ययन में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के रूप में सीकर जिले के 200 विद्यार्थियों का चयन किया गया। आंकडों के संकलन हेतु डॉ एस पी कुलश्रेष्ठ द्वारा निर्मित अध्ययन आदत मापनी, डॉ बाकर मेंहदी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता मापनी एवं ए के पी सिंह द्वारा निर्मित समायोजन मापनी का प्रयोग किया गया। आंकडों का विश्लेषण टी-परीक्षण एवं के द्वारा किया गया। निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि सीकर जिले के राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों के दिव्यांग बालकों की अध्ययन आदतों, सृजनात्मकता एवं समायोजन में सार्थक अंतर है।

39. सुथार, रतनलाल. (2018) ने शारीरिक चुनौतियुक्त विद्यार्थियों के समायोजन एवं स्वबोध का अध्ययन पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य शारीरिक चुनौतियुक्त विद्यार्थियों के समायोजन एवं स्वबोध का तुलनात्मक अध्ययन करना था। इस शोध अध्ययन के लिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। इस शोध में न्यादर्श के लिए जोधपुर एवं भीलवाडा जिले के 70 शारीरिक चुनौतियुक्त विद्यार्थियों का चयन किया गया। आंकडों के संकलन के लिए डॉ ए के पी सिन्हा एवं डॉ आर पी सिंह द्वारा निर्मित समायोजन सूची परीक्षण तथा एम एस प्रसाद एवं जी पी ठाकुर द्वारा निर्मित स्वबोध प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। आंकडों का विश्लेषण मध्यमान, प्रमाप विचलन एवं क्रान्तिक अनुपात सांख्यिकीय विधि द्वारा किया गया। शोध परिणामों में यह प्राप्त हुआ कि शारीरिक चुनौतियुक्त विद्यार्थियों के समायोजन में स्पष्ट रूप से अंतर है जबकि स्वबोध में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

40. बाबल, जगदीश. (2017) ने उच्च माध्यमिक स्तर के सामान्य (अस्थिदोष रहित) एवं अस्थिदोष दिव्यांग विद्यार्थियों के आत्मविश्वास एवं उपलब्धि अभिप्रेरणा का तुलनात्मक अध्ययन विषय पर शोध किया। इस शोध का मुख्य उद्देश्य उच्च माध्यमिक स्तर के सामान्य (अस्थिदोष रहित) एवं अस्थिदोष दिव्यांग विद्यार्थियों के आत्मविश्वास एवं उपलब्धि अभिप्रेरणा का तुलनात्मक अध्ययन करना था। इस अध्ययन हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के रूप में जोधपुर जिले के 120 विद्यार्थियों का चयन किया गया। उपकरण के लिए डॉ रेखा अग्निहोत्री द्वारा निर्मित आत्मविश्वास प्रश्नावली एवं डॉ वी पी भार्गव द्वारा निर्मित उपलब्धि अभिप्रेरणा परीक्षण का प्रयोग किया गया। प्राप्त आंकडों का विश्लेषण आवृति वितरण, मध्यमान, प्रमाप विचलन एवं टी-परीक्षण द्वारा किया गया। निष्कर्ष

में पाया कि उच्च माध्यमिक स्तर के सामान्य (अस्थिदोष रहित) एवं अस्थिदोष दिव्यांग विद्यार्थियों के आत्मविश्वास एवं उपलब्धि अभिप्रेरणा में सार्थक अंतर नहीं है।

41. नाज, सीमा. (2017) ने ए स्टडी ऑफ सेल्फ स्टीम एण्ड एचीवमेन्ट ऑफ फिजिकली चैलेन्जड सेकेण्डरी स्कूल स्टुडेन्ट पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य कश्मीर के माध्यमिक स्तर के दिव्यांग विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं आत्मसम्मान का अध्ययन करना था। न्यादर्श के लिए 80 दृष्टिबाधित, 80 श्रवण बाधित और 80 शारीरिक विकलांग बालकों का चयन उद्देश्यपूर्ण न्यादर्शन विधि द्वारा किया गया। शोध विधि के रूप में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। इस अध्ययन में प्रमाणित विचलन तथा टी-परीक्षण को सांख्यिकी के रूप में प्रयुक्त किया गया। परिणाम में यह पाया कि कश्मीर के माध्यमिक स्तर के दिव्यांग विद्यार्थियों (दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित और शारीरिक विकलांग) की उपलब्धि एवं आत्मसम्मान में अंतर है। श्रवण बाधित विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं आत्मसम्मान का स्तर अपेक्षाकृत कम पाया गया।

42. त्रिपाठी, विवेक नाथ. (2016) ने उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत सामान्य विद्यार्थियों एवं विकलांग विद्यार्थियों की स्वास्थ्य के प्रति सजगता का तुलनात्मक अध्ययन पर शोध कार्य किया। इस शोध का मुख्य उद्देश्य सामान्य विद्यार्थियों एवं विकलांग विद्यार्थियों की स्वास्थ्य के प्रति सजगता का तुलनात्मक अध्ययन करना था। शोध विधि के रूप में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के लिए 40 विद्यार्थियों को उद्देश्यपरक न्यादर्शन विधि द्वारा चयनित किया गया। आंकडों के एकत्रिकरण के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली का निर्माण किया गया। आंकडों के विश्लेषण के लिए टी-परीक्षण, प्रतिशत और दण्ड आरेख का प्रयोग किया गया। शोध परिणाम में यह ज्ञात हुआ कि उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत सामान्य विद्यार्थियों एवं विकलांग विद्यार्थियों की स्वास्थ्य के प्रति सजगता में सार्थक अंतर है तथा विकलांग विद्यार्थियों की अपेक्षा सामान्य विद्यार्थी ज्यादा सजग हैं।

43. मंसूरी, इम्तियाज. एवं त्यागी, डॉ रमा. (2015) ने हाईस्कूल स्तर के दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों एवं अकादमिक अभिप्रेरणा का विश्लेषणात्मक अध्ययन पर शोध कार्य किया। इस शोध अध्ययन का उद्देश्य हाईस्कूल स्तर के दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों एवं अकादमिक अभिप्रेरणा का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना था। इस अध्ययन के लिए सर्वेक्षण विधि

का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के लिए इन्दौर शहर के 18 छात्र और 18 छात्राओं का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। प्रदतों के एकत्रीकरण के लिए एम मुकोपाध्याय एवं डी एन सनसनवाल द्वारा निर्मित अध्ययन आदत सूची का प्रयोग किया गया। शोध निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि हाईस्कूल स्तर के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों एवं श्रवणबाधित विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों का स्तर उच्च पाया गया जबकि हाईस्कूल स्तर के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों एवं श्रवणबाधित विद्यार्थियों की अकादमिक अभिप्रेरणा सामान्य पायी गयी।

44. अली, शाहजहां. (2014) ने ए स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड एजूकेशन फार डिसेबल चिल्ड्रन ऑफ ऐलिमेन्ट्री स्कूल्स विद स्पेशल रेफरेन्स टु भवानी ब्लॉक ऑफ बरपेटा डिस्ट्रिक्ट असम विषय पर शोध कार्य किया। इस शोध अध्ययन का उद्देश्य भवानीपुर जिले के प्राथमिक विद्यालयों में विकलांग बच्चों की एकीकृत शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत् किए गए प्रयासो का अध्ययन करना था तथा एकीकृत शिक्षा की चुनौतियों का अध्ययन करना था। न्यादर्श के रूप में 20 प्रधानाध्यापकों एवं 40 अभिभावकों का चयन उद्देश्यपरक विधि द्वारा किया गया। आंकडों केे संकलन हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली एवं साक्षात्कार का प्रयोग किया गया। शोध परिणाम में यह प्राप्त हुआ कि प्राथमिक विद्यालयों में विकलांग बच्चों की एकीकृत शिक्षा के लिए कोई आकर्षक प्रावधान नहीं किए गए तथा विकलांग बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं भी पर्याप्त नहीं थी।

45. तिवारी, मधुरिमा. (2014) ने मानसिक रूप से मन्द बुद्धि विद्यार्थियों के शैक्षिक अभिरूचि का अध्ययन पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य उतर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के इण्टरमीडिएट तथा जूनियर हाईस्कूल के आठवीं कक्षा में अध्ययनरत मानसिक रूप से मन्दबुद्धि विद्यार्थियों के शैक्षिक अभिरूचि की जानकारी प्राप्त करना था। इस शोध अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के रूप में 600 विद्यार्थियों को उद्देश्यपरक न्यादर्शन विधि द्वारा चयनित किया गया। आंकडों के संकलन के लिए आर के टण्डन द्वारा निर्मित सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण एवं स्वनिर्मित शैक्षिक अभिरूचि परीक्षण का प्रयोग किया गया। प्राप्त आंकडों का विश्लेषण मध्यांक, मानक विचलन, क्रान्तिक अनुपात एवं प्रतिशतांक के द्वारा किया गया। शोध परिणाम में यह पाया कि शहरी क्षेत्र के मानसिक रूप से मन्दबुद्धि विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिरूचि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों से अधिक पायी गयी।

46. त्रिपाठी, विवेकनाथ. और अमन, अमित कुमार. (2012) सर्व शिक्षा अभियाान के तहत विशेष अध्यापकों का विकलांग बालकों की शिक्षा में योगदान पर शोध कार्य किया। इस शोध विशेष अध्यापकों का विकलांग बच्चों के लिए संचालित विभिन्न कार्यक्रमों एवं उनकी शिक्षा एवं उनके दृष्टिकोण का अध्ययन करना था। इस शोध में सर्वेक्षणात्मक शोध विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के रूप में 25 अध्यापक एवं 225 विकलांग बच्चों का चयन उद्देश्यपरक न्यादर्श विधि के द्वारा किया गया। उपकरण के लिए साक्षात्कार एवं प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। शोध परिणामों में यह ज्ञात हुआ कि सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बालकों के चलाए जा रहे कार्यक्रम सार्थक है एवं इस कार्यक्रम में कार्यरत अध्यापकों के प्रति समस्त बच्चों का और शिक्षकों का विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक पाया गया।

47. यादव, कमलेश. और नायक, गोपाल प्रसाद. (2009) ने दृष्टिबाधित, मूकबधिर एवं सामान्य विद्यार्थियों के समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन किया। इस शोध का उद्देश्य दृष्टिबाधित, मूकबधिर एवं सामान्य विद्यार्थियों के परिवार, स्वास्थ्य, सामाजिक, संवेगात्मक एवं शैक्षिक समायोजन में अंतर ज्ञात करना था। इस शोध कार्य में सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया। न्यादर्श के रूप में 204 दृष्टिबाधित, 192 मूकबधिर एवं 216 सामान्य विद्यार्थियों का चयन स्तरीकृत दैव प्रतिदर्श विधि द्वारा किया गया। शोध उपकरण के रूप में सिंह एवं सेन गुप्ता द्वारा निर्मित समायोजन अनुसूची का उपयोग किया गया। निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि दृष्टिबाधित एवं मूकबधिर विद्यार्थियों का समूह सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में स्वास्थ्य की दृष्टि से कम समायोजित हैं। मूकबधिर, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की तुलना में अधिक समायोजित हैं।

2.12 समावेशी शिक्षा पर हुए विदेशी शोध अध्ययन

48. फारूख, मोहम्मद शाहिद. (2019) ने क्वालिटी इम्प्रूवमेन्ट थ्रारे इंक्लूसिव एजूकेशन एट प्राइमरी स्कूल लेवल पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा के द्वारा आने वाले सुधार के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना था। इस अध्ययन में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के लिए पाकिस्तान के लाहौर शहर के 120 अध्यापकों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। उपकरण के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। शोध निष्कर्ष में यह प्राप्त

हुआ कि समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की दृष्टिकोण में शिक्षण के अनुभव एवं लिंग के संदर्भ में सार्थक अंतर है।

49. मरिअस. (2018) ने पोलिसीज, प्रेक्टिसेज एण्ड एटीट्यूड टुवर्ड्स इंक्लूसिव एजूकेशनः द केस ऑफ ग्रीस पर शोध किया। इस शोध का मुख्य उद्देश्य समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की अभिवृति का अध्ययन करना तथा ग्रीक शैक्षिक प्रणाली में समावेशी शिक्षा की नीतियों का अध्ययन करना था। न्यादर्श के लिए 234 शिक्षकों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। आंकडों के संकलन के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली का निर्माण किया गया। प्राप्त आंकडों का विश्लेषण मध्यमान, प्रमान विचलन एवं अनोवा परीक्षण के द्वारा किया गया। शोध परिणाम में यह प्राप्त हुआ कि समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की अभिवृति सकारात्मक पायी गयी तथा शिक्षकों को समावेशन को लागू करने में कुछ चुनौतियों का सामना करना पडता है।

50. वेल्स, मेगन. (2018) ने इंक्लुजन ऑफ स्टूडेन्ट विद स्पेशल नीड्स इन द जनरल एजूकेशन क्लासरूम पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य कक्षा में समावेशन के लिए शिक्षकों द्वारा अपनायी जाने वाली विभिन्न शिक्षण विधियों का अध्ययन करना था। इस शोध कार्य की प्रकृति गुणात्मक थी। आंकडों के संकलन के लिए प्राथमिक स्तर की दो कक्षाओं का अवलोकन किया गया। शोध परिणाम में यह पाया कि शिक्षकों को यदि विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों की जानकारी है तो वे विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं।

51. इयोमा. एवं तोयांसी. (2017) ने टीचर एटीट्यूड टुवर्ड्स स्पेशल नीड स्टूडेन्ट इन सेकेण्डरी स्कूल्स इन नॉर्थ सेनेटोरियल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडो स्टेट नाइजिरिया विषय पर शोध कार्य किया। इस शोध का उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों की विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के प्रति अभिवृति का अध्ययन करना था। इस शोध कार्य में विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के लिए 739 माध्यमिक स्तर के शिक्षकों का चयन किया गया। प्रदतों का संकलन स्वनिर्मित प्रश्नावली उपकरण के माध्यम से किया गया। प्रदतों का विश्लेषण मध्यमान एवं प्रामाणिक विचलन के द्वारा किया गया। शोध परिणामों यह पाया कि महिला एवं पुरूष शिक्षकों की विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के प्रति अभिवृति में कोई सार्थक अंतर नहीं है, जबकिष्शैक्षिक प्रवीणता एवं अनुभव की समयावधि के आधार पर शिक्षकों की अभिवृति में सार्थक अंतर है।

52. डिमिट्रोवा (2014) ने पेरेन्ट्स एटीट्यूडः इनक्लूसिव एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य अभिभावकों की विकलांग विद्यार्थियों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृति का अध्ययन करना था। न्यादर्श के लिए विद्यार्थियों के दो समूहों का चयन किया गया। उपकरण के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। परिणाम में यह प्राप्त हुआ कि अभिभावकों की विकलांग विद्यार्थियों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृति में सार्थक अंतर पाया गया।

53. मितिकु, वोंद्वोसेन. (2014) ने चैलेन्जेस एण्ड अपोरच्युनिटी टु इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूसिव एजूकेशन पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को लागू करने में चुनौतियों एवं अवसरों का मूल्यांकन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नीतियों और समावेशी शिक्षा की अवधारणाओं का अध्ययन करना था। न्यादर्श के लिए 71 प्रतिभागियों का चयन किया जिनमें से 6शिक्षक, 8 दृष्टिबाधित, 13 श्रवण बाधित, 14 मानसिक मंद, 16 शारीरिक निःशक्त तथा प्रत्येक विद्यालय के प्राचार्य को शामिल किया गया। आंकडों का मात्रात्मक एवं गुणात्मक विश्लेषण किया गया। परिणाम में यह प्राप्त हुआ कि विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को लागू करने के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर ध्यान देने एवं उनकी जाँच, आंकलन और पहचान करके मूल्यांकन प्रक्रिया में नवीनता लानी होगी।

54. यान, जी. एवं सीन, कुन फुंग. (2014) ने इंक्लूसिव एजूकेशनः टीचर्स इन्टेशन एण्ड बिहेवियर एनालाइज्ड फ्राम द व्यूपाइन्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य समावेशी शिक्षा के संदर्भ में व्यवहार नियोजित सिद्धान्त के प्रमुख घटकों की जाँच करना था। 841 शिक्षकों का चयन न्यादर्श के रूप में किया गया। इस शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों का रवैया बदलने, व्यावसायिक प्रशिक्षण देने, शिक्षकों की अभिरूचि और उनकी सामाजिक धारणाओं में परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके साथ ही कार्य का दबाव कम करने के साथ-साथ पेशेवर प्रशिक्षण की अवधि बढाकर उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।

55. ओलालेये (2012) ने एटीट्यूड ऑफ स्टूडेन्ट्स टुवर्ड्स पीयर्स विद डिसेबिलिटी इन इनक्लूसिव एजुकेशन इन नाइजीरिया पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य विद्यार्थियों की विकलांग साथियों के प्रति अभिवृति का अध्ययन करना था। न्यादर्श के लिए 118 विद्यार्थियों का चयन किया गया। उपकरण के रूप में स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। शोध निष्कर्ष में यह

प्राप्त हुआ कि विद्यार्थियों की विकलांग साथियों के प्रति सकारात्मक अभिवृति पायी गयी।

56. हेम्मिंग, ब्रेन. और वुडकोक, स्टुअर्ट. (2011) ने प्री-सर्विस टीचर्स व्यूज ऑफ इंक्लूसिव एजूकेशन पर शोध कार्य किया। इस शोध कार्य का उद्देश्य समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षकों के दृष्टिकोण को जानना था। इस शोध के लिए ऑस्ट्रेलियन युनिवर्सिटी के 138 प्रतिभागियों का चयन किया। इस शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। निष्कर्ष में यह पाया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढाने और तैयार करने में शिक्षकों के अनुभव का स्तर कमजोर और निम्न है साथ ही प्रभावशाली शिक्षकों की भी कमी है।

57. सुनार्डी एवं युसूफ. (2011) ने द इम्प्लीमेन्टेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर स्टूडेन्ट विद स्पेशल नीड्स इन इंडोनेशिया विषय पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य इंडोनेशिया में समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन का अध्ययन करना था। न्यादर्श के लिए 186 विद्यालय को उद्देश्यपरक न्यादर्शन विधि द्वारा चयनित किया गया। इस शोध कार्य में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। इस शोध की प्रकृति मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार की थी। आंकडों का विश्लेषण प्रतिशत के आधार पर किया गया। शोध परिणाम में यह पाया गया कि बहुत से विद्यालयों ने समावेशी शिक्षा के अनुरूप अपने विद्यालय में पुनर्गठन नहीं किया। लगभग 50 प्रतिशत विद्यालयों ने समावेशी शिक्षा के लिए पाठ्सक्रम में परिवर्तन किया था। लगभग 68 प्रतिशत विद्यालय अपनी निर्देशात्मक प्रक्रिया को संशोधित कर रहे हैं।

58. अल्दायहानी, मनल (2010) ने ए कम्पेरेटिव स्टडी ऑन इनक्लूसिव एजुकेशन इन कुवैत एण्ड इंग्लैण्ड पर शोध किया गया। इस शोध का उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा के तहत् विकास का तुलनात्मक अध्ययन करना था। इस शोध कार्य में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। प्रदतों के विश्लेषण के पश्चात् यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि इंग्लैण्ड में समावेशी शिक्षा के तहत् उचित विकास हुआ है परन्तु कुवैत की स्थिति बहुत दयनीय है।

59. सियेर, येसगल. (2010) ने डेवेलपिंग इंक्लूसिव एजूकेशन पोलिसीज एण्ड प्रेक्टिसेज इन टर्कीः ए स्टडी ऑफ रोल ऑफ यूनेस्को एण्ड लोकल एजूकेटर्स पर शोध कार्य किया। इस शोध का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समावेशी शिक्षा के लिए बनायी गयी नीतियों एवं प्रावधानों का टर्की की शैक्षिक

व्यवस्था पर पडने वाले प्रभाव का अध्ययन करना था। इस शोध के अर्द्धसंरचित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया। इस अनुसूची का प्रशासन शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, सलाहकार एवं नीति निर्माताओं पर प्रशासन किया गया। शोध परिणाम में प्राप्त हुआ कि टर्की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समावेशी शिक्षा की नीतियों में बहुत सी भिन्नताएं थी। टर्की की वर्तमान समावेशी शिक्षा प्रणाली में व्यक्तिगत तथा संस्थागत दोनों स्तरों पर गहराई से संशोधन करने की आवश्यकता है।

60. तकाला, प्रीतिमा. तथा टोरमेनन. (2009) ने इंक्लूसिव स्पेशल एजुकेशनः द रोल ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीचर इन फीनलैण्ड विषय पर शोध कार्य किया। इस शोध का प्रमुख उद्देश्य फिनलैण्ड के सामान्य विद्यालय में पढानें वाले विशिष्ट शिक्षकों की भूमिका का अध्ययन करना था। शोध कार्य के परिणामों के रूप में यह प्राप्त हुआ कि विद्यालय द्वारा निर्धारित समय दिव्यांग बच्चों को सिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है साथ ही शिक्षकों का मानना था कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को आगे बढाने के लिए विद्यालय स्तर पर विशेष शैक्षणिक प्रावधानों को सम्मिलित किया जाना चाहिए तथा समावेशन के लिए विद्यालयों, माता-पिता एवं समाज को सहयोगात्मक नीति अपनानी चाहिए।

तृतीय अध्याय

शोध विधि व प्रक्रिया

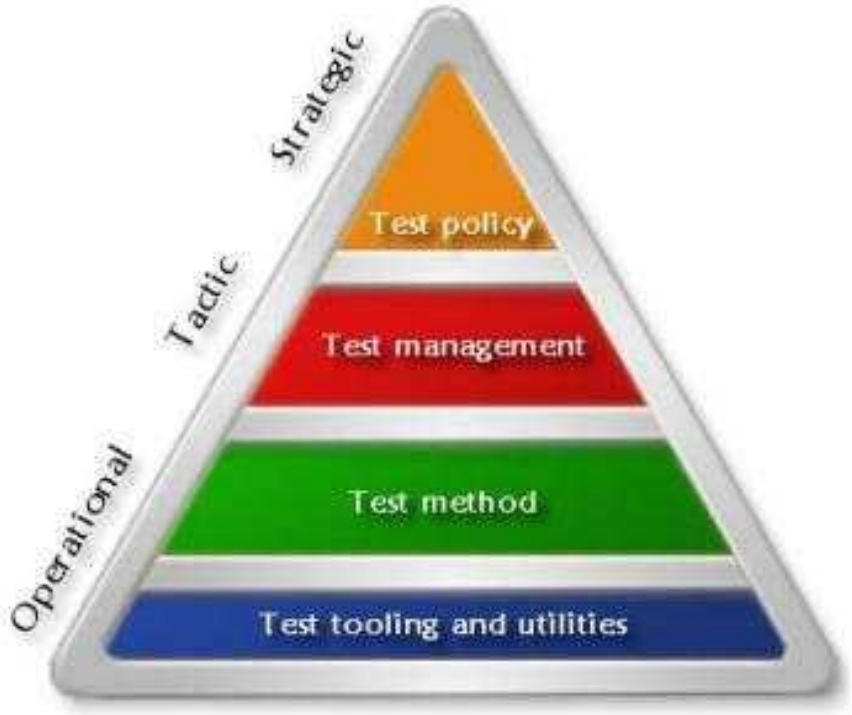

तृतीय अध्याय

शोध विधि व प्रक्रिया

3.1 प्रस्तावना

अज्ञात विषयों व घटनाओं के प्रति अन्वेषण करना मानव स्वभाव का अभिन्न अंग रहा है। जिज्ञासा मानव का मूल स्वभाव है। अतः विलक्षण प्राकृतिक घटनाओं के प्रति उसकी कौतूहल भावना सदैव अतृप्त व लालायित रही है। इसलिए वह शोधकार्य करता है। शोधकार्य द्वारा उन मौलिक प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है जिनका उत्तर अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है। समाज और राष्ट्र की प्रगति को शोध के परिणामों द्वारा पहचाना जाता है। शोधकार्य एक ऐसा व्यवस्थित तथा नियंत्रित अध्ययन है जिसके अंतर्गत संबंधित चरों व घटनाओं के पारस्परिक संबंधों का अन्वेषण तथा विश्लेषण उपयुक्त सांख्यिकी विधि तथा वैज्ञानिक विधि के द्वारा किया जाता है तथा प्राप्त परिणामों से वैज्ञानिक निष्कर्षों, नियमों तथा सिद्धान्तों की रचना व पुष्टि की जाती है। शोधकर्त्ता किसी तथ्य को बार-बार देखता है तथा उनके विश्लेषण के आधार पर उसके संबंध में निष्कर्ष निकालता है। वास्तव में अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसमें प्रदत्तों के विश्लेषण के आधार पर किसी समस्या का विश्वसनीय समाधान ज्ञात किया जाता है। इसमें शोधकर्त्ता के द्वारा प्राचीन प्रत्ययों व तथ्यों का नवीन अर्थापन किया जाता है।

रेडमैन व मोरी के अनुसार, ''नवीन ज्ञान की पद्धति के लिए व्यवस्थित प्रयास ही अनुसंधान है।''

जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार, ''अनुसंधान अधिक औपचारिक व्यवस्थित तथा गहन प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक विधि विश्लेषण को प्रयुक्त किया जाता है। जिसके फलस्वरूप निष्कर्ष निकाले जाते है और उनका औपचारिक आलेख तैयार किया जाता है।''

संबंधित साहित्य का अध्ययन करने के पश्चात् शोधकर्त्ता का अगला चरण शोध हेतु उपयुक्त व सही उपागम का चयन करना होता है क्योंकि इस शोध उपागम पर ही शोधकर्त्ता संबंधित आँकड़ों के संकलन का वास्तविक कार्य निर्धारित कर सकता है। प्रस्तुत अध्याय के अंतर्गत शोध विधि, अध्ययन हेतु जनसंख्या, न्यादर्श व न्यादर्श के चयन हेतु विधि, प्रदत्तों के संकलन के परीक्षण तथा प्रदत्तों के विश्लेषण की प्रविधि को सम्मिलित किया जाता है। जिसकी सहायता से शोध उद्देश्यों की

प्राप्ति की जा सके तथा परिकल्पनाओं की पुष्टि हो सके। एक शोधकर्त्ता अपने अनुसंधान को आरम्भ करने से पूर्व उसके सभी पक्षों के संबंध में पहले से ही निर्णय लेकर नियोजन करता है। शोध अध्याय के अंतर्गत क्रमबद्ध रूप से प्रत्येक सोपान के संबंध में विवरण दिया जाता है जिसे शोध प्रारूप कहते हैं। प्रस्तुत शोध प्रारूप में अनुसंधान के प्रमुख पक्षों के आधार पर ढाँचा विकसित किया जाता है जिसमें तार्किक क्रम को महत्त्व दिया जाता है।

3.2 अनुसंधान का अर्थ एवं परिभाषा

अनुसंधान को अंग्रेजी में 'रिसर्च' कहते है जो रि + सर्च दो शब्दों से बना होता है। इसमें 'रि' का अर्थ है पुनः तथा 'सर्च' का अर्थ है खोजना। अर्थात् किसी तथ्य को पूरे मनोयोग से खोज करना। अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समस्याओं का समाधान करके ज्ञान में वृद्धि की जाती है।

पी.एम. कुक के अनुसार, ''अनुसंधान किसी समस्या के प्रति ईमानदारी एवं व्यापक रूप में समझदारी के साथ की गई खोज है, जिसमें तथ्यों, सिद्धान्तों तथा अर्थों की जानकारी की जाती है। अनुसंधान की उपलब्धि तथा निष्कर्ष प्रमाणिक तथा पुष्टि योग्य होते है जिससे ज्ञान में वृद्धि होती है।''

3.3 अनुंसधान की विशेषताएँ

1. नवीन तथ्यों की खोजन करना।
2. खोजे गए तथ्यों को अधिक गहराई तक जानना।
3. जो पहले से खोजे गए तथ्य है उनकी नई व्याख्या करना।
4. तथ्यों के बीच में संबंध खोजना।
5. खोजे गए तथ्यों को आधार प्रदान करना।

3.4 अनुसंधान विधि

अनुसंधान विधि एक निश्चित व्यवस्था के अनुसार अध्ययन करने की सुव्यवस्थित पद्धति है। वैज्ञानिक शब्दों में हम कह सकते है कि अनुसंधान विधि उस पथ की ओर इंगित करती है जिस पर चलकर शोधकर्त्ता सत्य की खोज करता है। अतः स्पष्ट है कि शोध विधि से तात्पर्य उस प्रणाली से है जिसे एक वैज्ञानिक अपनी अध्ययन वस्तु के तथ्य युक्त निष्कर्ष निकालने के लिए उपयोग में लेता है।

साधारण शब्दों में हम कह सकते है कि विधि वह प्रणाली है जिसके अनुसार ही अध्ययन कार्य का संगठन, तथ्यों की विवेचना और निष्कर्षों का निर्धारण किया जाता है। अतः अध्ययन विधि ऐसी चुनी जानी चाहिए जिसके द्वारा कम प्रयास और कम धन में भी अधिक विश्वसनीय सूचनाएँ प्राप्त की जा सकें।

3.5 अनुसंधान विधि का महत्त्व

मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विधि अपना विशिष्ट महत्त्व रखती है। किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसका नियोजन कर लेने से वह कार्य करना उतना ही सफल व सार्थक हो जाता है जितना उसे व्यवस्थित व नियंत्रित किया जाता है। इसमंे यह ध्यान रखना आवश्यक है कि शोधार्थी अपने उद्देश्य की सफलता के लिए कौनसी विधि का प्रयोग करता है।

अध्ययन विधि के बारे में सुखिया एवं महरोत्रा ने कहा है अध्ययन विधि वह मार्ग है जिस पर चलकर ही सत्य की खोज की जा सकती है। विधि के तथ्य को स्पष्ट करते हुए डी.एच. हल्ढो कहते है कि अनुसंधानकर्त्ता अपनीविधि की व्याख्या स्पष्ट रूप से नहीं कर सकता है तो परिणामों के अत्यधिक अनिश्चित और सामान्य होने की संभावना अधिक रहती है।

3.6 अनुसंधान हेतु प्रयुक्त विधियों के प्रकार

अनुसंधान की विधियों का वर्गीकरण उतना ही विविधतापूर्ण है जितना की विधि शब्द को अर्थ में प्रयुक्त करना है। अनुसंधान में प्रदत्तों को एकत्रित, विश्लेषित करने व प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अनेक विधियाँ एवं साधन है। शोधार्थी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप विधियों का प्रयोग करते है तथा अपने अभिप्राय को व्यक्त करते हैं। अनुसंधान कार्य को सरलता से सम्पन्न करने के लिए विधि का चयन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। विभिन्न अनुसंधान में विभिन्न प्रकार की उपयुक्त एवं उचित विधियों एवं प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है जैसे-

1. ऐतिहासिक विधि
2. प्रयोगात्मक विधि
3. तुलनात्मक विधि
4. सर्वेक्षण विधि
5. वैयक्तिक विषय विधि

3.7 प्रस्तुत शोध में प्रयुक्त विधि

शोध विधि का चयन अपने आप में अति महत्त्वपूर्ण होता है। शोधार्थी ने विषय की समस्या को भली-भांति समझकर एवं अध्ययन से संबंधित साहित्य का अवलोकन कर उद्देश्यों को एवं समस्या की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए शोध के लिए सर्वेक्षण विधि एवं विषय वस्तु विश्लेषण को ही अध्ययन हेतु उपयुक्त समझा है क्योंकि इस विधि से तथ्यों या निष्कर्ष निकालने एवं उनकी व्याख्या करने के लिए न केवल अपेक्षित प्रश्नों के उत्तर ही प्राप्त होते है अपितु समस्या से संबंधित तथ्यों की वर्तमान स्थिति भी स्पष्ट हो जाती है।

3.8 सर्वेक्षण विधि का अर्थ एवं परिभाषा

मानव मस्तिष्क जिज्ञासाओं का परिकुज है। वह सदैव शैक्षिक समस्याओं के प्रति जिज्ञासु रहता है लेकिन अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए प्रायः निष्पक्षता से काम नहीं लेता। अतः समय-समय पर अनुसंधानकर्त्ता ने ऐसी पद्धतियों को विकसित किया है जिससे वे शिक्षा की सही स्थिति को समझ सकें।

शैक्षिक क्षेत्र में सर्वेक्षण विवरणात्मक अनुसंधान का एक अभिन्न एवं महत्त्वपूर्ण अंग रहा है लेकिन वर्तमान समय में सर्वेक्षण विधि की महत्ता पृथक् व स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। सर्वेक्षण से तात्पर्य ऐसी अनुसंधान प्रणाली से होता है जिसमें अनुसंधानकर्त्ता स्वयं घटनास्थल पर जाकर विशेष घटना का वैज्ञानिक निरीक्षण करता है तथा उसके संबंध में खोज करता है।

करलिंगर के अनुसार, "सर्वेक्षण अनुसंधान छोटी या बड़ी जनसंख्या से प्रतिदर्श लेकर समाजशास्त्रीय या मनोवैज्ञानिक चरों के अन्तः संबंधों संबंधित साक्ष्यों एवं विवरणों का अध्ययन करता है।"

जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार, "इस विधि का प्रयोग साधारणतः ऐसे अनुसंधानों में किया जाता है जिसका उद्देश्य यह ज्ञात करना होता है कि वर्तमान काल में सामान्य या प्रतिनिधि स्थिति या व्यवहार क्या है? इनका संबंध वर्तमान में उपस्थित स्थितियों, संबंधित प्रचलित व्यवहारों, विश्वासों, दृष्टिकोणों या अभिवृत्तियों का जो कि स्थापित हो चुकी है, विकसित हो रही है इन सबसे है।"

वेबस्टर शब्दकोश में सर्वेक्षण का अर्थ सही सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से किए गए आलोचनात्मक निरीक्षण अथवा विशेष दशाओं में किसी एक क्षेत्र का अध्ययन करना बताया गया है।

सर्वेक्षण के उपागम उस प्रदत्त को एकत्रित करने और विश्लेषण करने की विधि है जो बहुत से ऐसे उत्तर देने वालों द्वारा संकलित किया जाता है जो कि एक सुनिश्चित समुदाय के प्रतिनिधि है। यह प्रदत्त बहुत ही अधिक संचरित और विस्तृत प्रश्नावली व साक्षात्कार से उपलब्ध किया जाता है। शैक्षिक समस्याओं के प्रति सर्वेक्षण उपागम सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त किये जाने वाले उपागमों में से एक है। इसका उपयोग शिक्षा के स्थानीय एवं राज्य स्तर के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पक्षों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इस विधि के चार प्रकार हैं-

1. विवरणात्मक सर्वेक्षण
2. विश्लेषणात्मक सर्वेक्षण
3. विद्यालय सर्वेक्षण
4. सामाजिक सर्वेक्षण

शैक्षिक समस्याओं के प्रति सर्वेक्षण विधि सर्वाधिक व्यापक रूप में प्रयुक्त की जाने वाली विधियों में से एक है। इसका कार्यक्षेत्र प्रदत्त के संग्रहीकरण एवं सारणीबद्ध करने के अतिरिक्त व्याख्या, तुलना, मापन, वर्गीकरण, मूल्यांकन से सामान्यीकरण भी है। इसके द्वारा शोधार्थी स्वयं अपने कार्यक्षेत्र में जाकर शोधकार्य के लिए आवश्यक सूचनाएँ प्राप्त कर सकता है।

3.9 सर्वेक्षण विधि का महत्त्व

1. यह वर्तमान प्रकृति का पता लगाती है जिससे समस्याओं के अनुसंधान में सहायता मिलती है।
2. सर्वेक्षण द्वारा भावी विकास का संकेत प्राप्त होता है।
3. सर्वेक्षण द्वारा अनुसंधान उपकरण के निर्माण में सहायता मिलती है।
4. यह पृष्ठभूमि के विचार एवं तथ्य प्रस्तुत करने में सहायक होती है जिसके कारण कई कारणात्मक संबंधों के शोधित प्रयोगात्मक तथा नियंत्रित अध्ययन किये जाते हैं।
5. यह मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों प्रकार के तथ्यों एवं आँकड़ों का संकलन करके समस्या के समाधान में सहायक होती है।

6. सर्वेक्षण में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है और उसी के द्वारा संकलित तथ्यों का विश्लेषण, वर्गीकरण, मूल्यांकन तथा सामान्यीकरण इत्यादि किया जाता है।

3.10 सर्वेक्षण विधि की विशेषताएँ

1. सर्वेक्षण विधि के अंतर्गत एक ही समय बहुत सारे लोगों के बारे में आँकड़ें प्राप्त किये जा सकते हैं।

2. यह आवश्यक रूप से प्रतिखण्डात्मक होती है।

3. इसका संबंध व्यक्तियों की विशेषताओं से नहीं होता है।

4. इसके अन्तर्गत परिभाषित समस्या पर कार्य किया जाता है।

5. इसके लिए विशिष्ट एवं कल्पनापूर्ण नियोजन आवश्यक है।

6. इसके निश्चित व विशिष्ट उद्देश्य होते है।

7. आँकड़ों की व्याख्या एवं विश्लेषण में सावधानी आवश्यक होती है।

3.11 सर्वेक्षण विधि के चयन के कारण

सर्वेक्षण विधि अन्य विधियों की अपेक्षा सरल, सुविधाजनक एवं मितव्ययी होने के साथ-साथ वैज्ञानिक भी है। सर्वेक्षण विधि द्वारा वर्तमान को समझने में तथा स्थिति को स्पष्ट करने में अधिक सहायता प्राप्त की जाती है। इसके द्वारा वर्तमान ही नहीं वरन् भविष्य की घटनाओं की दिशा व उसकी प्रवृत्ति आदि का भी मापन किया जा सकता है।

3.12 विषय वस्तु विश्लेषण

विषय वस्तु विश्लेषण निश्चित रूप से परिणात्मक विश्लेषण है। इस प्रकार के शोध के महत्वपूर्ण भाग, संभवतः सर्वाधिक प्रामाणित भाग, उनको एकत्र करने और परिभाषित करने की विशेषताओं को निश्चित करते हैं। विषय वस्तु विश्लेषण शोध की प्रक्रिया एवं प्रविधि दोनों है। ऐतिहासिक शोध में यह प्रविधि के रूप में प्रयुक्त होती है जबकि शिक्षा में दार्शनिक शोध में यह वस्तु विश्लेषण शोध की विधि के रूप में प्रयुक्त होती है।

3.13 विषय वस्तु विश्लेषण के उद्देश्य

- समस्या से संबंधित तथ्यों का उपब्ध सामग्री द्वारा विश्लेषण किया जा सकता है।
- पुस्तकों की अशुद्धियों का विश्लेषण करना।
- उपयोगों की आपत्तियों को पहचानना।
- उन साधारण शब्दों का विश्लेषण करना जो अत्यन्त शीघ्रता से समझ लिए जाते हैं।
- अनौपचारिक व्यवहारों का निर्धारण करना जो बार-बार होने वाली त्रुटियों से संबंधित होते हैं।
- विषय-वस्तु के क्षेत्र का विश्लेषण करना।
- तथ्यों की खोज हेतु प्रमाण-लेखा संबंध विश्लेषण उद्धेश्यों से संबंधित विषय-वस्तु की वैधता निर्धारित करता है।

3.14 विषय वस्तु विश्लेषण के उपयोग

- यह शैक्षिक प्रशासन और विद्यालय प्रशासन के लिए लाभप्रद है।
- इस प्रकार के अध्ययन निश्चित रूप से आगामी क्रियाओं के सुधार के लिए उपयोगी होते हैं।
- उपलब्ध तथ्य एवं मापन इस प्रकार के अध्ययनों को अधिक मौलिक दृष्टिकोण व तथ्यों की खोज की ओर अग्रसर करते हैं।
- इस प्रकार के अध्ययन तथ्य की विद्यमानता को स्थापित करते हैं तथा कारणों को नहीं पहचानते हैं।
- विषय वस्तु विश्लेषण विधि प्रमाण संबंधी ऐतिहासिक शोध की भांति सामग्री एवं अभिलेखों से संबंधित होता है। अतः इसे प्रयुक्त करना सरल है।

3.15 जनसंख्या

शोध का अंतिम लक्ष्य ऐसे सिद्धान्तों व नियमों का सामान्यीकरण करना है जो किसी व्यक्तियों, घटनाओं या वस्तुओं के समूहों पर लागू होती है। परन्तु ऐसे सिद्धान्तों के विकास के लिए समूह के प्रत्येक सदस्य का अध्ययन करना संभव नहीं होता है विशेषकर उस स्थिति में जब समूह के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक हो। सामान्यतः जिस समूह पर अनुसंधान परिणामों का सामान्यीकरण करना होता है उसके कुछ सदस्यों को लेकर इन पर अध्ययन किया जाता है। इस समूह को जनसंख्या कहते है।

जनसंख्या से तात्पर्य अनुसंधान क्षेत्र की सभी इकाईयों के समुदाय से है। जिनमंे कुछ सामान्य विशेषताएँ हो। जनसंख्या की संख्या में सभी प्रकार के (पुरूष, स्त्री, बच्चो) का लेखा-जोखा तैयार किया जाता है। शोध की जनसंख्या में एक विशिष्ट समूह के समस्त व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो सजातीय होते हैं। एक विशिष्ट समूह की समस्त इकाईयों को मिलाकर जनसंख्या कहते है। प्रत्येक शोध कार्य हेतु जनसंख्या का निर्धारण आवश्यक है। इसी जनसंख्या के सर्वेक्षण से तथ्यों तथा प्रदत्तों को संकलित किया जाता है।

करलिंगर के अनुसार, ''जनसंख्या का तात्पर्य उन घटनाओं तथा लोगों के समूह के सभी सदस्यों से होता है जिन्हें अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है।''

कप्लान के अनुसार, ''एक विशेष प्रकार के सभी संभाव्य प्रेक्षणों का एक समूह जनसंख्या है।''

जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार, ''शोधार्थी की रूचि की एक या अधिक समान विशेषता रखने वाली इकाईयों के समूह को जनसंख्या कहते है।''

गिलफोर्ड के अनुसार जनसंख्या दो प्रकार की होती है-

1. **परिमिति जनसंख्या** - जब एक जनसंख्या की इकाईयों की संख्या निश्चित व सीमित मात्रा में होती है। जैसे-एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या।

2. **अपरिमिति जनसंख्या**-जब जनसंख्या का स्वरूप अनन्त या असीमित हो तो उसे अपरिमिति जनसंख्या कहते हैं। जैसे-आकश में नक्षत्रों की संख्या।

प्रस्तुत अध्ययन की जनसंख्या

प्रस्तुत शोध में जनसंख्या के रूप में राजस्थान प्रान्त के जयपुर जिले में स्थित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्वता प्राप्त ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के उच्च माध्यमिक स्तर के राजकीय एवं निजी विद्यालयों के कक्षा ''ग्यारह'' में अध्ययनरत् विद्यार्थियों और उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों, अभिभावकों, प्रबंधक एवं प्रशासकों को सम्मिलित किया गया है।

3.16 न्यादर्श

व्यावहारिक तथा सामाजिक विषय के शोध कार्यों में न्यादर्श का विशेष महत्त्व होता है। इसके बिना शोधकार्य को पूरा नहीं किया जा सकता है। न्यादर्श शोध कार्य को व्यावहारिक तथा समय, धन शक्ति की दृष्टि से मितव्ययी बना देती

है। न्यादर्श के प्रयोग से शोध परिणामों को अधिक शुद्ध एवं मितव्ययी बनाया जाता है। अनुसंधान तथा शोध के प्रयोगों का प्रारूप न्यादर्श की प्रविधि पर आधारित होता है। एक उत्तम प्रकार के शोध कार्य में न्यादर्श जनसंख्या संबंधी संपूर्ण सूचनाओं को दिया जाता है। शोध के निष्कर्ष का सामान्यीकरण वास्तव में न्यादर्श का आकार एवं उसकी प्रविधि पर निर्भर होता है। एक शुद्ध रूप में प्रतिनिधित्व करने वाले न्यादर्श से शोध के सामान्यीकरण के बारे में अधिक से अधिक सूचनाएँ प्रस्तुत की जाती हैं।

लिंगक्विस्ट के अनुसार, "न्यादर्श एक जनसंख्या के प्रतिनिधि के रूप में चयनित की गयी इकाईयों का एक छोटा समूह है।"

रेबर तथा रेबर के अनुसार, "प्रतिदर्श किसी जनसंख्या का वह भाग है, जिसका चयन कुछ इस तरह किया जाता है कि उसे उस जनसंख्या का सामूहिक रूप से प्रतिनिधिक समझा जा सके।"

पी.वी.यंग के अनुसार, "एक प्रतिदर्श अपने समस्त समूह का लघुचित्र होता है।"

न्यादर्श के चयन में सावधानियाँ

1. न्यादर्श प्रतिनिधित्यपूर्ण होना चाहिए।
2. न्यादर्श पयाप्त आकार का होना चाहिए।
3. न्यादर्श पक्षपात तथा मिथ्या सुझाव से मुक्त हो।
4. एक अच्छा न्यादर्श व्यावहारिक अनुभवों पर आधारित होता है।
5. अच्छे न्यादर्श में विश्वसनीयता का स्तर होता है।
6. अच्छा न्यादर्श आँकड़ों के संकलन में नियमित स्थितियों का होना आवश्यक है।
7. न्यादर्श उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए।

न्यादर्श चयन की आवश्यकता

किसी भी शोधकार्य के लिए न्यादर्श का चुनाव आवश्यक होता है। वर्तमान में समस्याओं का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि प्रत्येक व्यक्ति से व्यक्तिगत संपर्क करना संभव नहीं है। अतः शोधकार्य की सुविधा के लिए क्षेत्र से संबंधित

व्यक्तियों में से एक निश्चित न्यादर्श का चुनाव किया जाता है जिस पर शोधकार्य निर्भर रहता है। इसके लिए आवश्यक है कि उस न्यादर्श में संपूर्ण जनसंख्या की विशेषताएँ सम्मिलित हो। न्यादर्श में क्योंकि हम छोटे समूह का अध्ययन करते है ताकि आँकड़ों के संकलन में आसानी हो तथा परिणाम अधिक विश्वसनीय एवं परिशुद्ध हो। अतः न्यादर्श चयन अत्यन्त आवश्यक है।

न्यादर्श की विधियाँ

विद्वानों द्वारा जनसंख्या का पूर्ण प्रतिनिधित्व करने के लिए न्यादर्श की अनेक विधियाँ विकसित की गई हैं। न्यादर्श में प्रतिनिधि एवं पर्याप्तता का गुण होने के लिए न्यादर्श का चयन विशिष्ट विधियों द्वारा करना चाहिए।

न्यादर्श की विधियाँ

संभाव्यता न्यादर्श	असंभाव्यता न्यादर्श
1. यादृच्छिक न्यादर्श	1. उद्देश्यपूर्ण न्यादर्श
2. स्तरीकृत यादृच्छिक न्यादर्श	2. आकस्मिक न्यादर्श
3. गुच्छ न्यादर्श	3. सुविधापूर्ण न्यादर्श
4. व्यवस्थित न्यादर्श	4. अभ्यंश न्यादर्श
5. दैवीय न्यादर्श	

संभाव्यता न्यादर्श - जब जनसंख्या की किसी इकाई को न्यादर्श में शामिल करने के लिए उसका चयन संयोग पर निर्भर करते है तो उस चयन विधि को संभाव्यता न्यादर्श कहते हैं। संभाव्यता न्यादर्श में कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट इकाई को अपनी इच्छानुसार न्यादर्श में नहीं रख सकता है।

असंभाव्यता न्यादर्श- जब न्यादर्श चयन में संभावना का कोई स्थाना नहीं होता है तब उसे असंभाव्यता न्यादर्श कहते हैं। इसमें न्यादर्श की जनसंख्या एक ही होती है। स्थानीय शोधकार्यों में इस प्रकार के न्यादर्श का प्रयोग किया जाता है। इसमें सामान्यीकरण नहीं किया जाता है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में न्यादर्श चयन विधि

प्रस्तुत शोध में न्यादर्श के चुनाव हेतु यादृच्छिक विधि का प्रयोग किया गया है।

यादृच्छिक विधि में जनसंख्या के सभी सदस्यों या इकाईयों को न्यादर्श में शामिल करने की दृष्टि से समान एवं स्वतंत्र अवसर उपलब्ध कराया जाता है अर्थात् यादृच्छिक न्यादर्श विधि में जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को न्यादर्श में सम्मिलित होने की समान संभावना होती है। यादृच्छिक विधि में न्यादर्श के चयन हेतु निम्न विधियों को प्रयोग किया जाता है-

1. लॉटरी विधि
2. सिक्का उछाल विधि
3. यादृच्छिक संख्या तालिकाएँ

प्रस्तुत शोध में न्यादर्श के चुनाव हेतु लॉटरी विधि का प्रयोग किया गया है।

यादृच्छिक विधि के गुण

1. इकाईयों के चयन में वस्तुनिष्ठता पूर्णतः सुनिश्चित रहती है।
2. शोधकर्त्ता की व्यक्तिगत धारणाओं, पक्षपातों, पूर्वाग्रहों एवं रूचियों का अधिकाधिक रूप से बहिष्कार हो जाता है।
3. अनुसंधान अनुमानों की परिशुद्धता को आसानी से ज्ञात कर सकता है।
4. कम लागत पर विश्वसनीय सूचना की प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में न्यादर्श का चयन निम्न रूप से किया गया है-

न्यादर्श	**संख्या**
विद्यार्थी	200
शिक्षक	200

अभिभावक	50
प्रबन्धक एवं प्रशासनिक अधिकारी	50

3.17 उपकरण

प्रत्येक प्रकार के अनुसंधान कार्य में आँकड़ों का संकलन करने के लिए बहुत से साधनों की आवश्यकता होती है। इन्हीं साधनों को उपकरण कहा जाता है।

सुखिया एवं मल्होत्रा के अनुसार, "किसी समस्या के अध्ययन हेतु नवीन एवं अज्ञात दत्त संकलन के लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्येक प्रकार के अनुसंधान के लिए नवीन दत्त संकलन करने हेतु कई यंत्रों की आवश्यकता होती है। इन्हीं यंत्रों को उपकरण कहते है।"

जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार, "उपकरण बढ़ाई के संदूक के औजारों के समान अनुसंधान के विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विशिष्ट परिस्थितियों में प्रयुक्त होते है।"

उपकरण के प्रकार

1.**मानकीकृत उपकरण** - मानकीकृत उपकरण वे होते है जिनका निर्माण मानवीय व्यवहारों के कतिपय पक्षों अथवा आन्तरिक गुणों को मापने के लिए किया जाता है। ये पूर्ण निर्मित, विश्वसनीय व वैध होते है।

2.**अमानकीकृत उपकरण**- अमानकीकृत उपकरण वे होते है जो शोधकर्त्ता द्वारा समस्या के अनुसार स्वयं के द्वारा ही निर्मित किया जाता है। इन उपकरणों के निर्माण के बाद शोधकर्त्ता उनकी विश्वसनीयता व वैधता ज्ञात करता है तत्पश्चात् उन्हें प्रयोग में लाता है।

शोध में प्रयुक्त उपकरण

सफल अनुसंधान के लिए उपयुक्त यंत्र व उपकरणों के चयन का अत्यधिक महत्त्व है। आँकड़े एकत्रित करने के लिए चाहे जिस उपकरण का प्रयोग किया जाये

प्रत्येक उपकरण एक विशेष प्रकार के आँकड़ें एकत्रित करने के लिए उपयुक्त होता है। कभी-कभी एक अनुसंधान में कई उपकरण का भी प्रयोग करना पड़ता है। अतः शोधकर्त्ता के लिए आवश्यक है कि उसे उपकरणों का व्यापक ज्ञान हो। परीक्षण संबंधी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए शोधकत्री ने शोध के उद्देश्यों की दृष्टि से स्वनिर्मित प्रश्नावली उपकरण का प्रयोग किया है।

- **स्वनिर्मित प्रश्नावली (अध्यापकों के लिए)**
- **स्वनिर्मित प्रश्नावली (विद्यार्थियों के लिए)**
- **स्वनिर्मित प्रश्नावली (शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए)**
- **स्वनिर्मित प्रश्नावली (अभिभावकों के लिए)**

उपकरण निर्माण की प्रक्रिया

शोधार्थी के समक्ष समावेशी शिक्षा की नीतियों का समीक्षात्मक अध्ययन करने हेतु कोई मानकीकृत उपकरण उपलब्ध न होने के कारण स्वनिर्मित प्रश्नावली का निर्माण किया। इस उपकरण का निर्माण शोध समस्या के उद्धेश्यों एवं समस्या के घटकों को ध्यान में रखकर किया। प्रश्नावली निर्माण से पूर्व शोधार्थी ने संबंधित साहित्य का अध्ययन किया तत्पश्चात् प्रश्नावली निर्माण हेतु विषय विशेषज्ञों की राय एवं परामर्श के आधार पर प्रश्नावली का निर्माण किया। उपकरण का निर्माण करते समय भाषा की सरलता, प्रश्नों की स्पष्टता एवं विश्लेषण का विशेष ध्यान रखा गया। उपकरण के निर्माण के पश्चात् इसे विषय-विशेषज्ञों के पास प्रश्नों की भाषा, विषय-वस्तु एवं शोध के उद्धेश्यों के दृष्टिकोण से प्रश्नावली की उपयुक्तता की जांच हेतु भेजा गया तथा उनसे आवश्यक संशोधन एवं सुझाव प्राप्त किए गए।

- **स्वनिर्मित प्रश्नावली (अध्यापकों के लिए)**- समावेशी शिक्षा की नीतियों का अध्ययन करने हेतु अध्यापकों के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली का निर्माण किया गया। इस प्रश्नावली में समावेशी शिक्षा के विकास में विद्यालय की भूमिका, शिक्षकों के व्यवहार, आवश्यक संसाधनों की विद्यालय में उपलब्धता, विभिन्न कार्यक्रमों के आयेजन एवं सुविधाओं से संबंधित 35 प्रश्नों का निर्माण किया गया। विशेषज्ञों के द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर प्रश्नावली में अंतिम रूप से 30 प्रश्नों को अंतिम रूप से चयनित किया गया।
- **स्वनिर्मित प्रश्नावली (विद्यार्थियों के लिए)**- विद्यार्थियों के लिए निर्मित प्रश्नावली में समावेशी शिक्षा की नीतियों की सामान्य जानकारी,

विद्यालय में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं, आवश्यक प्रशिक्षण, विद्यालय वातावरण एवं शिक्षकों के व्यवहार से संबंधित 25 प्रश्नों का निर्माण किया गया। विशेषज्ञों के द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर प्रश्नावली में अंतिम रूप से 15 प्रश्नों का समावेश किया गया।

- **स्वनिर्मित प्रश्नावली (शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए)-** शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए निर्मित प्रश्नावली में समावेशी शिक्षा की नीतियों के तहत् आयोजित होने वाले कार्यक्रमों, विद्यालय में नीतियों के क्रियान्वयन तथा क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं से संबंधित 20 प्रश्नों का निर्माण का निर्माण किया गया। अंतिम रूप में 15 प्रश्नों को चयनित किया गया।
- **स्वनिर्मित प्रश्नावली (अभिभावकों के लिए)**- इस प्रश्नावली में समावेशी शिक्षा की नीतियों की सामान्य जानकारी, समाजसेवी संस्था एवं सरकार द्वारा किए गए प्रयास, विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं, शिक्षकों की नियुक्ति एवं उनके विद्यार्थियों के साथ व्यवहार से संबंधित 30 प्रश्नों का निर्माण किया गया। विशेषज्ञों के द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर प्रश्नावली में अंतिम रूप से 20 प्रश्नों का समावेश किया गया।

विशेषज्ञों से प्राप्त सुझाव एवं उसकी वैधता की जांच के पश्चात् शोध उपकरणों को अंतिम रूप से तैयार किया गया। इन उपकरणों को विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर प्रशासित किया गया तथा शोध संबंधी आवश्यक आंकड़ों का संकलन किया गया। उपकरणों के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का गुणात्मक विश्लेषण किया गया।

3.18 विश्लेषण की प्रक्रिया

परीक्षणों की सहायता से संकलित किये गये आँकड़ों से प्राप्त सूचनाएँ जटिल असम्बद्ध तथा बिखरे रूप में होती है। इन सूचनाओं का विवेचनात्मक अध्ययन करने से पूर्व उन्हें निश्चित रूप प्रदान करना आवश्यक है। किसी भी अनुसंधान में वैज्ञानिक अनुसंधान बहुत आवश्यक है कि उस अनुसंधान अध्ययन के उद्देश्यों के लिए विभिन्न पक्षों के अध्ययन हेतु विभिन्न प्रविधियों तथा उपकरणों की सहायता से आवश्यक प्रदत्त संकलन किया जाए तथा इन्हीं दत्तों का विश्लेषण कर हम अपने अनुसंधान के परिणाम तथा निष्कर्ष प्राप्त करते है।

प्रस्तुत अनुसंधान कार्य में प्रतिशत के माध्यम से आंकडों विश्लेषण किया गया है।

3.19 समावेशी शिक्षा से संबंधित नीतियां

स्वतंत्रता से पूर्व भारत में विकलांगों की शिक्षा के प्रति सरकार पूर्णतः उदासीन थी। विभिन्न प्रकार के विकलांग बालकों की शैक्षिक व व्यावसायिक समस्याओं का समाधान करने के लिए सन् 1952 में "भारतीय बाल कल्याण मण्डल" की स्थापना की गई। सन् 1953 में "समाज कल्याण मण्डल" की स्थापना की गई ।

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1953) ने राष्ट्र की तात्कालिक आवश्यकताओं के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्संगठन सम्बन्धी संस्तुति में विकलांग बालकों के लिए शिक्षा के उचित प्रबंध किए जाएंे पर बल दिया है।

शिक्षा आयोग (1964) ने विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु निम्न सुझाव दिये-

1. जिले में विशिष्ट की शिक्षा के लिए संस्था होनी चाहिए। 2. विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए स्कूलों के कार्यक्रम में ही व्यवस्था की जाए। 3. गंगे बालकों, मस्तिष्क दोषी बालक की शिक्षा की व्यवस्था की जाए।

जब तक बालकों के इस समूह के लिए उपयुक्त शिक्षा सेवाएँ उपलब्ध नही कराई जाती है तब तक समाज एवं समुदाय का विकास नही हो सकता है। हमें विकलांगो के प्रति अपनी सोच बदलनी होगी ताकि इन विशिष्ट बालकों को समाज की एकीकृत धारा में जोडा जा सके हैं। बदलते समय और मानवाधिकारों के इस दौर में इन विशिष्ट बच्चों के बारे में भी अधिक विचार किया जाने लगा हैं। भारत जैसे प्रजातंत्र देश में प्रत्येक बालक को शिक्षा का अधिकार है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) में कहा गया कि शैक्षिक अवसरों की समानता के अन्तर्गत शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग बालकों के लिए शैक्षिक सुविधाओं का विकास करना चाहिए।

वर्ष 1981 को विकलांगों का अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किये जाने का प्रमुख उद्वेश्य विकलांग बालकों की समस्याओं पर विचार करना तथा उनका समाधान करना था। जिसके फलस्वरूप विकलागों के हित में अनेक योजनाऐं व कल्याणकारी कार्यक्रम सरकार व समाजसेवी संस्थाओं द्वारा प्रारम्भ किये गये।

समेकित शिक्षा योजना 1974:- कोठारी आयोग की अनुशंसा पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित यह योजना यूनिसेफ के सहयोग से विशिष्ट बच्चों के लिए प्रारम्भ की गयी। इस योजना में पुस्तकें, शैक्षिक सामग्री, गणवेश, परिवहन भत्ता, विशेष उपकरण एवं सहायक यंत्रों हेतु वितीय सहायता उपलब्ध कराना, पुनर्वास सहायता

देना, अभिभावकों को प्रशिक्षण देना, विद्यालय भवनों की संरचनात्मक बाधा को दूर करना है। यह योजना सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू की गयी। राजस्थान में यह योजना बांसवाडा जिले से प्रारम्भ कर संपूर्ण राज्य के 249 विकास खण्डों में लागू की गयी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986:- 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विशिष्ट बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर बल दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य शारीरिक और मानसिक विकलांग बच्चों को सामान्य समुदाय के साथ समन्वित करना है ताकि वे भी गरिमा एवं आत्मविश्वास के साथ जीवन जी सकें। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैंः-

- विकलांग एवं मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इनकी शिक्षा हेतु स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- आंशिक विकलांग बच्चे सामान्य बच्चों के साथ पढेंगें और मूक-बधिर, अन्धे तथा मंदबुद्धि बालकों के लिए अलग विद्यालय खोले जाएगें।
- विकलांग बच्चों को कुटीर उद्योग धन्धों की शिक्षा दी जाएगी और उन्हें आत्म निर्भर बनाया जाएगा।
- विकलांग और मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा हेतु विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके परीक्षण के तौर पर अजमेर (राजस्थान) मे विशेष बी एड. प्रशिक्षण शुरू किया गया।

इस नीति में यह निश्चित किया गया कि विशिष्ट बच्चों को सामान्य विद्यालयों में शिक्षा प्रदान की जाए।

पी.आई .ई .डी. (1987) में सरकार ने सर्वप्रथम विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु चलायी जाने वाली एकीकृत योजना की समीक्षा की एवं इसमें कुछ संशोधन किए अब विकलांग बच्चों की प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश की आयु सीमा 6 वर्ष के स्थान पर 9 वर्ष कर दी गई निर्धन विकलांगों हेतु निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों और पोशाक की व्यवस्था की गई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रोग्राम ऑफ एक्शन (पी.ओ.ए.1990) में विकलांगों की शिक्षा के लिए सिफारिश की गई कि इन बच्चों के लिए शैक्षिक तंत्र लोचदार होना चाहिए। औपचारिक, अनौपचारिक, ओपन स्कूल, होम-डे-स्कूल तथा व्यावसायिक केन्द्र आदि विभिन्न विकल्प होने चाहिए तथा विकलांगों हेतु विशेष विद्यालयों की भूमिका स्पष्ट रूप से निर्धारित की जानी चाहिए।

संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1992) में विकलांग बालकों के पुनर्वास एवं ऐसे बालकों को समाज की मुख्यधारा से जोडने की बात रखी गयी ऐसे बालकों के लिए पृथक शिक्षा की बजाय एकीकृत शिक्षा की महत्ता को स्वीकार किया गया ऐसा माना गया कि जहाँ तक संभव हो बिना किसी भेदभाव के सभी बालकों के साथ शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। सामान्य एवं विकलांग बालकों के लिए शैक्षिक सेवाओं को नियोजित एवं लागू करने में अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी अधिकाधिक होनी चाहिए।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994:- विश्व बैंक के सहयोग से प्रारम्भ इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाना और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना तथा शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, विशेष विद्यालयों की स्थापना करना, उपलब्ध साधनों से अभिभावकों को प्रशिक्षण देना, घर पर ही शिक्षा की व्यवस्था करना है। इस कार्यक्रम के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की गयी तथा राजस्थान सहित देश के तीन राज्यों के कुल 23 जिलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा हेतु इसे प्रारम्भ किया गया।

सर्व शिक्षा अभियान:- वर्ष 2000 में सर्व शिक्षा अभियान में प्रत्येक बालक को उसकी आवश्यकता के आधार पर शिक्षा प्रदान करने की बात रखी गई। भारतीय संविधान में संशोधन (2001) के पश्चात् प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बालक को शिक्षा प्राप्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से जोड़ा गया। इस योजना में किसी भी बच्चे को दाखिला देने में इंकार न करने की शून्य बहिष्कार नीति को अपनाया गया। अभियान के द्वारा मानवीय क्षमता में सुधार, सामाजिक, क्षेत्रीय और लिंगीय अंतराल को दूर करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान, उनका सामान्य विद्यालयों में समावेशन करना, आवश्यक अंग उपकरण उपलब्ध कराना, समेकित शिक्षा कार्य क्रम एवं ब्रिज कोर्स का संचालन करना, विशेष शिक्षकों की नियुक्ति एवं विद्यालयों में नियुक्त सभी शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के संबंध में प्रशिक्षण देना है।

2001 में पूरे देश में अतिविकलांग एवं मंदबुद्धि बच्चों के लगभग 1000 विद्यालय एवं केन्द्र स्थापित हो चुके हैं। वर्तमान में सरकारी एवं गैर -सरकारी स्वंयसेवी संस्थाएं विकलांग बालकों में आत्मविश्वास उत्पन्न करने एवं उनको आत्म निर्भर बनाने हेतु शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य कर रही हैं। वर्ष 2001 की जनगणना में प्रथम बार इन बालकों को भी सम्मिलित किया गया था। इसका

उद्देश्य इनकी वास्तविक संख्या को जानने का था। प्रत्येक परिवार से इसकी जानकारी प्राप्त की गई ।

तत्कालीन केन्द्रीय मानव-संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने मार्च 2005 में अक्षम एवं विकलांग बालकों के लिए विस्तृत योजना के निर्माण की घोषणा करते हुए 2020 तक सभी विद्यालयों को 'अक्षम मित्र' बनाने की बात की। इस योजना में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डवलपमेंट सर्विसेज कार्यक्रम के तहत 0-6 वर्ष के सभी विशिष्ट बालक मुख्य धारा शिक्षा संस्थाओं से जोडे जाऐंगे। इनमें 2020 तक पाठ्यपुस्तक पढने की मशीन एवं स्पीच साफ्टवेयर कम्प्यूटर रखे जाएगें। मॉडल संयुक्त विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। इन विद्यालयों को अपने विद्यार्थियों की विविधतापूर्ण आवश्यकताओं को पहचान कर कार्य को करना चाहिए तथा उपयुक्त पाठ्यक्रम, संस्थागत व्यवस्थाएँ, शिक्षण प्रविधियां, संसाधन एवं सामुदायिक प्रतिभागिता के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता का निर्धारण किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005:- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में समावेशी शिक्षा की नीति को प्रत्येक विद्यालय और संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में लागू किये जाने एवं सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता का उल्लेख है, साथ ही विद्यालयों को ऐसे शिक्षा केन्द्र बनाने पर जोर दिया गया है जिनमें सभी बच्चों खासकर शारीरिक व मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों को अधिक लाभ मिले। विद्यालयों में शिक्षक द्वारा विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाते समय सभी की भागीदारी की और विशेष ध्यान देने की भी बात कही गयी है, साथ ही विद्यार्थियों में निहित विभिन्न क्षमताओं और प्रतिभाओं के प्रदर्शन को एक विषय तक ही सीमित नही करने तथा प्रत्येक विद्यार्थी को सभी प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया।

विकलांग बच्चों और युवाओं की समावेशी शिक्षा के लिए योजना 2005:- इस योजना में विकलांग बच्चों और युवाओं की शिक्षा का समावेशन किया गया। योजना में विभिन्न क्षेत्रों जैसे- प्रारम्भिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण को शामिल किया गया है। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को आंगनवाडी और विद्यालय तक पहंच एवं प्रवेश का अधिकार देना तथा विकलांगता के आधार पर रोका ना जाना, दूरस्थ क्षेत्रों में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराना, गंभीर निःशक्त हेतु गृह आधारित शिक्षण की व्यवस्था तथा रोजगार उन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति (2006):- अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बदलाव एवं विकास के कारण विकलांग व्यक्तियों के जीवन स्तर में परिवर्तन आया और समाज के प्रत्येक सदस्य जैसा उनको भी अधिकार दिया जाए। समान अधिकार एवं विकास में सहयोगी की भूमिका का अहसास दिलाने के लिए भारत सरकार ने 2006 में विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की ताकि इनको समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। इस योजना में "विकलांग व्यक्तियों को मूल्यवान मानवीय संसाधन के रुप में पहचाना गया तथा राष्ट्र के विकास में महत्व दिया गया। रोकथाम के परिप्रेक्ष्य में उन बीमारियों की रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया गया जिसमें विकलांगता उत्पन्न होती है। पुनर्वास के दृष्टिकोण से तीन प्रकार के पुनर्वास को सम्मिलित किया गया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य विकलांगता की रोकथाम एवं पुनर्वास को लेकर था-

- शैक्षिक पुनर्वास- व्यवसायिक एवं शैक्षिक कौशलों के विकास के द्वारा शैक्षिक पुनर्वास की व्यवस्था करना।
- आर्थिक पुनर्वास- स्वरोजगार, सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन निजी क्षेत्र में रोजगार के द्वारा इनको आर्थिक पुनर्वास कराने पर बल दिया गया।
- शारीरिक पुनर्वास- इसके अन्तर्गत अत्यन्त शीघ्र परामर्श एवं निर्देशन के साथ चिकित्सीय कार्य क्रमों द्वारा रोकथाम के उपाय कर व्यक्तिगत स्तर पर पुनर्वास की व्यवस्था की जाए तथा उपकरण आदि की व्यवस्था की जाए।

इस नीति के अन्तर्गत महिला विकलांगों के लिए बाधारहित वातावरण उपलब्ध कराने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा आर्थिक सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से शिक्षा को महत्वपूर्ण साधन बनाया गया। राष्ट्रीय नीति में इस बात की आवश्यकता का अनुभव किया गया कि समावेशी शिक्षा के द्वारा इन बालकों को सामान्य शिक्षा एवं समाज की मुख्य धारा में लाया जा सकता है। विकलांगों के लिए समेकित शिक्षा की नीति को इस राष्ट्रीय नीति में विशेष प्रकाश डाला गया। विकलांग बालकों की पहचान के लिए राष्ट्रीय नीति के माध्यम से सर्वेक्षण कार्य क्रमों का संचालन व विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की बात की गई तथा 2020 तक विकलांगता से ग्रसित सभी बालकों को पूर्व विद्यालय शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, और माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की बात कही गई। विकलांगों की शिक्षा के लिए जो राष्ट्रीय नीति 2006 में बनाई गई उनकी शिक्षा से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु:-

- सभी प्रकार की विकलांगता को ध्यान में रखते हुए बाधारहित वातावरण का निर्माण करना।
- विकलांगता के अनुकूल, प्रयोगशाला, पुस्तकें, उपकरण सहायक सामग्री जैसे ब्रेल, टाकिंग बुक, संसाधन कक्ष की व्यवस्था करना।
- राष्ट्रीय खुला विद्यालय को देश के अन्य भागों में प्रचलित करना।
- जो बालक समावेशी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहें हैं उन्हें विशेष विद्यालय में शिक्षा उपलब्ध कराना।
- कुछ विशेष आवश्यकताओं व व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं विकलांगता की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए गृह आधारित शिक्षा प्रदान की जाए।
- विकलांगों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक राज्य में मॉडल विद्यालय खोला जाए।
- उच्च शिक्षा स्तर के संस्थान जैसे, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में नामांकन में 3 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ावा दिया जाए तथा विकलांगता केन्द्र की स्थापना के साथ-साथ व्यवस्थित पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए।

यू. एन. कन्वेंशन ऑन द राईट ऑफ परसन विद डिसएबीलिटीज 2007:- मार्च 2007 में इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करके भारत सरकार ने अपने कानूनी प्रावधानों को दिव्यांग जनों हेतु सुलभ बनाना। यह कदम विशिष्ट शिक्षा के लिए सराहनीय कार्य है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009:- इस योजना का उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा की गुणवता को बढाना और अगले 5 वर्षों में माध्यमिक स्तर पर नामांकन दर को 75 प्रतिशत तक ले जाना तथा लैंगिक, सामाजिक-आर्थिक असमानता एवं विकलांगता की रोक दूर करना तथा माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है।

विशिष्ट बालकों के लिए माध्यमिक स्तर पर समेकित शिक्षा 2009:- विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना को नये रूप में वर्ष 2009 में प्रारम्भ किया गया जिसका लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा के 8 साल पूर्ण कर चुके 14 से 18 वर्ष की आयु के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को माध्यमिक शिक्षा के चार वर्ष की शिक्षा प्रदान करना था। यह योजना प्रारम्भिक स्तर पर विशिष्ट बच्चों की शिक्षा का विस्तार है, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढने वाले बच्चों को 300 रूपये प्रति वर्ष सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारूप 2019:- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप के अध्याय 6 में समतामूलक समावेशी शिक्षा को शामिल किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य एक समावेशी एवं समान शिक्षा व्यवस्था स्थापित करना है। इसके मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं-

- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किसी भी अन्य बच्चे के समान गुणवतापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए।
- विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भागीदारी को संनिश्चित करना।
- विद्यालय में समावेशी वातावरण का निर्माण करना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विद्यालय में बाधा रहित संरचनाएं, रैम्प, रेलिंग, सुविधानुसार पृथक् शौचालय एवं आवागमन की उचित व्यवस्था उपलब्ध करायी जाए।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए छात्रवृतियों की व्यवस्था करना।

3.20 समावेशी शिक्षा से सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधान

भारतीय पुनर्वास परिषद् 1992:- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन भारतीय पुनर्वास परिषद् की स्थापना विशिष्ट बालकों को शिक्षा प्रदान करने, विभिन्न व्यवसायों के प्रशिक्षण स्तर में एकरूपता लाने तथा विकलांग जनों के पुनर्वास हेतु की गयी थी।

विकलांग जन अधिनियम 1995:- समान अवसर और अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष - 1995 में एक व्यापक कानून का निर्माण भी किया गया है, जिसे विकलांगजन अधिनियम 1995 में कहा गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र और राज्य स्तर पर विकलांगों के पुनर्वास को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम जैसे-शिक्षा रोजगार और व्यवसायिक प्रशिक्षण बाधा रहित परिवेश का निर्माण, विकलांगों के लिए पुनर्वास सेवाओं का प्रावधान संस्थागत सेवाएं और बेरोजगारी भत्ता तथा शिकायतों का विशेष ध्यान दिए जाने पर बल दिया गया है। इस अधिनिमय को संसद द्वारा 12 सितम्बर 1995 को पारित किया गया तथा 7 फरवरी 1996 को अधिसूचित किया गया। अधिनियम को 14 अध्यायों में विभाजित किया गया है जिनमें विकलांगों के लिए विविध प्रावधान किए गए हैं।

अधिनियम के अध्याय-1 के अनुसार सात प्रकार की विकलांगता को चिन्हित किया गया है जो इस प्रकार हैं- (1) दृष्टि बाधित (2) अल्प दृष्टि (3) कुष्ठ रोग से

उपचारित (4) श्रवण दोष (5) चालन विकलांगता (6) मानसिक रूणता (7) मानसिक मन्दता

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999:- भारतीय संसद में विकलांगों व अस्थमा के मरीजों की सुरक्षा एवं कल्याण के दृष्टिकोण से 1999 में "राष्ट्रीय ट्रस्ट एक्ट 1999" पारित किया गया जिसमें पी. डब्ल्यू डी से सेरेबल पालिसी मानसिक मन्दता विकलांगता व अस्थमा वाले व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियिम प्रत्यक्ष रुप से विकलांगता की शिक्षा की व्यवस्था नहीं करता परन्तु इनकी शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करता है और तेजी से समावेशन एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में बाधारहित वातावरण का निर्माण तथा स्वयं सहायता का विकास करता रहता है।

इस अधिनियम का उद्देश्य विभिन्न विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए सीखने योग्य वातावरण निर्मित करना, परामर्श एवं प्रशिक्षण देना, व्यक्तिगत एवं सामूहिक आवास की व्यवस्था करना, परिवार की सहायता करना तथा उनके संरक्षण के उपाय करना। यह अधिनियम चार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए है- स्वलीनता, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मंदता एवं बहु विकलांगता।

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009:- यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में लागू किया गया। अधिनियम के प्रावधानों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, अनामांकित और शाला से बाहर के बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण एवं गुणवतायुक्त शिक्षा की व्यवस्था करना, बच्चों को एक ही कक्षा में रोकने पर प्रतिबन्ध लगाना, निजी विद्यालयों में केपिटेशन फीस व स्क्रीनिंग पर प्रतिबन्ध लगाना तथा निजी विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षा में 25 प्रतिशत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित किया गया।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016:- इस अधिनियम में निःशक्तता की परिभाषा में बदलाव कर इसे और अधिक व्यापक बनाया गया तथा दिव्यांग जन अधिनियम 1995 में शामिल की गई अक्षमताओं को विकसित ओर गतिशील अवधारणा के आधार पर मौजूदा 7 प्रकारों को बढा कर कुल 21 किया गया है, जो इस प्रकार है-

चलन संबंधी निःशक्तता	दृष्टि हीनता	मनसिक रूग्णता

मांसपेशीय दुर्विकार	बधिर	क्रोनिक स्नायुविक स्थिति
उपचारित कुष्ठ	श्रवण क्षति	बहु विकलांगता
बौनापन	वाक् और भाषा दिव्यांगता	पार्किन्स रोग
प्रमस्तिष्क घात	बौद्धिक दिव्यांगता	हीमोफीलिया
अम्ल हमले की पीडित	विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता	थैलेसीमिया
कम दृष्टि	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर	सिकल सेल रोग

इस अधिनियम में 6 से 18 वर्ष तक के बेंचमार्क दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना, सरकारी और मान्यता प्राप्त संस्थाओं में दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करना, दिव्यांग जनों को वितीय सहायता देने के लिए राष्ट्रीय और राज्य निधि का निर्माण करना तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण की दर 3 प्रतिशत से बढाकर 4 प्रतिशत करना आदि मुख्य प्रावधान किए गए।

3.21 पंचवर्षीय योजना एवं विकलांगों की शिक्षा

पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56):- इसमें यह देखा गया कि इन बालकों के लिए निश्चित संख्या में कल्याणकारी संस्थाएं जनयोजनाओं के लिए कार्यरत हैं लेकिन उनके पास भी वर्तमान में व्याप्त समस्याओं का समाधान करने के लिए सुविधाओं का अभाव था। बहुत से विकलांगता से ग्रसित बालक चिकित्सकीय सुविधा प्राप्त करने में असमर्थ थे और सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं पर चिकित्सा के लिए निर्भर रहना पड़ता था। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सर्वेक्षण कराकर विकलांग बच्चों के लिए प्रावधानों का निर्धारण किया गया तथा जो कार्यरत संस्थाए थी उनके माध्यम से अन्य कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करने की बात कही गयी।

दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-1961):- इस योजना में विकलांगों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया। 1955 में मानव संसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा निर्मित विकलांगों के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद को पुनः संरचित करते हुए इसके कार्यों का निर्धारण किया गया जिसके अन्तर्गत विकलांगों के लिए शिक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण तथा सामाजिक सशक्तिकरण की बात कही गई।

तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-1966):- इस योजना में यह जानने का प्रयास किया गया कि शारीरिक एवं मानसिक विकलंागों के लिए विशेष सुविधाएं कहां तक प्राप्त कर ली गई है। इसके अतिरिक्त दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित विकलांग जो समूह ग्रामीण क्षेत्रों से है उनके पुनर्वास की व्यवस्था की बात कही गई है। स्थानीय निकायों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा रोजगार सृजन की बात कही गई। विकलांग बालकों को गृहआधारित शिक्षा एवं जो गामक अक्षमता से ग्रसित को घर के पास कार्य विशेष उपकरण एवं विशेष सहायता तथा प्रशिक्षण के समय नये रोजगार तथा वित्तीय सहायता की बात कही गई है।

चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-1974):- इस योजना के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया कि सामाजिक सेवा के क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय दृष्टिबाधित केन्द्र देहरादून के माध्यम से कार्य शालाओं का आयोजन, ब्रेल प्रेस स्थापना, तथा दृष्टिबाधित बालकों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना, एवं अल्प दृष्टि वाले बच्चों के लिए एक विद्यालय की स्थापना की बात कही गई । 16-25 वर्ष के आयु वर्ग के श्रवण बाधित बच्चों के लिए तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इस योजना में वरीयता के आधार पर छात्रवृत्ति की भी बात कही गयी है ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-1979):- इस योजना के अन्तर्गत शारीरिक, मानसिक एवं दृष्टिदोष से ग्रसित विकलांग बच्चों के लिए निर्ेिमत राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार तथा नये संस्थानों के निर्माण की बात कही गयी हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-1985):- इस योजना में विकलांग बच्चों को सामान्य जीवन में समेकित करने के लक्ष्य को प्रोत्साहित किया गया। तथा उनकी शिक्षा, प्रशिक्षण रोजगार को समेकित करने के लिए भी कार्यक्रम तैयार करने की बात कही गई। विकंलागता को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात कही गई। इस योजना में विकलांगों के लिए समेकित शिक्षा के अवसरों को उपलब्ध कराना तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा आर्थिक पुनर्वास की व्यवस्था इस दृष्टिकोण से करने का लक्ष्य रखा गया। इनके सामाजिक आर्थिक स्तर को सुधारा जा सके। इसके अतिरिक्त

इस योजना में विकलांगता के अनुरूप रोजगार, पहचान, एवं अवसरों की उपलब्धता की बात कही गई है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-1990):- इस योजना में पूर्व संचालित विभिन्न योजनाओं को लागू रखना, विकलांगता को रोकने के लिए यथाशीघ्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए शैक्षिक परितोषिक, छात्रवृत्ति, पुस्तक, अनुदान, एवं यूनिफार्म की व्यवस्था करना तथा दूरदर्शन एवं पिछडे इलाकों में उपकरणों के वितरण की व्यवस्था करने की बात कही गई है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-1997):- इस योजना को विकलांगों की शिक्षा के लिए समन्वित उपागम के रूप में जाना जाता है। इसके अन्तर्गत विकलांगता की रोकथाम के लिए उनके पुनर्वास की व्यवस्था किया गया ताकि विकलांग बालक भी समाज का एक उत्तरदायी नागरिक बन सके। इस योजना को समुदाय आधारित कहा गया इस योजना में इस बात का उल्लेख किया गया कि प्रत्येक विकलांगता के आधार पर एक-एक राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों की व्यवस्था की जायेगी एवं विशेष विद्यालयों को बढ़ावा देकर समेकित शिक्षा के प्रारूप को अपनाया गया।

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002):- इस योजना के अन्तर्गत विकलांगों के कल्याण को उनका अधिकार कहा गया तथा उनके सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं।

- विकलांगता अधिकार अधिनियम 1995 को लागू करने के तथा उसके प्रावधानों को वास्तविकता के धरातल पर लाने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाएगा।
- उन विकलांग बालकों तक पहुंचना जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं तथा पहुंच से बाहर हैं।
- योजना में इस पर बात विशेष ध्यान दिया गया कि विकलंागों को इस प्रकार तैयार किया जाए ताकि वे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मंे उत्पादक की भूमिका में कार्य कर सके और सामान्य समुदाय मंे उनका समाकलन किया जा सके तथा समुदाय अधारित पुनर्वास किया जा सके।
- विकलांग का सशक्तिकरण एक सतत् चलने वाला कार्य है जिसको सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाओं के संयुक्त प्रयास के द्वारा जारी रखने की संस्तुति की गयी।
- विकलांगो बालकों को समेकित शिक्षा द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययन के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए जिसमें परितोषिक के रुप

में निशुल्क किताब, यूनिफॉर्म, यातायात, सहायक उपकरण की व्यवस्था की संस्तुति की गयी ताकि ऐसे बालक अपनी विद्यालयी शिक्षा प्राप्त कर सके।

- 3 प्रतिशत आरक्षण से सम्बन्धित नीति की समीक्षा तथा मॉनिटरिंग करना तथा समूह अ, ब, स, द की सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था करना।
- आवश्यकता आधारित सर्वेक्षण कर महिला एवं बालिकाओं की विकलांगताओं की विविधता को जानना।
- विभिन्न संगठन जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं को सहायता उपलब्ध करना।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07):-इस योजना में विकलांगों की शिक्षा रोजगार एवं सशक्तिकरण को ध्यान मे रखते हुए निम्न लक्ष्य रखे गये हैं।

- विकलांगता अधिकार अधिनियम 1995 को प्रभावपूर्ण तरीके से लागू करना।
- पहुंच से दूर ग्रामीण क्षेत्र के विकलांगों तक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कर उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना।
- प्रत्येक विभाग एवं मन्त्रालय के द्वारा विकलांगों के लिए आंवटित धनराशि के वितरण में शीघ्रता लाना।
- विकलांगों को स्वयं सहायता समूह के निर्माण के लिए अभिप्रेरित करना।
- पौष्टिक आहार का वितरण व जागरुकता कार्यक्रम संचालित कर यथाशीघ्र विकलांगता को रोकने का उपाय करना।
- शिक्षा के सार्वभौमिकरण द्वारा विकलांगों को सामान्य विद्यालयों में समाकलन कर बाधारहित वातावरण उपलब्ध करना।
- वैकल्पिक विद्यालयों की व्यवस्था करना जैसे समावेशी शिक्षा, समेकित शिक्षा, विशेष विद्यालय अनौपचारिक शिक्षा।
- महिला विकलांग एवं छात्राओं को आधुनिक व्यवसायिक कौशलों में प्रशिक्षण देना।
- समस्त प्रकार की विकलांगता के लिए सहायता व उपकरणों की व्यवस्था करना।
- शहरी एवं ग्ारमीण कार्यक्रमों में तीन प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करना।
- वर्तमान संचालित कार्यक्रमों को बढ़ावा देना तथा नये-नये कार्यक्रमों का आयोजन करना जिससे अधिक से अधिक रोजगार का सृजन किया जा सके।
- रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना एवं रोजगार कार्यालय में विशेष सेल का गठन करना।

- मानसिक रुप से मन्द बालकों के लिए विशेष विद्यालय एवं उनके कल्याण एवं पुनर्वास के लिए विशिष्ट सेवाओं कार्यशालाओं का आयोजन करना।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12):- ग्यारहवीं योजना में, विकलांगता को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए एक चतुष्कोणीय दृष्टिकोण अपनाने पर जाोर दिया गया था। ये थे:

- संबंधित मंत्रालयों और विभागों के बीच दायित्व का स्पष्ट निर्धारण किया जाए।
- ग्यारहवीं योजना के अनुमोदन के बाद संबंधित मंत्रालयों और विभागों को छह महीने के भीतर विस्तृत दिशानिर्देश तैयार करने होंगे।
- यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक संबंधित मंत्रालय/विभाग को, विकलांग जन अधिनियम, 1995 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार विकलांगजनों के कल्याण के लिए अपने वार्षिक आवंटन की कम-से-कम तीन प्रतिशत राशि निर्धारित करनी होगी।
- विभिन्न स्तरों पर निगरानी तंत्र का गठन और समीक्षा प्रणाली बनानी होगी ताकि प्रगति पर नियमित और निरंतर नजर रखी जा सके।

बारहवी पंचवर्षीय योजना (2012-17):- देश के इतिहास में पहली बार, विकलांग जनों और विशेषज्ञों को श्रम, परिवहन, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल अधिकार, आवास एवं निर्धनता अपशमन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, युवा, साक्षरता और अन्य कई विषयों से संबंधित संचालन समितियों का सदस्य बनाया गया। यह आशा थी कि इससे सभी संबंधित अध्यायों में विकलांगता का उल्लेख पर्याप्त रूप से होगा।

विशिष्ट बालकों की शिक्षा के प्रति विकसित तथा विकासशील देश दोनों ने अपनी प्रतिबद्धता यक्त की है क्योंकि यह समस्या कमोवेश दोनों देशों में है। आमतौर पर सभी छात्रों की ज्ञान के किसी विशेष क्षेत्र में विशेष आवश्यकतायें होती है। यह तो सभी बालकों की आवश्यकतायें पूर्ण करने का प्रश्न है, इसीलिए ‘‘सभी के लिए शिक्षा’’ में विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं को भी शामिल किया गया है। एन.सी.ई .आर.टी. ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय और युनिसेफ के सहयोग से एक और नई योजना ‘‘शारीरिक व बौद्धिक विसंगतियों वाले बालकों सहित सभी के लिये शिक्षा’’ की योजना तैयार की है। उपर्युक्त आयोगों, समितियों, नीतियों एवं सर्वशिक्षा अभियान में विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के बारे में विवेचना की गई है ।

अध्याय चतुर्थ

तथ्यों का प्रस्तुतीकरण एवं विश्लेषण

अध्याय चतुर्थ
तथ्यों का प्रस्तुतीकरण एवं विश्लेषण

4.1 प्रस्तावना

पी.वी. यंग के अनुसार

"क्रमबद्ध विश्लेषण का कार्य एक ठोस बौद्धिक भवन के विचारों के एक संगठन का निर्माण करना है, जो कि एकत्रित तथ्यों को उनके उचित स्थान तथा सम्बन्धों में प्रस्तावित करने में सहायक होगा, ताकि सामान्य निष्कर्षो को निकाला जा सकें।"

4.2 तथ्यों की व्याख्या एवं विश्लेषण -

शोध परीक्षण के प्रशासन तथा अंकन के पश्चात प्रदतों का संकलन एवं व्यवस्थापन किया जाता है। संकलित प्रदत प्राप्त प्रदत के रूप में जाने जाते है। प्राप्त प्रदत तब तक अर्थपूर्ण नहीं होते जब तक कि उनका सांख्यिकी विश्लेषण नहीं किया जाता। प्रदतों के विश्लेषण का अर्थ प्राप्त प्रदतों को अर्थपूर्ण बनाना है अथवा इन्हे प्राप्त करने के लिए प्रदतों के विश्लेषण की सहायता से परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जाता है।

इस प्रकार प्रदतों के विश्लेषण के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है -

- प्रदतों को अर्थपूर्ण बनाना।
- परिकल्पनाओं का परीक्षण करना।
- सार्थक परिणाम प्राप्त करना।
- अनुमान लगाना तथा सामान्यीकरण करना।
- परा सांख्यिकी के सम्बन्ध में अनुमान लगाना।

किसी शोध कार्य द्वारा सम्पन्न किए गए अनुसंधान के प्रति वैज्ञानिक अधिकांशत दो तथ्यों की ओर अपनी आलोचना अभिव्यक्त करते है।

1. आकडें
2. आंकडों का निर्वचन

आंकडों के निर्वचन का सम्बन्ध यहाँ उनके संकलन, संकेतीकरण संवर्गीकरण, सारणीकरण तथा विश्लेषण से है। एक अनुसंधान समस्या के संदर्भ में जहॉ तक तर्क संगत आंकडों के ंसकलन का सम्बन्ध है इस विषय पर तथ्यों को अधिकांशत बल दिया जाता है कि वैज्ञानिक अध्ययनों में जिन प्रयोज्यों के माध्यम से आवश्यक सूचना का संकलन सम्पन्न किया जाता है, उनका चयन यथा सम्भव यादृच्छिक प्रक्रिया पर आधारित करना चाहिए, क्योंकि यादृच्छिकरण द्वारा चयन की गई इकाईयॉ ही अपनी सम्बन्धित समष्टि की प्रतिनिधि होती है।

किसी भी शोध कार्य में विभिन्न उपकरणों की सहायता से प्राप्त सूचनाओं का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता जब तक कि उनका विश्लेषण ना कर जाए।

कुक के अनुसार, "वैज्ञानिक विश्लेषण अध्ययन तथ्यों परिणामों तथा वैज्ञानिक ज्ञान के सम्बन्धों की खोज करता है।"

प्रसिद्ध फ्रेंच गणितज्ञ आंकारे के शब्दों में, "जिस प्रकार एक मकान पत्थरों से बनता है उसी प्रकार विज्ञान का निर्माण तथ्यों से होता है। परन्तु तथ्यों का केवल संकलन उसी भांति विज्ञान नहीं है जैसे पत्थरों का ढेर मकान नहीं है।"

इस कथन से तात्पर्य है कि अनुसंधान या शोध कार्य में केवल तथ्यों को एकत्र कर लेने से ही अध्ययन स्पष्ट नहीं हो जाता जब तक कि उन तथ्यों का वर्गीकरण व सारणीयन करने से बिखरे हुए तथ्यों के ढेर को एक क्रमबद्ध व संक्षिप्त रूप नहीं मिल जाता है जिसके कारण उन्हें सरलता से समझा जा सकता है।

विश्लेषण तथा व्याख्या के लिए शर्ते

1. शोध कर्ता को अपनी अर्न्तदृष्टि को स्पष्ट रखना चाहिए।
2. एक आलोचनात्मक एवं अनुशासित कल्पना शक्ति का विकास किया जाना चाहिए।
3. पक्षपातों एवं मिथ्या सुझावों से स्वयं को दूर रखना चाहिए।

तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या के लिए आवश्यक तैयारियां

1. सूचनाओं को क्रम में लगाना।
2. उत्तरों की जांच करना।
3. अनावश्यक तथ्यों को हटा देना तथा केवल वांछित सामग्री का ही विश्लेषण करना।

4.3 तथ्यों का वर्गीकरण

समस्त तथ्यों के विस्तृत तथा ठोस विस्तृत तथा ठोस वर्गीकरण पर ही बहुत कुछ अध्ययन की प्रभावशीलता एव ंमूल्य निर्भर करता है। तथ्यों का वर्गीकरण होने से उनकी तुलना उनमें पाई जाने वाली समानताओं व भिन्नताओं तथा पारस्परिक सम्बन्धों का ज्ञान हो जाता है। अतः तथ्यों का विश्लेषण व्याख्या की आत्मा है, अगर अव्यवस्थित तथा बिखरे हुए आंकडे होगें तो व्यवहारिक रूप में ना विश्लेषण किया जा सकेगा और न ही निष्कर्ष निकालना सम्भव हो सकेगा। अतः इसे सम्भव बनाने के लिए शोधकर्ता ने तथ्यों के ढेर को व्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप प्रदान किया है।

शोधकर्त्री ने अपने शोध विषय के उद्धेश्यों के आधार पर आवश्यक आंकडों का संकलन, एवं वर्गीकरण कर उन आंकड़ों का विश्लेषण एवं विवेचन प्रस्तुत किया है, जो निम्नानुसार है -

4.4 उद्धेश्य आधारित व्याख्या

उद्धेश्य - 1 समावेशी शिक्षा से सम्बन्धित नीतियों का अध्ययन करना।

समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा नीतियाँ एवं योजनाएं

क्रम संख्या	नीतियाँ एवं योजनाएं	वर्ष	विशेषता
1	राष्ट्रीय शिक्षा नीति	1968	शैक्षिक अवसरों की समानता के अन्तर्गत शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग बालकों के लिए शैक्षिक सुविधाओं के विकास पर बल देना।
2	समेकित शिक्षा योजना	1974	इस योजना का उद्धेश्य विकलांगों को पुस्तकें, शैक्षिक सामग्री, गणवेश, परिवहन भत्ता, विशेष उपकरण एवं सहायक यंत्रों हेतु वितीय सहायता उपलब्ध कराना, पुनर्वास सहायता देना, अभिभावकों को प्रशिक्षण देना, विद्यालय भवनों की संरचनात्मक बाधा को दूर करना है।
3	नई शिक्षा नीति	1986	इसका मुख्य उद्देश्य शारीरिक और मानसिक विकलांग बच्चों को सामान्य समुदाय के साथ समन्वित करना है
4	सर्व शिक्षा अभियान	2002	6 से 14 वर्ष के बालक को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना।
5	राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा	2005	समावेशी शिक्षा की नीति को प्रत्येक विद्यालय और संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में लागू किये जाने एवं सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया।

6	विकलांग बच्चों और युवाओं की समावेशी शिक्षा के लिए योजना	**2005**	इस योजना के प्रमुख उद्धेश्य प्रत्येक बच्चे को आंगनवाडी और विद्यालय तक पहंुच एवं प्रवेश का अधिकार देना तथा विकलांगता के आधार पर रोका ना जाना, दूरस्थ क्षेत्रों में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराना, गंभीर निःशक्त हेतु गृह आधारित शिक्षण की व्यवस्था तथा रोजगार उन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है।
7	विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति	**2006**	विकलांग व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में लाना।
8	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	**2009**	इस अभियान का मुख्य उद्धेश्य माध्यमिक शिक्षा को बढावा देना है।
9	विशिष्ट बालकों के लिए माध्यमिक स्तर पर समेकित शिक्षा	**2009**	इसका लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा के 8 साल पूर्ण कर चुके 14 से 18 वर्ष की आयु के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को माध्यमिक शिक्षा के चार वर्ष की शिक्षा प्रदान करना
10	राष्ट्रीय शिक्षा नीति	**2020**	इसका मुख्य उद्धेश्य एक समावेशी एवं समान शिक्षा व्यवस्था स्थापित करना है।

उद्धेश्य - 2 समावेशी शिक्षा की नीतियों का समीक्षात्मक अध्ययन करना।

भारत विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत प्रारंभ से ही समावेशी समाज वाला देश है। यहां विभिन्न अक्षमता वाले लोग भी समान रूप से सम्मानित होतेे हैं। भारत में गुरूकुल शिक्षा प्रणाली के समय से ही विशिष्ट शिक्षा विद्यामान थी। स्वतंत्रता के पश्चात् केन्द्र व राज्य सरकार के मिले-जुले प्रयासों से दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु अनेक प्रावधान किये गये। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए विशिष्ट विद्यालय, समेकित शिक्षा कार्यक्रम और समावेशी शिक्षा कार्यक्रम को चलाया गया।

इतने शैक्षणिक प्रावधान होने के बावजूद भी हम दिव्यांग बच्चों की शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित नहीं कर पाये हैं। भारत में दिव्यांगता पर आयी गयी रिपोर्ट भिन्न-भिन्न आंकड़े दिखाती है-

- 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 5-19 वर्ष के 78 लाख से अधिक दिव्यांग बच्चे हैं। इनमें से सिर्फ 61 प्रतिशत बच्चे शैक्षणिक संस्थान में भाग ले रहे हैं। लगभग 12 प्रतिशत बच्चों ने विद्यालय छोड़ दिया है जबकि 27 प्रतिशत बच्चे कभी भी विद्यालय नही गये।
    - 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 45 फीसदी दिव्यांग आबादी अशिक्षित है। दिव्यांगों में जो शिक्षित हैं उनमें 59 फीसदी केवल 10वीं तक ही पास हैं। जबकि देश की कुल आबादी का 67 फीसदी 10वीं तक शिक्षित हैं।
    - 6-13 आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चों का 28 प्रतिशत विद्यालय से बाहर हैं।
    - दिव्यांगों में कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके एक से अधिक अंग अपंग हैं उनकी 44 प्रतिशत आबादी शिक्षा से वंचित हैं।
    - मानसिक रूप से दिव्यांग 36 प्रतिशत तथा बोलने में अक्षम 38 प्रतिशत बच्चे शिक्षा से वंचित है।
- सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी को एक समान शिक्षा देने के प्रावधान के बावजूद शिक्षा व्यवस्था से बाहर रहने वाली आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा दिव्यांग बच्चों का है।
- नेशनल सर्वे ऑन एस्टीमेशन ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन 2014 द्वारा जारी की गयी रिपोर्ट के अनुसार भारत में दियांग बच्चों की कुल जनसंख्या में से 28.07 प्रतिशत बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, इनमें से 35.97 प्रतिशत मानसिक मंद, 17.64 प्रतिशत दृष्टि बाधित एवं 19.31 प्रतिशत श्रवण बाधित हैं।
- यूनेस्कों एवं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने 2019 में एक रिपोर्ट जारी की जिसके अनुसार-
    - भारत में 19 वर्ष से कम आयु के दिव्यांग बच्चों में चार में से कम से कम एक ने कभी भी शिक्षा प्राप्त नहीं की।
    - 5 वर्ष तक के 3/4 बच्चे विद्यालस नहीं जाते हैं।
    - विद्यालय में नामांकित दिव्यांग विद्यार्थियों की संख्या नियमित रूप से कम हो रही है।
    - विद्यालयों नामांकित दिव्यांग बच्चों में लड़कियों की संख्या कम है।

- 20 प्रतिशत दृश्य एवं श्रवण दोष वाले बच्चे कभी विद्यालय नहीं गये।

उपरोक्त आंकड़ें यह दर्शाते हैं कि देश में दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए किये गये बहुत से प्रावधानों के बावजूद भी दिव्यांग बच्चों की शैक्षिक स्थिाति संतोषजनक नहीं है। लगभग 50 प्रतिशत बच्चे शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। विभिन्न शैक्षिक नीतियों में दिव्यांग बच्चों के लिए निर्धारित मानदण्डों में से अनेक भौतिक सुविधाएं एवं संसाधन विद्यालयों में उपस्थित नहीं हैं।

उद्धेश्य - 3 समावेशी शिक्षा से सम्बन्धित प्रावधानों का अध्ययन करना।

समावेशी शिक्षा से सम्बन्धित प्रावधान

क्रम संख्या	प्रावधान	वर्ष	विशेषता
1	भारतीय पुनर्वास परिषद्	1992	विशिष्ट बालकों को शिक्षा प्रदान करने, विभिन्न व्यवसायों के प्रशिक्षण स्तर में एकरूपता लाने तथा विकलांग जनों के पुनर्वास किया जायेगा।
2	विकलांग जन अधिनियम	1995	इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र और राज्य स्तर पर विकलांगों के पुनर्वास को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम जैसे-शिक्षा रोजगार और व्यवसायिक प्रशिक्षण बाधा रहित परिवेश का निर्माण, विकलांगों के लिए पुनर्वास सेवाओं का प्रावधान संस्थागत सेवाएं और बेरोजगारी भत्ता तथा शिकायतों का विशेष ध्यान दिए जाने पर बल दिया गया है।

3	राष्ट्रीय न्यास अधिनियम	1999	इस अधिनियम का उद्धेश्य विभिन्न विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए सीखने योग्य वातावरण निर्मित करना, परामर्श एवं प्रशिक्षण देना, व्यक्तिगत एवं सामूहिक आवास की व्यवस्था करना, परिवार की सहायता करना तथा उनके संरक्षण के उपाय करना।
4	निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम	2009	इस अधिनियम में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने पर बल दिया गया।
5	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम	2016	इस अधिनियम में 6 से 18 वर्ष तक के बेंचमार्क दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना, सरकारी और मान्यता प्राप्त संस्थाओं में दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करना, दिव्यांग जनों को वितीय सहायता देने के लिए राष्ट्रीय और राज्य निधि का निर्माण करना तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण की दर 3 प्रतिशत से बढाकर 4 प्रतिशत करना आदि मुख्य प्रावधान किए गए।

उद्धेश्य - 4 समावेशी शिक्षा से सम्बन्धित प्रावधानो का समीक्षात्मक अध्ययन करना।

स्वतंत्रता के बाद पहले दो दशकों में मुख्य रूप से सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र में शिक्षा का विकास तेजी से हुआ। भारतीय संविधान में किए गए प्रावधानों के आधार पर सरकार का मुख्य उद्धेश्य शिक्षा को समावेशी बनाना था। समावेशी शिक्षा से संबंधित इतनी नीतियों एवं कानूनों के बावजूद भी कुछ तथ्य ऐसे हैं जो दिव्यांगों के विकास में बाधक हैं-

- सभी क्षेत्रों एवं विभागों में दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक पद सृजित नहीं हैं।
- दिव्यांगों को आवश्यक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान नही किया जाता है।
- अधिकांश विशिष्ट संस्थायें महानगरों एवं नगरों में स्थित हैं।
- दिव्यांग विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा व व्यावसायिक शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय एवं तकनीकी संस्थानों का अभाव है।
- उच्च शिक्षण संस्थाओं मे दिव्यांगों के लिए आरक्षण का अभाव है।
- विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता के आधार पर पाठ्यक्रम एवं मुल्यांकन पद्धति का अभाव है।
- शिक्षण का माध्यम एवं पद्धति दिव्यांग विद्यार्थियों के अनुकूल नही है।
- मानसिक रूप से अपंग बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक पुनर्वास केन्द्रों में शैक्षिक सुविधाओं का अभाव है।

उद्धेश्य - 5 समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना।

समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं को जानने के लिए विभिन्न संबद्ध पक्षों (अधिकारियों, अध्यापकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों) से प्रदतों का संकलन किया गया।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समस्याएं

प्रश्न - 1 समावेशी शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी है।

रेखाचित्र- 4.1

समावेशी शिक्षा के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

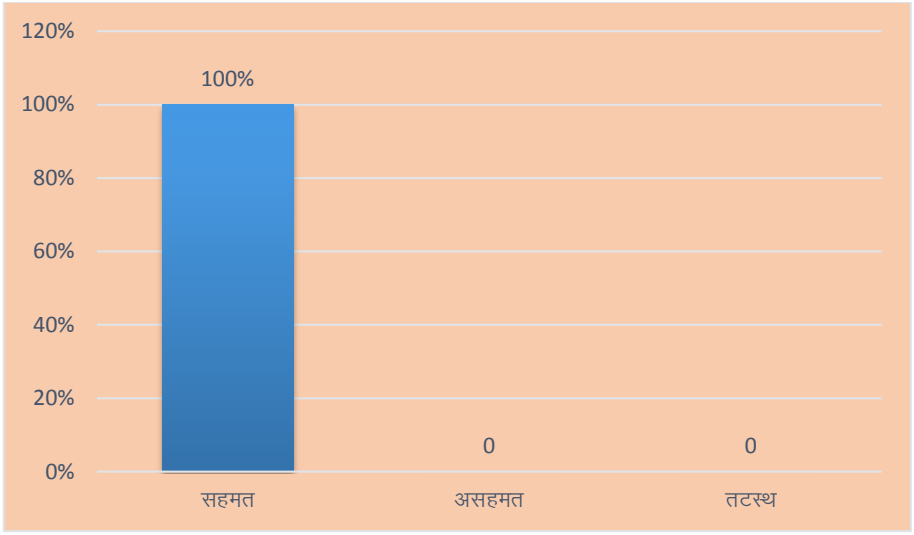

- शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1 से प्राप्त आंकड़े यह बताते हैं कि 100% अधिकारियों का यह मानते हैं कि समावेशी शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी है। अर्थात् सभी अधिकारी समावेशी शिक्षा के प्रति समान दृष्टिकोण रखते हैं।

प्रश्न - 2 विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है।

रेखाचित्र-4.2

विद्यालय में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की प्रतिक्रिया के आंकड़ें

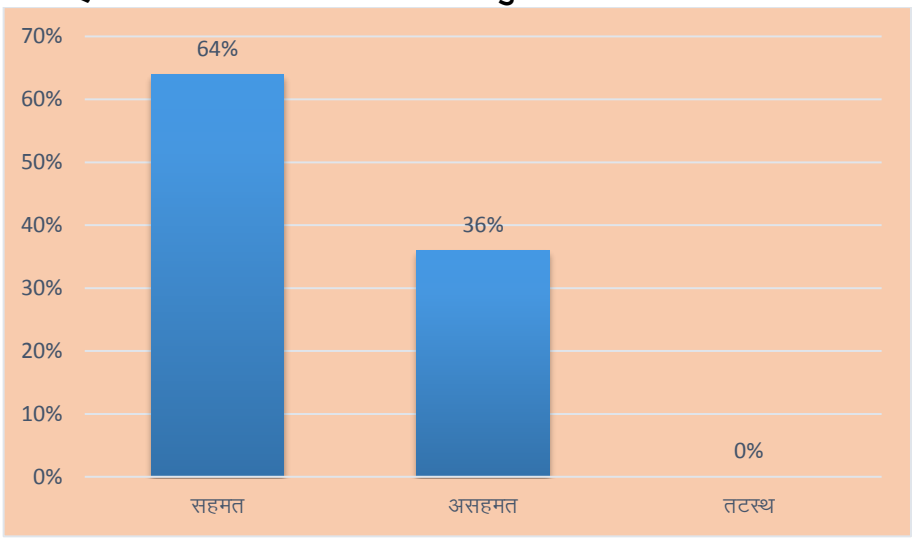

- शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 2 से प्राप्त आंकड़े यह बताते हैं कि 64% अधिकारियों ने यह स्वीकार किया है कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है जबकि 36% अधिकारियों ने विशेष शिक्षकों की नियुक्ति को अस्वीकार किया है।

प्रश्न - 3 विद्यालय स्तर पर समावेशी शिक्षा से संबंधित नीतियों का पालन किया जाता है।

रेखाचित्र-4.3

समावेशी शिक्षा से संबंधित नीतियों का पालन के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

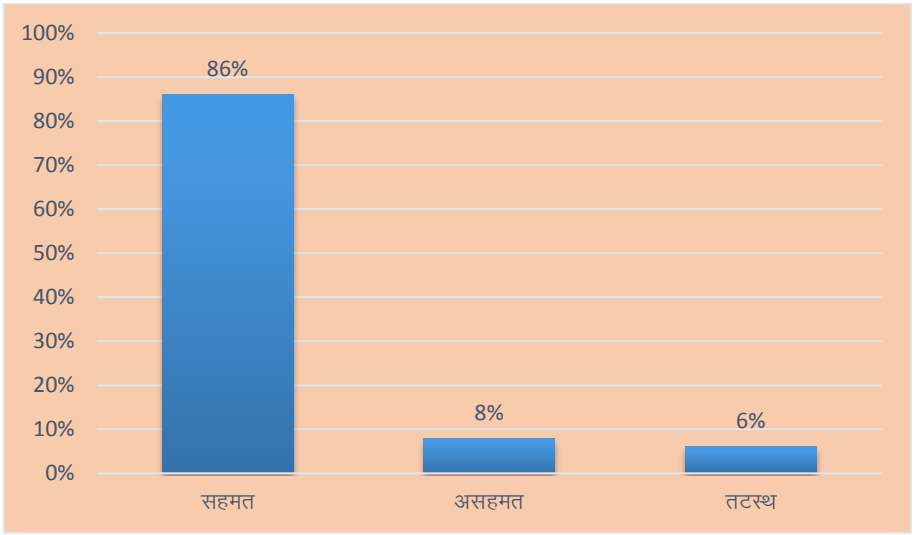

- शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 3 से प्राप्त आंकड़े यह बताते हैं कि 86% अधिकारियों ने स्वीकार किया कि विद्यालय स्तर पर समावेशी शिक्षा से संबंधित नीतियों का पालन किया जाता है जबकि 8% अधिकारी इससे सहमत नही हैं एवं 6% अधिकारियों ने इस संदर्भ में अपनी राय व्यक्त नहीं की।

प्रश्न - 4 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विद्यालय द्वारा मनोवैज्ञानिक परामर्श एवं चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए।

रेखाचित्र-4.4

मनोवैज्ञानिक परामर्श एवं चिकित्सकीय सेवाओं के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

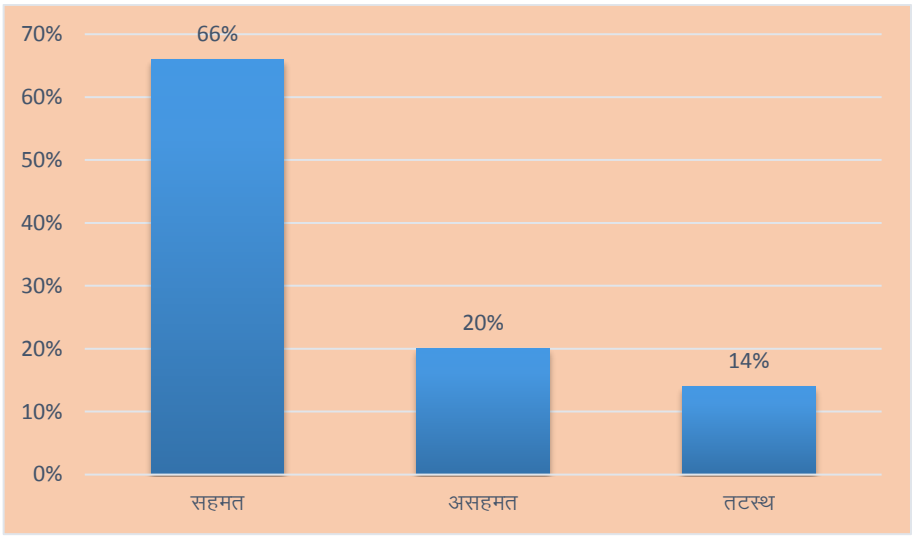

- शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 4 से प्राप्त आंकड़े यह बताते हैं कि 66% अधिकारियों ने स्वीकार किया कि विद्यालय द्वारा मनोवैज्ञानिक परामर्श एवं चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए जबकि 20% अधिकारी इसके पक्ष में नहीं हैं तथा 14% अधिकारियों ने तटस्थता व्यक्त की।

प्रश्न - 5 समावेशी शिक्षा के विकास के लिए सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

रेखाचित्र-4.5

सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

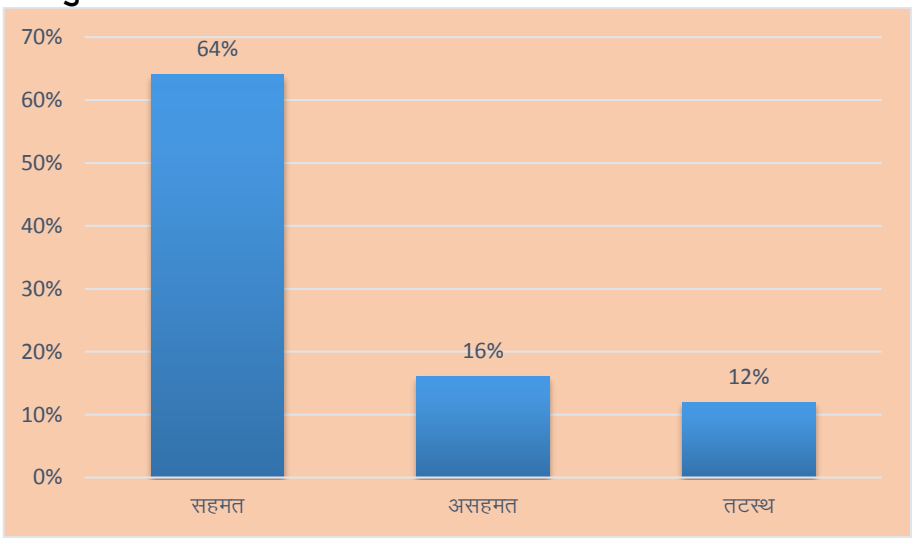

- शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 5 से प्राप्त आंकड़े यह बताते हैं कि 64% अधिकारियों ने समावेशी शिक्षा के

विकास के लिए सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जबकि 16% अधिकारी इसके पक्ष में नहीं हैं तथा 12% अधिकारियों ने तटस्थता व्यक्त की।

प्रश्न - 6 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाएं एवं नीतियां पूर्णतया प्रभावी नही है।

रेखाचित्र-4.6

सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं एवं नीतियों की प्रभावशीलता के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

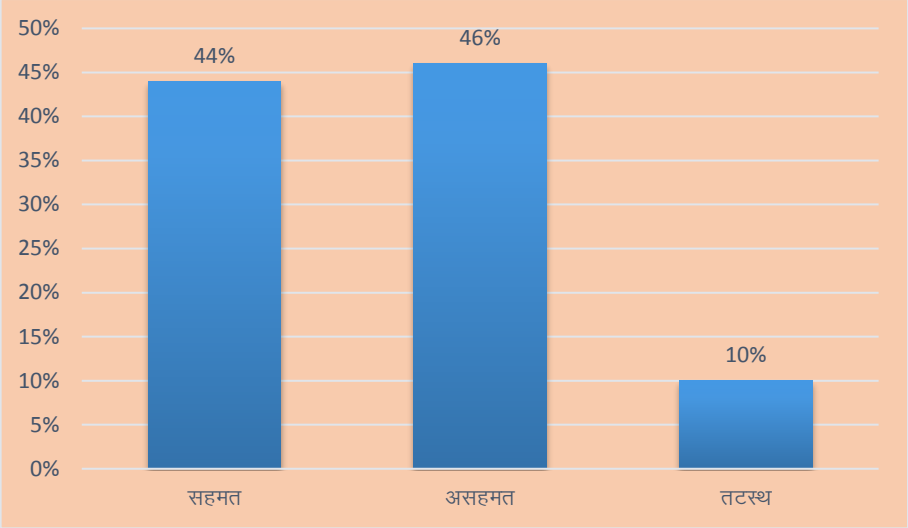

- शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 6 से प्राप्त आंकड़े यह बताते हैं कि 44% अधिकारी यह मानते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाएं एवं नीतियां पूर्णतया प्रभावी नही हैं जबकि 46% अधिकारियों ने यह स्वीकार किया कि ये योजनाएं एवं नीतियां प्रभावी हैं तथा 10% अधिकारियों ने इस संदर्भ में कोई राय व्यक्त नहीं की।

प्रश्न - 7 समावेशी शिक्षा को लागू करने में आपको विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

रेखाचित्र-4.7

समावेशी शिक्षा को लागू करने में आपको विभिन्न समस्याओं के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

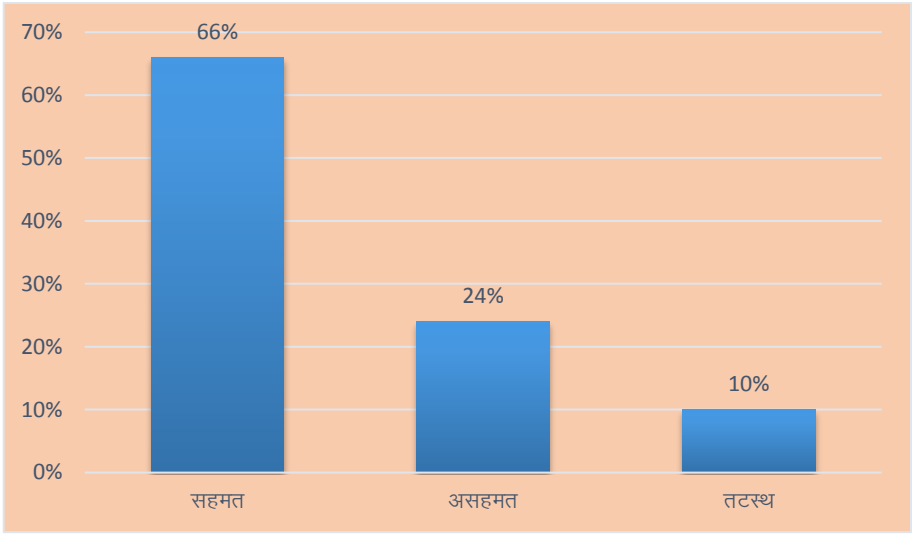

- शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 7 से प्राप्त आंकड़े यह बताते हैं कि 66% अधिकारियों ने यह माना कि उन्हें समावेशी शिक्षा को लागू करने में विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जबकि 24% अधिकारियों को कोई समस्या नही हुई एवं 10% अधिकारियों ने इस संदर्भ में कोई राय व्यक्त नहीं की।

प्रश्न - 8 राज्य सरकार द्वारा भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाना चाहिए।

रेखाचित्र-4.8

राज्य सरकार द्वारा भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न योजनाओं के संचालन के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

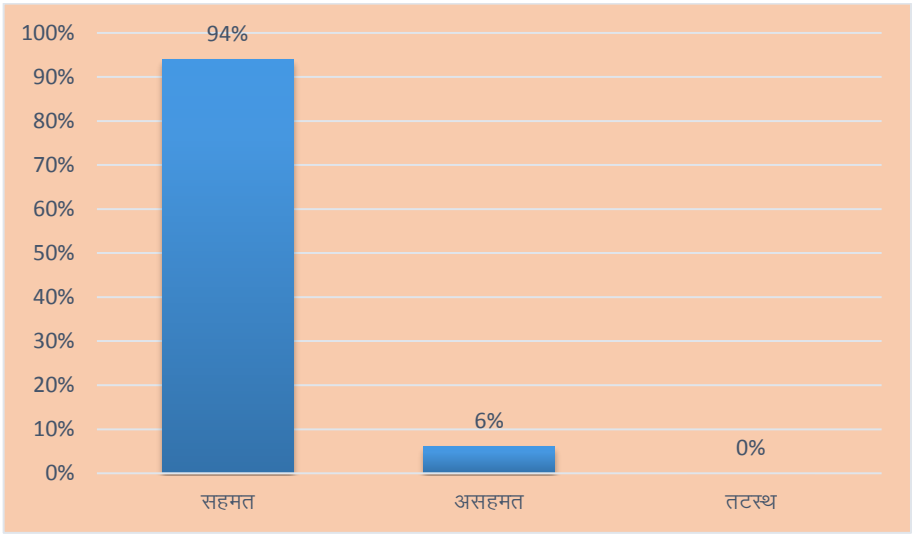

- शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 8 से प्राप्त आंकड़े यह बताते हैं कि 94% अधिकारियों ने इस बात पर सहमति

व्यक्त की कि राज्य सरकार द्वारा भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाना चाहिए जबकि 6% अधिकारियों ने माना कि राज्य सरकार को कोई योजना नहीं संचालित करनी चाहिए।

प्रश्न - 9 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बनायी गयी नीतियां सरकारी एवं गैरसरकारी दोनों विद्यालयों में समान रूप से लागू की जाती है।

रेखाचित्र-4.9

नीतियों के सरकारी एवं गैरसरकारी विद्यालयों में समान रूप से लागू करने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

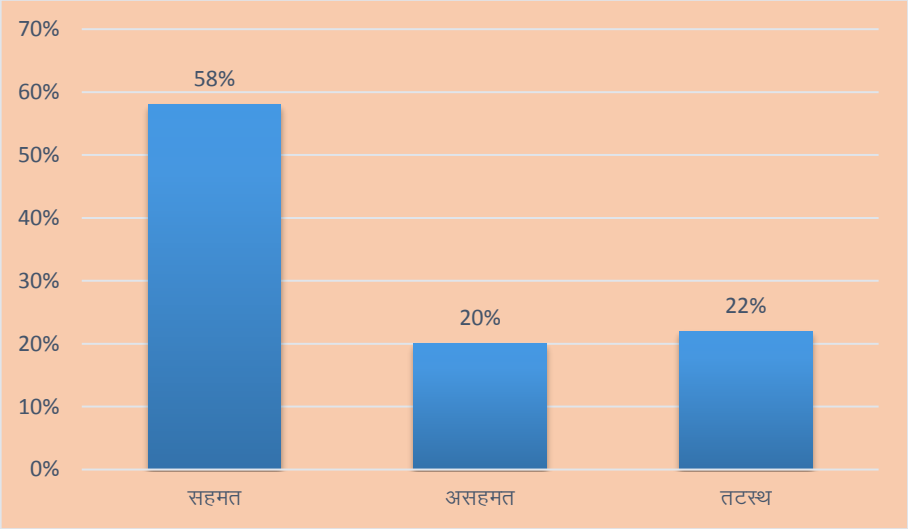

- शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 9 से प्राप्त आंकड़े यह बताते हैं कि 58% अधिकारियों ने स्वीकार किया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बनायी गयी नीतियां सरकारी एवं गैरसरकारी दोनों विद्यालयों में समान रूप से लागू की जाती है जबकि 20% अधिकारी इससे सहमत नहीं है तथा 22% ने अधिकारियों ने इस संदर्भ में कोई राय व्यक्त नहीं की।

प्रश्न - 10 विद्यालय में समावेशी शिक्षा की नीतियों के उद्धेश्यों की पूर्ति हेतु उचित व्यवस्था उपलब्ध है।

रेखाचित्र-4.10

नीतियों के उद्धेश्यों की पूर्ति हेतु उचित व्यवस्था के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

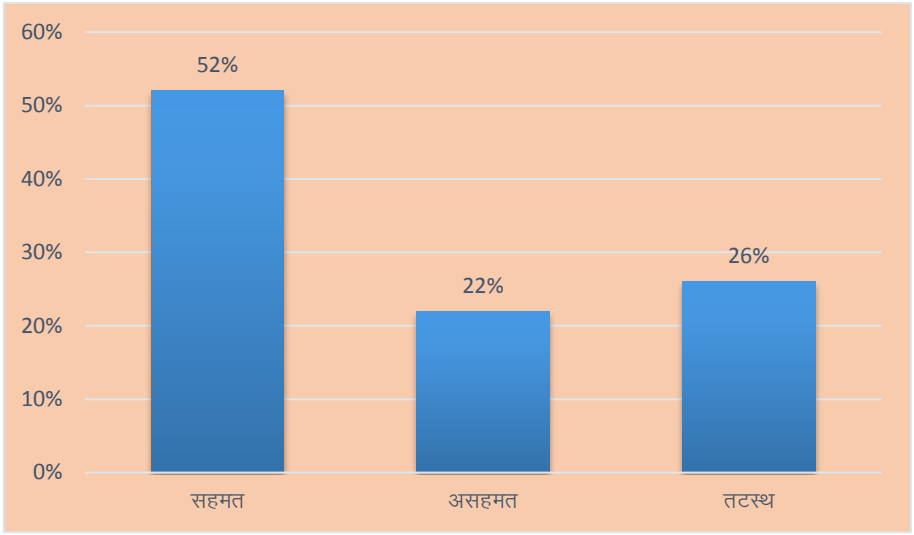

- शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 10 से प्राप्त आंकड़े यह बताते हैं कि 52% अधिकारियों ने स्वीकार किया कि विद्यालय में समावेशी शिक्षा की नीतियों के उद्धेश्यों की पूर्ति हेतु उचित व्यवस्था उपलब्ध है जबकि 22% अधिकारी इससे सहमत नहीं है तथा 26% ने अधिकारियों ने इस संदर्भ में कोई राय व्यक्त नहीं की।

प्रश्न - 11 विकलांगता अधिनियम 1995 एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 दोनों का उद्धेश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है।

रेखाचित्र-4.11

विकलांगता अधिनियम 1995 एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 दोनों के उद्धेश्य के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

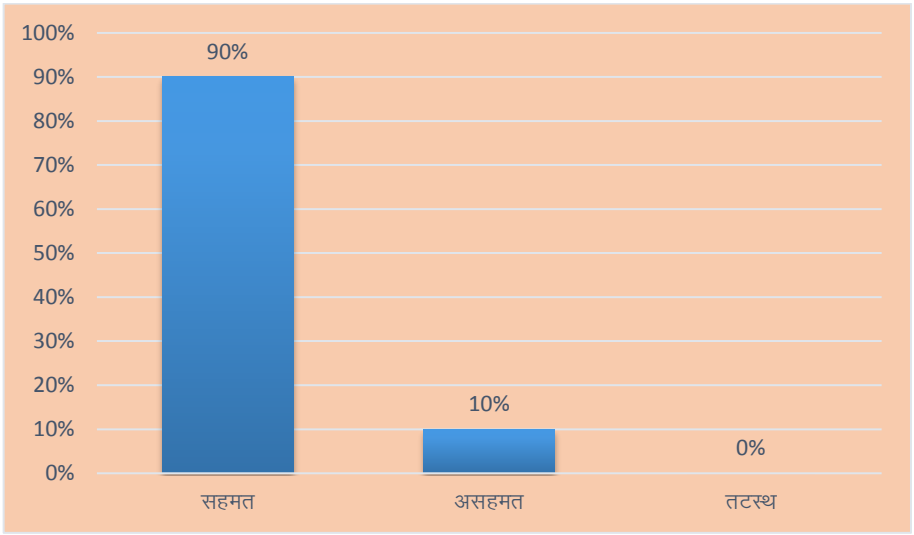

- शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 11 से प्राप्त आंकड़े यह बताते हैं कि 90% अधिकारियों ने स्वीकार किया कि

विकलांगता अधिनियम 1995 एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 दोनों का उद्धेश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है जबकि 10% अधिकारी इससे सहमत नहीं हैं।

प्रश्न - 12 सरकार को समावेशी शिक्षा को बढावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना चाहिए।

रेखाचित्र-4.12

स्थानीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों के संचालन के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

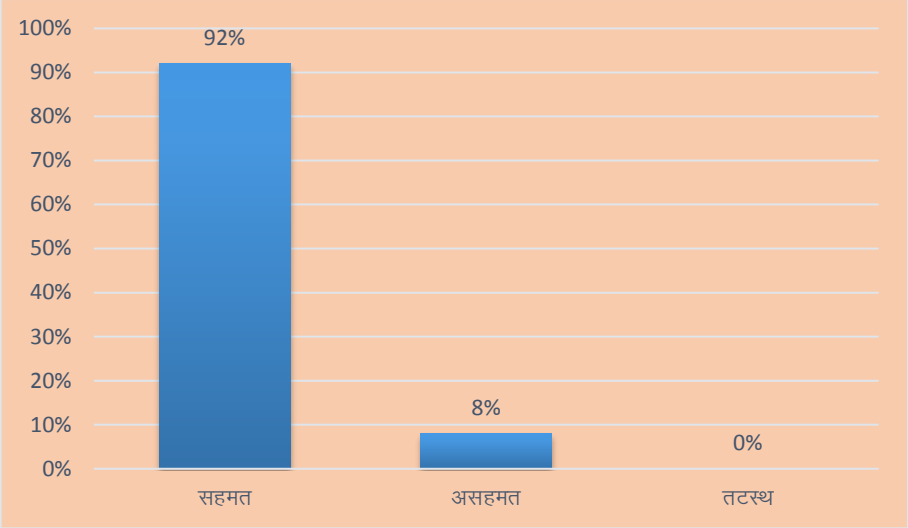

- शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 12 से प्राप्त आंकड़े यह बताते हैं कि 92% अधिकारियों ने स्वीकार किया कि सरकार को समावेशी शिक्षा को बढावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना चाहिए जबकि 8% अधिकारी इससे सहमत नहीं हैं।

प्रश्न - 13 विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को इन नीतियों का लाभ पूर्णतया मिल रहा है।

रेखाचित्र-4.13

विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को प्राप्त नीतियों लाभ के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

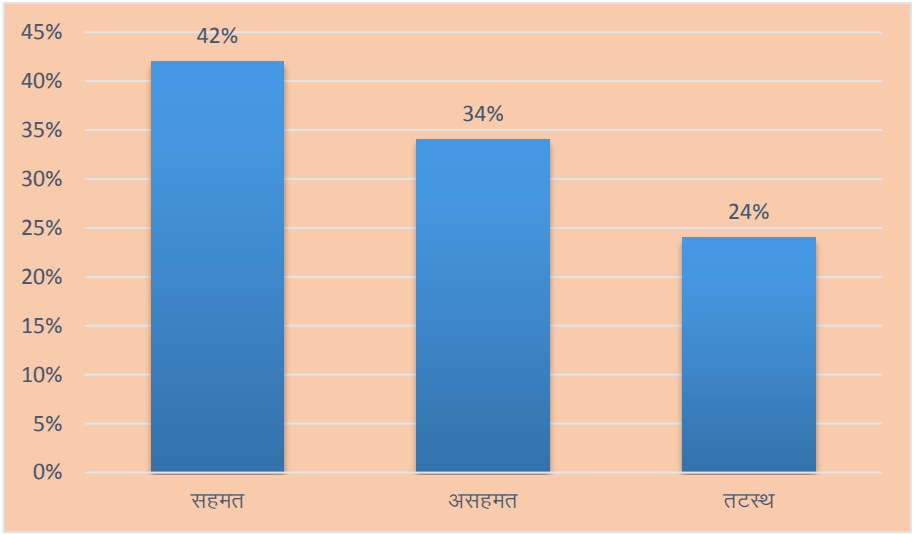

- शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 13 से प्राप्त आंकड़े यह बताते हैं कि 42% अधिकारियों ने स्वीकार किया कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को इन नीतियों का लाभ पूर्णतया मिल रहा है जबकि 34% अधिकारी मानते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी इससे पूर्णतया लाभान्वित नहीं हो रहे हैं तथा 24% अधिकारियों ने इस पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

प्रश्न - 14 समावेशी शिक्षा के लिए सरकार को ओर अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

रेखाचित्र-4.14

समावेशी शिक्षा के लिए सरकार को ओर अधिक प्रयास करने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

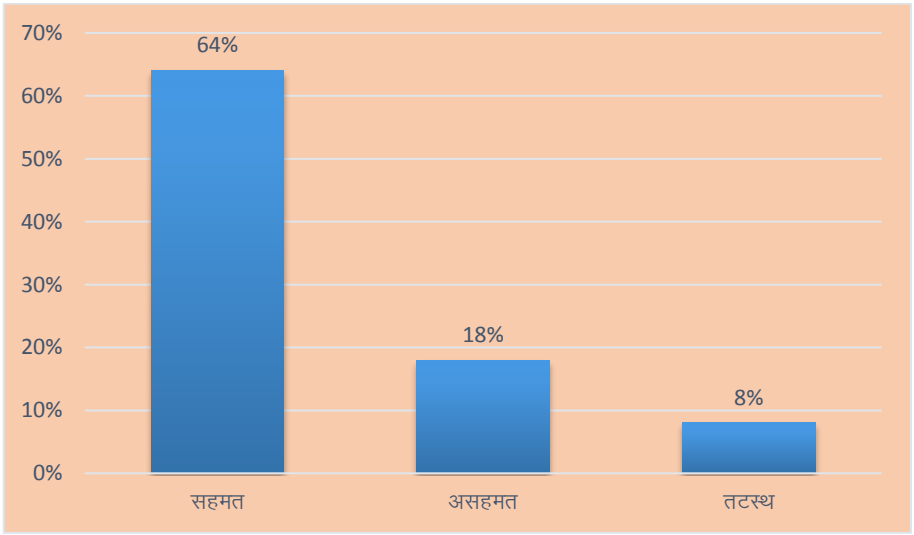

- शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 14 से प्राप्त आंकड़े यह बताते हैं कि 64% अधिकारियों ने स्वीकार किया कि

समावेशी शिक्षा के लिए सरकार और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है जबकि 18% अधिकारी इससे सहमत नहीं हैं तथा 8% अधिकारियों ने इस पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

प्रश्न - 15 समावेशी शिक्षा को लागू करने में सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में धन राशि प्रदान की जाती है।

रेखाचित्र-4.15

सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में धन राशि प्रदान करने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

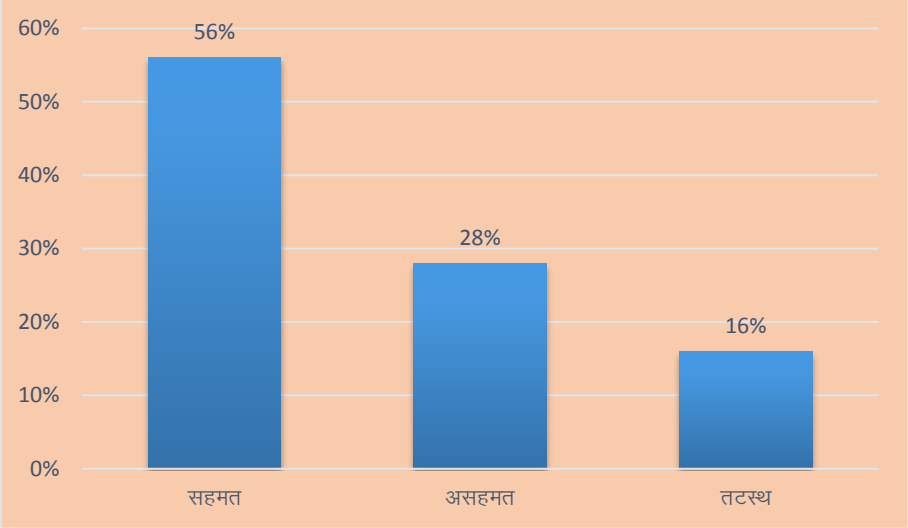

- शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 15 से प्राप्त आंकड़े यह बताते हैं कि 56% अधिकारियों ने स्वीकार किया कि समावेशी शिक्षा को लागू करने में सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में धन राशि प्रदान की जाती है जबकि 28% अधिकारी इससे सहमत नहीं हैं तथा 16% अधिकारियों ने इस पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

अध्यापकों से संबंधित समस्याएं

प्रश्न- 1 आपको समावेशी शिक्षा के लिए बनाई गई सभी नीतियों की जानकारी है।

रेखाचित्र-4.16

सभी नीतियों की जानकारी के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

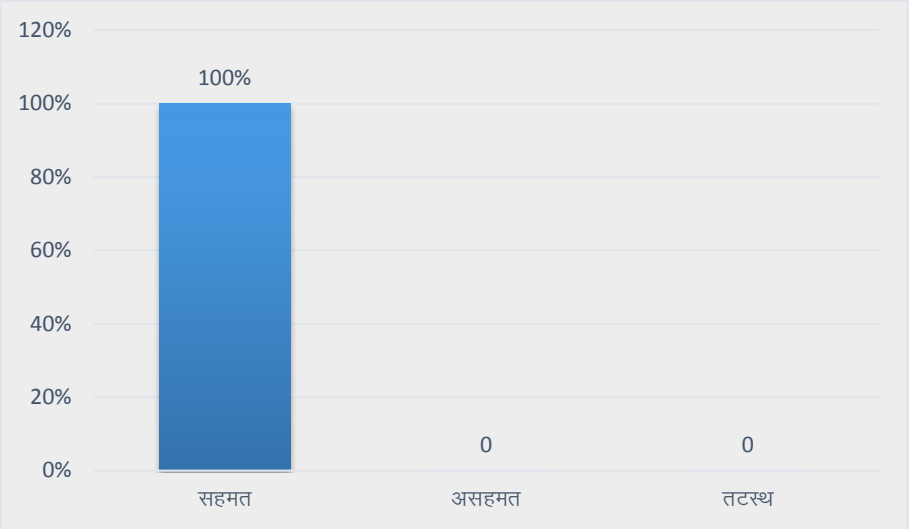

- अध्यापकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 1 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 100% अध्यापकों ने स्वीकार किया कि उनकों समावेशी शिक्षा के लिए बनाई गई सभी नीतियों की जानकारी है।

प्रश्न- 2 समावेशी शिक्षा की नीतियों का विद्यालय में प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है।

रेखाचित्र-4.17

नीतियों के विद्यालय में प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

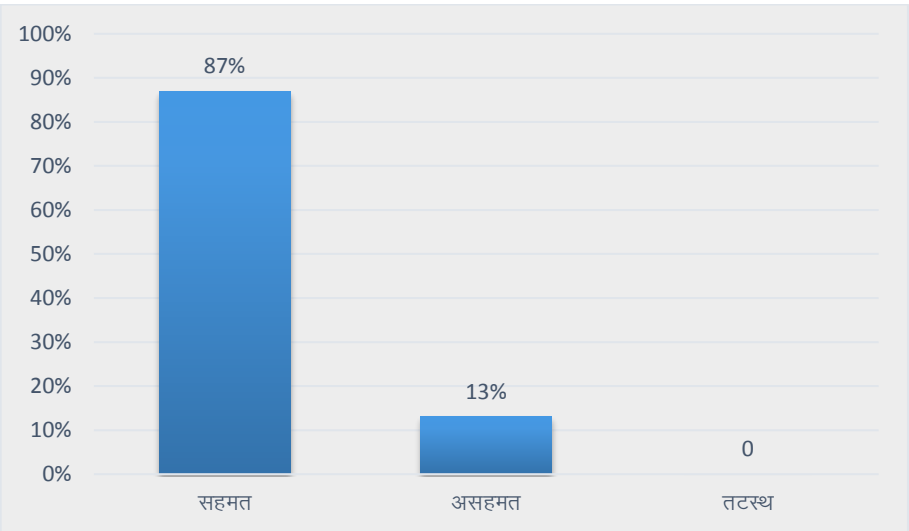

- अध्यापकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 2 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 87% अध्यापकों ने स्वीकार किया कि समावेशी शिक्षा की नीतियों का विद्यालय में प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है जबकि 13% अध्यापक इससे असहमत हैं।

प्रश्न- 3 समावेशी शिक्षा विद्यार्थियों के विकास में सहायक है।

रेखाचित्र-4.18

समावेशी शिक्षा विद्यार्थियों के विकास में सहायक होने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

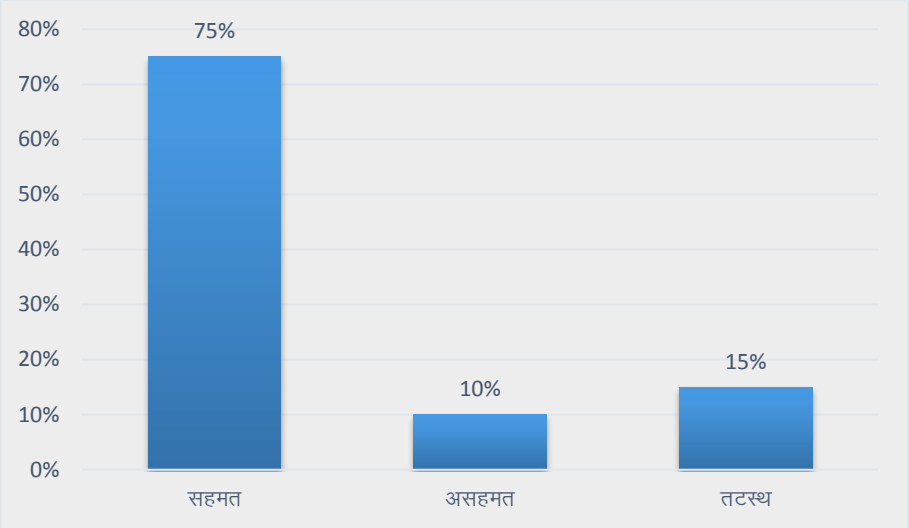

- अध्यापकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 3 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 75% अध्यापकों ने इस बात पर स्वीकृति दी कि समावेशी शिक्षा विद्यार्थियों के विकास में सहायक है जबकि 10% अध्यापक इससे असहमत हैं तथा 15% अध्यापक इस पर तटस्थ थे।

प्रश्न- 4 विद्यालय प्रबन्धन समिति समावेशी शिक्षा को बढावा देने में सहायता करती है।

रेखाचित्र-4.19

विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा समावेशी शिक्षा को बढावा देने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

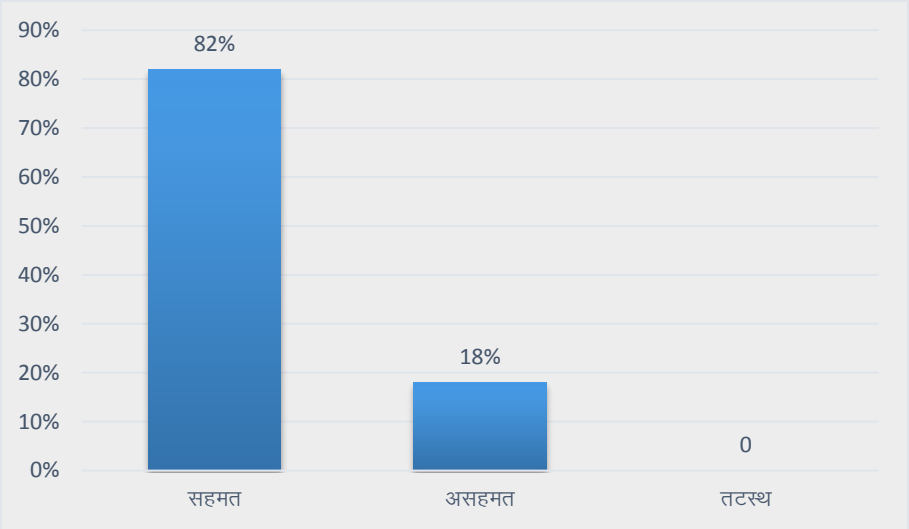

- अध्यापकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 4 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 82% अध्यापकों का यह मानना है कि विद्यालय प्रबन्धन समिति समावेशी शिक्षा को बढावा देने में सहायता करती है जबकि 18% अध्यापक इससे असहमत हैं।

प्रश्न- 5 समावेशी शिक्षा के लिए बनायी गयी नीतियां दिव्यांग विद्यार्थियों के विद्यालय में समायोजन में सहायक है।

रेखाचित्र-4.20

नीतियों के दिव्यांग विद्यार्थियों के विद्यालय में समायोजन में सहायक होने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

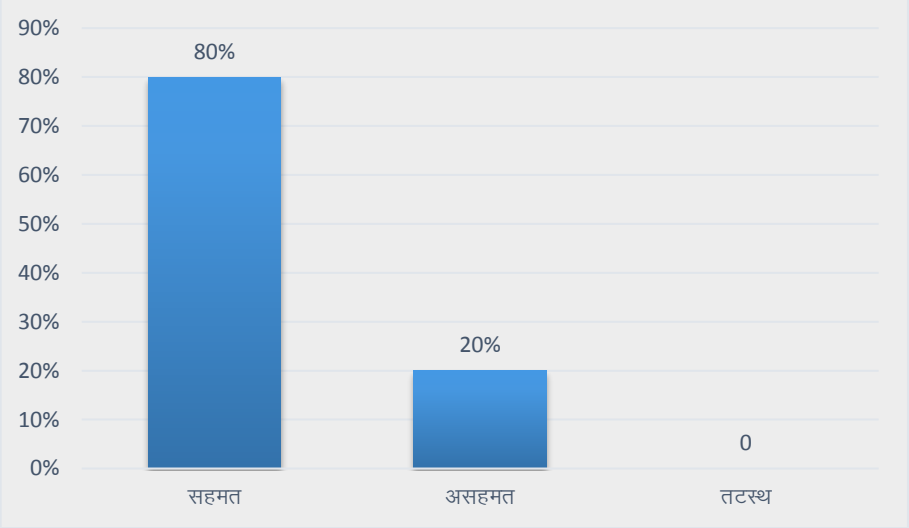

- अध्यापकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 5 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 80% अध्यापकों के अनुसार समावेशी शिक्षा के लिए बनायी

गयी नीतियां दिव्यांग विद्यार्थियों के विद्यालय में समायोजन में सहायक है जबकि 20% अध्यापकों के अनुसार ऐसा नही हैं।

प्रश्न- 6 आप दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति सदैव संवेदनशील रहते हैं।

रेखाचित्र-4.21

दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति सदैव संवेदनशीलता के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

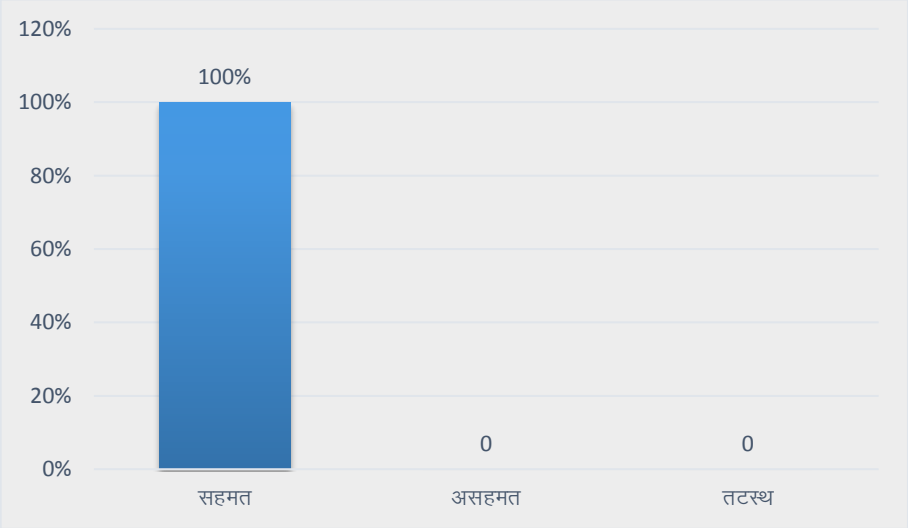

- अध्यापकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 6 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 100% अध्यापकों ने इस बात पर स्वीकृति दी वे दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति सदैव संवेदनशील रहते हैं।

प्रश्न- 7 आप दिव्यांग विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्या को समझने का प्रयास करते हैं।

रेखाचित्र-4.22

दिव्यांग विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्या को समझने के प्रयास के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

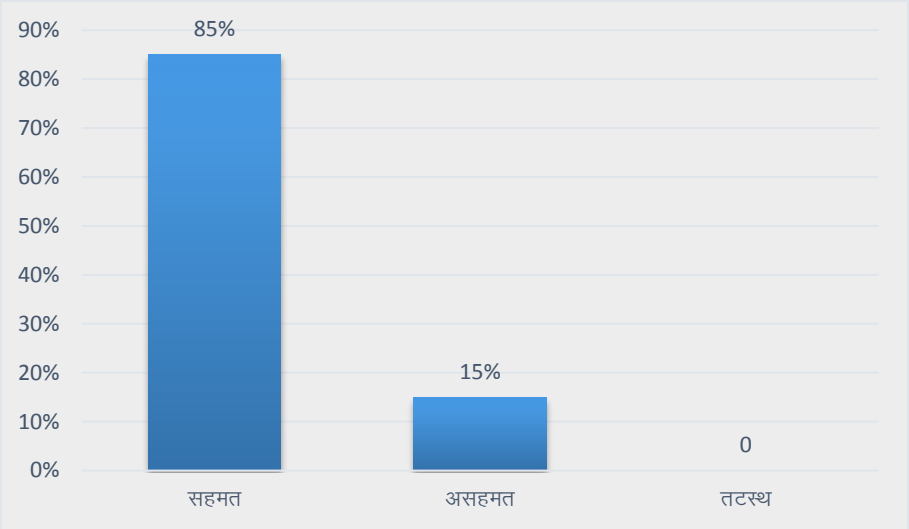

- अध्यापकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 7 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 85% अध्यापकों ने स्वीकार किया कि वे दिव्यांग विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्या को समझने का प्रयास करते हैं जबकि 15% अध्यापक इस पर तटस्थ थे।

प्रश्न- 8 आपको समावेशी वातावरण में शिक्षण कार्य करना अच्छा लगता है।

रेखाचित्र-4.23

समावेशी वातावरण में शिक्षण कार्य करने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

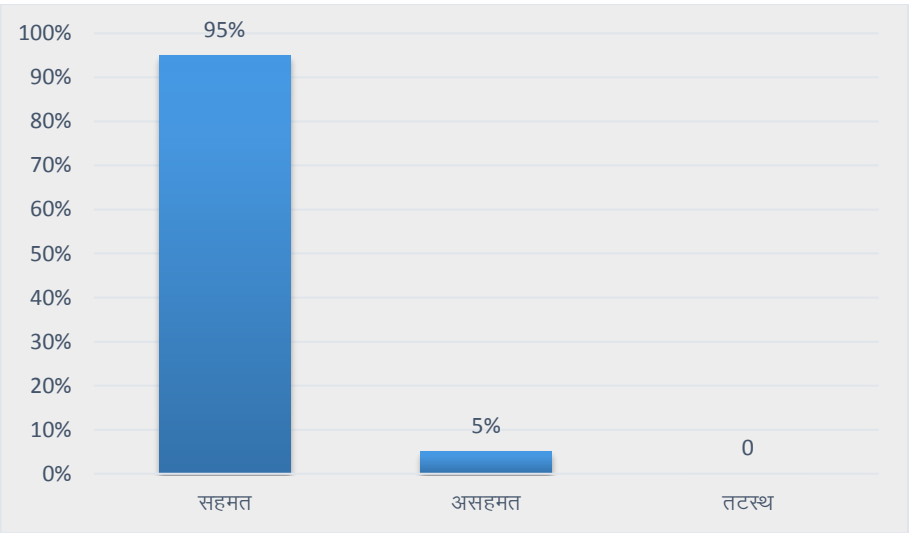

- अध्यापकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 8 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 95% अध्यापकों को समावेशी वातावरण में शिक्षण कार्य करना अच्छा लगता है। जबकि 5% अध्यापकों ने कोई राय व्यक्त नहीं की।

प्रश्न- 9 आप कक्षा में शिक्षण कार्य के दौरान विशेष उपकरणों का प्रयोग दिव्यांग बालकों के लिए करते हैं।

रेखाचित्र-4.24

कक्षा में शिक्षण कार्य के दौरान विशेष उपकरणों के प्रयोग के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

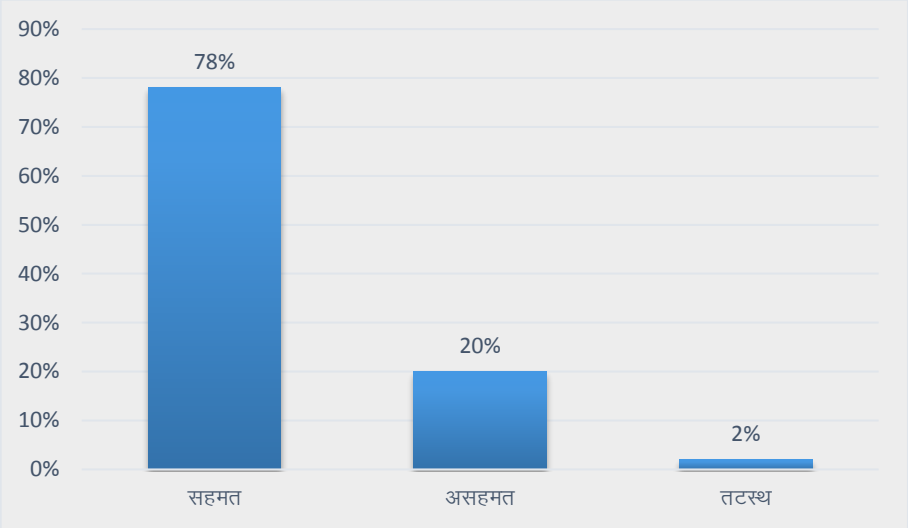

- अध्यापकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 9 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 78% अध्यापकों ने स्वीकार किया कि वे कक्षा में शिक्षण कार्य के दौरान विशेष उपकरणों का प्रयोग दिव्यांग बालकों के लिए करते हैं जबकि 20% अध्यापक इससे असहमत हैं तथा 2% अध्यापक इस पर तटस्थ थे।

प्रश्न- 10 आप समावेशी शिक्षा की अवधारणा जिसमें दिव्यांग विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ शिक्षित किया जाता है उससे सहमत है।

रेखाचित्र-4.25

समावेशी शिक्षा की अवधारणा के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

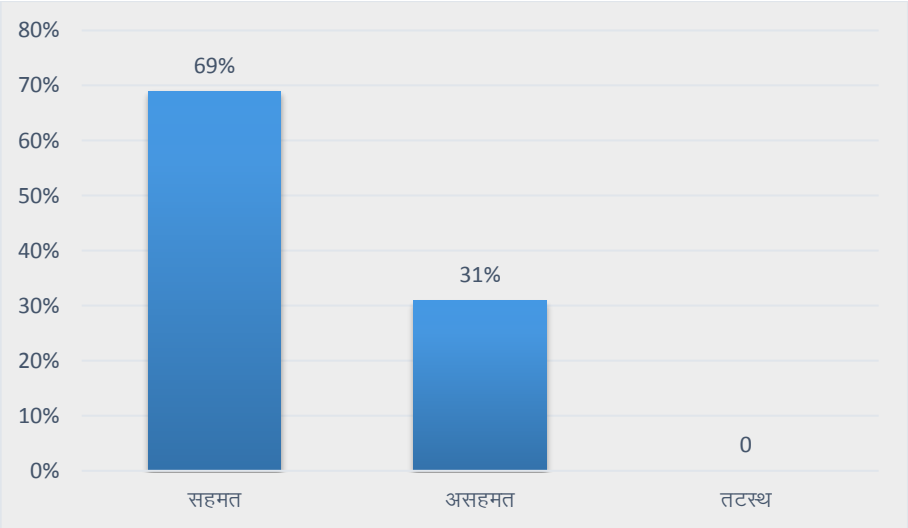

- अध्यापकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 10 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 69% अध्यापक समावेशी शिक्षा की अवधारणा से सहमत हैं जबकि 31% अध्यापक इससे असहमत हैं।

प्रश्न- 11 विद्यालय द्वारा दिव्यांग बालकों की पहचान और उनका एकीकरण करने के लिए गृह आधारित सर्वेक्षण किया जाता है।

रेखाचित्र-4.26

दिव्यांग बालकों की पहचान और एकीकरण के लिए गृह आधारित सर्वेक्षण के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

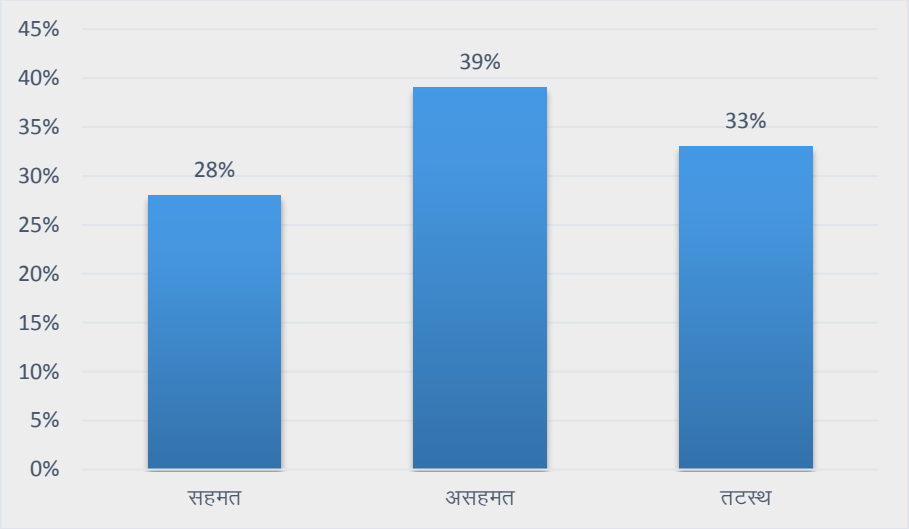

- अध्यापकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 11 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 28% अध्यापकों ने स्वीकार किया कि विद्यालय द्वारा दिव्यांग बालकों की पहचान और उनका एकीकरण करने के लिए गृह आधारित सर्वेक्षण किया जाता है जबकि 39% अध्यापकों ने माना कि ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया जाता है तथा 33% अध्यापक इस पर तटस्थ थे।

प्रश्न- 12 सरकार द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृति उन्हें समय पर प्राप्त होती है।

रेखाचित्र-4.27

दिव्यांग विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृति के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

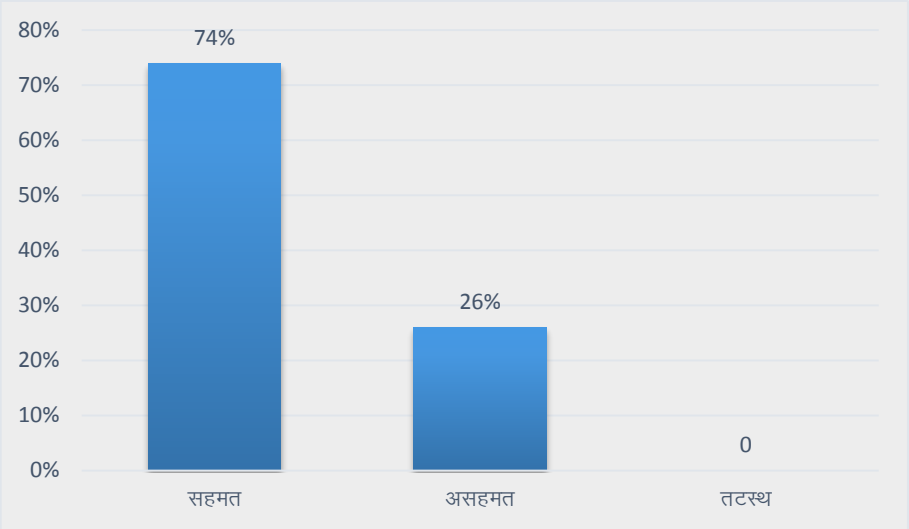

- अध्यापकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 12 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 74% अध्यापकों ने इस बात पर स्वीकृति दी कि दिव्यांग विद्यार्थियों को छात्रवृति समय पर प्राप्त होती है जबकि 26% अध्यापक इससे असहमत हैं।

प्रश्न- 13 विद्यालय में दिव्यांग बालकों के लिए आवश्यक भौतिक सुविधाएं जैसे- रेम्प, पृथक् शौचालय, खुले एवं रोशनीदार कक्षा-कक्ष, इनडोर गेम्स आदि उपलब्ध हैं।

रेखाचित्र-4.28

विद्यालय में दिव्यांग बालकों के लिए आवश्यक भौतिक सुविधाओं के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

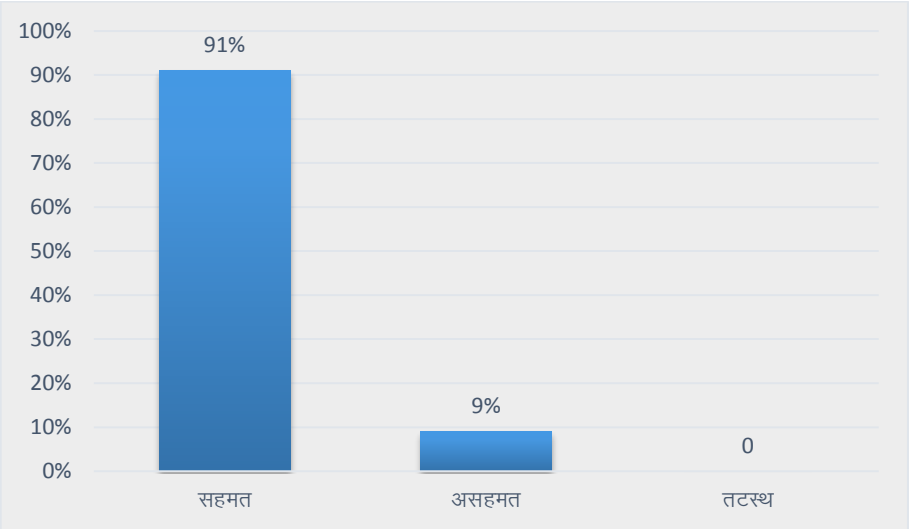

- अध्यापकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 13 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 91% अध्यापकों ने स्वीकार किया कि विद्यालय में

दिव्यांग बालकों के लिए आवश्यक भौतिक सुविधाएं जैसे-रेम्प, पृथक् शौचालय, खुले एवं रोशनीदार कक्षा-कक्ष, इनडोर गेम्स आदि उपलब्ध हैं जबकि 9% अध्यापक मानते हैं कि विद्यालय में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

प्रश्न- 14 विद्यालय में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आवश्यक शैक्षिक उपकरण जैसे- ब्रेल उपकरण, ऑडियो-विडियों उपकरण, व्हील चेयर, विशेष फर्नीचर आदि उपलब्ध हैं।

रेखाचित्र-4.29

विद्यालय में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आवश्यक शैक्षिक उपकरणों के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

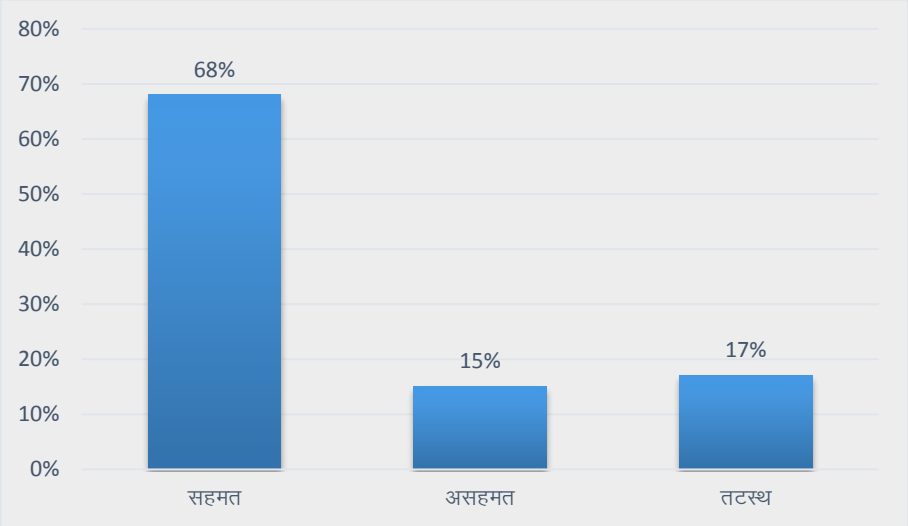

- अध्यापकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 14 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 68% अध्यापकों ने इस बात पर स्वीकृति दी कि दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आवश्यक शैक्षिक उपकरण जैसे- ब्रेल उपकरण, ऑडियो-विडियों उपकरण, व्हील चेयर, विशेष फर्नीचर आदि उपलब्ध हैं जबकि 15% अध्यापकों का मानना है कि विद्यालय में आवश्यक शैक्षिक उपकरण उपलब्ध नहीं हैं तथा 17% अध्यापक इस पर तटस्थ थे।

प्रश्न- 15 समावेशी शिक्षा के कारण दिव्यांग विद्यार्थियों में सामाजिकता की भावना का विकास होता है।

रेखाचित्र-4.30

दिव्यांग विद्यार्थियों में सामाजिकता की भावना के विकास के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

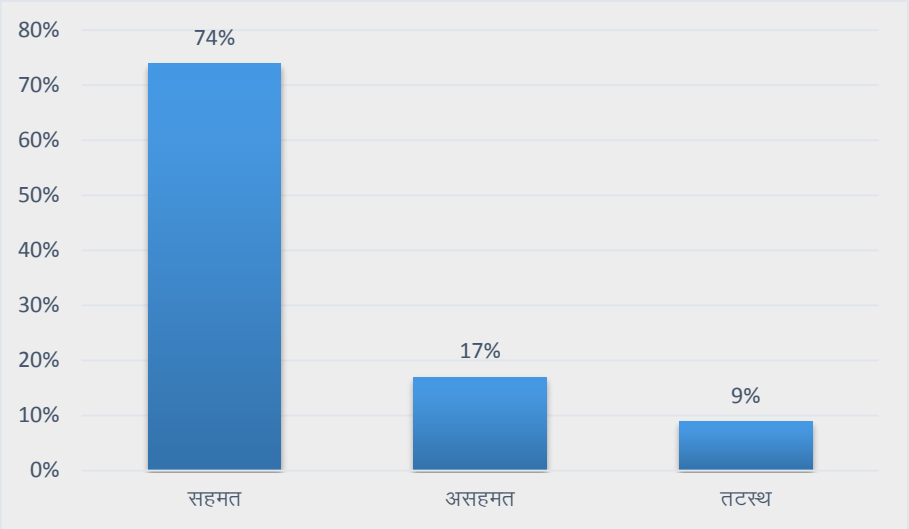

- अध्यापकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 15 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 74% अध्यापकों का मानना है कि समावेशी शिक्षा के कारण दिव्यांग विद्यार्थियों में सामाजिकता की भावना का विकास होता है जबकि 17% अध्यापक इससे असहमत हैं तथा 9% अध्यापकों ने इस पर कोई राय व्यक्त नहीं की।

प्रश्न- 16 विद्यालय में समावेशी वातावरण के निर्माण में प्रधानाध्यापक द्वारा सहयोग किया जाता है।

रेखाचित्र-4.31

प्रधानाध्यापक द्वारा सहयोग करने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

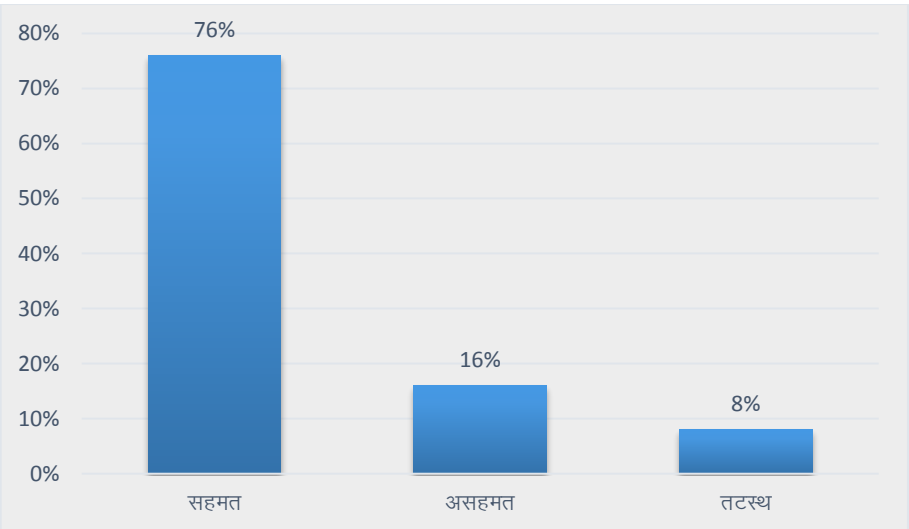

- अध्यापकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 17 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 76% अध्यापकों ने स्वीकार किया कि समावेशी वातावरण के निर्माण में प्रधानाध्यापकों द्वारा सहयोग किया जाता है जबकि

16% अध्यापक मानते हैं कि प्रधानाध्यापकों के द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं किया जाता है तथा 8% अध्यापक इस पर तटस्थ थे।

प्रश्न- 17 दिव्यांग विद्यार्थियों को विद्यालय में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

रेखाचित्र-4.32

व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

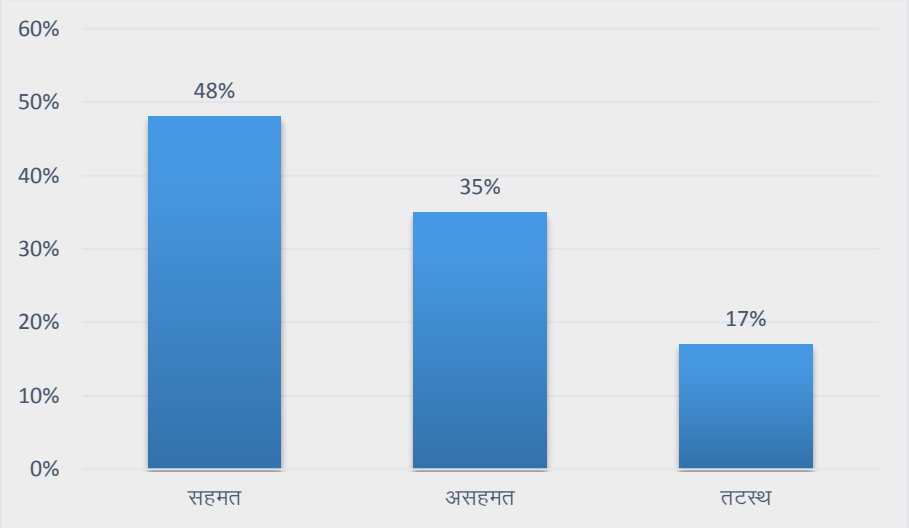

- अध्यापकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 17 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 48% अध्यापकों ने स्वीकार किया कि दिव्यांग विद्यार्थियों को विद्यालय में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जबकि 35% अध्यापक इससे असहमत हैं तथा 17% अध्यापक इस पर तटस्थ थे।

प्रश्न- 18 दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अलग पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए।

रेखाचित्र-4.33

दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अलग पाठ्यक्रम के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

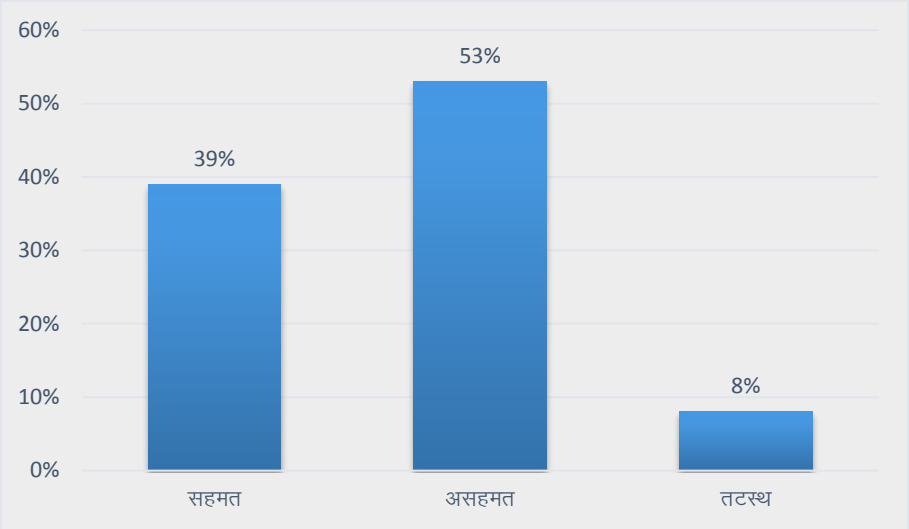

- अध्यापकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 18 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 39% अध्यापकों के अनुसार दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अलग पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए जबकि 53% अध्यापकों का मानना है कि अलग पाठ्यक्रम की कोई आवश्यकता नहीं है तथा 8% अध्यापक इस पर तटस्थ थे।

प्रश्न- 19 समावेशी शिक्षा के माध्यम से दिव्यांग विद्यार्थियों को समाज की मुख्य धारा में जोडा जा सकता है।

रेखाचित्र-4.34

समाज की मुख्य धारा में जोडने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

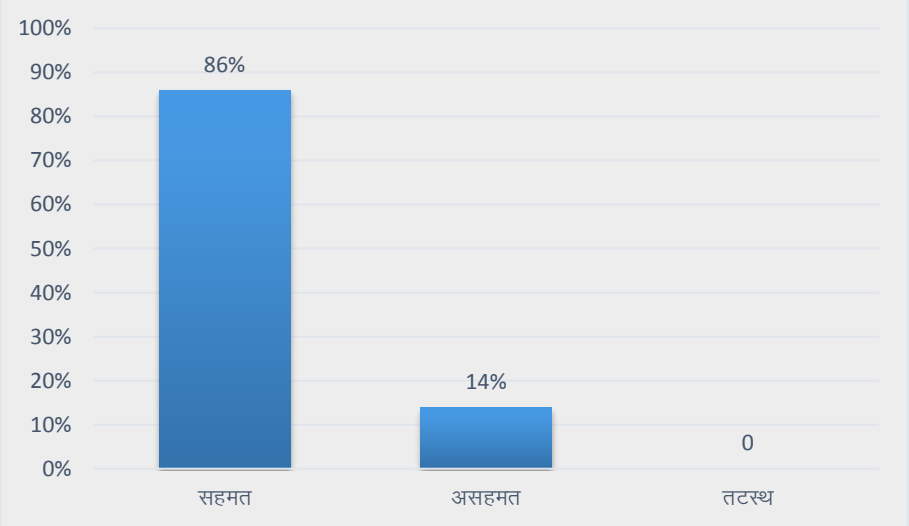

- अध्यापकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 19 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 86% अध्यापकों ने इस बात पर स्वीकृति दी कि समावेशी शिक्षा के माध्यम से दिव्यांग विद्यार्थियों को समाज की मुख्य धारा में जोडा जा सकता है जबकि 14% अध्यापक इससे सहमत नहीं हैं।

प्रश्न- 20 सभी प्रकार के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए समावेशी शिक्षा उपयुक्त है।

रेखाचित्र-4.35

सभी प्रकार के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए समावेशी शिक्षा की उपयुक्तता के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

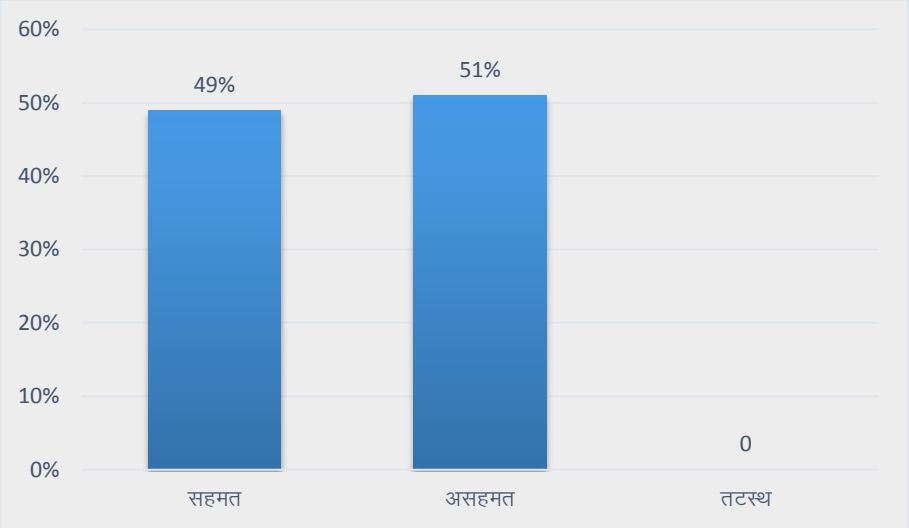

- अध्यापकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 20 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 49% अध्यापकों के सभी प्रकार के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए समावेशी शिक्षा उपयुक्त है जबकि 51% अध्यापकों के अनुसार समावेशी शिक्षा सभी प्रकार की दिव्यांगता के लिए उपयुक्त नहीं है।

प्रश्न- 21 सामान्य विद्यालयों को समावेशी विद्यालयों में परिवर्तित करना एक अच्छा विचार है।

रेखाचित्र-4.36

सामान्य विद्यालयों को समावेशी विद्यालयों में परिवर्तित करने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

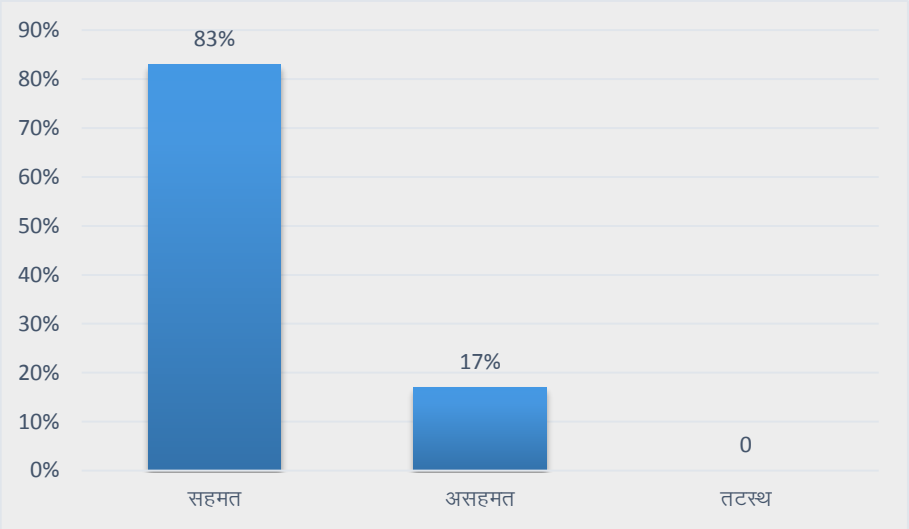

- अध्यापकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 21 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 83% अध्यापकों के अनुसार सामान्य विद्यालयों को समावेशी विद्यालयों में परिवर्तित करना एक अच्छा विचार है जबकि 17% अध्यापक इससे असहमत हैं।

प्रश्न- 22 विद्यालय में दिव्यांग विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध है।

रेखाचित्र-4.37

दिव्यांग विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

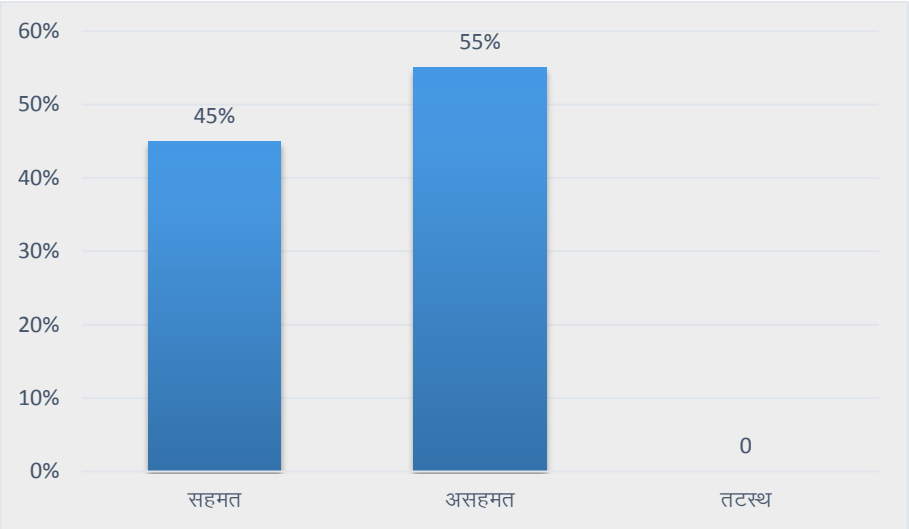

- अध्यापकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 22 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 45% अध्यापकों ने इस बात पर स्वीकृति विद्यालय में दिव्यांग विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करने की सुविधा

उपलब्ध है जबकि 55% अध्यापकों ने माना कि विद्यालय में यह सुविधा उपलब्ध नहीं हैं।

प्रश्न- 23 विद्यालय में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता है।

रेखाचित्र-4.38

चिकित्सा शिविर का आयोजन के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

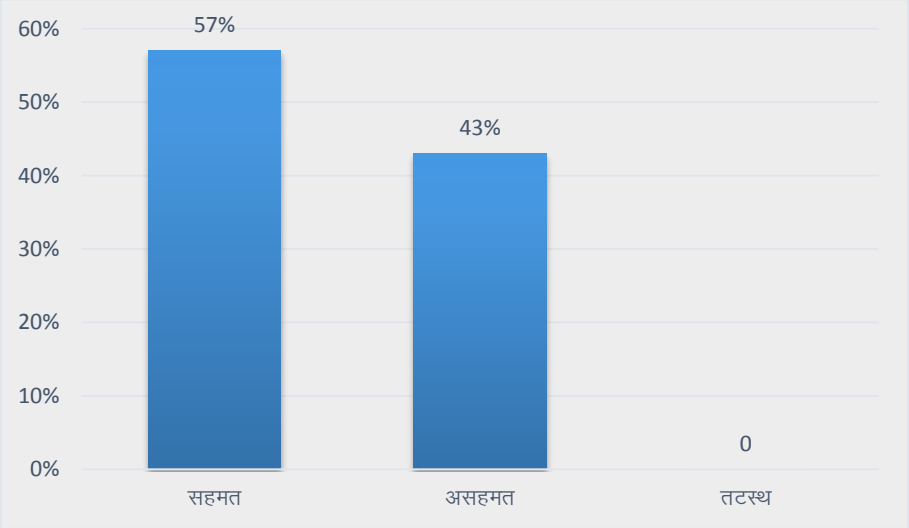

- अध्यापकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 23 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 57% अध्यापकों के अनुसार विद्यालय में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता है जबकि 43% अध्यापक इससे असहमत हैं।

प्रश्न- 24 दिव्यांग विद्यार्थियों को समावेशी शिक्षा की नीतियों का पूर्ण लाभ मिल रहा है।

रेखाचित्र-4.39

दिव्यांग विद्यार्थियों को नीतियों के पूर्ण लाभ प्राप्त होने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

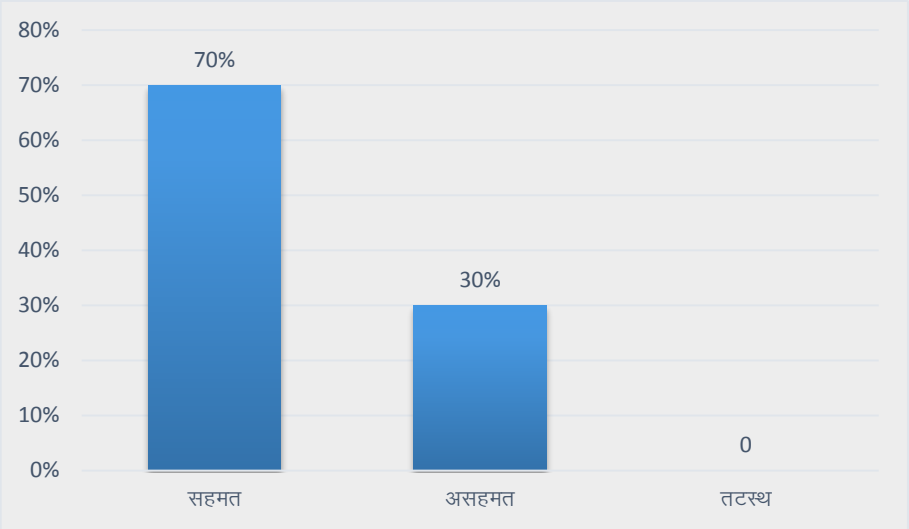

- अध्यापकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 24 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 70% अध्यापकों ने माना कि दिव्यांग विद्यार्थियों को समावेशी शिक्षा की नीतियों का पूर्ण लाभ मिल रहा है जबकि 30% अध्यापकों के अनुसार दिव्यांग विद्यार्थी अभी भी अससे लाभान्वित नहीं हो रहे हैं।

प्रश्न- 25 शैक्षिक अधिकारियों द्वारा समावेशी शिक्षा के विकास में सहयोग प्रदान किया जाता है।

रेखाचित्र-4.40

शैक्षिक अधिकारियों द्वारा समावेशी शिक्षा के विकास में सहयोग प्रदान करने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

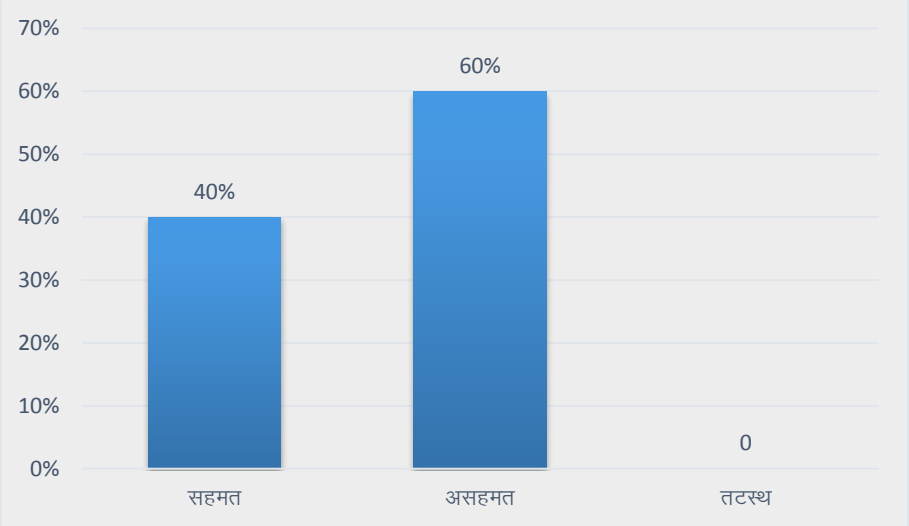

- अध्यापकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 25 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 40% अध्यापकों ने इस बात पर स्वीकृति दी कि शैक्षिक अधिकारियों द्वारा समावेशी शिक्षा के विकास में सहयोग प्रदान किया जाता है जबकि 60% अध्यापक इससे असहमत हैं।

प्रश्न- 26 आपके अनुसार समावेशी शिक्षा दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा एवं समाजीकरण के लिए आवश्यक है।

रेखाचित्र-4.41

समावेशी शिक्षा समाजीकरण के लिए आवश्यक होने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

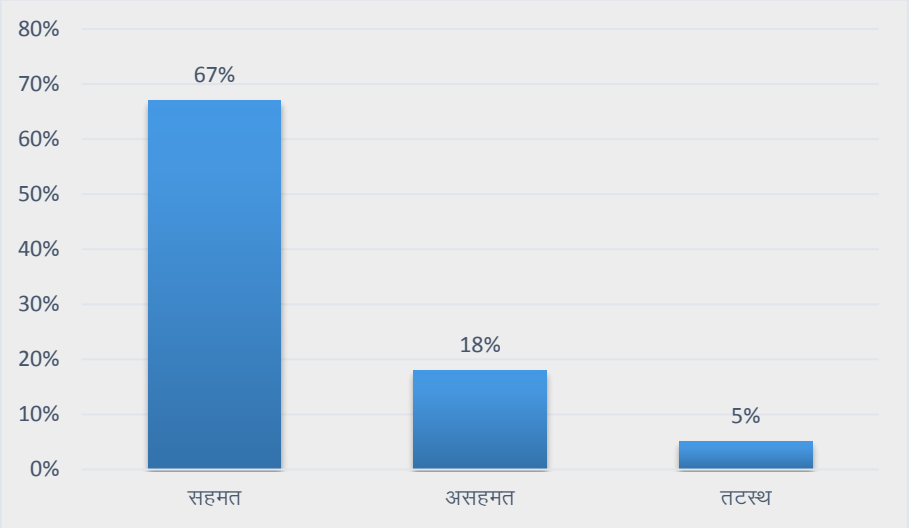

- अध्यापकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 26 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 67% अध्यापकों के अनुसार समावेशी शिक्षा दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा एवं समाजीकरण के लिए आवश्यक हैं जबकि 18% अध्यापक इससे असहमत हैं तथा 5% अध्यापक इस पर तटस्थ थे।

प्रश्न- 27 विद्यालय में विशिष्ट शिक्षिकों की नियुक्ति की गयी है।

रेखाचित्र-4.42

विशिष्ट शिक्षिकों की नियुक्ति के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

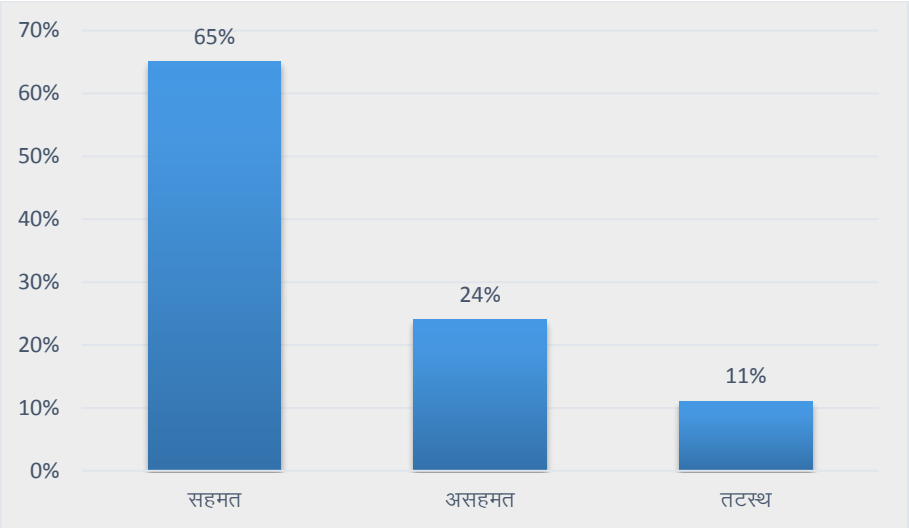

- अध्यापकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 27 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 65% अध्यापकों ने इस बात पर स्वीकृति दी कि विद्यालय में विशिष्ट शिक्षिकों की नियुक्ति की गयी है जबकि 24% अध्यापकों ने माना कि विशिष्ट शिक्षकों का अभाव है तथा 11% अध्यापकों ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की।

प्रश्न- 28 विद्यालय द्वारा समय-समय पर अभिभावकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।

रेखाचित्र-4.43

अभिभावकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

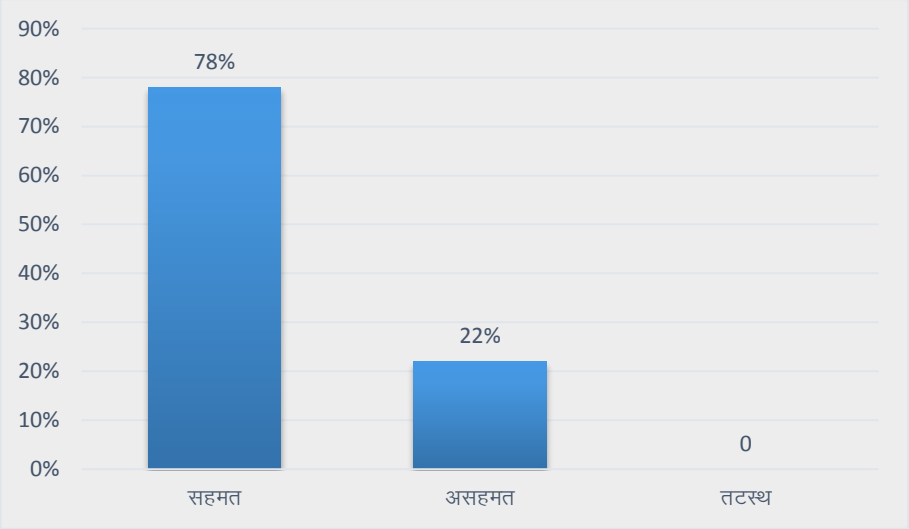

- अध्यापकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 28 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 78% अध्यापकों के अनुसार विद्यालय द्वारा समय-समय पर अभिभावकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जबकि 22% अध्यापक इससे असहमत हैं।

प्रश्न- 29 विद्यालय द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवायी जाती है।

रेखाचित्र-4.44

निःशुल्क पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

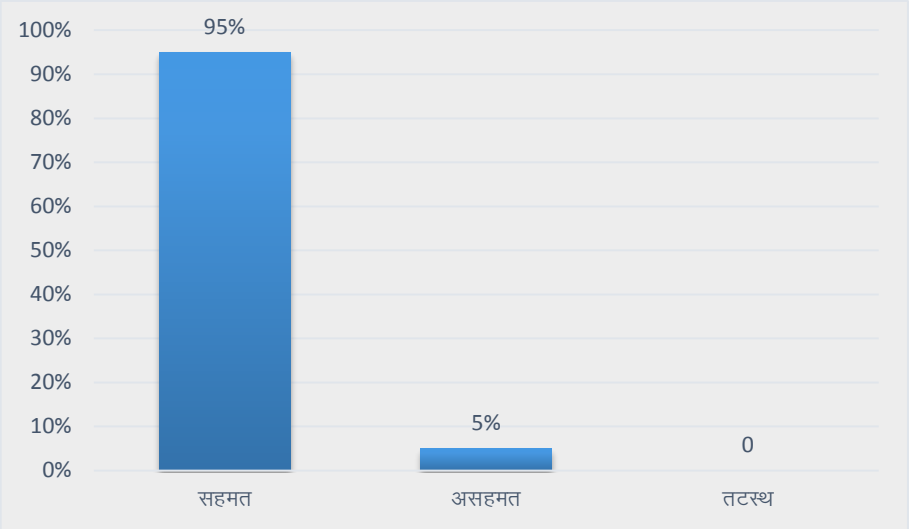

- अध्यापकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 29 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 95% अध्यापकों ने इस बात पर स्वीकृति दी कि विद्यालय द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवायी जाती है जबकि 5% अध्यापक इससे असहमत हैं।

प्रश्न- 30 समावेशी शिक्षा की नीतियों को करने के लिए सरकार द्वारा समय पर वितीय सहायता प्रदान की जाती है।

रेखाचित्र-4.45

सरकार द्वारा वितीय सहायता प्रदान करने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

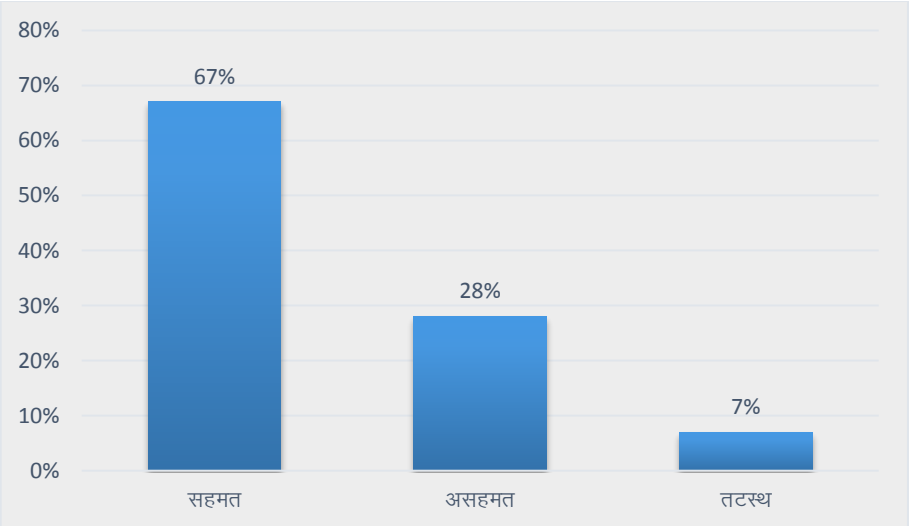

- अध्यापकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 30 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 65% अध्यापकों ने स्वीकार किया कि समावेशी शिक्षा की नीतियों को करने के लिए सरकार द्वारा समय पर वितीय सहायता

प्रदान की जाती है जबकि 28% अध्यापकों के अनुसार वितीय सहायता समय पर प्राप्त नहीं होती है तथा 7% अध्यापक इस पर तटस्थ थे।

विद्यार्थियों की समस्याएं

प्रश्न- 1 आप प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं?

रेखाचित्र-4.46

प्रतिदिन विद्यालय में उपस्थिति के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

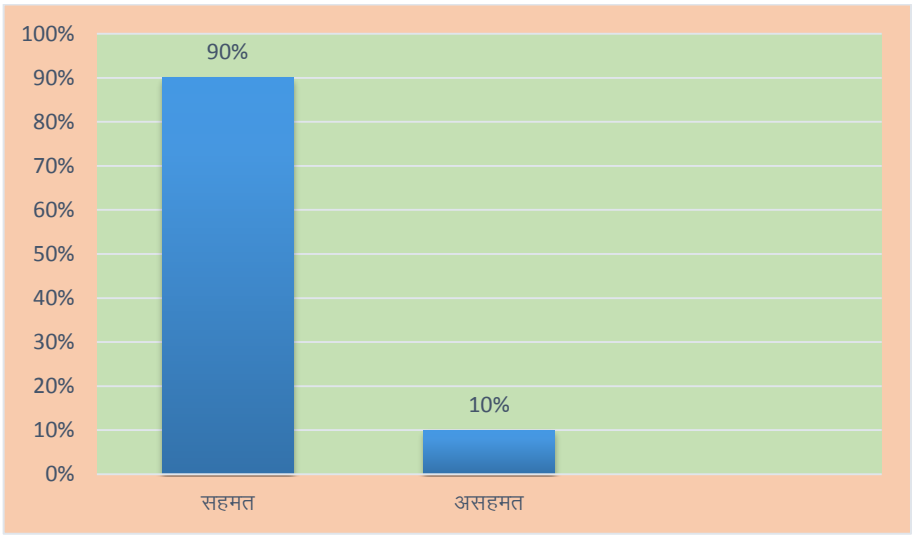

- विद्यार्थियों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 1 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 90% विद्यार्थियों ने स्वीकार किया कि वे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं जबकि 10% विद्यार्थी प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाते हैं।

प्रश्न- 2 विद्यालय में सहपाठियों एवं शिक्षकों के द्वारा आपकी पढने में सहायता की जाती है?

रेखाचित्र-4.47

सहपाठियों एवं शिक्षकों के द्वारा सहायता करने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

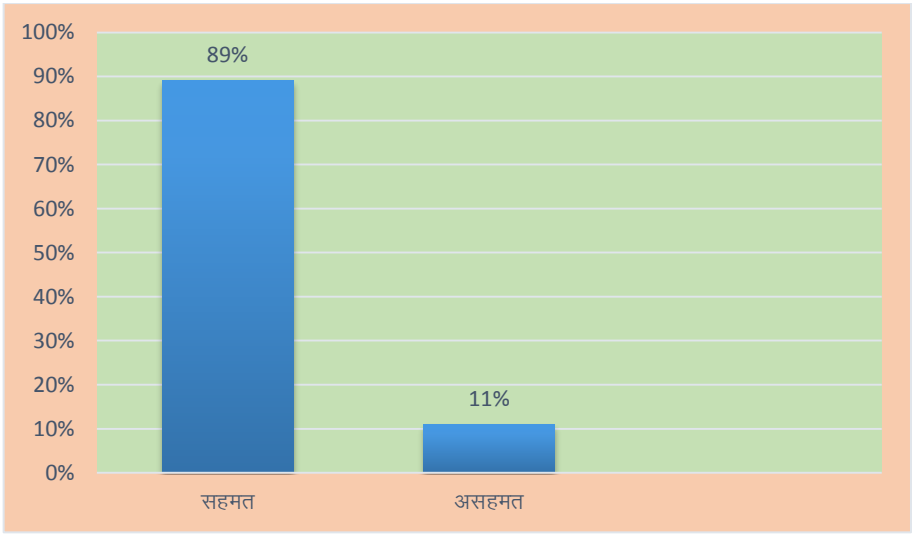

- विद्यार्थियों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 2 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 89% विद्यार्थियों ने स्वीकार किया कि विद्यालय में सहपाठियों एवं शिक्षकों के द्वारा उनकी पढने में सहायता की जाती है जबकि 11% विद्यार्थी इससे सहमत नहीं हैं।

प्रश्न- 3 आप समावेशी शिक्षा के विषय में जानते हैं?

रेखाचित्र-4.48

समावेशी शिक्षा की जानकारी के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

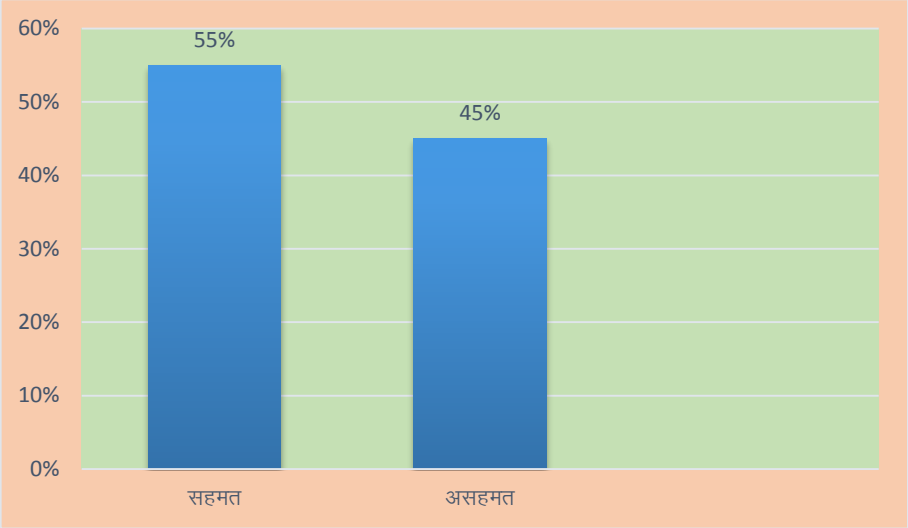

- विद्यार्थियों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 3 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 55% विद्यार्थी समावेशी शिक्षा के विषय में जानते हैं जबकि 45% विद्यार्थी समावेशी शिक्षा के विषय में नहीं जानते हैं।

प्रश्न- 4 विद्यालय में विशेष बालकों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण सामग्री उपलब्ध है?

रेखाचित्र-4.49

विशेष बालकों की आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री की उपलब्धता के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

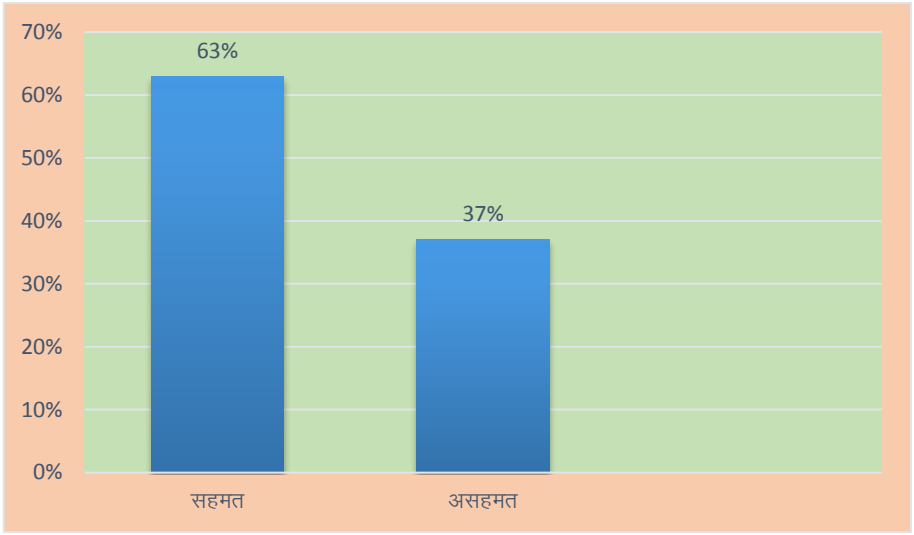

- विद्यार्थियों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 4 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 63% विद्यार्थियों ने स्वीकार किया कि विद्यालय में विशेष बालकों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण सामग्री उपलब्ध है 37% विद्यार्थी इससे सहमत नहीं हैं।

प्रश्न- 5 अध्यापकों के द्वारा कक्षा शिक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है?

रेखाचित्र-4.50

विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

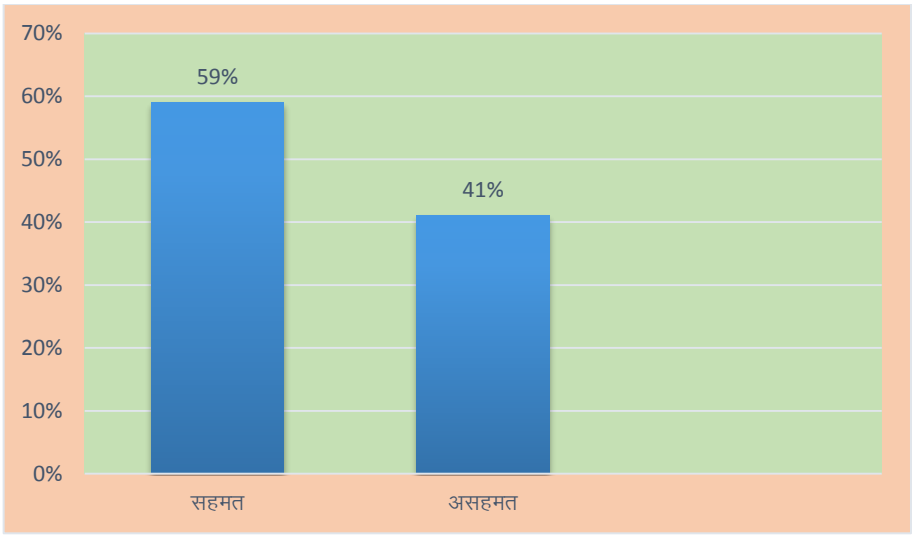

- विद्यार्थियों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 5 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 59% विद्यार्थियों ने स्वीकार किया कि अध्यापकों के द्वारा कक्षा शिक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है जबकि 41% विद्यार्थी इससे सहमत नहीं हैं।

प्रश्न- 6 विद्यालय में विशेष बालकों को आवश्यक फर्नीचर, चिकित्सा, खेल के समान आदि उपलब्ध कराया जाता है?

रेखाचित्र-4.51

विशेष बालकों को आवश्यक फर्नीचर, चिकित्सा, खेल के समान आदि की उपलब्धता के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

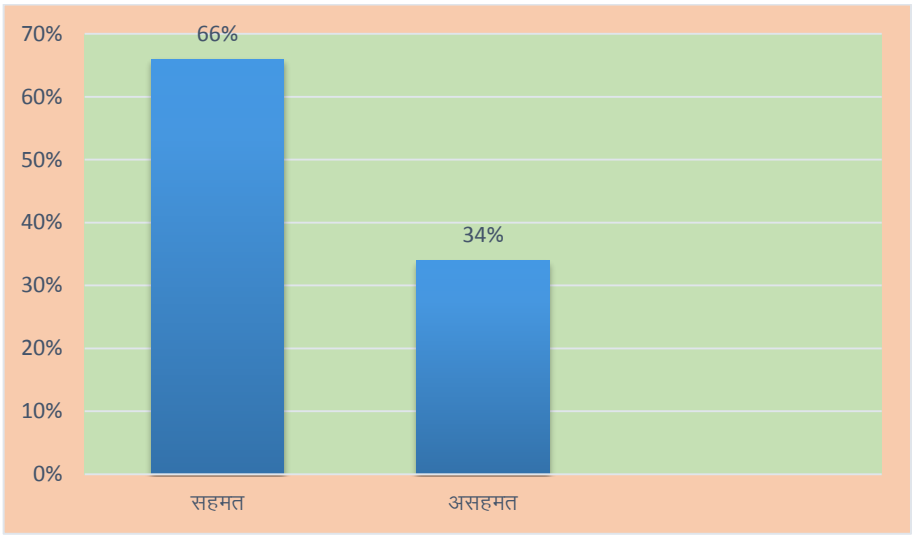

- विद्यार्थियों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 6 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 66% विद्यार्थियों का मानना है कि विद्यालय में विशेष बालकों को आवश्यक फर्नीचर, चिकित्सा, खेल के समान आदि उपलब्ध कराया जाता है जबकि 34ः विद्यार्थी इससे सहमत नहीं हैं।

प्रश्न- 7 विद्यालय में विशेष बालकों को मध्यान्ह भोजन, पुस्तकें, गणवेश, छात्रवृति एवं विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है?

रेखाचित्र-4.52

विशेष बालकों को मध्यान्ह भोजन, पुस्तकें, गणवेश, छात्रवृति एवं विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

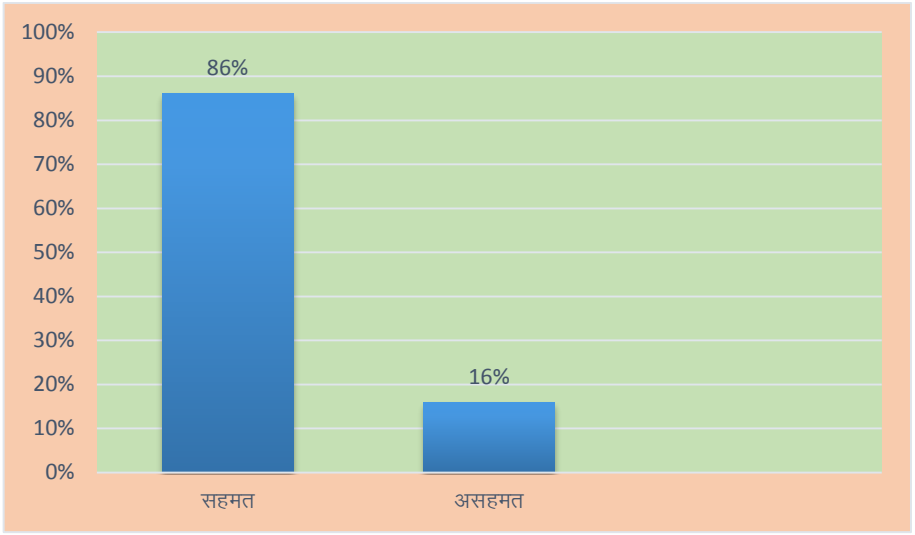

- विद्यार्थियों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 7 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 84% विद्यार्थियों ने स्वीकार किया कि विद्यालय में विशेष बालकों को मध्यान्ह भोजन, पुस्तकें, गणवेश, छात्रवृति एवं विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जबकि 16% विद्यार्थी इससे सहमत नहीं हैं।

प्रश्न- 8 विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है?

रेखाचित्र-4.53

विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

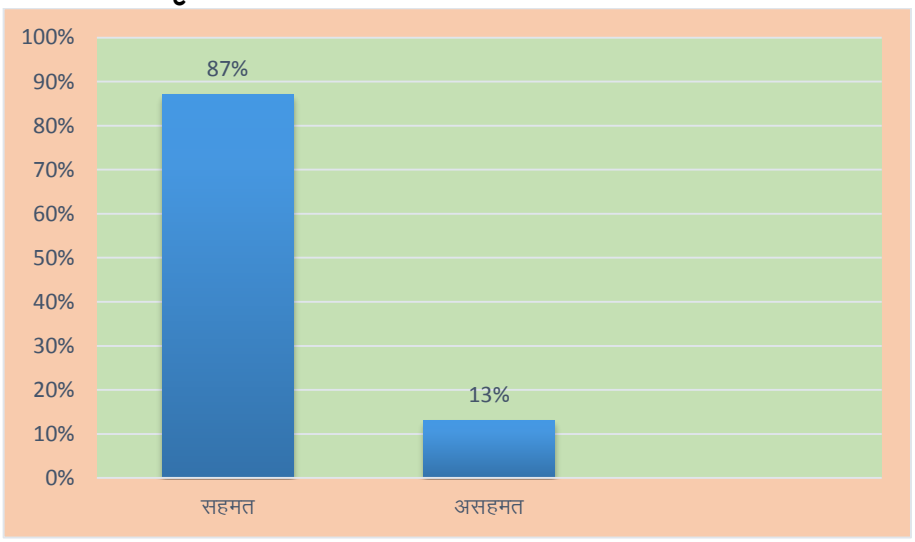

- विद्यार्थियों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 8 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 87% विद्यार्थियों के अनुसार विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जबकि 13% विद्यार्थी इससे सहमत नहीं हैं।

प्रश्न- 9 शिक्षकों के द्वारा विशेष बालकों को प्रशंसा एवं प्रोत्साहन दिया जाता है?

रेखाचित्र-4.54

शिक्षकों के द्वारा विशेष बालकों को प्रशंसा एवं प्रोत्साहन देने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

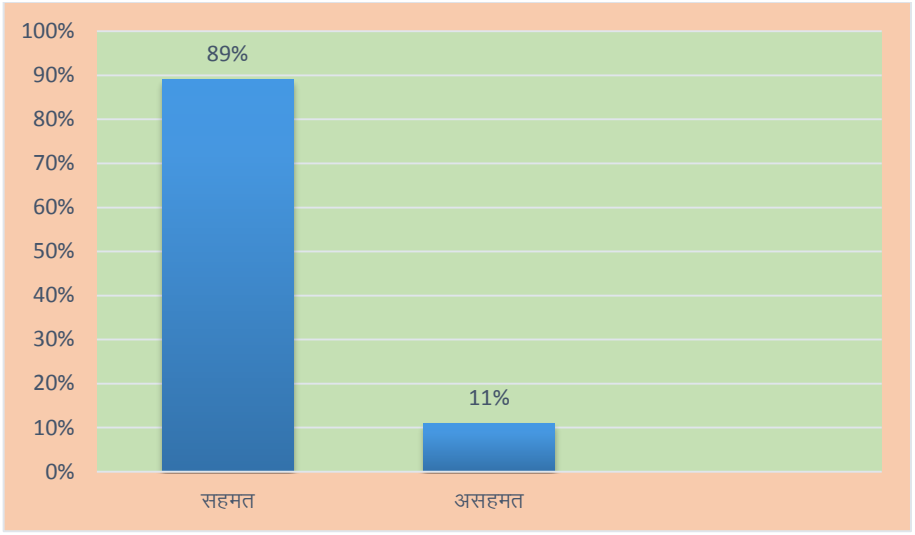

- विद्यार्थियों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 9 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 89% विद्यार्थियों के अनुसार शिक्षकों के द्वारा विशेष बालकों की प्रशंसा एवं प्रोत्साहति किया जाता है जबकि 11% विद्यार्थी इससे असहमत हैं।

प्रश्न- 10 विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा विशेष बालकों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी दी जाती है?

रेखाचित्र-4.55

शिक्षकों द्वारा योजनाओं की जानकारी देने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

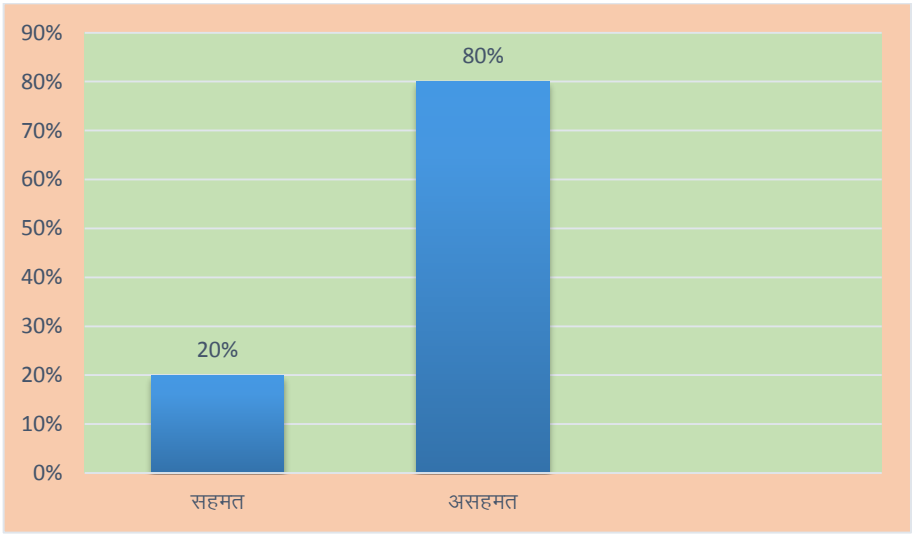

- विद्यार्थियों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 10 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 20% विद्यार्थियों ने स्वीकार किया कि उनको विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा विशेष बालकों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी दी जाती है जबकि 80% विद्यार्थियों के अनुसार उन्हें जानकारी नहीं दी जाती है।

प्रश्न- 11 विद्यालय में विशेष बालकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है?

रेखाचित्र-4.56

विशेष बालकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

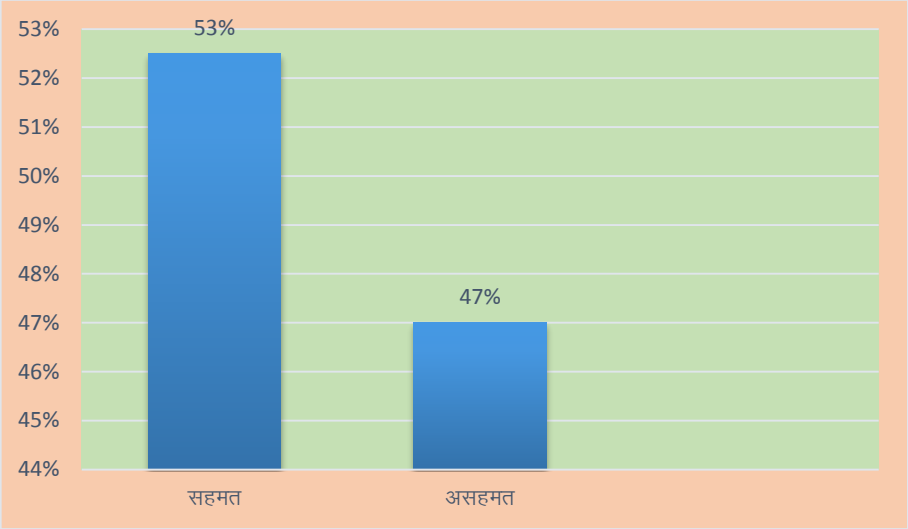

- विद्यार्थियों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 11 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 53% विद्यार्थियों का यह मानना है कि विद्यालय में विशेष बालकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है जबकि 47% विद्यार्थियों के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है।

प्रश्न- 12 विद्यालय का वातावरण विशेष बालकों के लिए उपयुक्त है?

रेखाचित्र-4.57

विद्यालय वातावरण की उपयुक्तता के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

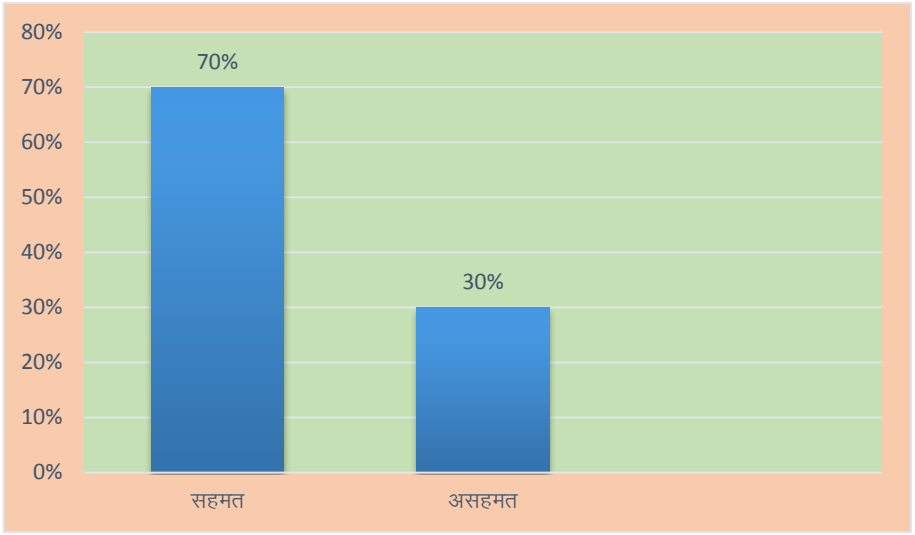

- विद्यार्थियों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 12 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 70% अध्यापकों ने स्वीकार किया कि विद्यालय का वातावरण विशेष बालकों के लिए उपयुक्त है जबकि 30% विद्यार्थी विद्यालय वातावरण को उपयुक्त नहीं मानते हैं।

प्रश्न- 13 शिक्षकों के द्वारा सभी बालकों के साथ समान व्यवहार किया जाता है?

रेखाचित्र-4.58

शिक्षकों द्वारा सभी बालकों के साथ समान व्यवहार करने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

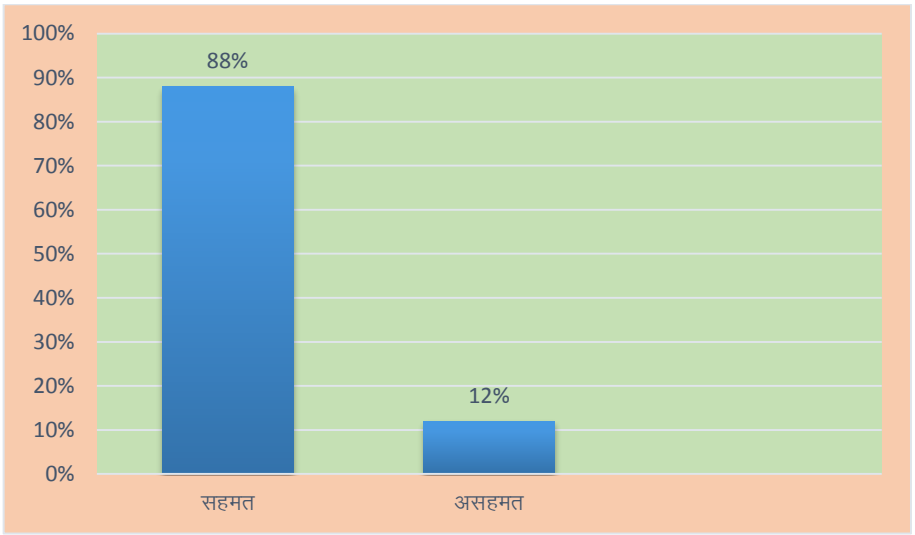

- विद्यार्थियों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 13 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 88% विद्यार्थियों ने स्वीकार किया कि शिक्षक सभी बालकों के साथ समान व्यवहार करते हैं जबकि 12% विद्यार्थी इससे असहमत हैं।

प्रश्न - 14 विद्यालय में सभी बालकों को विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के अवसर प्रदान किए जाते हैं?

रेखाचित्र-4.59

सभी बालकों को विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के अवसर प्रदान करने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

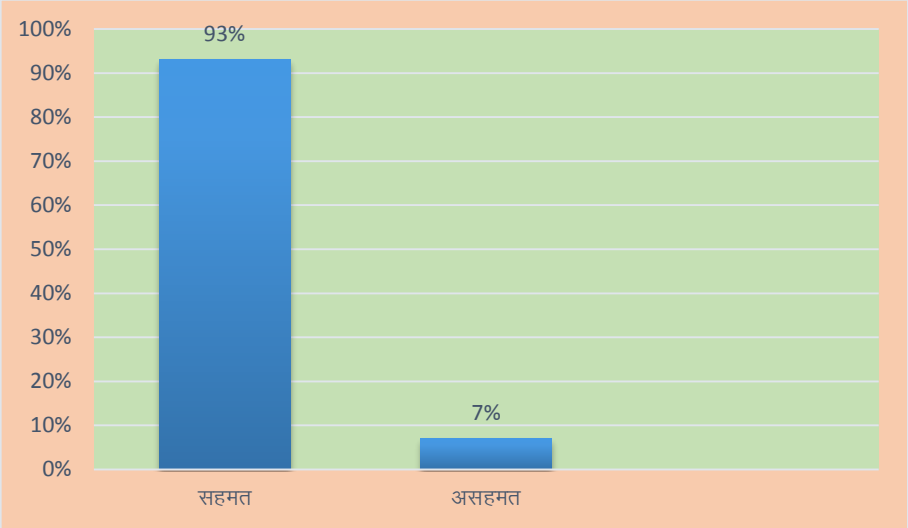

- विद्यार्थियों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 14 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 93% विद्यार्थियों के अनुसार विद्यालय में सभी बालकों को विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के अवसर प्रदान किए जाते हैं जबकि 7% विद्यार्थी इससे सहमत नहीं हैं।

प्रश्न- 15 विद्यालय में शिक्षक-अभिभावक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है?

रेखाचित्र-4.60

शिक्षक-अभिभावक सम्मेलन का आयोजन के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

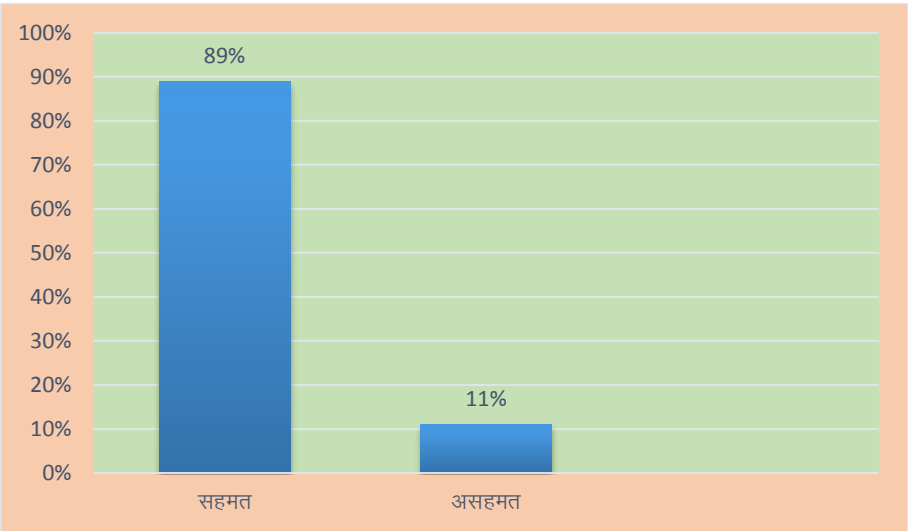

- विद्यार्थियों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 15 से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 89% विद्यार्थियों के अनुसार विद्यालय में शिक्षक-अभिभावक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है जबकि 11% विद्यार्थियों के अनुसार विद्यालय में कोई आयोजन नहीं किया जाता है।

अभिभावकों की समस्याएं

प्रश्न- 1 आप समावेशी शिक्षा के बारे में जानते हैं?

रेखाचित्र-4.61

समावेशी शिक्षा की जानकारी के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

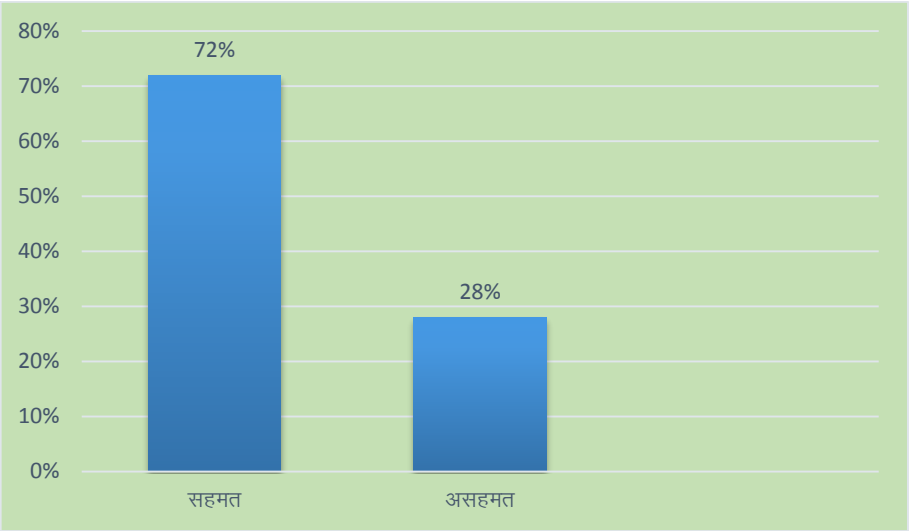

- अभिभावकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 1 से प्राप्त आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि 72% अभिभावकों ने स्वीकार किया कि वे समावेशी शिक्षा के बारे में जानते हैं जबकि 28% अभिभावक समावेशी शिक्षा के बारे में नहीं जानते हैं।

प्रश्न- 2 आपको समावेशी शिक्षा के लिए बनाई गई सभी नीतियों की जानकारी है?

रेखाचित्र-4.62

समावेशी शिक्षा की सभी नीतियों की जानकारी के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

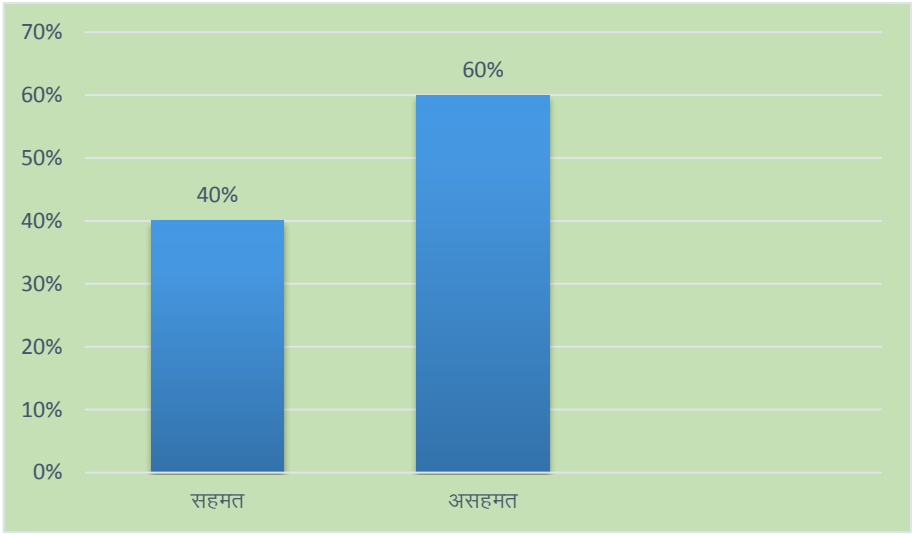

- अभिभावकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 2 से प्राप्त आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि 40% अभिभावकों को समावेशी शिक्षा के लिए बनाई गई सभी नीतियों की जानकारी है जबकि 60% अभिभावकों को सभी नीतियों की जानकारी नहीं है।

प्रश्न- 3 समावेशी शिक्षा के फलस्वरूप विशेष बालकों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है?

रेखाचित्र-4.63

समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन करने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

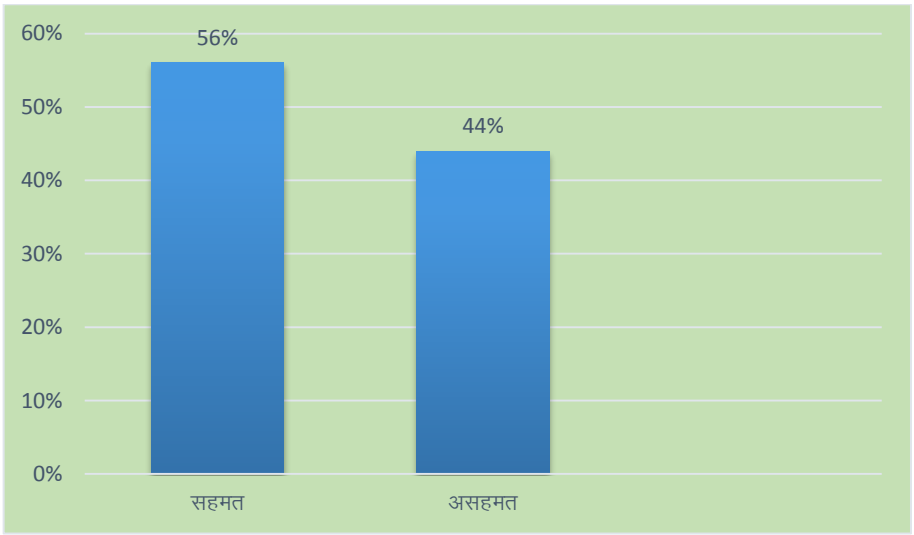

- अभिभावकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 3 से प्राप्त आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि 56% अभिभावकों ने स्वीकार किया कि समावेशी शिक्षा के फलस्वरूप विशेष बालकों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है जबकि 44% अभिभावक इससे सहमत नहीं हैं।

प्रश्न- 4 विद्यालय में समावेशी शिक्षा को ठीक प्रकार से लागू किया जा रहा है?

रेखाचित्र-4.64

समावेशी शिक्षा को ठीक प्रकार से लागू करने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

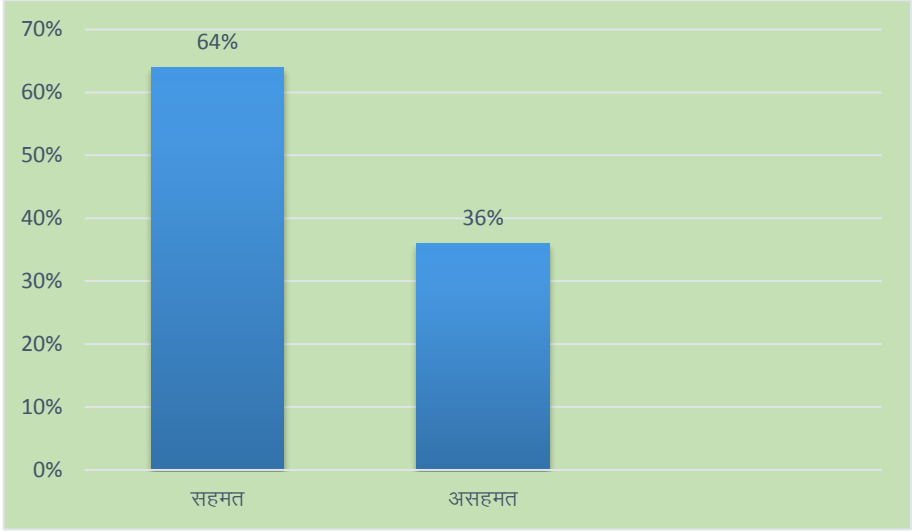

- अभिभावकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 4 से प्राप्त आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि 64% अभिभावकों का मानना है कि विद्यालय में समावेशी शिक्षा को ठीक प्रकार से लागू किया जा रहा है जबकि 36% अभिभावक इससे असहमत हैं।

प्रश्न- 5 समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन हेतु समाजसेवी संगठनों के द्वारा सहायता की जा रही है?

रेखाचित्र-4.65

समाजसेवी संगठनों के द्वारा सहायता करने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

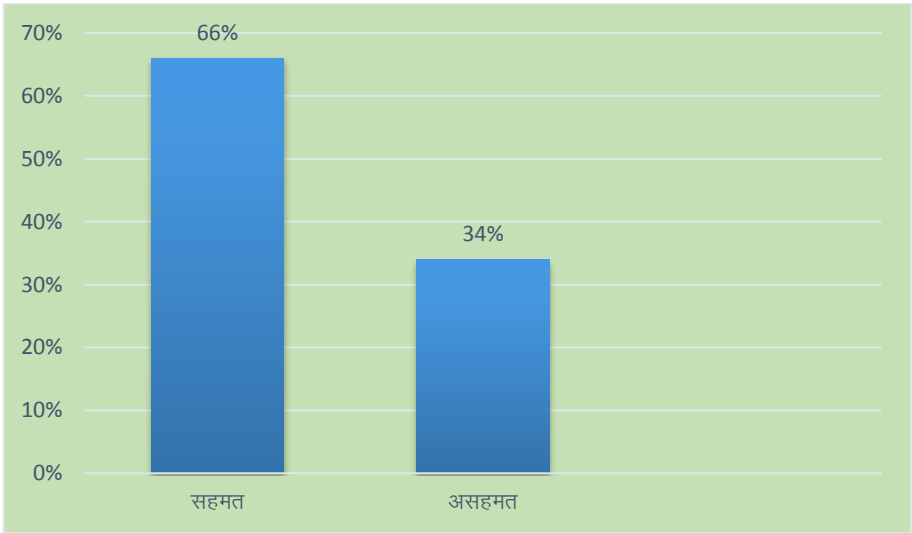

- अभिभावकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 5 से प्राप्त आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि 66% अभिभावकों मानते हैं कि समावेशी शिक्षा के

क्रियान्वयन हेतु समाजसेवी संगठन सहायता करते हैं जबकि 34% अभिभावक इससे असहमत हैं।

प्रश्न- 6 समावेशी शिक्षा की नीतियों के लागू होने से विशेष बालकों की शैक्षिक स्थिति में परिवर्तन आया है?

रेखाचित्र-4.66

विशेष बालकों की शैक्षिक स्थिति में परिवर्तन के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

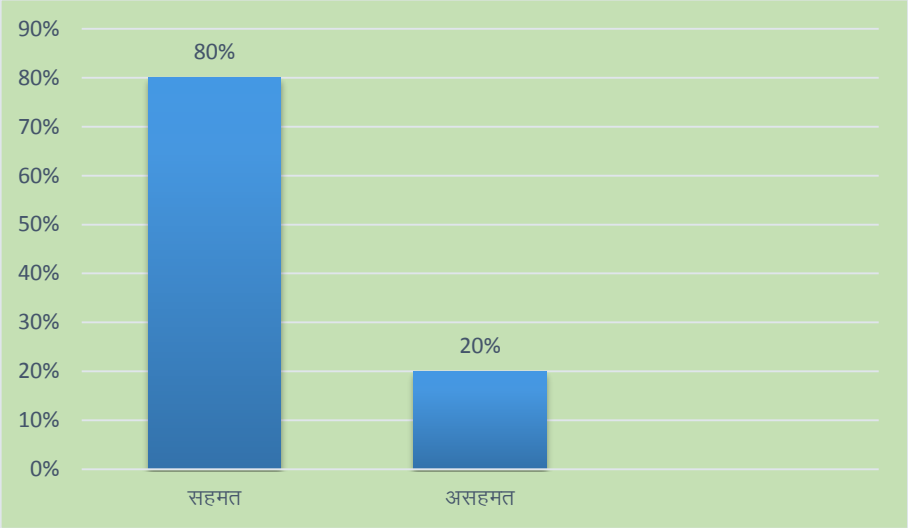

- अभिभावकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 6 से प्राप्त आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि 80% अभिभावकों के अनुसार समावेशी शिक्षा की नीतियों के लागू होने से विशेष बालकों की शैक्षिक स्थिति में परिवर्तन आया है जबकि 20% अभिभावक इससे सहमत नहीं हैं।

प्रश्न- 7 समावेशी शिक्षा के तहत विद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम से विशेष बालक लाभान्वित हो रहे हैं?

रेखाचित्र-4.67

विद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम से विशेष बालक लाभान्वित होने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

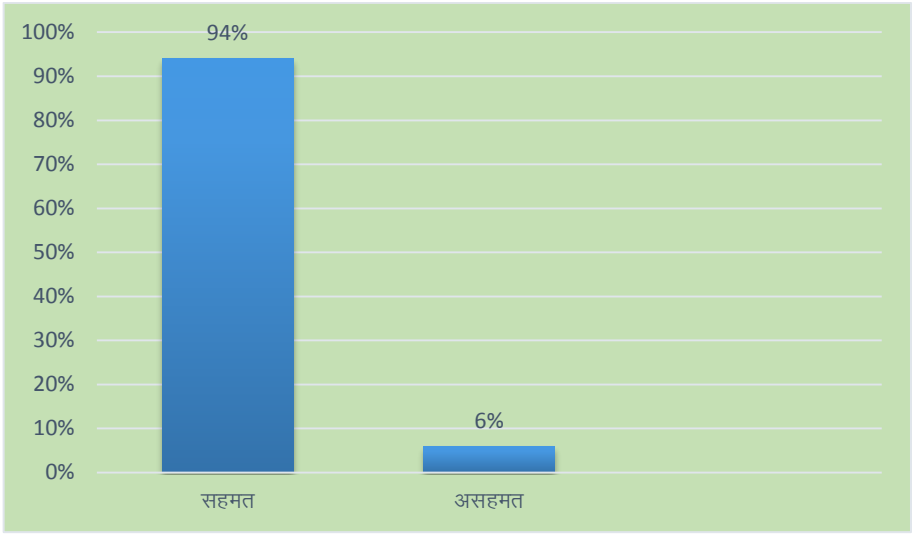

- अभिभावकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 7 से प्राप्त आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि 94% अभिभावकों ने स्वीकार किया कि समावेशी शिक्षा के तहत विद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम से विशेष बालक लाभान्वित हो रहे हैं जबकि 6% अभिभावक इस बात से सहमत नहीं हैं।

प्रश्न- 8 शिक्षकों के द्वारा विशेष बालकों के विद्यालय में समावेशन हेतु प्रयास किये जाते हैं?

रेखाचित्र-4.68

शिक्षकों के द्वारा विशेष बालकों के समावेशन हेतु प्रयास करने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

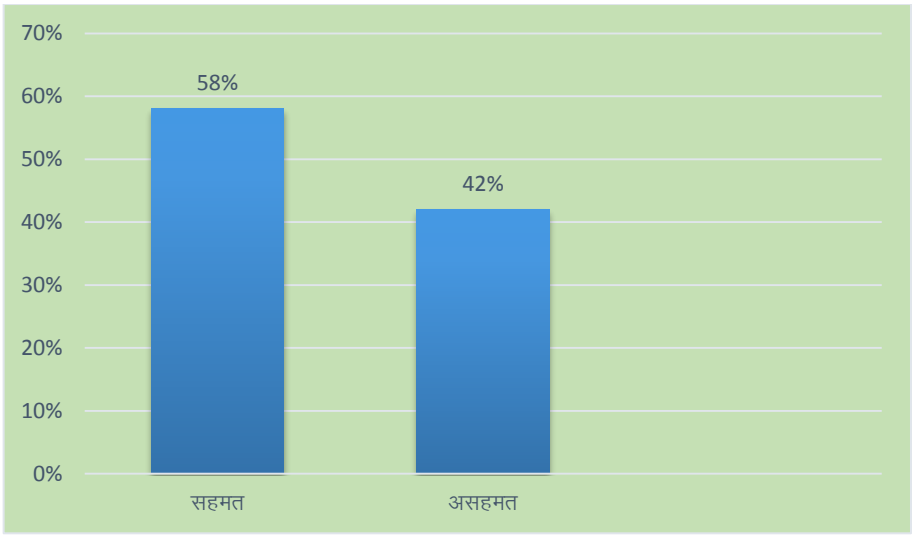

- अभिभावकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 8 से प्राप्त आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि 58% अभिभावक यह मानते हैं कि शिक्षक विशेष बालकों के विद्यालय में समावेशन हेतु प्रयास किये जाते हैं जबकि 42% अभिभावक ऐसा नहीं मानते हैं।

प्रश्न- 9 विद्यालय द्वारा समावेशी शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है?

रेखाचित्र-4.69

समावेशी शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

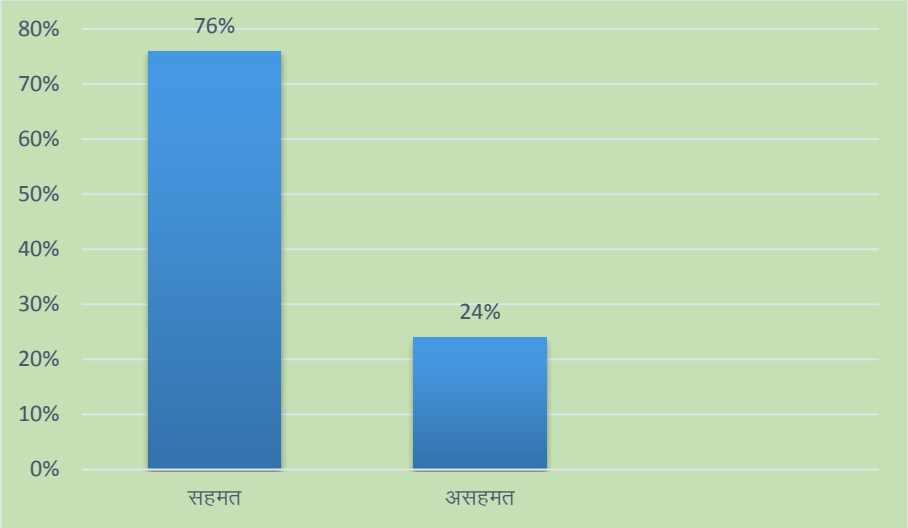

- अभिभावकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 9 से प्राप्त आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि 76% अभिभावकों ने स्वीकार किया कि विद्यालय द्वारा समावेशी शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जबकि 24% अभिभावक इससे सहमत नहीं हैं।

प्रश्न- 10 समावेशी शिक्षा, विशेष बालकों को समाज एवं शिक्षा की मुख्य धारा से जोडने का एक प्रयास है?

रेखाचित्र-4.70

समावेशी शिक्षा, विशेष बालकों को समाज एवं शिक्षा की मुख्य धारा से जोडने का एक प्रयास के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

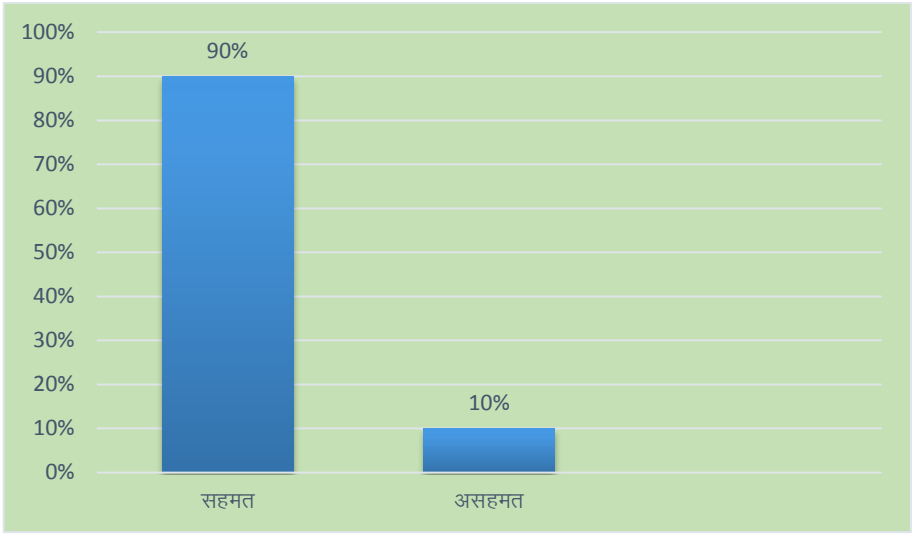

- अभिभावकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 10 से प्राप्त आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि 90% अभिभावकों का यह विचार है कि समावेशी शिक्षा, विशेष बालकों को समाज एवं शिक्षा की मुख्य धारा से जोडने का एक प्रयास है जबकि 10% अभिभावक इससे असहमत हैं।

प्रश्न- 11 विद्यालय में विशेष बालकों के लिए समय-समय पर निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है?

रेखाचित्र-4.71

निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

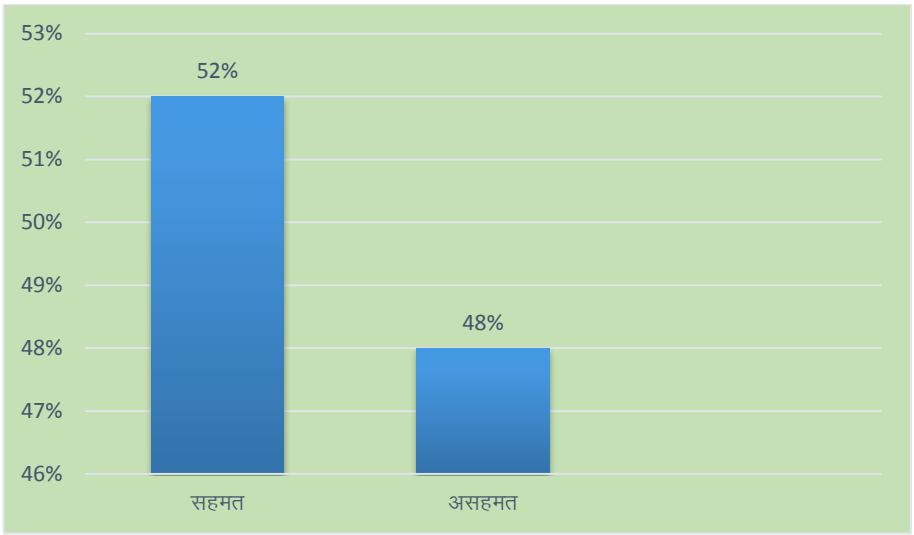

- अभिभावकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 11 से प्राप्त आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि 52% अभिभावकों के अनुसार विद्यालय में विशेष बालकों के लिए समय-समय पर निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जबकि 48% अभिभावकों के अनुसार इस कार्यक्रम का आयोजन नही होता है।

प्रश्न- 12 आप सरकार द्वारा विशेष बालकों की शिक्षा के लिए चलायी जा रही योजनाओं से संतुष्ट हैं?

रेखाचित्र-4.72

विशेष बालकों की शिक्षा के लिए चलायी जा रही योजनाओं की संतुष्टी के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

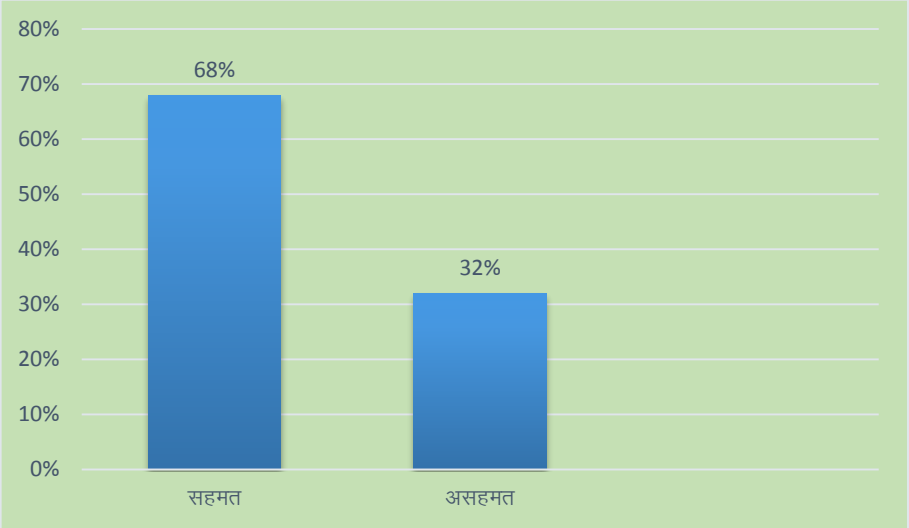

- अभिभावकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 12 से प्राप्त आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि 68% अभिभावक सरकार द्वारा विशेष बालकों की शिक्षा के लिए चलायी जा रही योजनाओं से संतुष्ट हैं जबकि 32% अभिभावक सरकार द्वारा विशेष बालकों की शिक्षा के लिए चलायी जा रही योजनाओं से संतुष्ट नहीं हैं।

प्रश्न- 13 विशेष बालकों के शैक्षिक विकास हेतु विद्यालय द्वारा छात्रवृति प्रदान की जाती है?

रेखाचित्र-4.73

शैक्षिक विकास हेतु विद्यालय द्वारा छात्रवृति प्रदान करने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

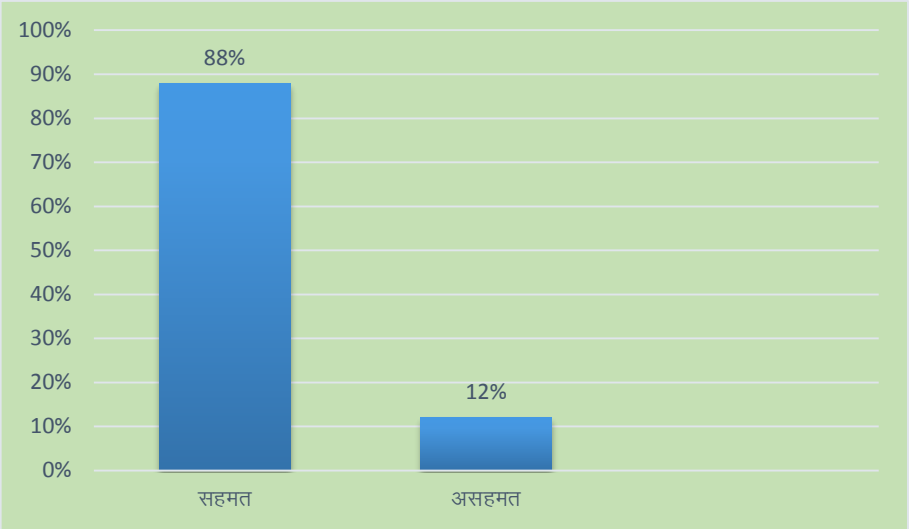

- अभिभावकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 13 से प्राप्त आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि 88% अभिभावकों ने स्वीकार किया कि विशेष बालकों के शैक्षिक विकास हेतु विद्यालय द्वारा छात्रवृति प्रदान की जाती है जबकि 12% अभिभावकों के अनुसार छात्रवृति नहीं दी जाती हैं।

प्रश्न- 14 शिक्षक विशेष बालकों के साथ उचित एवं समान व्यवहार करते हैं?

रेखाचित्र-4.74

शिक्षक विशेष बालकों के साथ उचित एवं समान व्यवहार करने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

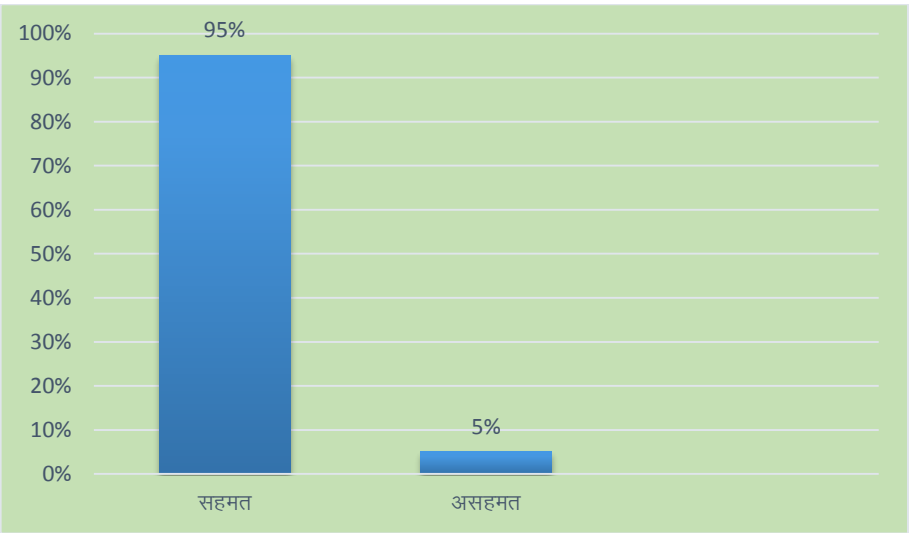

- अभिभावकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 14 से प्राप्त आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि 95% अभिभावकों ने स्वीकार किया कि शिक्षक विशेष बालकों के साथ उचित एवं समान व्यवहार करते हैं जबकि 5% अभिभावकों के अनुसार शिक्षक विशेष बालकों के साथ उचित एवं समान व्यवहार नहीं करते हैं।

प्रश्न- 15 विद्यालय का वातावरण समावेशी शिक्षा के लिए उपयुक्त है?

रेखाचित्र-4.75

विद्यालय वातावरण की उपयुक्तता के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

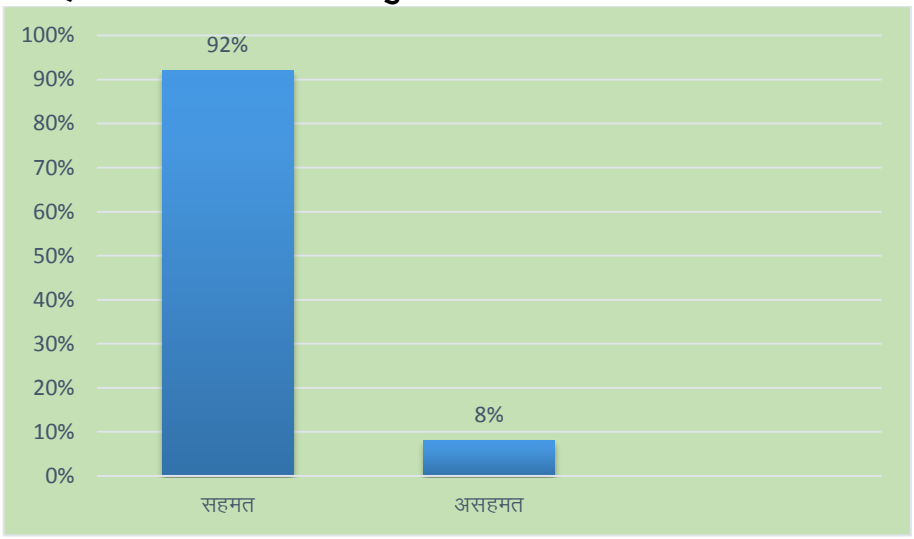

- अभिभावकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 15 से प्राप्त आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि 92% अभिभावकों ने स्वीकार किया कि विद्यालय का वातावरण समावेशी शिक्षा के लिए उपयुक्त है जबकि 8% अभिभावक विद्यालय के वातावरण को उपयुक्त नहीं मानते हैं।

प्रश्न- 16 विद्यालय में विशेष बालकों को सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए तैयार किया जाता है?

रेखाचित्र-4.76

विद्यालय में विशेष बालकों को सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए तैयार के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

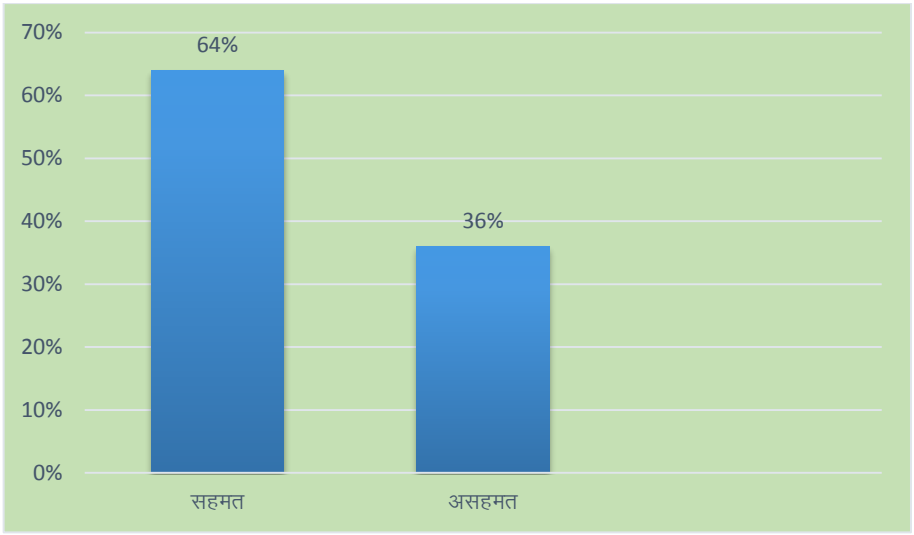

- अभिभावकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 16 से प्राप्त आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि 64% अभिभावकों ने स्वीकार किया कि विद्यालय में विशेष बालकों को सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने के तैयार किया जाता है जबकि 36% अभिभावक इससे सहमत नहीं हैं।

प्रश्न- 17 विद्यालय में विशेष बालकों के लिए आवश्यक शैक्षिक उपकरण उपलब्ध हैं?

रेखाचित्र-4.77

आवश्यक शैक्षिक उपकरण की उपलब्धता के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

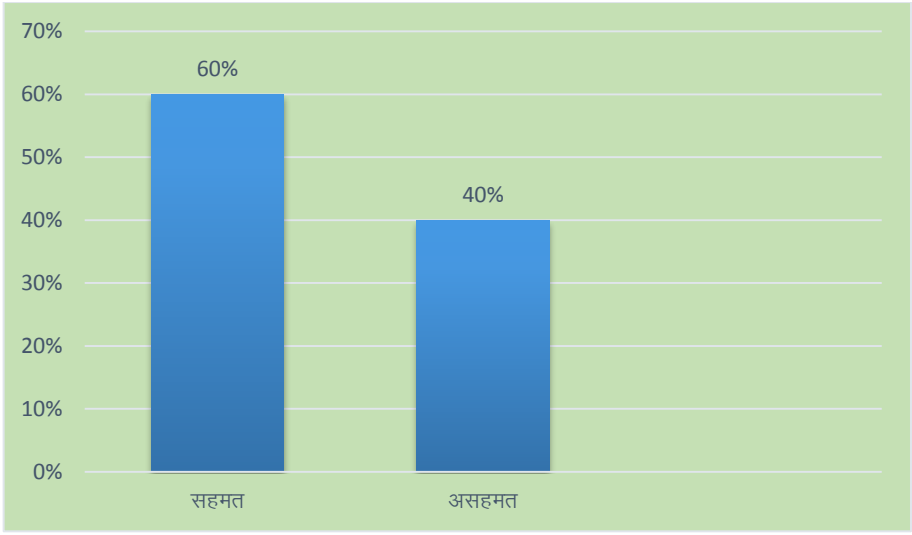

- अभिभावकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 17 से प्राप्त आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि 60% अभिभावकों ने स्वीकार किया कि विद्यालय में विशेष बालकों के लिए आवश्यक शैक्षिक उपकरण उपलब्ध हैं जबकि 40% अभिभावकों के अनुसार आवश्यक शैक्षिक उपकरण उपलब्ध नहीं हैं।

प्रश्न- 18 विद्यालय में विशेष बालकों के लिए आवश्यक भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हैं?

रेखाचित्र-4.78

आवश्यक भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

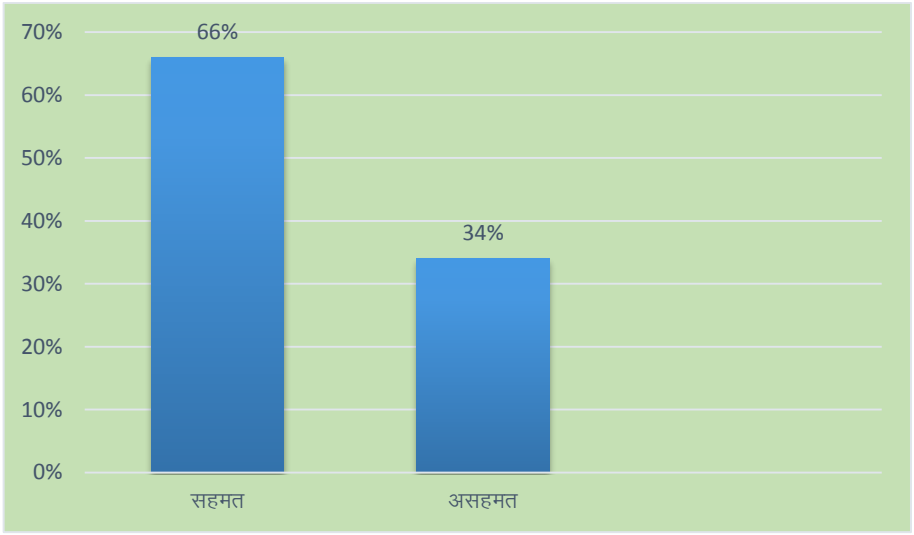

- अभिभावकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 18 से प्राप्त आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि 66% अभिभावकों ने स्वीकार किया कि विद्यालय में विशेष बालकों के लिए आवश्यक भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हैं जबकि 34% अभिभावक इससे सहमत नहीं हैं।

प्रश्न- 19 समावेशी शिक्षा विशेष बालकों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक है?

रेखाचित्र- 4.79

समावेशी शिक्षा विशेष बालकों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होने के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

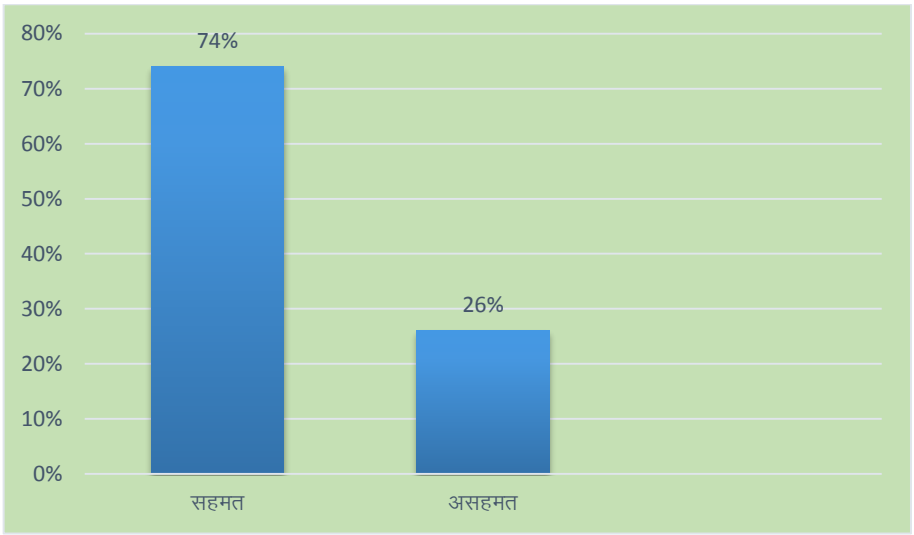

- अभिभावकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 19 से प्राप्त आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि 74% अभिभावकों के अनुसार समावेशी शिक्षा विशेष बालकों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक है जबकि 26% अभिभावक ऐसा नहीं मानते हैं।

प्रश्न- 20 विशेष बालकों के लिए विद्यालय में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है?

रेखाचित्र- 4.80

विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में प्रतिक्रिया के आंकड़ें

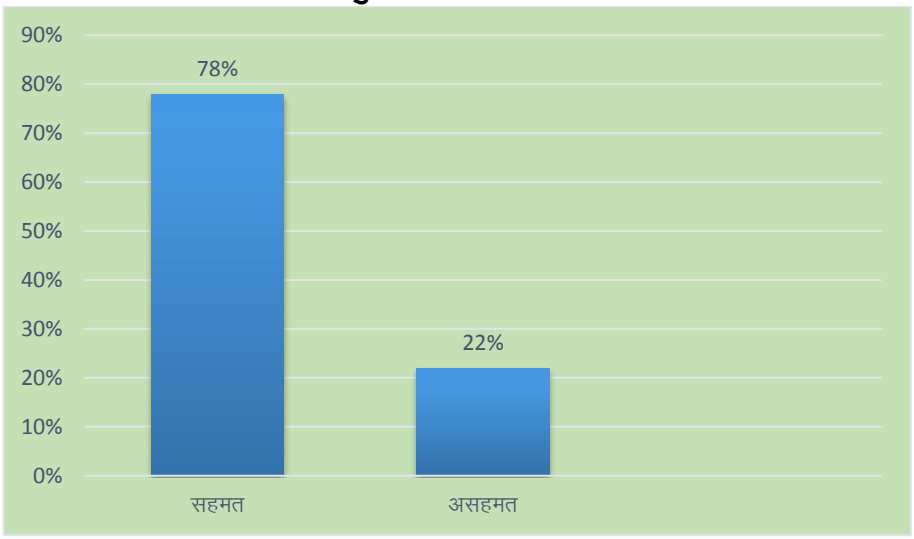

- अभिभावकों के लिए निर्मित प्रश्नावली के प्रश्न 20 से प्राप्त आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि 78% अभिभावकों ने स्वीकार किया कि विद्यालय में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है जबकि 22% अभिभावकों के अनुसार विद्यालय में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गयी है।

उद्धेश्य - 6 समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव।

- दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं के संबंध में सरकारी संगठनों व समुदाय में जागरूकता को बढ़ाना चाहिए।
- अध्यापकों एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाना चाहिए।
- समावेशी शिक्षा कार्यक्रम में डॉक्टरोंय रैड क्रॉस सोसाइटी, एन.जी.ओ., विशिष्ट विद्यालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व विशिष्ट रिसोर्स अध्यापकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन देना होगा।
- माता-पिता एवं अभिभावकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए।
- दिव्यांग बच्चों को समाज के महत्वपूर्ण कार्यों एवं समाज के विकास में समान अवसर दिए जाने चाहिए।

- अध्यापकों को दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, सांस्कृतिक गतिविधियों आदि में लचीलापन लाना चाहिए।
- समावेशी शिक्षा कार्यक्रम को जन-जन तक पहुंचाने हेतु मीडिया की भूमिका को सशक्त बनाना होगा।
- समावेशी शिक्षा कार्यक्रम को लेकर जिला पदाधिकारियों, अध्यापकों एवं विद्यार्थियों में वैचारिक अस्पष्टता को दूर करना होगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांग विद्यार्थियों को विद्यालय जाने के लिए आवागमन के साधनों की उचित व्यवसथा की जाए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध मानव संसाधनों का उपयोग अनौपचारिक शिक्षा के लिए किया जाए ताकि वहां दिव्यांगजनों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जा सके।
- दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए।
- प्रत्येक दिव्यांग विद्यार्थी को उसकी अक्षमता के आधार पर आवश्यक उपकरण, संसाधन एवं शिक्षण सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाए।
- सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु एक निश्चित योजना बनाई जाए।
- विद्यालयों एवं छात्रावासों में स्वास्थ्य परीक्षण को अनिवार्य किया जाए एवं प्राथमिक चिकित्सा कक्ष की स्थापना की जाए।
- शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की जाए एवं समावेशी शिक्षा में व्याप्त समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक कदम उठायें जायें।
- सरकार एवं स्थानीय प्राधिकरणों के द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों में किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाये।
- दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए चलाए जा रहे शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक किया जाए।
- शिक्षकों में दिव्यांग विद्यार्थियों के प्रति भावनात्मक लगाव एवं उत्तरदायित्व को बढाने के लिए सरकार द्वारा शिक्षको को प्रोत्साहन दिया जाए।
- विशेष शिक्षकों में ऐसी योग्यता विकसित की जाए कि वे उपलब्ध संसाधनों का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग कर सकें।
- केन्द्र व राज्य स्तर पर दिव्यांग कल्याण संस्थाओं की स्थापना की जाए।

पंचम अध्याय

शोध सारांश, निष्कर्ष एवं सुझाव

पंचम अध्याय

शोध सारांश, निष्कर्ष एवं सुझाव

5.1 प्रस्तावना

प्रत्येक व्यक्ति जिस प्रकार अपने कृत्यों, प्रयत्नों और सृजन आदि के परिणामों को जानने व उसके सिंहावलोकन की स्वाभविक जिज्ञासा रखता है, यह जिज्ञासा ही उसे अनुसंधान की रुपरेखा बनाकर उसके कुछ निश्चित लक्ष्यो एवं उद्येश्यों के साथ सुनिश्चित रुप से अपने अध्ययन की ओर अग्रसर करती है। उपरोक्त दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अध्याय के अन्तर्गत संपूर्ण अध्ययन पर एक विहंगम दृष्टि डाली गई है। यह अध्ययन किए गए समस्त प्रयत्नों की उपलब्धि से संबंधित है तथा यह जानने का प्रयास किया गया है कि पूर्व में निश्चित लक्ष्यों एवं उद्येश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है तथा भविष्य में इसकी क्या संभवनाएँ है। प्रस्तुत अध्याय में शोधकत्री ने सम्पूर्ण अध्ययन का सारांश लिखने का प्रयास किया है जो संपूर्ण अनुसंधान का समग्र रुप प्रदर्शित करने में सहायक है।

प्रदतो के विश्लेषण तथा व्याख्या के पश्चात् उपसंहारात्मक रुप से शोधर्थी द्वारा परिणामों का अवलोकन करना अत्यंत आवश्यक है। जब तक सुझाव न किये जाएं तब तक शोधकार्य अर्थहीन एवं महत्वहीन होता है। इसके अतिरिक्त भविष्य में अनुसंधान का धोतक है। एक उक्तम शोधकार्य की पहचान उसके निष्कर्णे, शोध विधियो एवं तर्कसगंत व्याख्या व विश्लेषण पर आधारित होती है। शोधकत्री ने अपने निष्कर्षो द्वारा ही अपने शोधकार्य को अंतिम रुप प्रदान किया है। शोधकार्य को आरंभ करने के लिए जिस प्रकार के उद्येश्यों की आवश्यकता होती है उसी प्रकार शोधकार्य को अंतिम रुप देने के लिए निष्कर्षाे की आवश्यकता होती है। शोधकर्ता अपनी समस्या को हल करने के लिए परिकल्पनाओं का प्रतिपादन करता है। इन परिकल्पनाओं की पुष्टि करके शोधकार्य से प्राप्त परिणामों की उपयोगिता को सिद्व करते हुए भावी शोध कार्य के लिए सुझाव प्रस्तुत करता है।

5.2 सारांश

प्रस्तावना

शिक्षा किसी भी व्यक्ति के जीवन का आवश्यक व महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मनुष्य के वैयक्तिक, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक व राजनैतिक विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कहा भी जाता है कि एक शिक्षक समाज प्रगतिशीलता

की निशानी है। भारत जैसे लोकतंत्रीय देश में शिक्षा की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जैसा कि इमाइल दुर्खिम ने कहा है कि शिक्षा वह साधन है जिसके द्वारा समाज बालकों में अपने अस्तित्व की अनिवार्य अवस्था को तैयार करता है। शिक्षा और समाज एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित है कि कहा जायेगा कि ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। यह एक सर्वविदित सत्य है कि शिक्षा किसी भी व्यक्ति समाज और राष्ट्र के विकास की धूरी होती है। शिक्षा का संबंध सिर्फ साक्षरता से नहीं है, बल्कि शिक्षा चेतना और उत्तरदायित्व की भावना को जाग्रत करने वाला औजार भी है। शिक्षा को एक मापक या पैमाने के तौर पर देखा जाता है जिसके आधार पर व्यक्ति, राज्य या देश का मूल्यांकन किय जाता है।

हमारे देश में भी शिक्षा को प्रगति के ऐसे ही अनिवार्य अंग की तरह देखा जाता है इसी कारण शिक्षा का अधिकार कानून एवं सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाएं अस्तित्व में आई। इन कई प्रावधानों एवं योजनाओं के बावजूद हमारे आस-पास ही बहुत से ऐसे बच्चे है जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ऐसे बच्चो में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित बहुत सारी समस्याएं देखी जाती है। शारीरिक एवं मानसिक समस्याओ से ग्रसित बच्चो को विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहा जाता है। हर एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की समस्या एवं उसके सीखने का तरीका अलग-अलग होता है इन भिन्नताओं के बाद भी उन्हें सबके साथ सामान्य वातावरण में शिक्षा देना ही सामावेशी शिक्षा है।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कुछ विशेष विद्यालय होते हैं लेकिन जितनी बड़ी संख्या में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उतनी संख्या में विशेष विद्यालय नहीं हैं। जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2001 में विकलांग व्यक्तियों की संख्या देश की कुल आबादी का 2.13 प्रतिशत थी जो कि वर्ष 2011 में बढ़कर 2.21 प्रतिशत हो गई है। विकलांग व्यक्तियों की कुल संख्या का 69.5 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष विद्यालय न के बराबर हैं। जहां विशेष विद्यालय हैं वहां उन्हें अपने जैसी ही कड़िनाइयों वाले बच्चों के साथ रहना होता है जबकि कईष्शोध अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि यदि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों के साथ ही अध्ययन करते हैं तो उनके विकास की ज्यादा संभावनाएं हैं। समावेशी शिक्षा की संकल्पना का प्रारंभ भी इसी आधार पर हुआ है। समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है ताकि सामान्य बच्चों एवं विशेष आवश्यकता वाले

बच्चों में कोई भेदभाव न रहे तथा दोनों तरह के बच्चे एक-दूसरे को ठीक ढंग से समझते हुए आपसी सहयोग से पठन-पाठन के कार्य को कर सके।

अध्ययन की आवश्यकता

समाज में विशिष्ट बालको की शिक्षा वर्तमान में एक समस्या है इस समस्या के समाधान के लिए मनोवैज्ञानिक भी सतत् प्रयत्नशील है। कुछ वर्षों के पूर्व विशिष्ट बालकों को न तो पर्याप्त सम्मान मिल पा रहा था और न ही उनकी शिक्षा की कोई अच्छी व्यवस्था थी परन्तु अब सरकार द्वारा विशिष्ट बालकों की दशा को सुधारने तथा समाज में सम्मान दिलाने के लिए शिक्षा के माध्यम से काफी प्रयास किये जा रहे है जिसके फलस्वरूप शैक्षिक परिवर्तन ने शैक्षिक समस्याओं, नवीन ज्ञान एवं शैक्षिक तकनीक के माध्यम से शैक्षिक प्रगति ने विशिष्टीकरण की मांग को जन्म दिया है, अतः विशिष्ट बच्चों के लिए प्रदान किया जा रहा है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के प्रति आज विश्व समुदाय जागृत हो चुका है।

भारत जैसे विकासशील देश ने इस विचार को ध्यान में रखकर एक क्रान्तिकारी कदम उठाया और शिक्षा के सार्वभौमीकरण, सभी को शिक्षा, सम्पूर्ण साक्षरता, एवं सर्वशिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रमों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास एवं प्रावधान किये गये। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने समानता के लिए शिक्षा एवं सभी के लिए शिक्षा जैसे अपने लक्ष्यों के तहत अपवंचित वर्गों की शिक्षा हेतु विशेष संस्तुति दी जिसमें विकलांगों की शिक्षा को विशेष रूप से सम्मिलित किया गया। बच्चो को विद्यालय तक लाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर 2001 में सर्व शिक्षा अभियान नामक कार्यक्रम की घोषणा की गई जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चो की शिक्षा हेतु अनेक प्रावधान किये गये। इसके पश्चात् राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम आदि योजनाओं को विशिष्ट बालाकों के लिए लागू किया गया परन्तु इसके बाद भी आज विशिष्ट बालकों की शैक्षिक स्थिति अच्छी नहीं है। उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पडता है। इसी का हल जानने हेतु शोधार्थी ने इस समस्या का चयन शोध हेतु किया।

समस्या कथन

"उच्च माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा की नीति, प्रावधान एवं समस्याएँ।"

शोध के उद्देश्य

1 समावेशी शिक्षा से सम्बन्धित नीतियों का अध्ययन करना।
2 समावेशी शिक्षा की नीतियों का समीक्षात्मक अध्ययन करना।
3 समावेशी शिक्षा से सम्बन्धित प्रावधानो का अध्ययन करना।
4 समावेशी शिक्षा से सम्बन्धित प्रावधानो का समीक्षात्मक अध्ययन करना।
5 समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना।
6 समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव।

तकनीकी शब्दों का परिभाषीकरण

- समावेशी शिक्षा - समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि स्कूलों में सभी बच्चों को उनकी शारीरिक, बौद्विक, सामाजिक, भाषायी या अन्य परिस्थितियों की परवाह किए बिना समायोजित करना चाहिए।
- नीति - उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला को नीति कहते है। नीति सोच समझकर बनाये गये सिद्वान्तों की प्रणाली है। नीति को एक प्रक्रिया या नवाचार की तरह लागू किया जाता है।
- प्रावधान - किसी कार्य को करने के लिए अनुकूल परिस्थिति या तैयारी।
- समस्याएँ - बाधा, कठिनाई या चुनौती को समस्या कहते है।

शोध का परिसीमन

प्रस्तुत शोधकार्य का परिसीमन भी धन, समय, साधनों की उपलब्धता एवं क्षमता के अनुसार निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत किया गया है -

- प्रस्तुत शोध कार्य को जयपुर जिले तक सीमित रखा गया है।
- प्रस्तुत शोध कार्य में अधिकारियों, अध्यापकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को सम्मिलित किया गया है।

शोध विधि

इस शोध कार्य में सर्वेक्षण विधि एवं विषय वस्तु विश्लेषण विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या

प्रस्तुत शोध में जनसंख्या के रूप में राजस्थान प्रान्त के जयपुर जिले में स्थित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्वता प्राप्त ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के उच्च माध्यमिक स्तर के राजकीय एवं निजी विद्यालयों के कक्षा "ग्यारह" में अध्ययनरत् विद्यार्थियों और उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों, अभिभावकों, प्रबंधक एवं प्रशासकों को सम्मिलित किया गया है।

न्यादर्श

प्रस्तुत शोध अध्ययन में न्यादर्श का चयन निम्न रूप से किया गया है-

न्यादर्श	संख्या
विद्यार्थी	200
शिक्षक	200
अभिभावक	50
प्रबन्धक एवं प्रशासनिक अधिकारी	50

शोध में प्रयुक्त उपकरण

शोध के उद्देश्यों की दृष्टि से स्वनिर्मित प्रश्नावली उपकरण का प्रयोग आंकड़ों का संकलन करने हेतु किया है। तथा प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत के माध्यम से किया गया है।

5.3 निष्कर्ष एवं सुझाव

उद्धेश्य - 1 समावेशी शिक्षा से सम्बन्धित नीतियों का अध्ययन करना।

निष्कर्ष - भारत में दिव्यांग बालकों की शिक्षा हेतु सरकार द्वारा विभिन्न शैक्षिक नीतियों को लागू किया गया जिनमें से प्रमुख हैं- समेकित शिक्षा योजना, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, विकलांग बच्चों और युवाओं की समावेशी शिक्षा के लिए योजना, विकलांग व्यक्तियांे के लिए राष्ट्रीय नीति, विशिष्ट बालकों के लिए माध्यमिक स्तर पर समेकित शिक्षा तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति।

उद्धेश्य - 2 समावेशी शिक्षा की नीतियों का समीक्षात्मक अध्ययन करना।

निष्कर्ष - देश में दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए किये गये बहुत से प्रावधानों के बावजूद भी दिव्यांग बच्चों की शैक्षिक स्थिति संतोषजनक नहीं है। लगभग 50 प्रतिशत बच्चे शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। विभिन्न शैक्षिक नीतियों में दिव्यांग बच्चों के लिए निर्धारित मानदण्डों में से अनेक भौतिक सुविधाएं एवं संसाधन विद्यालयों में उपस्थित नहीं हैं।

उद्धेश्य - 3 समावेशी शिक्षा से सम्बन्धित प्रावधानो का अध्ययन करना।

निष्कर्ष - भारत में दिव्यांग बालकों के शैक्षिक विकास के लिए सरकार द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद्, विकलांग जन अधिनियम, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम आदि प्रावधानों को लागू किया गया है।

उद्धेश्य - 4 समावेशी शिक्षा से सम्बन्धित प्रावधानो का समीक्षात्मक अध्ययन करना।

निष्कर्ष - समावेशी शिक्षा से संबंधित इतने प्रावधानों के बावजूद भी कुछ तथ्य ऐसे हैं जो दिव्यांगों के विकास में बाधक हैं-

- सभी क्षेत्रों एवं विभागों में दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक पद सृजित नहीं हैं।
- दिव्यांगों को आवश्यक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान नही किया जाता है।
- अधिकांश विशिष्ट संस्थायें महानगरों एवं नगरों में स्थित हैं।
- दिव्यांग विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा व व्यावसायिक शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय एवं तकनीकी संस्थानों का अभाव है।
- उच्च शिक्षण संस्थाओं मे दिव्यांगों के लिए आरक्षण का अभाव है।
- विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता के आधार पर पाठ्यक्रम एवं मुल्यांकन पद्धति का अभाव है।
- शिक्षण का माध्यम एवं पद्धति दिव्यांग विद्यार्थियों के अनुकूल नही है।
- मानसिक रूप से अपंग बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक पुनर्वास केन्द्रों में शैक्षिक सुविधाओं का अभाव है।

उद्धेश्य - 5 समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना।

निष्कर्ष -

शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समस्याएं

- 100% अधिकारियों का यह मानते हैं कि समावेशी शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी है। अर्थात् सभी अधिकारी समावेशी शिक्षा के प्रति समान दृष्टिकोण रखते हैं।
- 64% अधिकारियों ने यह स्वीकार किया है कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है जबकि 36% अधिकारियों ने विशेष शिक्षकों की नियुक्ति को अस्वीकार किया है।
- 86% अधिकारियों ने स्वीकार किया कि विद्यालय स्तर पर समावेशी शिक्षा से संबंधित नीतियों का पालन किया जाता है जबकि 8% अधिकारी इससे सहमत नही हैं एवं 6% अधिकारियों ने इस संदर्भ में अपनी राय व्यक्त नहीं की।
- 66% अधिकारियों ने स्वीकार किया कि विद्यालय द्वारा मनोवैज्ञानिक परामर्श एवं चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए जबकि 20% अधिकारी इसके पक्ष में नहीं हैं तथा 14% अधिकारियों ने तटस्थता व्यक्त की।
- 64% अधिकारियों ने समावेशी शिक्षा के विकास के लिए सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जबकि 16% अधिकारी इसके पक्ष में नहीं हैं तथा 12% अधिकारियों ने तटस्थता व्यक्त की।
- 44% अधिकारी यह मानते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाएं एवं नीतियां पूर्णतया प्रभावी नही हैं जबकि 46% अधिकारियों ने यह स्वीकार किया कि ये योजनाएं एवं नीतियां प्रभावी हैं तथा 10% अधिकारियों ने इस संदर्भ में कोई राय व्यक्त नहीं की।
- 66% अधिकारियों ने यह माना कि उन्हें समावेशी शिक्षा को लागू करने में विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जबकि 24% अधिकारियों को कोई समस्या नही हुई एवं 10% अधिकारियों ने इस संदर्भ में कोई राय व्यक्त नहीं की।

- 94% अधिकारियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि राज्य सरकार द्वारा भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाना चाहिए जबकि 6% अधिकारियों ने माना कि राज्य सरकार को कोई योजना नहीं संचालित करनी चाहिए।
- 58% अधिकारियों ने स्वीकार किया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बनायी गयी नीतियां सरकारी एवं गैरसरकारी दोनों विद्यालयों में समान रूप से लागू की जाती है जबकि 20% अधिकारी इससे सहमत नहीं है तथा 22% ने अधिकारियों ने इस संदर्भ में कोई राय व्यक्त नहीं की।
- 52% अधिकारियों ने स्वीकार किया कि विद्यालय में समावेशी शिक्षा की नीतियों के उद्धेश्यों की पूर्ति हेतु उचित व्यवस्था उपलब्ध है जबकि 22% अधिकारी इससे सहमत नहीं है तथा 26% ने अधिकारियों ने इस संदर्भ में कोई राय व्यक्त नहीं की।
- 90% अधिकारियों ने स्वीकार किया कि विकलांगता अधिनियम 1995 एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 दोनों का उद्धेश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है जबकि 10% अधिकारी इससे सहमत नहीं हैं।
- 92% अधिकारियों ने स्वीकार किया कि सरकार को समावेशी शिक्षा को बढावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना चाहिए जबकि 8% अधिकारी इससे सहमत नहीं हैं।
- 42% अधिकारियों ने स्वीकार किया कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को इन नीतियों का लाभ पूर्णतया मिल रहा है जबकि 34% अधिकारी मानते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी इससे पूर्णतया लाभान्वित नहीं हो रहे हैं तथा 24% अधिकारियों ने इस पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।
- 64% अधिकारियों ने स्वीकार किया कि समावेशी शिक्षा के लिए सरकार और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है जबकि 18% अधिकारी इससे सहमत नहीं हैं तथा 8% अधिकारियों ने इस पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।
- 56% अधिकारियों ने स्वीकार किया कि समावेशी शिक्षा को लागू करने में सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में धन राशि प्रदान की जाती है जबकि 28% अधिकारी इससे सहमत नहीं हैं तथा 16% अधिकारियों ने इस पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

अध्यापकों से संबंधित समस्याएं

- 100% अध्यापकों ने स्वीकार किया कि उनकों समावेशी शिक्षा के लिए बनाई गई सभी नीतियों की जानकारी है।
- 87% अध्यापकों ने स्वीकार किया कि समावेशी शिक्षा की नीतियों का विद्यालय में प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है जबकि 13% अध्यापक इससे असहमत हैं।
- 75% अध्यापकों ने इस बात पर स्वीकृति दी कि समावेशी शिक्षा विद्यार्थियों के विकास में सहायक है जबकि 10% अध्यापक इससे असहमत हैं तथा 15% अध्यापक इस पर तटस्थ थे।
- 82% अध्यापकों का यह मानना है कि विद्यालय प्रबन्धन समिति समावेशी शिक्षा को बढावा देने में सहायता करती है जबकि 18% अध्यापक इससे असहमत हैं।
- 80% अध्यापकों के अनुसार समावेशी शिक्षा के लिए बनायी गयी नीतियां दिव्यांग विद्यार्थियों के विद्यालय में समायोजन में सहायक है जबकि 20% अध्यापकों के अनुसार ऐसा नही हैं।
- 100% अध्यापकों ने इस बात पर स्वीकृति दी वे दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति सदैव संवेदनशील रहते हैं।
- 85% अध्यापकों ने स्वीकार किया कि वे दिव्यांग विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्या को समझने का प्रयास करते हैं जबकि 15% अध्यापक इस पर तटस्थ थे।
- 95% अध्यापकों को समावेशी वातावरण में शिक्षण कार्य करना अच्छा लगता है। जबकि 5% अध्यापकों ने कोई राय व्यक्त नहीं की।
- 78% अध्यापकों ने स्वीकार किया कि वे कक्षा में शिक्षण कार्य के दौरान विशेष उपकरणों का प्रयोग दिव्यांग बालकों के लिए करते हैं जबकि 20% अध्यापक इससे असहमत हैं तथा 2% अध्यापक इस पर तटस्थ थे।
- 69% अध्यापक समावेशी शिक्षा की अवधारणा से सहमत हैं जबकि 31% अध्यापक इससे असहमत हैं।
- 28% अध्यापकों ने स्वीकार किया कि विद्यालय द्वारा दिव्यांग बालकों की पहचान और उनका एकीकरण करने के लिए गृह आधारित सर्वेक्षण किया जाता है जबकि 39% अध्यापकों ने माना कि ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया जाता है तथा 33% अध्यापक इस पर तटस्थ थे।

- 74% अध्यापकों ने इस बात पर स्वीकृति दी कि दिव्यांग विद्यार्थियों को छात्रवृति समय पर प्राप्त होती है जबकि 26% अध्यापक इससे असहमत हैं।
- 91% अध्यापकों ने स्वीकार किया कि विद्यालय में दिव्यांग बालकों के लिए आवश्यक भौतिक सुविधाएं जैसे-रेम्प, पृथक् शौचालय, खुले एवं रोशनीदार कक्षा-कक्ष, इनडोर गेम्स आदि उपलब्ध हैं जबकि 9% अध्यापक मानते हैं कि विद्यालय में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
- 68% अध्यापकों ने इस बात पर स्वीकृति दी कि दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आवश्यक शैक्षिक उपकरण जैसे- ब्रेल उपकरण, ऑडियो-विडियों उपकरण, व्हील चेयर, विशेष फर्नीचर आदि उपलब्ध हैं जबकि 15% अध्यापकों का मानना है कि विद्यालय में आवश्यक शैक्षिक उपकरण उपलब्ध नहीं हैं तथा 17% अध्यापक इस पर तटस्थ थे।
- 74% अध्यापकों का मानना है कि समावेशी शिक्षा के कारण दिव्यांग विद्यार्थियों में सामाजिकता की भावना का विकास होता है जबकि 17% अध्यापक इससे असहमत हैं तथा 9% अध्यापकों ने इस पर कोई राय व्यक्त नहीं की।
- 76% अध्यापकों ने स्वीकार किया कि समावेशी वातावरण के निर्माण में प्रधानाध्यापकों द्वारा सहयोग किया जाता है जबकि 16% अध्यापक मानते हैं कि प्रधानाध्यापकों के द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं किया जाता है तथा 8% अध्यापक इस पर तटस्थ थे।
- 48% अध्यापकों ने स्वीकार किया कि दिव्यांग विद्यार्थियों को विद्यालय में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जबकि 35% अध्यापक इससे असहमत हैं तथा 17% अध्यापक इस पर तटस्थ थे।
- 39% अध्यापकों के अनुसार दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अलग पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए जबकि 53% अध्यापकों का मानना है कि अलग पाठ्यक्रम की कोई आवश्यकता नहीं है तथा 8% अध्यापक इस पर तटस्थ थे।
- 86% अध्यापकों ने इस बात पर स्वीकृति दी कि समावेशी शिक्षा के माध्यम से दिव्यांग विद्यार्थियों को समााज की मुख्य धारा में जोडा जा सकता है जबकि 14% अध्यापक इससे सहमत नहीं हैं।
- 49% अध्यापकों के सभी प्रकार के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए समावेशी शिक्षा उपयुक्त है जबकि 51% अध्यापकों के अनुसार समावेशी शिक्षा सभी प्रकार की दिव्यांगता के लिए उपयुक्त नहीं है।

- 83% अध्यापकों के अनुसार सामान्य विद्यालयों को समावेशी विद्यालयों में परिवर्तित करना एक अच्छा विचार है जबकि 17% अध्यापक इससे असहमत हैं।
- 45% अध्यापकों ने इस बात पर स्वीकृति विद्यालय में दिव्यांग विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध है जबकि 55% अध्यापकों ने माना कि विद्यालय में यह सुविधा उपलब्ध नहीं हैं।
- 57% अध्यापकों के अनुसार विद्यालय में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता है जबकि 43% अध्यापक इससे असहमत हैं।
- 70% अध्यापकों ने माना कि दिव्यांग विद्यार्थियों को समावेशी शिक्षा की नीतियों का पूर्ण लाभ मिल रहा है जबकि 30% अध्यापकों के अनुसार दिव्यांग विद्यार्थी अभी भी अससे लाभान्वित नहीं हो रहे हैं।
- 40% अध्यापकों ने इस बात पर स्वीकृति दी कि शैक्षिक अधिकारियों द्वारा समावेशी शिक्षा के विकास में सहयोग प्रदान किया जाता है जबकि 60% अध्यापक इससे असहमत हैं।
- 67% अध्यापकों के अनुसार समावेशी शिक्षा दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा एवं समाजीकरण के लिए आवश्यक हैं जबकि 18% अध्यापक इससे असहमत हैं तथा 5% अध्यापक इस पर तटस्थ थे।
- 65% अध्यापकों ने इस बात पर स्वीकृति दी कि विद्यालय में विशिष्ट शिक्षिकों की नियुक्ति की गयी है जबकि 24% अध्यापकों ने माना कि विशिष्ट शिक्षकों का अभाव है तथा 11% अध्यापकों ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की।
- 78% अध्यापकों के अनुसार विद्यालय द्वारा समय-समय पर अभिभावकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जबकि 22% अध्यापक इससे असहमत हैं।
- 95% अध्यापकों ने इस बात पर स्वीकृति दी कि विद्यालय द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवायी जाती है जबकि 5% अध्यापक इससे असहमत हैं।
- 65% अध्यापकों ने स्वीकार किया कि समावेशी शिक्षा की नीतियों को करने के लिए सरकार द्वारा समय पर वितीय सहायता प्रदान की जाती है जबकि 28% अध्यापकों के अनुसार वितीय सहायता समय पर प्राप्त नहीं होती है तथा 7% अध्यापक इस पर तटस्थ थे।

अभिभावकों की समस्याएं

- 72% अभिभावकों ने स्वीकार किया कि वे समावेशी शिक्षा के बारे में जानते हैं जबकि 28% अभिभावक समावेशी शिक्षा के बारे में नहीं जानते हैं।
- 40% अभिभावकों को समावेशी शिक्षा के लिए बनाई गई सभी नीतियों की जानकारी है जबकि 60% अभिभावकों को सभी नीतियों की जानकारी नहीं है।
- 56% अभिभावकों ने स्वीकार किया कि समावेशी शिक्षा के फलस्वरूप विशेष बालकों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है जबकि 44% अभिभावक इससे सहमत नहीं हैं।
- 64% अभिभावकों का मानना है कि विद्यालय में समावेशी शिक्षा को ठीक प्रकार से लागू किया जा रहा है जबकि 36% अभिभावक इससे असहमत हैं।
- 66% अभिभावकों मानते हैं कि समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन हेतु समाजसेवी संगठन सहायता करते हैं जबकि 34% अभिभावक इससे असहमत हैं।
- 80% अभिभावकों के अनुसार समावेशी शिक्षा की नीतियों के लागू होने से विशेष बालकों कर शैक्षिक स्थिति में परिवर्तन आया है जबकि 20% अभिभावक इससे सहमत नहीं हैं।
- 94% अभिभावकों ने स्वीकार किया कि समावेशी शिक्षा के तहत विद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम से विशेष बालक लाभान्वित हो रहे हैं जबकि 6% अभिभावक इस बात से सहमत नहीं हैं।
- 58% अभिभावक यह मानते हैं कि शिक्षक विशेष बालकों के विद्यालय में समावेशन हेतु प्रयास किये जाते हैं जबकि 42% अभिभावक ऐसा नहीं मानते हैं।
- 76% अभिभावकों ने स्वीकार किया कि विद्यालय द्वारा समावेशी शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जबकि 24% अभिभावक इससे सहमत नहीं हैं।
- 90% अभिभावकों का यह विचार है कि समावेशी शिक्षा, विशेष बालकों को समाज एवं शिक्षा की मुख्य धारा से जोडने का एक प्रयास है जबकि 10% अभिभावक इससे असहमत हैं।

- 52% अभिभावकों के अनुसार विद्यालय में विशेष बालकों के लिए समय-समय पर निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जबकि 48% अभिभावकों के अनुसार इस कार्यक्रम का आयोजन नही होता है।
- 68% अभिभावक सरकार द्वारा विशेष बालकों की शिक्षा के लिए चलायी जा रही योजनाओं से संतुष्ट हैं जबकि 32% अभिभावक सरकार द्वारा विशेष बालकों की शिक्षा के लिए चलायी जा रही योजनाओं से संतुष्ट नहीं हैं।
- 88% अभिभावकों ने स्वीकार किया कि विशेष बालकों के शैक्षिक विकास हेतु विद्यालय द्वारा छात्रवृति प्रदान की जाती है जबकि 12% अभिभावकों के अनुसार छात्रवृति नहीं दी जाती हैं।
- 95% अभिभावकों ने स्वीकार किया कि शिक्षक विशेष बालकों के साथ उचित एवं समान व्यवहार करते हैं जबकि 5% अभिभावकों के अनुसार शिक्षक विशेष बालकों के साथ उचित एवं समान व्यवहार नहीं करते हैं।
- 92% अभिभावकों ने स्वीकार किया कि विद्यालय का वातावरण समावेशी शिक्षा के लिए उपयुक्त है जबकि 8% अभिभावक विद्यालय के वातावरण को उपयुक्त नहीं मानते हैं।
- 64% अभिभावकों ने स्वीकार किया कि विद्यालय में विशेष बालकों को सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने के तैयार किया जाता है जबकि 36% अभिभावक इससे सहमत नहीं हैं।
- 60% अभिभावकों ने स्वीकार किया कि विद्यालय में विशेष बालकों के लिए आवश्यक शैक्षिक उपकरण उपलब्ध हैं जबकि 40% अभिभावकों के अनुसार आवश्यक शैक्षिक उपकरण उपलब्ध नहीं हैं।
- 66% अभिभावकों ने स्वीकार किया कि विद्यालय में विशेष बालकों के लिए आवश्यक भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हैं जबकि 34% अभिभावक इससे सहमत नहीं हैं।
- 74% अभिभावकों के अनुसार समावेशी शिक्षा विशेष बालकों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक है जबकि 26% अभिभावक ऐसा नहीं मानते हैं।
- 78% अभिभावकों ने स्वीकार किया कि विद्यालय में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है जबकि 22% अभिभावकों के अनुसार विद्यालय में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गयी है।

विद्यार्थियों की समस्याएं

- 90% विद्यार्थियों ने स्वीकार किया कि वे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं जबकि 10% विद्यार्थी प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाते हैं।
- 89% विद्यार्थियों ने स्वीकार किया कि विद्यालय में सहपाठियों एवं शिक्षकों के द्वारा उनकी पढने में सहायता की जाती है जबकि 11% विद्यार्थी इससे सहमत नहीं हैं।
- 55% विद्यार्थी समावेशी शिक्षा के विषय में जानते हैं जबकि 45% विद्यार्थी समावेशी शिक्षा के विषय में नहीं जानते हैं।
- 63% विद्यार्थियों ने स्वीकार किया कि विद्यालय में विशेष बालकों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण सामग्री उपलब्ध है 37% विद्यार्थी इससे सहमत नहीं हैं।
- 59% विद्यार्थियों ने स्वीकार किया कि अध्यापकों के द्वारा कक्षा शिक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है जबकि 41% विद्यार्थी इससे सहमत नहीं हैं।
- 66% विद्यार्थियों का मानना है कि विद्यालय में विशेष बालकों को आवश्यक फर्नीचर, चिकित्सा, खेल के समान आदि उपलब्ध कराया जाता है जबकि 34% विद्यार्थी इससे सहमत नहीं हैं।
- 84% विद्यार्थियों ने स्वीकार किया कि विद्यालय में विशेष बालकों को मध्यान्ह भोजन, पुस्तकें, गणवेश, छात्रवृति एवं विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जबकि 16% विद्यार्थी इससे सहमत नहीं हैं।
- 87% विद्यार्थियों के अनुसार विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जबकि 13% विद्यार्थी इससे सहमत नहीं हैं।
- 89% विद्यार्थियों के अनुसार शिक्षकों के द्वारा विशेष बालकों की प्रशंसा एवं प्रोत्साहति किया जाता है जबकि 11% विद्यार्थी इससे असहमत हैं।
- 20% विद्यार्थियों ने स्वीकार किया कि उनको विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा विशेष बालकों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी दी जाती है जबकि 80% विद्यार्थियों के अनुसार उन्हें जानकारी नहीं दी जाती है।
- 53% विद्यार्थियों का यह मानना है कि विद्यालय में विशेष बालकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है जबकि 47% विद्यार्थियों के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है।

- 70% अध्यापकों ने स्वीकार किया कि विद्यालय का वातावरण विशेष बालकों के लिए उपयुक्त है जबकि 30% विद्यार्थी विद्यालय वातावरण को उपयुक्त नहीं मानते हैं।
- 88% विद्यार्थियों ने स्वीकार किया कि शिक्षक सभी बालकों के साथ समान व्यवहार करते हैं जबकि 12% विद्यार्थी इससे असहमत हैं।
- 93% विद्यार्थियों के अनुसार विद्यालय में सभी बालकों को विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के अवसर प्रदान किए जाते हैं जबकि 7% विद्यार्थी इससे सहमत नहीं हैं।
- 89% विद्यार्थियों के अनुसार विद्यालय में शिक्षक-अभिभावक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है जबकि 11% विद्यार्थियों के अनुसार विद्यालय में कोई आयोजन नहीं किया जाता है।

उद्धेश्य - 6 समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव।

- दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं के संबंध में सरकारी संगठनों व समुदाय में जागरूकता को बढ़ाना चाहिए।
- अध्यापकों एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाना चाहिए।
- समावेशी शिक्षा कार्यक्रम में डॉक्टरोंय रैड क्रॉस सोसाइटी, एन.जी.ओ., विशिष्ट विद्यालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व विशिष्ट रिसोर्स अध्यापकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन देना होगा।
- माता-पिता एवं अभिभावकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए।
- दिव्यांग बच्चों को समाज के महत्वपूर्ण कार्यों एवं समाज के विकास में समान अवसर दिए जाने चाहिए।
- अध्यापकों को दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, सांस्कृतिक गतिविधियों आदि में लचीलापन लाना चाहिए।
- समावेशी शिक्षा कार्यक्रम को जन-जनत क पहुंचाने हेतु मीडिया की भूमिका को सशक्त बनाना होगा।
- समावेशी शिक्षा कार्यक्रम को लेकर जिला पदाधिकारियों, अध्यापकों एवं विद्यार्थियों में वैचारिक अस्पष्टता को दूर करना होगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांग विद्यार्थियों को विद्यालय जाने के लिए आवागमन के साधनों की उचित व्यवसथा की जाए।

- ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध मानव संसाधनों का उपयोग अनौपचारिक शिक्षा के लिए किया जाए ताकि वहां दिव्यांगजनों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जा सके।
- दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए।
- प्रत्येक दिव्यांग विद्यार्थी को उसकी अक्षमता के आधार पर आवश्यक उपकरण, संसाधन एवं शिक्षण सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाए।
- सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु एक निश्चित योजना बनाई जाए।
- विद्यालयों एवं छात्रावासों में स्वास्थ्य परीक्षण को अनिवार्य किया जाए एवं प्राथमिक चिकित्सा कक्ष की स्थापना की जाए।
- शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की जाए एवं समावेशी शिक्षा में व्याप्त समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक कदम उठायें जायें।
- सरकार एवं स्थानीय प्राधिकरणों के द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों में किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाये।
- दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए चलाए जा रहे शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक किया जाए।
- शिक्षकों में दिव्यांग विद्यार्थियों के प्रति भावनात्मक लगाव एवं उत्तरदायित्व को बढाने के लिए सरकार द्वारा शिक्षको को प्रोत्साहन दिया जाए।
- विशेष शिक्षकों में ऐसी योग्यता विकसित की जाए कि वे उपलब्ध संसाधनों का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग कर सकें।
- केन्द्र व राज्य स्तर पर दिव्यांग कल्याण संस्थाओं की स्थापना की जाए।

5.4 शैक्षिक निहितार्थ

- इस शोधकार्य के माध्यम से समावेशी नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सकेगा।
- समावेशी शिक्षा के प्रति समाज में सकारात्क दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक होगा।
- समावेशी शिक्षा की नीतियों के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं को दूर करने में सहायक है।
- समावेशी शिक्षा को एक नई दिशा प्रदान करने में सहायक है।

- शिक्षकों को समावेशी शिक्षा के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण को सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित होगी।
- विद्यालयों में मनोवैज्ञानिकों, चिकित्सकों एवं शिक्षाविदों की उचित व्यवस्था हो पायेगी।
- विभिन्न प्रकार की विकलांगता वाले बालकों के विद्यालय तक पंहुचने के लिए आवागमन के साधनों की व्यवस्था हो पायेगी।
- दिव्यांग बालकों की आवश्यकताओं को पहचान कर उनका समाधान किया जा सकेगा।
- दिव्यांग बालकों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति को सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- समावेशी शिक्षा हेतु भावी नीतियों के निर्धारण को दिशा प्रदान करने में सहायक है।

5.5 भावी शोध हेतु सुझाव

- प्रस्तुत शोध कार्य जयपुर जिले में किया गया है, इसे राजस्थान के अन्य जिलों में भी किया जा सकता है।
- प्रस्तुत शोध कार्य को एक बडे न्यादर्श पर भी किया जा सकता है।
- प्रस्तुत शोध कार्य को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जा सकता है।
- समावेशी शिक्षा की योजनाओं की प्रभावशीलता का अध्ययन किया जा सकता है।
- शैक्षिक अधिकारियों एवं अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृति का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
- शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर दिव्यांग विद्यार्थियों के नामांकन एवं ठहराव पर अध्ययन किया जा सकता है।
- राजकीय एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों की शैक्षिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

संदर्भ ग्रंथ सूची

- अस्थाना, विपिन. (2009). मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन. वाराणसीः विजय प्रकाशन.
- आस्था (2011). प्राइमरी स्कूल टीचर्स अवेयरनेस ऑन PWD act 1995 एण्ड इनक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. International journal of multidisciplinary management studies. 2249-8834, 1(1), 65-70.
- अखिलेश. (2019). उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में अधिगम-शिक्षण प्रक्रिया का समावेशी शिक्षा मॉडल के संदर्भ में अध्ययन. अप्रकाशित लघुशोध प्रबन्ध
- अरोडा, किरण. (2019). इंक्लूसिव एजूकेशन इन इंडियाः द परसेप्शन्स ऑफ सेकेण्डरी स्कूल टीचर्स www.ijariie.com, 5(1), 597-606.
- ओलालेये (2012). एटीट्यूड ऑफ स्टूडेन्ट्स टुवर्ड्स पीयर्स विद डिसेबिलिटी इन इनक्लूसिव एजुकेशन इन नाइजीरिया. www.dcidj.org. 23(3), 65-75
- बाबल, जगदीश. (2017). उच्च माध्यमिक स्तर के सामान्य (अस्थिदोष रहित) एवं अस्थिदोष दिव्यांग विद्यार्थियों के आत्मविश्वास एवं उपलब्धि अभिप्रेरणा का तुलनात्मक अध्ययन. innovation the research, 2(11), 182-186.
- बंसल, स्नेहा. (2016). एटीट्यूड ऑफ टीचर्स टुवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेशन इन रिलेशन टु दीअर प्रोफेशनल कमिटमेन्ट. Indian Journal of Educational Studies : An Interdisciplinary Journal 2016, 3(1), 96-108.
- बेस्ट, जॉन डब्ल्यू. (1963). रिसर्च इन एजूकेशन. नई दिल्ली: प्रेन्टाइस हॉल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड.
- भट्नागर, डॉ,ए.बी.(2006), भारत में शैक्षिक प्रणाली का विकास. मेरठः सूर्या पब्लिकेशन
- भटनागर, निशा एवं दास, अजय (2013). नियरली टू डेकेड्स आफ्टर द इमप्लीमेन्टेशन ऑफ पर्सन विद डिसेब्लिटी एक्टः कन्सर्न ऑफ इण्डियन टीचर्स टू इमप्लीमेंट इनक्लुसिव एजुकेशन. International journal of special education. 28(1), 104-113.
- भल्ला, नीलू. (2016). हरियाणा में माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत् विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आयोजित किये जा रहे कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में अध्यापकों एवं जिला पदाधिकारियों को होने वाली परेशानियों का मूल्यांकन. International research journal of management, sociology & humanities, 7(9), 99-51.

- बेस्ट, जॉन डब्ल्यू. (1958). रिसर्च इन एजूकेशन .प्रेक्टिस हॉल (इंक)यू एस ए: ऐंगिल बुक क्लिफस.
- बेहेरा, दुर्योधन. (2020). एटीट्यूड ऑफ प्री-स्कूल एंड प्राइमरी स्कूल टीचर्स टुवर्ड्स डिसेबीलिट एंड इंक्लूजन. International educational journal CHETANA. 2231-3613, 1(5), 159-163.
- भार्गव, महेश. (2006). आधुनिक मनोविज्ञान परीक्षण एवं मापन. कचहरी घाट आगराः पुस्तक प्रकाशन.
- चानन, करूणा. (2014). इंक्लूसिव सैकण्डरी एजूकेशन इन इण्डियाः चेलेन्जेस एण्ड फ्यूचर डायरेक्शन. Journal of international cooperation in education, 16(2), 121-138.
- चौधरी, रश्मि. (2010). दी टीचिंग-लर्निंग कंडिशन्स फॉर क्वालिटि एजुकेशन इन इंक्लूसिव स्कूल्स. Journal of Indian education, 36(1), 76-83
- दास, क्योनि. तथा देसाई (2013). इंक्लूसिव एजूकेशन इन इंडियाः आर द टीचर प्रिपेयर्ड. International journal of special education. 28(1), 27-36.
- धहल, डॉ प्रदीप सिंह. (2015). शिक्षाशास्त्र के विद्यार्थियों की अभिवृति का समावेशित शिक्षा के प्रति उनके जनांककीय एवं शैक्षिक चरों के संबंध में एक अध्ययन. शोध श्री शैक्षिक पत्रिका, 5(1), 14-19.
- डिपार्टमेंट ऑफ एजूकेशन (1988)- नेशनल पॉलिसी ऑफ एजूकेशन, 1986, नई दिल्ली एम.एस. आर.डी. , जी.ओ. आई।
- इयोमा. एवं तोयांसी. (2017). टीचर एटीट्यूड टुवर्ड्स स्पेशल नीड स्टूडेन्ट इन सेकेण्डरी स्कूल्स इन नॉर्थ सेनेटोरियल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडो स्टेट नाइजिरिया. Journal of education and practice. 2222-1735, 8(4), 6-12.
- गुर्जर, मोनु सिंह (2017). ए स्टडी ऑफ सैकेण्डरी स्कुल टीचर्स अवेयरनेस टुवर्ड्स इनक्लूसिव एजुकेशन Scholarly research journal for humanity science & English language. 2348-3083, 4(22), 5740-5746.
- गुप्ता, एस.एवं अग्रवाल, जे .सी. (2009) शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया एवं विशिष्ट आवश्यकताओं वाले अधिगमकर्ता, नई दिल्लीः शिप्रा पब्लिकेशन।
- जैन, मंजू. (2017). ए स्टडी ऑफ एटीट्यूड ऑफ पुपिल टीचर्स टुवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेशन. EPRA International journal of economic and business review, 5(10), 33-37.
- झा, मदन मोहन (2003) समावेशी शिक्षा, दृष्टिकोण और प्रक्रियाऐं, नई दिल्लीः प्रकाशन संस्थान।
- करलिंगर, एफ.एन. (1967), फाउण्डेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च न्यूयार्क: हालट रेनहार्ट एण्ड विन्सटर

- कप्लान, आर एम. (1987), बेसिक स्टेटिस्टिक फॉर दि बिहेवियरल साइन्स, लन्दन: एलन एण्ड बेकन प्रिन्टर्स
- कपिल, एच. के.(1995). अनुसंधान विधियाँ. मेरठः भार्गव भवन
- कौशिक बी.एन. (1977)-विकलांग शिक्षा सिन्धु , जयपुरः राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी।
- कुमार, विरेन्द्र. (2018). वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं चुनौतियॉ. setumag.com
- कुमार, अनिल. (2016). एक्सप्लोरिंग द टीचर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स इंक्लूसिव एजूकेशन सिस्टमः ए स्टडी ऑफ इंडियन टीचर्स. Journal of Education and Practice 7(34), 1-4.
- कुमार, डॉ राजेश. (2018). माध्यमिक स्तर पर सामान्य एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता का तुलनात्मक अध्ययन. International educational journal CHETANA. 2231-3613, 1, 210-217.
- कुमार, सुरेन्द्र (2018). माध्यमिक विद्यालय स्तर पर दिव्यांग बालकों की अध्ययन आदतों, सृजनात्मकता एवं समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन. International Journal of Information Movement, 2(11), 176-182.
- मंसूरी, इम्तियाज. एवं त्यागी, डॉ रमा. (2015). हाईस्कूल स्तर के दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों एवं अकादमिक अभिप्रेरणा का विश्लेषणात्मक अध्ययन. Journal of advance and scholarly researches in allied education, 10(11), 1-5.
- मरिअस. (2018). पोलिसीज, प्रेक्टिसेज एण्ड एटीट्यूड टुवर्ड्स इंक्लूसिव एजूकेशनः द केस ऑफ ग्रीस. www.mdpi.com/journal/socsci
- नामदेव, हेमन्त. (2020). राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा का अध्ययन. www.shodhganga.inflibnet.in.ac
- नारंग, के. सी. (2000) समोवशी शिक्षा, नई दिल्ली: सूर्या प्रकाशन।
- नायक, भरत कुमार. (2012). इम्प्लीमेन्टिग क्लॉज 12 ऑफ राइट टु एजुकेशन एक्ट 2009 इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थानः लेटिंग डिसएडवान्टेज चिल्ड्रन डाउन. http://www.semanticscholar.org
- पाल, डॉ सीताराम. (2020). ओपीनीयन ऑफ परसन विद डिसेबिलिटीज टुवर्ड्स द राइट ऑफ परसन विद डिसेबिलिटी एक्ट, 2016. . International educational journal CHETANA. 2231-3613, 1(5), 103-113.
- पाटगिरी, हीरामनी (2017). राइट्स टु एजुकेशन एण्ड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्सः रोल ऑफ सर्व शिक्षा अभियान इन बरपेटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम.

International journal of humanities and social sciences. 2250-3226, 7(1), 45-53.

- पाठक, आर.पी. व भारद्वाज, अमिता पाण्डेय. (2012). शिक्षा मंे अनुसंधान एवं सांख्यिकी, नई दिल्ली: कनिष्क पब्लिशर्स.
- प्रियदर्शिनी, एस. शारदा (2017). इफेक्ट ऑफ सलेक्टेड वेरिएबल्स ऑन रेगुलर स्कूल टीचर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स इनक्लूसिव एजुकेशन. I-manager's journal on educational psychology. 10(3), 28-38.
- पिंगल, सुधा समीर (2015). इफेक्ट ऑफ इनक्लूसिव एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन पर्सपेक्टिव टीचर्स. www.researchgate.net/publication
- राजलक्ष्मी. (2018). इंक्लूसिव एजूकेशन इन इंडियाः चैलेन्जेज एण्ड प्रोस्पेक्ट्स. International journal of special education. 28(1), 104-113.
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005), एन.सी.ई.आर.टी. (नई दिल्ली)
- राय, पारसनाथ (2014). अनुसंधान परिचय. आगरा: लक्ष्मी नारायण अग्रवाल पुस्तक प्रकाशन.
- सफाया, आर.एस. व अन्य. (2005). आधुनिक शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंध. नई दिल्ली: धनपत राय कम्पनी पब्लिशिंग कम्पनी.
- सुनार्डी एवं युसूफ. (2011). द इम्प्लीमेन्टेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर स्टूडेन्ट विद स्पेशल नीड्स इन इंडोनेशिया. Excellence in Higher Education 2 (1): 1-10
- सियेर, येसगल. (2010). डेवेलपिंग इंक्लूसिव एजूकेशन पोलिसीज एण्ड प्रेक्टिसेज इन टर्कीः ए स्टडी ऑफ रोल ऑफ यूनेस्को एण्ड लोकल एजूकेटर्स. Doctoral Thesis: ARIZONA STATE UNIVERSITY
- शर्मा, आर.ए. (1995). शिक्षा अनुसंधान, मेरठ: सूर्या प्रकाशन.
- शर्मा, उर्मिला. एवं शर्मा, विजय सागर. (2018). समावेशी शिक्षा के प्रति बी एड प्रशिक्षणार्थियों की अभिवृति का अध्ययन. Research review international journal of innovative research in engineering and multidisciplinary physical science, 6(5), 38-42.
- शर्मा, संध्या (2013). ए कम्पेरेटिव स्टडी ऑफ अवेयरनेस एण्ड एटीट्युड ऑफ सैकेण्डरी स्कूल प्रीसिंपल, टीचर्स एण्ड पेरेन्ट्स ऑन द इनट्रोडक्शन ऑॅफ इनक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड अण्डर सेन्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम. www.researchgate.net/publication.
- शर्मा, उमेश. मुरे, डेनिस. और सोनावाने, संजीव. (2009). एटीट्यूड एण्ड कन्सर्न ऑफ प्री-सर्विस टीचस रिगार्डिंग टु इंक्लूसिव ऑफ स्टूडेन्ट विद डिसेबिलिटीज इन टु रेगुलर स्कूल इन पुणे, इंडिया. Asia Pecific Journal Of Teacher Education. August ,37(3), 319-331.

- शर्मा, आर.ए. (2009) विशिष्ट शिक्षा का प्रारूप, मेरठः सूर्या पब्लिकेशन।
- तकाला, प्रीतिमा. तथा टोरमेनन. (2009). इंक्लूसिव स्पेशल एजुकेशनः द रोल ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीचर इन फीनलैण्ड. British journal of special education. 36(2), 162-172.
- त्रिपाठी, विवेक नाथ. (2016). उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत सामान्य विद्यार्थियों एवं विकलांग विद्यार्थियों की स्वास्थ्य के प्रति सजगता का तुलनात्मक अध्ययन. Inquisitive Teacher- A Peer Reviewed Refereed Research Journal, 3(2), 32-43.
- यूनेस्को (1994)- दि सलमानका स्टेटमेंट एण्ड फ्रेमवर्क फार एक्शन ऑन स्पेशल नीड्स एजूकेशन पेरिस-यूनेस्को
- उनियानु, मारिया. (2012). टीचर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स इंक्लूसिव एजूकेशन Procedia - Social and Behavioral Sciences 33 (2012) 900 – 904
- यूनेस्को (2003), समावेशी शिक्षा दृश्टिकोण से बहिष्करण पर काबू, एक चुनौती स्पेन, पेरिस, यूनेस्को
- विश्वास, संतू (2018). एटीट्यूड ऑफ हाई स्कूल टीचर्स टुवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेशन. IJRAR- International Journal of Research and Analytical Reviews, 5(1), 505-508
- वेल्स, मेगन. (2018). इंक्लुजन ऑफ स्टूडेन्ट विद स्पेशल नीड्स इन द जनरल एजूकेशन क्लासरूम. Dominican University of California
- यादव, अखिलेश. (2015). समावेशी शिक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया. www.researchgate.net/publication

परिशिष्ठ

समावेशी शिक्षा की नीतियों का समीक्षात्मक अध्ययन

शोध पर्यवेक्षिका | **शोधार्थी**

डॉ. सुषमा सिंह | **सरोज चौधरी**

प्रश्नावली

शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समस्याएं

कार्यालय का नाम--

अधिकारी का नाम---

पद ----------------------------- ग्राम ----------------------------------- शहर---------

जिला ------------------------------ दिनांक---

निर्देश

- प्रस्तुत प्रश्नावली के माध्यम से समावेशी शिक्षा की नीतियों का समीक्षात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया जा रहा है।
- उत्तर देते समय किसी विशेष परिस्थिति पर विचार न करते हुए सामान्य परिस्थिति के संबंध में विचार कीजिए। उत्तर देने हेतु समय का प्रतिबन्ध नही है परन्तु प्रश्नों का उत्तर उचित समय में देने का प्रयास करें।
- प्रत्येक उत्तर के सामने विकल्प दिए गए हैं उनमें किसी एक पर आपको सही का निशान लगाना है।
- आपके द्वारा दिए गए उतरों पूर्णतया गोपनीय रखा जायेगा तथा उनका प्रयोग केवल शोध कार्य हेतु किया जायेगा।

क्र.स.	कथन	सहमत	असहमत	तटस्थ
1	समावेशी शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी है।			
2	विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है।			
3	विद्यालय स्तर पर समावेशी शिक्षा से संबंधित नीतियों का पालन किया जाता है।			

4	विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विद्यालय द्वारा मनोवैज्ञानिक परामर्श एवं चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए।			
5	समावेशी शिक्षा के विकास के लिए सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।			
6	विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाएं एवं नीतियां पूर्णतया प्रभावी नही है।			
7	समावेशी शिक्षा को लागू करने में आपको विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है।			
8	राज्य सरकार द्वारा भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाना चाहिए।			
9	विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बनायी गयी नीतियां सरकारी एवं गैरसरकारी दोनों विद्यालयों में समान रूप से लागू की जाती है।			
10	विद्यालय में समावेशी शिक्षा की नीतियों के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उचित व्यवस्था उपलब्ध है।			

11	विकलांगता अधिनियम 1995 एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 दोनों का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है।			
12	सरकार को समावेशी शिक्षा को बढावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना चाहिए।			
13	विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को इन नीतियों का लाभ पूर्णतया मिल रहा है।			
14	समावेशी शिक्षा के लिए सरकार को ओर अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।			
15	समावेशी शिक्षा को लागू करने में सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में धन राशि प्रदान की जाती है।			

समावेशी शिक्षा की नीतियों का समीक्षात्मक अध्ययन

शोध पर्यवेक्षिका

डॉ. सुषमा सिंह

शोधार्थी

सरोज चौधरी

प्रश्नावली

(अध्यापकों के लिए)

अध्यापक का नाम --

विद्यालय का नाम --

शिक्षण अनुभव ------------------------------- **योग्यता** ------------

लिंग ---------------------- **आयु** -------- **दिनांक** ------------------

निर्देश

1 प्रस्तुत प्रश्नावली के माध्यम से समावेशी शिक्षा की नीतियों का समीक्षात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया जा रहा है।

2 उतर देते समय किसी विशेष परिस्थिति पर विचार न करते हुए सामान्य परिस्थिति के संबंध में विचार कीजिए। उतर देने हेतु समय का प्रतिबन्ध नही है परन्तु प्रश्नों का उतर उचित समय में देने का प्रयास करें।

3 प्रत्येक उतर के सामने विकल्प दिए गए हैं उनमें किसी एक पर आपको सही का निशान लगाना है।

4 आपके द्वारा दिए गए उतरों पूर्णतया गोपनीय रखा जायेगा तथा उनका प्रयोग केवल शोध कार्य हेतु किया जायेगा।

क्र.स.	कथन	सहमत	असहमत	तटस्थ
1	आपको समावेशी शिक्षा के लिए बनाई गई सभी नीतियों की जानकारी है।			
2	समावेशी शिक्षा की नीतियों का विद्यालय में प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है।			
3	समावेशी शिक्षा विद्यार्थियों के विकास में सहायक है।			
4	विद्यालय प्रबन्धन समिति समावेशी शिक्षा को बढावा देने में सहायता करती है।			

5	समावेशी शिक्षा के लिए बनायी गयी नीतियां दिव्यांग विद्यार्थियों के विद्यालय में समायोजन में सहायक है।			
6	आप दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति सदैव संवेदनशील रहते हैं।			
7	आप दिव्यांग विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्या को समझने का प्रयास करते हैं।			
8	आपको समावेशी वातावरण में शिक्षण कार्य करना अच्छा लगता है।			
9	आप कक्षा में शिक्षण कार्य के दौरान विशेष उपकरणों का प्रयोग दिव्यांग बालकों के लिए करते हैं।			
10	आप समावेशी शिक्षा की अवधारणा जिसमें दिव्यांग विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ शिक्षित किया जाता है उससे सहमत है।			
11	विद्यालय द्वारा दिव्यांग बालकों की पहचान और उनका एकीकरण करने के लिए गृह आधारित सर्वेक्षण किया जाता है।			
12	सरकार द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृति उन्हें समय पर प्राप्त होती है।			

13	विद्यालय में दिव्यांग बालकों के लिए आवश्यक भौतिक सुविधाएं जैसे-रेम्प, पृथक् शौचालय, खुले एवं रोशनीदार कक्षा-कक्ष, इनडोर गेम्स आदि उपलब्ध हैं।			
14	विद्यालय में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आवश्यक शैक्षिक उपकरण जैसे- ब्रेल उपकरण, ऑडियो-विडियों उपकरण, व्हील चेयर, विशेष फर्नीचर आदि उपलब्ध हैं।			
15	समावेशी शिक्षा के कारण दिव्यांग विद्यार्थियों में सामाजिकता की भावना का विकास होता है।			
16	विद्यालय में समावेशी वातावरण के निर्माण में प्रधानाध्यापक द्वारा सहयोग किया जाता है।			
17	दिव्यांग विद्यार्थियों को विद्यालय में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।			
18	दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अलग पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए।			
19	समावेशी शिक्षा के माध्यम से दिव्यांग विद्यार्थियों को समााज की मुख्य धारा में जोडा जा सकता है।			
20	सभी प्रकार के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए समावेशी शिक्षा उपयुक्त है।			

21	सामान्य विद्यालयों को समावेशी विद्यालयों में परिवर्तित करना एक अच्छा विचार है।			
22	विद्यालय में दिव्यांग विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध है।			
23	विद्यालय में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता है।			
24	दिव्यांग विद्यार्थियों को समावेशी शिक्षा की नीतियों का पूर्ण लाभ मिल रहा है।			
25	शैक्षिक अधिकारियों द्वारा समावेशी शिक्षा के विकास में सहयोग प्रदान किया जाता है।			
26	आपके अनुसार समावेशी शिक्षा दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा एवं समाजीकरण के लिए आवश्यक है।			
27	विद्यालय में विशिष्ट शिक्षिकों की नियुक्ति की गयी है।			
28	विद्यालय द्वारा समय-समय पर अभिभावकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।			

29	विद्यालय द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवायी जाती है।			
30	समावेशी शिक्षा की नीतियों को करने के लिए सरकार द्वारा समय पर वितीय सहायता प्रदान की जाती है।			

समावेशी शिक्षा की नीतियों का समीक्षात्मक अध्ययन

शोध पर्यवेक्षिका | **शोधार्थी**

डॉ. सुषमा सिंह | **सरोज चौधरी**

प्रश्नावली

(विद्‌यार्थियों के लिए)

छात्र/छात्रा का नाम --

विद्‌यालय का नाम --

कक्षा --- **लिंग** ----------

आयु --------------------------------- **दिनांक** ----------------------

निर्देश

- प्रस्तुत प्रश्नावली के माध्यम से समावेशी शिक्षा की नीतियों का समीक्षात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया जा रहा है।
- उत्तर देते समय किसी विशेष परिस्थिति पर विचार न करते हुए सामान्य परिस्थिति के संबंध में विचार कीजिए। उत्तर देने हेतु समय का प्रतिबन्ध नही है परन्तु प्रश्नों का उत्तर उचित समय में देने का प्रयास करें।
- प्रत्येक उत्तर के सामने विकल्प दिए गए हैं उनमें किसी एक पर आपको सही का निशान लगाना है।
- आपके द्वारा दिए गए उतरों पूर्णतया गोपनीय रखा जायेगा तथा उनका प्रयोग केवल शोध कार्य हेतु किया जायेगा।

क्र.स.	**कथन**	**सहमत**	**असहमत**
1	आप प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं?		
2	विद्यालय में सहपाठियों एवं शिक्षकों के द्वारा आपकी पढने में सहायता की जाती है?		
3	आप समावेशी शिक्षा के विषय में जानते हैं?		
4	विद्यालय में विशेष बालकों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण सामग्री उपलब्ध है?		
5	अध्यापकों के द्वारा कक्षा शिक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है?		

6	विद्यालय में विशेष बालकों को आवश्यक फर्नीचर, चिकित्सा, खेल के समान आदि उपलब्ध कराया जाता है?		
7	विद्यालय में विशेष बालकों को मध्यान्ह भोजन, पुस्तकें, गणवेश, छात्रवृति एवं विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है?		
8	विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है?		
9	शिक्षकों के द्वारा विशेष बालकों को प्रशंसा एवं प्रोत्साहन दिया जाता है?		
10	विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा विशेष बालकों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी दी जाती है?		
11	विद्यालय में विशेष बालकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है?		
12	विद्यालय का वातावरण विशेष बालकों के लिए उपयुक्त है?		
13	शिक्षकों के द्वारा सभी बालकों के साथ समान व्यवहार किया जाता है?		
14	विद्यालय में सभी बालकों को विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के अवसर प्रदान किए जाते हैं?		

15	विद्यालय में शिक्षक-अभिभावक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है?		

समावेशी शिक्षा की नीतियों का समीक्षात्मक अध्ययन

शोध पर्यवेक्षिका **शोधार्थी**

डॉ. सुषमा सिंह **सरोज चौधरी**

प्रश्नावली

(अभिभावकों के लिए)

नाम ---

आयु -------------------------------- **लिंग** -----------------------

शिक्षा का स्तर --

बच्चों की संख्या ------------------- **दिनांक** ----------------------

निर्देश

1 प्रस्तुत प्रश्नावली के माध्यम से समावेशी शिक्षा की नीतियों का समीक्षात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया जा रहा है।

2 उतर देते समय किसी विशेष परिस्थिति पर विचार न करते हुए सामान्य परिस्थिति के संबंध में विचार कीजिए। उतर देने हेतु समय का प्रतिबन्ध नही है परन्तु प्रश्नों का उतर उचित समय में देने का प्रयास करें।

3 प्रत्येक उतर के सामने विकल्प दिए गए हैं उनमें किसी एक पर आपको सही का निशान लगाना है।

4 आपके द्वारा दिए गए उतरों पूर्णतया गोपनीय रखा जायेगा तथा उनका प्रयोग केवल शोध कार्य हेतु किया जायेगा।

क्र.स.	**कथन**	**सहमत**	**असहमत**
1	आप समावेशी शिक्षा के बारे में जानते हैं?		
2	आपको समावेशी शिक्षा के लिए बनाई गई सभी नीतियों की जानकारी है?		
3	समावेशी शिक्षा के फलस्वरूप विशेष बालकों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है?		
4	विद्यालय में समावेशी शिक्षा को ठीक प्रकार से लागू किया जा रहा है?		

5	समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन हेतु समाजसेवी संगठनों के द्वारा सहायता की जा रही है?		
6	समावेशी शिक्षा की नीतियों के लागू होने से विशेष बालकों की शैक्षिक स्थिति में परिवर्तन आया है?		
7	समावेशी शिक्षा के तहत विद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम से विशेष बालक लाभान्वित हो रहे हैं?		
8	शिक्षकों के द्वारा विशेष बालकों के विद्यालय में समावेशन हेतु प्रयास किये जाते हैं?		
9	विद्यालय द्वारा समावेशी शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है?		
10	समावेशी शिक्षा, विशेष बालकों को समाज एवं शिक्षा की मुख्य धारा से जोडने का एक प्रयास है?		
11	विद्यालय में विशेष बालकों के लिए समय-समय पर निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है?		
12	आप सरकार द्वारा विशेष बालकों की शिक्षा के लिए चलायी जा रही योजनाओं से संतुष्ट हैं?		
13	विशेष बालकों के शैक्षिक विकास हेतु विद्यालय द्वारा छात्रवृति प्रदान की जाती है?		
14	शिक्षक विशेष बालकों के साथ उचित एवं समान व्यवहार करते हैं?		

15	विद्यालय का वातावरण समावेशी शिक्षा के लिए उपयुक्त है?		
16	विद्यालय में विशेष बालकों को सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए तैयार किया जाता है?		
17	विद्यालय में विशेष बालकों के लिए आवश्यक शैक्षिक उपकरण उपलब्ध हैं?		
18	विद्यालय में विशेष बालकों के लिए आवश्यक भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हैं?		
19	समावेशी शिक्षा विशेष बालकों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक है?		
20	विशेष बालकों के लिए विद्यालय में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है?		